एकादश माला, खंड 3, अंक 6

बुधवार, 17 जुलाई, 1996
26 आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

दिनांक 17 जुलाई, 1996 के लोक सभा
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (1)	15	उद्योगों को	उद्योग
विषय सूची (11)	नीचे से 2	श्री प्रभुदयाल कठीरिया	श्री प्रभुदयाल कठेरिया
36	10	श्री टी॰आर॰बालू	श्री टी॰आर॰बालू
38	12	(च) और (ड॰)	(ब) और (ड॰)
43	5	(क) और (ग)	(क) और (ख)
50	16	डा० यू॰ वेंकटेश्वरलू	डा० यू॰ वेंकटेस्वरलू
68	नीचे से 19	उपर्युक्त से पहले (ख) पढ़िए ।	
145	17	तेल निकलना	तेल निकालना
179	8	पटेंट करना	पेटेंट करना
188	नीचे से 12	श्री निर्मल कुमार चटर्जी	श्री निर्मल कान्ति चटर्जी
205, 242	19 / नीचे से 4	श्री धावरचन्द गहलोत	श्री धावरचन्द गेहलोत
205	नीचे से 12	विधि कार्य विधायी विभाग	विधि कार्यविभाग, विधायी विभाग
208	21	"शुगर मिल को शुरू करना"	"चीनी मिल को पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता
212	20	संशोधन	संशोधन
212	नीचे से 11	श्री राम नाईक	श्री राम नाईक
215	24	श्री सत्य पाल जैन	श्री सत्य पाल जैन
228	नीचे से 15	सुरेश प्रभु से पहले "श्री" पढ़िए ।	
271	नीचे से 8	श्री जेवियर अरनाकल	श्री जेवियर अरोकन

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 6, बुधवार, 17 जुलाई, 1996/26 आषाढ, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	102 से 104	2—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	101 और 105 से 120	22—50
अतारांकित प्रश्न संख्या	804 से 902	50—183
सभा पटल पर रखे गए पत्र		202—204, 207—208
नियम 377 के अधीन मामले		208—212
(एक) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में फरेन्दा गणेश चीनी मिल को पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता — श्री पंकज चौधरी		208
(दो) महाराष्ट्र के थाणे जिले में देहानू तालुक में उद्योगों को स्थापित करने पर लगे प्रतिबंध को उठाये जाने की आवश्यकता — श्री चिन्तामन वांगा		209
(तीन) राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना — श्री भेरुलाल मीणा		209—210
(चार) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों की भर्ती की विद्यमान संविदात्मक प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता — श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार		210
(पांच) बेलगाम जिले में सोगालु में 'यात्रिका' के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता — श्री शिवानंद एच. कौजलगी		210
(छः) भारत-बंगलादेश सीमा पर लगाई जा रही बाड़ से प्रभावित लोगों के नुकसान को कम से कम करने के लिए बाड़ की सीध निर्धारित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता — श्री चित्त बसु		210—211
(सात) केरल में अल्पसंख्यकों के स्कूलों के लिए शेष 50 प्रतिशत अनुदान देने की आवश्यकता — श्री ई. अहमद		211
(आठ) मुम्बई केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बनी गन्दी बस्ती के लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता — श्री राम नाईक		211—212
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन तीसरा अध्यादेश, 1996 के प्रख्यापन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक		212—240
विचार करने के लिये प्रस्ताव — श्री सत्य पाल जैन		213—216

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
श्री पी. आर. दासमुंशी	216—223
श्री सी. नारायण स्वामी	223—225
श्री बलाई चन्द्र राय	225—228
श्री सुरेश प्रभु	228—231
श्री जार्ज फर्नान्डीस	231—236
श्री प्रमथेस मुखर्जी	236—237
श्री गिरधारी लाल भार्गव	237—240
मंत्री द्वारा वक्तव्य	240—242
उज्जैन और हरिद्वार में हुई तीर्थयात्रियों की मौत की घटनायें	
श्री मोहम्मद मकबूल डार	240—242
नियम 193 के अधीन चर्चा	243—300
देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति और प्राकृतिक आपदायें	
प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा	243—245
श्री वी. धनन्जय कुमार	246—248
श्री नुरुल इस्लाम	248—250
श्री वी.वी. राघवन	251—252
श्री उधव बर्मन	252—255
श्री सुरेश प्रभु	255—257
श्री भक्त चरण दास	257—258
श्री गंगा चरण राजपूत	258—261
श्री वी.एम. सुधीरन	261—263
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास	263—266
डा. जयन्त रंगपी	266—267
श्री राजीव प्रताप रूडी	268—272
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	272—275
श्री अनिल कुमार यादव	275—276
डा. अरूण कुमार शर्मा	276—278
श्री एम.के. प्रेमचन्द्रन	278—280
श्री गिरधारी लाल भार्गव	280—282
श्री कल्पनाथ राय	282—286
श्री रमेश चेन्नित्तला	286—288
श्री राम कृपाल यादव	290—293
श्री टी. गोविन्दन	293—294
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	294—295
श्री प्रभुदयाल कठीरिया	295
श्री अनन्त गंगाराम गीते	295—297

लोक सभा

बुधवार, 17 जुलाई, 1996/21, आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 101, श्री परसराम भारद्वाज नहीं है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : प्रधान मंत्री जी का दिन है वह नहीं है, कोई जानकारी दे,...**(व्यवधान)** एक दिन होता है।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : आज माननीय प्रधान मंत्री का दिन है। उनको यहां पर उपस्थित होना चाहिए। प्रधान मंत्री कहां हैं? ...**(व्यवधान)**

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : वह आ रहे हैं। आप चिन्ता क्यों करते हैं?

[हिन्दी]

मालूम पड़ता है आपको प्रधान मंत्री जी से बहुत प्यार है, मौहब्बत है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 101, श्री परसराम भारद्वाज अनुपस्थित हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 102, श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल।

(व्यवधान)

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : प्रश्न संख्या 102 ...**(व्यवधान)**

श्री सनत मेहता : महोदय, उत्तर कौन दे रहा है?...**(व्यवधान)**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मुझे पहले अर्थात् प्रश्न संख्या 101, का उत्तर देना है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन सदस्य उपस्थित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने वाला नहीं है।...**(व्यवधान)** वह पूछ रहे हैं। प्रश्न संख्या 101 पूछने वाला नहीं है।...**(व्यवधान)** क्या श्री परसराम भारद्वाज हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : महोदय, माननीय मंत्री जी कहां हैं? आपने श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल का नाम पुकारा है। लेकिन प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कहां हैं?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मंत्री जी के आने तक सभा की कार्यवाही स्थगित कर दें.. .**(व्यवधान)**। माननीय मंत्री जी कहां हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपमें से कोई और जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी अनुपस्थित हैं और संबद्ध मंत्री जी भी अनुपस्थित हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, पहले बैठ जाइये।

[हिन्दी]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : मैं लेट आने के लिये माफी चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने माफी मांग ली है। इतना बहुत है।

श्री प्रमोद महाजन : उनको उत्तर पढ़ना चाहिये।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

उद्यमियों के साथ समझौता

***102. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में विद्युत के क्षेत्र में सरकार द्वारा निजी उद्यमियों के साथ किए गए समझौतों की संख्या क्या है; और,

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान गुजरात में शुरू की गई एवं पूर्ण की गई विद्युत परियोजनाओं की संख्या क्या है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1991 में भारत सरकार की निजी विद्युत नीति तैयार किए जाने से 18 फरवरी, 1995 तक विद्युत उत्पादक स्टेशनों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों ने निजी उद्यमियों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादन किए हैं अथवा उन्हें आशय-पत्र जारी किए हैं। अब तक की स्थितिनुसार, भारत सरकार प्रत्येक 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 94 परियोजनाओं की, जिन्हें इस माध्यम से स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, मानिटरिंग कर रही है। 100 करोड़ रुपए से कम लागत वाली विद्युत परियोजनाओं जिनके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (कि.वि.प्रा.) के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, की मानिटरिंग, राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, अब तक की स्थितिनुसार उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार अपने स्टेशनों द्वारा उत्पादित विद्युत की बिक्री के लिए राज्य बिजली बोर्डों के साथ 23 निजी उद्यमियों ने विद्युत क्रय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) गुजरात में निजी क्षेत्र में मै. एस्सार पावर लि. द्वारा हजीरा स्थित 515 मेवा. वाली संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र का भार अपने ऊपर लिया गया था और इसे अब पूरा कर लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात और देश में कई जगह बिजली की बहुत कमी है। नई इंडस्ट्रीज को भी बिजली नहीं मिलती है। किसानों को भी बिजली नहीं मिलती है। मैं आपके द्वारा केन्द्रीय सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आठवीं योजना में प्राइवेट कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट किये थे उनमें से कितनी कंपनियों ने काम किया? हर प्रान्त में और विशेषकर गुजरात में कितना काम किया, यह बताइए।

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में 11 ऊर्जा परियोजनाओं में से 6 परियोजनाओं के लिये बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं।

क्या मैं सभी के नाम पढ़ूं अथवा परियोजनाओं की संख्या बताना ही काफी है?...**(व्यवधान)**

श्री सनत मेहता : महोदय, पहला प्रश्न था कि अब तक कितनी ऊर्जा परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और राज्य-वार लम्बित परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है?

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : गुजरात में 'एस्सार' ऊर्जा परियोजना पूरी हो चुकी है। इसमें उत्पादन शुरू भी किया जा चुका है। सिर्फ यही परियोजना पूरी की जा चुकी है। शेष परियोजनाओं के लिये बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं। इसके अलावा शेष कुछ परियोजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

महोदय, क्या मैं विचाराधीन परियोजनाओं की सूची सभा पटल पर रखूं?...**(व्यवधान)**

श्री सनत मेहता : नहीं।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : आन्ध्र प्रदेश की 'जेगुरूपाडु' विद्युत परियोजना की क्षमता 216 मेगावाट है और 'जी.वी.के.' द्वारा लगाई जा रही है। 'गोदावरी' विद्युत परियोजना भी आन्ध्र प्रदेश में है जिस की क्षमता 208 मेगावाट है और यह 'स्पैक्ट्रम टेक्नोलोजी' द्वारा लगाई गई है। महाराष्ट्र में 'डाभोल' की क्षमता 715 मेगावाट है, यह 'एनरान' की हैं, हिमाचल प्रदेश में 'बास्पा एच.ई.पी.' की क्षमता 300 मेगावाट है जो 'जे.पी. इन्डस्ट्रीस' द्वारा शुरू की गई है; गुजरात में 'एस्सार' की 'हाजिरा' परियोजना है जिसकी क्षमता 515 मेगावाट है और 'एस्सार' द्वारा लगाई जा रही है, गुजरात में 'पागुथन' की क्षमता 655 मेगावाट है, यह 'टोरेन्ट' द्वारा लगाई गई है; मध्य प्रदेश में एस. कुमार की महेश्वर एच.ई.पी. की क्षमता 400 मेगावाट है; मध्य प्रदेश में 'एच. ई.जी.' की तावा 'एच.ई.पी.' की क्षमता 12 मेगावाट है; की बिहार में जमशेदपुर पावर कंपनी की 'जोजोबेरा' की क्षमता 200 मेगावाट है; गुजरात में बड़ौदा स्थित 'जी.आई.पी.सी.एल.', की क्षमता 160 मेगावाट है; कर्नाटक में 'शिवपुर एच.ई.पी.' की क्षमता 18 मेगावाट है जो 'भोरूका पावन कंपनी' द्वारा लगाई गई है; केरल में 'मइनियार एच.ई.पी.' की क्षमता 12 मेगावाट है जो 'कारबोरूनडुम यूनिवरसल' द्वारा लगाई गई है; असम में 'अदमतिला' की क्षमता 9 मेगावाट है और 'डी.एल.एफ.' द्वारा लगाई जा रही है; और असम में 'बनसाकंडी' की क्षमता 15.5 मेगावाट है और 'डी.एल.एफ.' द्वारा लगाई जा रही है। इस प्रकार कुल क्षमता 3435 मेगावाट है।

उक्त विद्युत परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

यह परियोजनावार विवरण है।

श्री सनत मेहता : क्या सरकार ने प्रति मेगावाट और प्रति यूनिट उत्पादन लागत के बारे में कोई मानक निर्धारित किया है? अथवा क्या इसके लिये राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक है? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : जहां तक विद्युत परियोजनाओं का प्रश्न है प्रति मेगावाट लागत लगभग 4 करोड़ रुपये है। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य की है। राज्य को परियोजना के बारे में बातचीत करनी पड़ती है। और पी.पी.ए. सी.ई.ए. को भेजना होता है।

श्री सनत मेहता : जहां तक गुजरात का सवाल है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे आरोप लगाये गये हैं कि पहले 'एस्सार' कम्पनी

ने लागत बहुत कम आंकी थी लेकिन बाद में बढ़ा दी गई थी? क्या सरकार को इसकी जानकारी है?

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : राज्य सरकार से प्राप्त सभी रिपोर्टों को पढ़कर सी.ई.ए. ने गुजरात 'एस्सार' कम्पनी को स्वीकृति दी थी। कम्पनी ने 200 मेगावाट से शुरूआत की थी और बाद में यह 250 मेगावाट हो गई। सी.ई.ए. ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान में यह मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिये मेरे विचार से इस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में दाभोल पावर कम्पनी का काम चल रहा है या बन्द है और हमारी केन्द्र सरकार की इसके बार में भूमिका क्या है?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महाराष्ट्र में दाभोल परियोजना को मंत्रिमंण्डल ने स्वीकृति दे दी है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा है कि काम चल रहा है या बन्द है?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : यह शुरू किया जाने वाला है।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आजकल उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तमाम योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एस.ओ.यू. पर दस्तखत भी कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी से वे योजनाएं क्लिअर नहीं हुई हैं, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी योजनाओं को कितना समय निस्तारण में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को और लगेगा?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, सामान्यतः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ चार महीनों के भीतर करार किए जाते हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने में लगभग तीन से चार वर्ष लग जाते हैं। मैंने हाल ही में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ एक बैठक बुलाई है। विद्युत मंत्री ने इस अवधि को न्यूनतम करने के लिए स्पष्ट अनुदेश जारी किए हैं

श्री जगमोहन : महोदय सात केन्द्रीय परियोजनायें हैं-रिहन्द-II, ऊंचाहार-II, धुलहस्ती, फरीदाबाद, उरी, बारसीगार और यमुना नगर-जिनमें से दिल्ली को अपने हिस्से के रूप में 400 मे.वा. विद्युत प्राप्त करनी थी। इस तथ्य के बावजूद कि कई वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक एक भी परियोजना फलितार्थ नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली को एक मे.वा. विद्युत भी नहीं मिल सकी है। इस समय जो भी बिजली की कटौतियां हो रही हैं उनका कारण केन्द्र सरकार द्वारा अपनी परियोजनाओं को फलीभूत करा पाने में पूर्णतः असफलता है। कृपया आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : दिल्ली में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के स्तर पर कोई भी परियोजना लम्बित नहीं है। मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री जगमोहन : मैंने सात परियोजनाओं के नाम दिए हैं... **(व्यवधान)** यदि आप चाहें तो मैं उनके नाम फिर से पढ़ सकता हूं। इन सभी परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाना है। दिल्ली की राज्य सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है। दिल्ली को अपने हिस्से के रूप में कीमत चुका कर केवल 400 मे.वा. विद्युत प्राप्त करना था। इसमें से किसी परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

परिणाम यह है कि राजधानी दिल्ली के लोगों को काफी असुविधाओं और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है; बार-बार बिजली कटने से अनेक उद्योगो को काफी हानि उठानी पड़ रही है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि परियोजनाओं का नियोजन और क्रियान्वयन आपको करना है तथा दिल्ली को अन्य राज्यों की तरह केवल अपना हिस्सा भर प्राप्त करना है।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि दिल्ली को केन्द्रीय विद्युत घरों से पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। 'डेसू' को अस्सी प्रतिशत विद्युत की आपूर्ति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से की जाती है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा विशेष रूप से उल्लेख की गई परियोजनाओं का संबंध है, मैं सभी परियोजनाओं को देखूंगा और फिर उनके बारे में बताऊंगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि डाभोल का एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है लेकिन महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ में जो नीपोन डेनरो बड़ोदरा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने महाराष्ट्र को क्लीयर किया है। मैं जानना चाहता हूं कि नीपोन डेनरो कम्पनी बड़ौदरा का जो 500 मेगावाट का प्रपोजल था, उसके बारे में क्या पोजीशन है? दूसरा, विदर्भ के अंदर बहुत अच्छा कोयला होता है जिससे कि वहां पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। जो उमेद कोयला खदान है, क्या उसके बारे में कोई दूसरा प्रोजेक्ट देने की बात है?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : नीपोन डेनरो इस्पात लिमिटेड भद्रवती, महाराष्ट्र में है। मैं समझता हूं कि पी.पी.ए. हमें राज्य सरकार से प्राप्त करना है; यह केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है। हमें पी. पी.ए. प्राप्त करना है; उन्होंने अभी पी.पी.ए. नहीं भेजा है। अतः अभी यह राज्य सरकार के पास पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : पैंडिंग किधर है। स्टेट गवर्नमेंट ने तो आपके पास भेजा है।

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : लेकिन, महोदय, हमें पी.पी.ए. प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर प्रधान मंत्री जी स्वयं दें। हम यह जानना चाहते हैं कि कर्नाटक का जो कोर्जेट्रिक्स प्रोजेक्ट है, जिस पर कुल खर्च 4,387 करोड़ रु. होना है, इस खर्च में से लगभग आधी रकम 2090 करोड़ रुपए ऐसे कामों के लिए जा रही है जिसका उस प्रोजेक्ट से कोई सीधा मतलब नहीं है।

[अनुवाद]

हम इस बात से सहमत हैं कि बीमा और मालभाड़ा खर्च 139 करोड़ का है, 'टर्जकी' शुल्क और खर्चे 214 करोड़ रुपये के हैं, पूर्व-प्रचालन व्यय 66 करोड़ रु., सलाह संबंधी शुल्क 124 करोड़ रु. वित्त संबंधी खर्चे-मुझे नहीं मालूम कि वे क्या हैं-166 करोड़ रुपये के तथा विधिक और लेखन संबंधी खर्चे 42 करोड़ रुपये हैं। प्रायोजन और विकास संबंधी खर्च 51 करोड़ रु. का है-मुझे इस का अर्थ नहीं पता है कि कोन प्रायोजित कर रहा है-आकस्मिक खर्च 157 करोड़ रु. और निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज 890 करोड़ रु. का है।

[हिन्दी]

कुल मिलाकर 48 प्रतिशत रकम ऐसे कामों के लिए जा रही है। मैकेनिकल इलैक्ट्रिकल वर्कस, सिविल वर्कस, रोड्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2200 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है और बाकी सारी चीजों पर जिसमें से अनेक का कोई अर्थ नहीं है, उन पर 48 प्रतिशत खर्च हो रहा है।

हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इस योजना को बनाते समय कौन-कौन से खाते में क्या-क्या पैसा खर्च होना है? यदि इसका संपूर्ण ब्यौरा आपके पास आया है तो यह सारा हिसाब-किताब क्या है? इसका खुलासा सदन के सामने करें। एनवायर्नमेंट क्लिअरेन्स को लेकर आज कर्नाटक में और देश भर में लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। कम्पनी के लोग बंगलौर में एक जुबान से बोलते हैं और आपके लोग दूसरी जुबान से बोलते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सदन को विश्वास में लेकर बतायें कि यह मामला कहां तक गया है; इस स्पष्ट खुलासा करें?...**(व्यवधान)** हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी इसका स्वयं जवाब दें। कर्नाटक का मामला करके नहीं बल्कि उनको इस बारे में पूरी जानकारी है। वे यहां पर बैठे हैं और दूसरे इसका जवाब दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। यह जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जवाब दें। वैसे यह देंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री फर्नान्डीज ने कहा है कि कोजेन्ट्रिक्स परियोजना की लागत लगभग 2100 करोड़ रु. है। यह सच नहीं है। जहां तक प्रश्न के अन्य भाग का संबंध है, वह एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वह इसे जानते हैं। मैं माननीय सदस्य से एक पृथक प्रश्न पूछने का अनुरोध करता हूं...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं...**(व्यवधान)** प्रश्न के दायरे में देश में चल रही सभी परियोजनाएं शामिल हैं। वे इस तरह कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं? ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रधान मंत्री जी की बात सुनिए।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौडा) : महोदय आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने आक्षेप लगाने का प्रयत्न किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया है। महोदय, मैंने एक सीधा प्रश्न किया है। मैं इस पर कड़ी आपत्ति करता हूं। मेरा आक्षेप लगाने का कोई प्रयत्न नहीं है। प्रधान मंत्री उस तरह का वक्तव्य कैसे दे सकते हैं? कृपया उनसे पूछिए कि कि मैंने क्या आक्षेप लगाने का प्रयत्न किया है?...**(व्यवधान)**

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं जानता हूं इसे। मुझे उत्तर देने दीजिए ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, आपने अपनी बात कही अब उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप कृपया उनसे पूछिए मैंने क्या दुर्भावना दिखाई है। उन्हें अपना वक्तव्य वापस लेना होगा। मैंने कोई दुर्भावना नहीं दिखाई दी है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं भी चीख सकता हूं। मैं और अच्छे ढंग से चीख सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, मंत्री जी ने ब्यौरा दिया है। कोजेन्ट्रिक्स परियोजना को अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। पी.पी.ए. राज्य सरकार अर्थात् कर्नाटक विद्युत बोर्ड के स्तर पर है। जहां तक इस विद्युत खरीद करार और अन्य पहलुओं का संबंध है, राज्य सरकार को अंततः एक निर्णय लेना है। उसके बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समूचे मुद्दे की जांच करेगा तथा उसके बाद ही वह केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपनी जांच प्रस्तुत करेगा। इस अवस्था में मैं यह कह सकने की स्थिति में नहीं हूं कि किन-किन मदों पर उन्होंने करार किए हैं और यह कि काउन्टर गारन्टी करार देते समय केन्द्रीय सरकार अंततः क्या समझौते करने जा रही है मैं ऐसी स्थिति में विवरण नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह इम्पोर्टेन्ट क्वश्चन है और इस पर आलरेडी बीस मिनट हो चुके हैं इसलिए मैं सिर्फ एक सप्लीमेंट्री और ऐलाऊ कर रहा हूं। बाद में आप इस पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? मेरी उपाध्यक्ष महोदय से अपील है कि जहां तक विद्युत क्षेत्र और विद्युत नीत का सम्बन्ध है यह महत्वपूर्ण मामला है। पिछले पांच वर्षों के दौरान हम एक भी मेगावाट विद्युत का उत्पादन नहीं कर पाये। हमारे सामने यह स्थिति है। राज्यों में मेरे सहयोगी मंत्री ने कहा है कि विभिन्न 14 विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने इसका ब्यौरा भी दिया है। आन्ध्र-प्रदेश में दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई हैं महाराष्ट्र हिमाचल में एक-एक और परियोजना और गुजरात में दो-दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है ...**(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुनें। मेरे पास मंजूरी की गई 14 परियोजनाओं की सूची है और उनकी प्रगति का कार्य 2 विभिन्न चरणों में है। उनके सम्पन्न होने पर 3,435 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि ये परियोजनाएं कब पूरी होंगी क्योंकि इनमें काफी समस्याएं हैं।

दो फास्ट ट्रैक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। एक सप्ताह पहल रोननौन परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। दूसरी पुरियोजना उड़ीसा की है जिस उड़ीसा की परियोजना पर उड़ीसा सरकार पुर्नविचार कर रही है। यह अभी शुरू नहीं की गई है। कोजेन्ट्रिक्स सहित छः अन्य फास्ट ट्रेक परियोजनाओं को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

श्री प्रमोद महाजन : महाराष्ट्र सरकार ने भद्रवती परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं तो केवल इतना भर बता रहा हूं कि चौदह परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने लगभग 94 परियोजनाओं को मंजूरी दी है परन्तु 23 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। वे जांच-पड़ताल के विभिन्न चरणों में हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि हम इस मामले में अधिक देरी नहीं करना चाहते। पिछले चरणों में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हम राज्य सरकारों के सहयोग से उन सभी परियोजनाओं को भी चलाना चाहते हैं। हमारी ओर से विलम्ब होने का प्रश्न ही नहीं है चाहे परियोजना मध्य प्रदेश की हो, हिमाचल प्रदेश की या किसी भी राज्य की हो। मेरी मुख्य चिन्ता यह है कि बिजली की समस्या का समाधान किया जाए।

चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अतः माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इस पर अलग से विचार करें। चूंकि इस विषय से और भी बहुत से मामले जुड़े हैं अतः प्रश्न काल में सारे मामलों के बारे में सभा के नहीं बताया जा सकता। मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि मंत्रणा समिति से मंत्रणा के पश्चात् इस विषय पर चर्चा के लिए अलग से समय रखा जाए ताकि देश में बिजली की स्थिति पर विचार किया जा सके। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर नियम 193 के अन्दर डिस्कशन हो सकता है। मैं सिर्फ एक सप्लीमैंट्री एलाऊ कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री एच. डी. देवेगौडा : मेरा उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इस पर किस नियम के अन्तर्गत चर्चा की जा सकती है इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया जाए...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री पी.आर. दासमुन्शी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रत्युत्तर में बताया है कि केन्द्रीय सरकार 94 परियोजनाओं पर सीधी निगरानी रखती है और इनमें 23 उद्यमियों से पहले ही विद्युत खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। हालांकि सरकार निजी उद्यमियों की विद्युत क्षेत्र में भागीदारी का स्वागत करती है क्योंकि यही वक्त की मांग है परन्तु यह कहा गया था कि इन समझौतों को स्वीकृति प्रदान करते लोगों द्वारा बिजली की प्रति-यूनिट-दर खपत का ख्याल रखा जाएगा। क्या मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि विद्युत खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले इन 23 उद्यमियों में से निम्नतम प्रति-यूनिट-दर पर हस्ताक्षर करने वाला उद्यमी कौन है और वह सम्बंधित राज्य कौन सा है? मेरा मुद्दा यही है।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी-अभी सूचित किया है कि केवल दो परियोजनाओं को अब तक स्वीकृति प्रदान की गई है? जहां तक उड़ीसा की परियोजना का सम्बंध है वह अभी राज्य सरकार के पास ही है। 94 में से केवल जिन 23 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई हैं इनमें समझौता ज्ञापन और आशय पत्र इन्टेन्ट भी शामिल हैं। जहां तक प्रति-यूनिट लागत और अन्य विवरणों का सम्बन्ध है हम माननीय सदस्य को अलग से सूचित करेंगे।

श्री मनोरंजन भगत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि एक ऐसी परियोजना जिनकी लागत 1000 करोड़ रुपए से कम है, इसके बारे में राज्य स्वयं निर्णय लेंगे परन्तु संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। वे छोटे-छोटे राज्य हैं और चूंकि वे संघ राज्य क्षेत्र हैं तो इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की होनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पहलू पर केन्द्रीय सरकार स्वयं विचार करेगी अथवा इसे संघ राज्यों क्षेत्रों पर छोड़ दिया जाएगा।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : हमने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री से इस विषय पर चर्चा की है, हम मामले पर विचार करेंगे ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कोयले की राख के कारण हुई बीमारियां

***103. डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोयले की राख, शोर तथा गंदे, पर्यावरणीय वातावरण के कारण ताप विद्युत केन्द्रों के कर्मचारियों में यक्ष्मा तथा दमा की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरे देश के विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों में इस प्रकार से प्रभावित कर्मचारियों की संख्या का आंकलन करने के लिए सरकार ने कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ताप विद्युत केन्द्रों में इस खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया हैं।

विवरण

(क) से (घ). सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें यह दर्शाया कया हो कि कोयले की राख के कारण ताप-विद्युत केन्द्रों के कर्मचारियों में क्षय रोग तथा दमा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं।

ताप-विद्युत केन्द्रों हेतु पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह प्रावधान है कि उचित तथा पर्याप्त उपचारात्मक उपाय अपनाए जाएं :

(1) कोयला संचलन क्षेत्रों से धूल के निःसरण की जांच करना, कोयला संचलन प्रचालनों में संलग्न कर्मचारियों के फेफड़ों की बीमारियों हेतु नियमित रूप से चिकित्सा जांच की जानी चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर जैसे कि डस्ट-मास्क, रेस्पीरेटर, हैलमेट, फेस शील्ड इत्यादि कर्मचारियों को प्रदान किए जाने चाहिए।

(2) ध्वनि के स्तर को 85 डेसीबल से नीचे नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए ईयर-प्लग अथवा ईयर-गफ पहनने आवश्यक हैं।

(3) संयंत्र के भीतर तथा बाहर उचित रखने रखाव तथा सफाई बनाए रखा जाना आवश्यक है।

डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय : उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तरअत्यन्त ही भ्रामक है और वस्तु-स्थिति से परे है। विभिन्न समाचार-पत्रों में जिनमें राष्ट्रीय सहारा है, जनसत्ता है, उनमें निरन्तर यह समाचार प्रकाशित होते रहे हैं कि इन ताप विद्युतघरों से निकलने वाली जो राख है, उस राख के कारण आसपास के घरों में सफेद परतें जय जाती है, घरों में राख मिल जाती है और उसके कारण वहां के निवारियों को श्वास की बीमारी हो रही है और यक्ष्मा, ट्यूबरक्लेसिस की बीमारी भी हो रही है। सरकार का यह कहना है कि हमें पता नहीं हमने कोई सर्वे नहीं कराया है, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन ताप विद्युतघरों से इस प्रकार का जो प्रदूषण राख निकालती है उससे जो भंयकर बीमारियां होती हैं, उसके बारे में कोई सर्वे करवाने जा रहे हैं या नहीं।

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि यह समस्या कोयले की राख, सल्फर डाआक्साईड और नाइट्रोजन आक्साईड में इसके बदलने वाले आक्साइडों के कारण है। अब तक हमें केवल उत्तर प्रदेश और बिहार से ही इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में मध्य-प्रदेश विधानसभा में पिछले सत्र में एक प्रश्न भी उठाया गया था। इस समस्या के कारण कर्मकारों में किसी प्रकार की बीमारी फैलने सम्बन्धी कोई शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है। पर्यावरण और वन मंत्रालय सम्बन्धित राज्य सरकारें और केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्ड इस पर पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण विधायों को बरकरार रखने के लिए निगरानी रख रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

अब तक 73 ऐसी ताप-विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है। 73 में से 33 में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पाया गया। 48 में मशीन नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन जारी है। दिल्ली में बदरपुर और आई.पी. ताप-विद्युत स्टेशनों को सुधार हेतु नोटिस जारी किए गए थे शेष 28 ताप-विद्युत स्टेशनों की जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध मं 12 नोटिस जारी किए गए हैं। स्थिति यह है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि 73 ताप बिजलीघरों में से केवल 33 के अंदर ही सही व्यवस्था है। बाकी जो 40 ताप बिजलीघर हैं उनमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे प्रदूषण को रोका जाए और पर्यावरण दूषित न हो सके। पर्यावरण को सही रखने के लिए आपने केवल बदरपुर ताप बिजलीघर का उल्लेख किया है। शेष के बारे में क्या कार्रवाई की गई है, यह भी विस्तार से बताएं? पिछली लोक सभा में मैंने 25 अप्रैल 1995 को तारांकित प्रश्न 313 के माध्यम से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। उसमें भी यह उत्तर दिया था कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। उसे लगभग एक वर्ष से ऊपर हो गया है। मुझे दुख है जैसा मैंने कहा और समाचार पत्रों का उल्लेख किया, जिनमें यह छपा कि लोगों के स्वास्थ्य पर असर, काली बस्तियों में घुला जहर, लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं और न ही कोई जानकारी मिली है। इन सबके बारे में, विशेषकर मैंने मध्य प्रदेश का उल्लेख किया कि वहां कोरवा और सिंगरोली के अंदर ताप बिजलीघरों में ऐसी अव्यवस्था है जिससे वहां के निवासियों को असाध्य कष्ट हो रहा है। कई बीमारियां हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इसके बारे में जांच करवायें और स्पष्ट उत्तर दें।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : उपाध्यक्ष महोदय, टी.बी. और अस्थमा के बारे मे कुछ समाचार पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। परन्तु ताप-विद्युत स्टेशनों के प्रबन्धकों ने विशिष्ट मामले की रिपोर्ट नहीं भेजी है। मध्य प्रदेश विधान-सभा में भी एक प्रश्न पूछा गया था और इस बारे में यह उत्तर दिया गया था कि किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है। एक क्षेत्र में ऐसी बीमारियां हैं परन्तु उन क्षेत्रों में कोयले की खानें भी विद्यमान हैं। हमारे अधिकारी यह बता पाने में असमर्थ हैं कि यह किस वजह से हैं।

जहां तक ताप-विद्युत-स्टेशनों का सम्बन्ध हैं वहां टी.बी. अथवा दमें की कोई शिकायत हटी है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : श्रमिकों ने इस प्रकार का आवेदन किया है कि हमें बीमारी है लेकिन उनकी बातों की टोकरी में डाल देते हैं।

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : मैं राज्य विद्युत बोर्डों को लिखूंगा कि वे अच्छे उपकरणों के उपयोग द्वारा छोटे विद्युतघरों में मानकों को लागू करें हम विद्युत वित्त निगमों के माध्यम से राज्य बिजली बोर्डों की सहायता कर रहे हैं।

हमने ताप बिजलीघरों द्वारा किए जाने के लिये पर्यावरणीय उपाय भी प्रचालित किए हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर ही इवेसिय है। माननीय मंत्री सरकार में नए हैं इसलिए जो अफसरशाही ने उत्तर लिखकर दे दिया, उसके आधार पर जवाब दे रहे हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते अनुभव होगा। अगर आप किसी थर्मल पावर प्लांट में जाते या उसके अगल-बगल से जाते तो इस प्रकार का उत्तर नहीं देते।

बोकरो के बगल में चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट से चाहे किसी भी पार्टी का आदमी जाए वहां के लोग यही शिकायत करते हैं कि हम लोंग बहुत परेशान हैं। अब इन्होंने बता दिया कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन दी है कि क्या-क्या करना चाहिए। अब मैनेजमेंट को यह सब प्रबंध करना चाहिए। मैनेजमेंट के द्वारा अपने वर्कर्स के हैल्थ की सेफ्टी के लिए यह प्रबंध किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, पहला मेरा यह सवाल है? दूसरा, पावर प्लांट के एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो पावर प्लांट काम नहीं करते हैं वे भी ऐश के कारण सफर करते हैं और दूसरे तरह की प्रोबलम के चलते जो सफर करते हैं उसके लिए क्या सरकार कोई प्रबंध करने जा रही है या नहीं इन्होंने जो कहा कि सर्वे कराया है, मैनेजमेंट इसके संबंध में अलग से अपनी तरफ से जांच करा करके कोई रेमेडियल मेजर्स लेना चाहते हैं या नहीं, यह हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय निश्चित रूप से अब तक हमारे मंत्रालय को किसी मामला विशेष की सूचना नहीं दी गई है। यदि माननीय सदस्य के पास किसी भी राज्य से संबंधित किसी मामला विशेष की जानकारी है, तो उन्हें मुझे उसकी सूचना देनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, राज्यों के पास अपने चिकित्सा उपस्कर हैं। जहां तक बिजलीघरों का संबंध है, केन्द्र सरकार उनको स्वास्थ्यनुकूल और स्वच्छ रख रही हैं। हम वहां आवधिक चिकित्सा जांच के लिए नियमित डाक्टरों के अतिरिक्त विशेषज्ञ भी भेज रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : विद्युत संयंत्रों के निकट रहने वाले लोगों के बारे में क्या कहना है? आप उनके लिए क्या कर रहे हैं?

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : सभी आवासीय स्थानों पर क्लिनिक चल रहे हैं। विशेषज्ञ भी सप्ताह में एक बार आते हैं। यदि किसी राज्य से संबंधित कोई मामला विशेष है, तो माननीय सदस्य इसे मेरी जानकारी में लायें।

अब मैं वायु प्रदूषण पर आता हूं। ताप बिजलीघरों में कोयले का प्रयोग किया जाता है। हम वायु प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए निरन्तर धन दे रहे हैं। हम खुले में कम इसके लिए हम इ.एस.पी. आदि उपकरण भी प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि यह विद्युत मंत्रालय की जिम्मेदारी है, फिर भी हम सभी पहलुओं की पुनरीक्षा करेंगे।

श्री नीतीश कुमार : वे कह रहे हैं कि हम सभी पहलुओं की पुनरीक्षा करेंगे। यह एक आश्वासन है।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी कोयला खदान एरिया से आते हैं। वहां पर बहुत सी खदानें हैं और थर्मल प्लांट भी हैं। वहां जो कोल हैंडलिंग प्लांट बनाया है उसमें इतनी कोयले की डस्ट फैल जाती है कि उससे चारों तरफ-अंधेरा हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसमें केवल मजदूर ही नहीं, बल्कि उस इलाके में जो लोग रहते हैं यह भी इससे प्रभावित होते हैं और इनको न्यूमोकोनिासिस जैसी बीमारियां तथा और भी कई तरह की बीमारियां हो जाती है। यह आकुपेशनल डिसीज है। सरकार की तरफ से इसको रोकने के लिए कोई जांच नहीं होती है और रोगी को कोई कंपनसेशन भी नहीं किया जाता है। पहले की सरकार ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अब इस सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस पर पूरा ध्यान दे। सरकार इसके लिए क्या करने जा रही है, यह हमें बताए। आप इसके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, इसका हम सरकार से जवाब चाहते हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में कोरबा, सारणी ताप विद्युत गृह से जो राख निकलती है उसके कारण लोगों को दमे की बीमारी, सिलिकोसेस की बीमारी और फेफड़े संबंधी रोग हो जाते हैं। इस कारण से सांस लेने में भी दिक्कत आती है। ...**(व्यवधान)** इससे लोगों के घरों में जो इलैक्ट्रोनिक सामान है वह भी खराब हो रहा है। इस पर क्या माननीय मंत्री जी सरकार की ओर से कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाकर, कुछ श्रमिकों का मेडीकल परीक्षण कराकर, उसकी जांच कराकर उनसे जो तथ्य सामने आते हैं उस जांच की रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत करके उस संबंध में कार्यवाही करेंगे तथा जो लोग बीमार हो गए हैं उनको कोई चिकित्सा दिलाने की कार्यवाही करेंगे?

जो लोग संबंधित है और जो लोग इससे बीमार हो गये हैं उनको कोई विशेष मैडीकल सुविधा दिलाने की कार्रवाई करेंगे ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, हम राज्य सरकारों को नये अनुदेश जारी करेंगे कि वे उत्सर्जन संबंधी मानदण्डों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थिति रिपोर्ट भेजें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय यह सही है कि ताप बिजलीघरों से उड़ने वाली राख (फ्लाईएश) प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करती है। उक्त राख के निपटान की भी समस्या है। धनबाद स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने इस राख से उर्वरकों तथा राख ईंटें बनाने की प्रौद्योगिकी का विकास किया था।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहायता करेगी ताकि इस राख का उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जा सके जैसा कि पश्चिम बंगाल में कोलाघाट ताप बिजलीघर तथा बैंदल बिजलीघर में किया गया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा केन्द्र सरकार फ्लाईएश की समस्या को कम करने हेतु राज्य सरकार की सहायता करेगी।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या केवल पुराने ताप बिजलीघरों के साथ पेश आ रही है तथापि हम इसका उर्वरकों के लिए उपयोग करने के लिए अनुदेश जारी करेंगे। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को फ्लाईएश लगाने के अनुदेश दिए हैं। राज्य सरकारों द्वारा फ्लाईएश मशीनों की स्थापना की गई है और जब कभी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं केन्द्र सरकार सभी राज्यों की सहायता करती है। केन्द्र सरकार इसके लिए वित्त प्रदान कर रही हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें भी फ्लाईएश का उर्वरकों और ईंटें बनाने के लिए भी उपयोग करना चाहिए।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री मधुकर सर्पोतदार : महोदय, यह एक बहुत सुस्पष्ट प्रश्न है। इस संबंध में प्रमाणिक जानकारी मांगी गई है। कि क्या ऐसे मामले हैं और उत्तर देते समय सरकार ने कहा है कि कोई रिपोर्ट नहीं हैं

महोदय, इन प्रश्नों की सूचना 20 दिन पहले दी गई थी। चूंकि संबंधित क्षेत्रों के सभी संसद सदस्य इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि वहां लोग टी.वी. और अस्थमा से ग्रस्त हो रहे हैं, अतः मेरा एकमात्र प्रश्न यह है कि जहां कहीं ऐसे ताप बिजलीघर हैं, क्या वहां से सरकार को ऐसी रिपोर्टें मिली है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने ताप बिजलीघरों से यह पता लगाने का प्रयास किया है, कि ऐसे कितने रोगी हैं और उनके उपचार की क्या व्यवस्था है। जो भी मार्ग निदेश दिए गये हैं वे अधिनियम में उपबंधों के अन्तर्गत हैं। हमारी रुचि उक्त अधिनियम के उपबन्ध जानने में नहीं है। हमारी इन उपबन्धों के क्रियान्वयन में रुचि है।

डा. एम. वेणुगोपालाचारी : महोदय, हमने सभी राज्य बिजली बोर्डों से लगभग सभी जानकारी प्राप्त कर ली है। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने हाल ही में जून, 1994 में एक सर्वेक्षण किया हैं उन्होंने हमें बताया है कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बिजली बोर्डों ने भी ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी है। शेष राज्यों द्वारा भी इसी तरह के उत्तर दिए गये है।

इसके अतिरिक्त, मैं पुनः सभी संबंधित राज्य बिजली बोर्डों के प्राधिकारियों से इस तरह की बीमारियों की विद्यमानता स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

उपग्रह द्वारा सर्वेक्षण

***104. श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह द्वारा सर्वेक्षण किया गया है/कराये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). इस संबंध में लोक सभा के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ग). भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए दिसम्बर 14, 1995 को दिल्ली के आसपास यमुना नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का एक मानचित्र तैयार किया गया था। इस समय, अन्तरिक्ष विभाग और केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा संयुक्त रूप में "यमुना आकृतिविज्ञानीय अध्ययन" नामक एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें दिल्ली के आसपास यमुना नदी द्वारा उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का अध्ययन शामिल है। कृषि और सहकारिता विभाग की वित्तीय सहायता से संचालित एक परियोजना के अन्तर्गत देश के ऐसे ग्यारह राज्यों, जोकि मुख्य रूप में कृषि दृष्टि से महत्वपूर्ण और सूखे के प्रति संवेदनशील हैं, में सूखें के आकलन और मानीटरन के लिए फिलहाल सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है, तथा इस प्रकार इस परियोजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल नहीं हैं तथापि नवीं योजना अवधि के दौरान इस परियोजना का सम्पूर्ण देश में विस्तार करने की संभावना है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी शामिल किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से जानना चाहा था कि जो सेटलाइट के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है उसमें दिल्ली को क्यों नहीं लिया गया? जब भी दिल्ली में बाढ़ आती है उससे लाखों आदमियों को नुकसान होता है और यमुना की बैल्ट के किनारे रहने वाले लोग बेघर हो जाते हैं। यमुना के किनारे रहने वाले लोगों के जान-माल को नुकसान होता है और अनेक पशुओं को बहुत नुकसान होता है। मंत्री जी आपने जो जवाब दिया है। उसमें लिखा है कि सैटलाइट द्वारा आपने दिल्ली का सर्वेक्षण किया है। यह पहली ही लाइन में है और लास्ट लाइन में है,

[अनुवाद]

"इस परियोजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को शामिल नहीं किया जाता।"

[हिन्दी]

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ये दो भाषायें बोल रहे हैं और दोनों कंट्राडिक्टरी है और क्या सवेक्षण कराने में करोड़ों रुपये लग जाते हैं? आपने आठवीं योजना में शामिल क्यों नहीं किया?

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, यदि माननीय सदस्य उत्तर को देखेंगे, तो वे पायेंगे कि जहां तक बाढ़ का संबंध है, यमुना के लिए, यमुना मारफोलोजिकल स्टडी पूरी कर ली गई है और परिणाम कार्यवाही के लिए उपलब्ध हैं। जहां तक सूखे का संबंध है प्रश्न बाढ़ तथा सूखे, दोनों से संबंधित है अन्तरिक्ष विभाग सूखा प्रभावित क्षेत्रों का एक विशेष अध्ययन कर रहा है। उनका योजना आयोग द्वारा पता लगाया गया हैं वे विभिन्न क्षेत्रों में है और दिली उनमें शामिल नहीं हैं।

अब राज्य स्तरीय केन्द्रों की स्थापना का भी एक अलग प्रस्ताव है। ऐसे केन्द्र पहले ही से कई राज्यों में है। हमारी मंशा नौवीं पंच-वर्षीय योजना में सभी राज्यों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने का है। मुझे आशा है कि इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो मैंने सवाल किया था कि इसमें इतना खर्चा नहीं पड़ता कि आपने इसे आठवीं योजना में नहीं लिया और आपने कहा कि सारे हिन्दुस्तान के साथ नयी योजना में लिया जायेगा जबकि आप देखेंगे कि पिछली बाढ़ में दिल्ली में चार लाख मकानों का नुकसान हुआ और 25 हजार जानवर मर गये। क्या अब यह फिगर्स 10 लाख तक चली जायेगा तब आप आठवीं योजना में लेंगे। आपका पैरामीटर क्या है जिसके माध्यम से आप आठवीं योजना में न लेकर नवीं योजना में लेंगे?

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मैं माननीय सदस्य के लिए एक बार फिर से वरिफाई करता हूं कि फ्लड्स के लिये यमुना पर स्पेस का अध्ययन हो रहा है। उसके रिजल्ट्स राज्य सरकारों के लिये अवेलेबल हैं लेकिन जिस हद तक सूखे इलाकों के लिये...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : हमारी दिल्ली का सूखे से संबंध नहीं है, मेरा सवाल तो दिल्ली के फ्लड से है।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : सवाल में तो फ्लड और ड्राउट दोनों का जिक्र है, इसलिये मैं दानों का जवाब दे रहा हूं। यमुना पर मार्फोलाजिकल सर्वे सैटेलाइट की फैसिलिटी से हुआ है ओर वह माहिसी राज्य सरकार के लिये अवेलेबल है। मुझे गर्व है कि हमारे साईंनटिस्ट ने अच्छे तरीके से 5 दिन के अंदर-अंदर इंडियन रिमोट खास करके आर एस सीरीज वाली विश्व में सबसे एडवान्सड सैटेलाइटस वह अब 6 दिन में एक इलाके का फिर से सर्वेक्षण कर सकती है सैंसिंग की हैं उसकी डिटेल्स का उपयोग करने के लिये राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी रिमोट सैंसिंग सैंटर बनाती हैं। यदि दिल्ली राज्य चाहे तो आस-पास के राज्य सैंटर्स से उसकी माहिली प्राप्त कर सकता है। यदि दिल्ली सरकार नवीं पंचवर्षीय योजना में उसका उपयोग करना चाहे तो हम पूरी मदद देंगे।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के बारे में दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार की कोई मीटिंग तक नहीं हुई हैं ऐसा कोई फोरम नहीं है जिस पर दोनों ने बैठकर विचार किया हो। इसकी रिपोर्ट का दिल्ली पर क्या असर होने वाला है?

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : अगर कोई भी राज्य सरकार स्पेस विभाग से सूचना मांगे, जैसाकि दिल्ली सरकार के अरबन और स्लम विभाग ने सूचना मांगी है, वह हमने दी है। दिल्ली में रिज के ऊपर नेहरू यूनिवर्सिटी ने एक प्रॉजेक्ट बनाया है। वहां पर पानी का उपयोग किया जाये तो उसके लिये भी स्पेस विभाग ने उनकी मदद की हैं इस समय वहां पर पहला चैक डैम बन चुका है और आनरेबल मैम्बर को यह बताते हुये खुशी है कि पिछली बरसात में उस डैम में पानी पूरा किया गया और अब यह भू-गर्भ में चला गया है जिससे उस इलाके को बहुत बड़ा फायदा होगा। दिल्ली सरकार के नगर निगम ने नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेंसी को एक प्रोपोजल दिया है जिससे सैटेलाईट से नहीं ऐरिबस सर्वे से समस्या को सुलझाया जायेगा। इस संबंध में उनसे चर्चा हो रही है। इस प्रॉजैक्ट की लागत दो करोड़ रुपये की है।

अंतरिक्ष विभाग के अपने जो हवाई जहाज हैं, वह तो उनको डिसपोजल पर तैयार करेगा लेकिन उसके बाद यह उम्मीद की जाती है कि वह भी अध्ययन अब शुरू होगा और रिमोट सैंसिंग सैटेलाइट से जो इनफोरमेशन उपलब्ध है, वह छः मीटर पर मिलती है और हर पांचवें दिन हम वह जानकारी ले सकते हैं। वह भी अगर राज्य सरकार को चाहिए और यदि वह हमसे रिक्वैस्ट करें तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला : अनजाने क्षेत्रों का पता लगाने हेतु रिमोट सेंसिंग सैटेलाईट एक अच्छा तंत्र है। यहां यह उल्लेख करना है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाईट को सूखा तथा कृषि क्षेत्रों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मैं जानना चाहता हूं कि इसके कार्य का अन्य क्षेत्र कौन सा है। यह एक बात है दूसरे क्या राज्य सरकारों की सहायता के लिए कोई प्रस्ताव है, यदि वे केन्द्र सरकार के पास सरलता हेतु आते हैं?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा हैं। हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विश्व में आज अति उन्नत नियम के कुछ सैटेलाईट में से है। उन्हें समुद्रविज्ञान के अध्ययन, मानचित्रकारी, स्थानीय योजना के लिए भौगोलिक जानकारी हेतु, मौसम और व्यवहारणीय अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुझे उन्हें यह जानकारी देते हुए भी बहुत खुशी है कि हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाईट द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों में विश्वव्यापी रुचि है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी 'मैसर्स इनोसार' ने अंतरिक्ष विभाग के साथ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाईट से आंकड़ों की जानकारी तथा भारत से बाहर अन्य इंडियन रिमोट सेंसिंग क्षमताओं के विपणन हेतु भी एक वाणिज्यिक समझौता किया हैं जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाईट का सूखा, विभिन्न बांधों मे जल स्तर की निगरानी तथा कई अन्य कृत्यों ने लिए इस्तेमाल किया गया है।

डा. असीम बाला : मैंने अन्य प्रश्न पूछा था, इसे मैंने प्रश्न संख्या दो के रूप में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो. रासासिंह रावत को इजाजत दी हैं

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें लिखा है कि कृषि और सहकारिता विभाग की वित्तीय सहायता से संबंधित एक परियोजना के अंतर्गत देश के ऐसे ग्यारह राज्यों, जो कि मुख्य रूप से कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण और सूखे के प्रति संवेदनशील हैं, मैं सूखे के आकलन और मॉनीटरिंग के लिए फिलहाल सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो योजना है, इसमें कोन-कौन से राज्य सम्मिलित किये गए हैं और उसमें राजस्थान राज्य सम्मिलित है या नहीं और यदि सम्मिलित है तो राजस्थान में रेगिस्तान भी है, राजस्थान में बाढ़ भी अचानक आने लग गई है जिससे जान-माल की भारी क्षति होने लग गई है। सूखे की दृष्टि से भी राजस्थान संवेदनशील है। बहुत बड़े इलाके में सूखा भी पड़ा हुआ है। क्या इस मामले में कोई अध्ययन हुआ है और उसके कुछ निष्कर्ष आए हैं?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में जो सूखे इलाके हैं...

प्रो. रासा सिंह रावत : कौन-कौन से राज्य हैं और राजस्थान सम्मिलित है या नहीं और यदि है तो उसके अध्ययन के क्या निष्कर्ष हैं?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : 246 जिले हैं जो सूखे प्रदेशों के रूप में आइडेण्टिफाइ किये गए हैं। उन 246 जिलों में जो सब सूखे प्रदेशों के लिये हैं, उन सबके बारे में हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाईट से जानकारी भी जारी है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में ये सूखे इलाके हैं। वहां पर कृषि विभाग की जो इनफार्मेशन है, डिस्ट्रिक्ट कोपिंग एंड कटिंग ऐक्सपेरिमेंटस, वह तीन-चार साल पुरानी होती है। लेकिन सैटेलाईट से हमें काफी जल्दी यह सूचना मिल जाती है और यह सूचना कृषि मंत्रालय को दी जाती है।...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : लेकिन निष्कर्ष तो बताया नहीं।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : एक हमारी योजना है। एक तो जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि सूखा आया तो उसमें पानी की जो बॉडीज है, लेकस, तालाब, उनके बारे में क्या सूचना है। दूसरे यह कि क्रोसिंग पैटर्न क्या है। इसके बारे में सूचना काफी पहले सरकारों को दी जाती है। अगर आप 1987-88 की ड्राउट की जो रिपोर्ट बन चुकी है उसको देखें तो वह सूचना जैसे-जैसे सूखा आता है, वह सूचना मिल सकती है। दूसरे स्तर पर क्या हो रहा है एक नेशनल नेचुरल रिसोर्स

मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो इन जिलों के लिए, इनकी जमीन और पानी की जो समस्या है उनका दीर्घकालीन क्या यूज है, उनके बारे में भी यह सैटेलाईट मदद करता है। क्योंकि इससे यह पता चल जाता है कि कहां कहां पानी का संग्रह किया जा सकता है। वहां वहां हमारे जंगल हैं उनकी कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री जेवियर अराकल : महोदय, लंबे उत्तर के बाद हम लाभान्वित होने की बजाय अधिक असमंजस में पड़ गये हैं। हमें गर्व है कि उपग्रह प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक सुधार हुआ है तथा वे पर्याप्त जानकारी दे रहे हैं। यदि ऐसा है तो देश इतना अधिक बाढ़ ग्रस्त और सूखा ग्रस्त क्यों होता है? चूंकि प्रौद्योगिकी इतनी अधिक उन्नत हो चुकी है, तो देश में बाढ़, सूखे और भूकम्प इतने अधिक क्यों आते हैं? राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की स्थिति में क्यों नहीं हैं? क्या आप कृपया इन दो प्रश्नों की व्याख्या करेंगे तथा इनका उत्तर देंगे?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : उपग्रह उन आधारभूत समस्याओं का हल करने में सहायता करते हैं जिनकी माननीय सदस्य बात कर रहे हैं। जिस जानकारी के मिलने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं, वह एक या दो सप्ताह में उपलब्ध हो जाती है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, उपग्रह स्वतः सूखे और बाढ़ की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। उन समस्याओं को हमारी पंचवर्षीय योजनाओं तथा विभिन्न बाढ़ नियंत्रण आयोग रिपोर्टों और अन्य रिपोर्टों में दर्शाए गए कदमों को ध्यान में रखकर हल किए जाने की आवश्यकता है। इन समस्याओं को हल करने हेतु उपग्रह प्रमुख सहायक है। मैं माननीय सदस्य से इस परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष विभाग के प्रयासों की सराहना करने का अनुरोध करता हूं।

श्री जेवियर अराकल : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि राज्य सरकारें चुनौती का सामना करने की स्थिति में क्यों नहीं हैं?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सप्लीमेंटरी हो गया । नो सैकिंड सप्लीमेंटरी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, बहुत अच्छा सवाल है। मंत्री महोदय ने कहा है कि नौवीं योजना अवधि के दौरान इस परियोजना का सम्पूर्ण देश में विस्तार करने की संभावना है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी शामिल किया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि देश में हर साल एक महीना बाढ़ की लपेट में आता है और दूसरा सूखे से ग्रस्त होता है। इसलिए क्या इस सदन में इस संभावना को निश्चितता में बदलने का आप आश्वासन देंगे।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैडम, अभी तक जो बहुत से बाढ़ पीड़ित इलाके है और जो सूखे जिले हैं उनके लिए सैटेलाईट इंफार्मेशन पिक-अप करते हैं और वह राज्य सरकारों को दी जाती है। मेरा यह अर्थ था कि हमारे वहां राज्य स्तर पर एक रिमोट सेंसिंग सेंटर बनाया जाता है। वह सेंटर अभी 20 से ज्यादा राज्यों में हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक राज्य में एक ऐसा सेंटर हो, जिसके लिए राज्य सरकार कोशिश करेगी और हम उनकी मदद करेंगे। जैसे कि माननीय सदस्य ने पहले कहा था कि कई ऐसी रिक्वायरमेंटस क्षेत्रीय स्तर पर हो सकती हैं जो कि हमारे सैटेलाइट से राज्य सरकार खुद सुलझा सकती है।

और उनके पास अगर इमिजिंग व सेसिंग की क्षमता हो तो ये इसका फायदा उठा सके हैं। कुछ राज्यों के पास इसकी क्षमता हैं 20 से ज्यादा राज्यों के पास यह क्षमता है। हमारा यह प्रयत्न होगा कि हरेक राज्य के पास यह क्षमता हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एल पी जी सिलेंडर

***101. श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एल पी जी के उत्पादन की तुलना में कुल कितने टन गैस की आवश्यकता है;

(ख) वर्तमान तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ाकर और प्राकृतिक गैस के माध्यम से अलग-अलग एल पी जी का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान आवश्यकता की तुलना में एल पी जी सिलेंडरों के क्रय संबंधी प्रस्ताव क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में उन एककों की संख्या क्या है जिन्हें इन सिलेंडरों की आपूर्ति संबंधी आदेश दिए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) गत दो वर्षों (1994-95 और 1995-96) के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के माध्यम से एल पी जी की खपत तथा इसके उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है :

(आंकड़े हजार मी.टन में)

वर्ष	एल पी जी उत्पादन	एल पी जी खपत
1994-95	2858	3434
1995-96 (अनंतिम)	3246	3836

(ख) 9वीं योजना के अंतर्गत विद्यमान रिफाइनरियों पर शोधन क्षमता विस्तार से एल पी जी का उत्पादन बढ़ाने के लिए

नीचे दिए ब्यौरों के अनुसार योजनाएं तैयार की गई हैं :

	विद्यमान शोधन क्षमता (मि.मी.टन)	प्रस्तावित विस्तार (मि.मी.टन)	आरंभ होने की प्रत्याशित वर्ष	एल पी जी उत्पादन (हजार मी.टन)	
				1996-97	2001-02
				(अनुमानित अनु.)	
विजाग	4.5	3.0	1997-98	128	203
बरौनी	3.3	2.7		48	148
प्रथम विस्तार		0.0	1999-2000		
द्वितीय विस्तार		1.8	2001-2002		
एम आर पी एल	3.0	6.0	2000-02	59	199
कोयाली	9.5	3.0	2001-01	250	432
सी आर एल	7.5	3.0	2001-02	251	277
एम आर एल	6.5	3.0	2001-02	148	212
मथुरा	7.5	0.5	1999-2000	207	233

गैस अथारिटी आफ इंडिया प्राकृतिक गैस से एल पी जी की प्रतिप्राप्ति के लिए निम्नांकित नए प्राकृतिक गैस आधारित एल पी जी निष्कर्षण संयंत्र स्थापित कर रही है :-

क्र. सं.	स्थान	एल पी जी उत्पादन (हजार मी.टन)	आरंभ होने की प्रत्याशित वर्ष
1	2	3	4
1.	एल पी जी लकवा, असम	85.0	1998
2.	एल पी जी उसार, महाराष्ट्र	139.5	1998
3.	जी पी सी गंधार, गुजरात	370.0	1999-2000
4.	एल पी जी, औरय्या, उत्तर प्रदेश	258.0	1999-2000

योजना की तुलना में वर्ष 1995-96 के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के वास्तविक एल पी जी उत्पादन, वर्तमान में क्रियान्वयनाधीन विस्तार योजनाओं के पूरे होने के उपरांत अनुमानित एल पी जी उत्पादन तथा 9वीं योजना अवधि के समापन वर्ष के लिए अनुमानित एल पी जी उत्पादन का संयंत्रवार ब्यौरा निम्नवत है :

(आंकड़े हजार मी.टन में)

संयंत्र	एल पी जी उत्पादन	1995-96	(अनुमानित एल पी जी उत्पादन)	
	योजना	वास्तविक	पूरे होने की समय सीमा से विस्तार परियोजनाओं के आरंभ होने के पश्चात	9वीं योजना के अंत में
उरान	450	590	500 (मई, 1997)	500
हाजिरा	455	493	530 (सितंबर, 1997)	550
अंकलेश्वर	20	23	10	10
गंधार	5	6	31 (सितंबर, 1996)	31
योग	930	1112	1071	1091

(ग) एक वर्ष में प्राप्ति हेतु अपेक्षित सिलेन्डरों की संख्या नए एल पी जी ग्राहकों के वार्षिक नामांकन लक्ष्य द्वितीय सिलेन्डर (सुविधा) (डीबीसी) के जारी किए जाने तथा अप्रयोज्य सिलेन्डरों के प्रतिस्थापन पर निर्भर करती है। 1996-97 के दौरान 20 लाख नए ग्राहकों के प्रस्तावित नामांकन तथा 20 लाख डी बी सी ग्राहकों के आधार पर तथा परिचालनगत विद्यमान सिलेन्डरों के 2 प्रतिशत प्रतिस्थापन के आधार पर 1996-97 में लगभग 60 लाख सिलेन्डर प्राप्त किए जा सकते हैं।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं

विवरण

उन एल पी जी सिलेंडर निर्माता इकाईयों के संबंध में राज्यवार ब्यौरा, जिन्हें 1996-97 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा एल पी जी सिलेन्डरों के प्रापण के संबंध में आदेश दिए गए हैं :-

क्र.सं.	राज्य का नाम	सिलेन्डर निर्माता इकाइयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	दिल्ली	1
3.	गुजरात	2
4.	हिमाचल प्रदेश	2
5.	हरियाणा	5
6.	कर्नाटक	4
7.	केरल	1
8.	मध्य प्रदेश	4
9.	महाराष्ट्र	5
10.	उड़ीसा	3
11.	पंजाब	1
12.	राजस्थान	5
13.	तमिलनाडु	5
14.	उत्तर प्रदेश	4
15.	पश्चिम बंगाल	3
16.	पांडिचेरी	1
		56

नई विद्युत नीति

*105. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान विद्युत नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए नई नीति में क्या विशिष्ट उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). बदलती हुई आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए विद्युत नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए हैं :-

(1) निवेश के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने समेत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम,

(2) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम,

(3) मांग पक्ष प्रबंधन,

(4) संयंत्र भार अनुपात में सुधार,

(5) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी, और

(6) अंतः क्षेत्रीय लिंकों के माध्यम से अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत का अंतरण करके विद्युत उत्पादन का प्रभावी समुपयोजन।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

*106. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या गरीबी उन्मूलन और विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित योजना परिव्यय में से काफी अधिक राशि अप्रयुक्त पड़ी रह जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यवार इस योजना परिव्यय में से कितनी राशि अप्रयुक्त पड़ी रही और यह राशि वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान अप्रयुक्त राशि की तुलना में कितनी है;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस योजना परिव्यय की सम्पूर्ण राशि का उपयोग न किए जाने के कारण इसका गरीबी उन्मूलन और विकास कार्यक्रम पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ा; और

(च) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, नामतः (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), (2) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), (3) रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) के लिए वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान निधियों का राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है। शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, नामतः नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) के लि निधियों की उपलब्धता संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई हैं।

(ख) कुल उपलब्ध निधियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त कार्यक्रम वार उपभोग (वार्षिक रूप से जारी की गई धनराशि तथा वर्ष के शुरू में खर्च न हुई बकाया राशि को मिलाकर नीचे तालिका में दर्शाया गया है। :

	(कुल उपलब्ध निधियों के प्रतिशत के रूप में निधियों का उपयोग)	
	1994-95	1995-96
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	73.33	72.95
जवाहर रोजगार योजना	78.78	77.12
रोजगार आश्वासन स्कीम	69.59	64.00
नेहरू रोजगार योजना	70.93	109.40

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) नवम्बर, 1985 को शुरू किया गया था।

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्रत्येक कार्यक्रम (राज्यवार) के सम्बन्ध में अप्रयुक्त निधियों की धनराशि संलग्न विवरण-II में दी गई हैं

(घ) प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अप्रयुक्त निधियों के मुख्य कारण हैं : (1) कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा लेखों के लेखा-परीक्षित विवरण देरी से प्रस्तुत करने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा निधियों का देरी से जारी किया जानां; (2) व्यय/उपयोग प्रमाण-पत्रों को देरी से प्रस्तुत करना; (3) राज्य सरकारों द्वारा आनुपातिक हिस्सा देरी से जारी करना/जारी नहीं करना। शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के मामले में, विशेषतया शहरी माइक्रो उद्यम स्कीम (एसयूएमई) और आवास और आश्रम उन्नयन स्कीम (एसएचएएसयू), जो नेहरू रोजगार योजना के घटक हैं, के लिए निधियों का बैंकों द्वारा देरी से जारी किए जाने/जारी नहीं किए जाने की वजह से उपयोग नहीं हो पाया।

(ङ) किसी वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधियों को अब शेष के रूप में आगे ले जाया जाता है ताकि अगले वर्ष में कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सक, अतएव इससे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(च) प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए (1) कार्यान्वयन एजेन्सियों को सीधे ही निधियां जारी की जा रही हैं, अर्थात् अधिकतर राज्यों में डीआरडीएएस को, (2) इसके अतिरिक्त निधियों के अन्तरण में देरी को न्यूनतम करने और उसे गतिशील बनाने के उद्देश्य से डीआरडीएएस को निधियों के अनतरण की तार द्वारा हस्तान्तरण पद्धति शुरू की गई हैं सीमित मामलों में, जहां निधियां राज्यों को जारी की जाती हैं, "रिलीज एडवाइज" फैक्स संदेश द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाते हैं; (3) केन्द्र सरकार निधियों को जारी करने में देरी को रोकने के लिए समय पर उपयोग प्रमाण पत्रों और लेखों के लेख परीक्षित सरकारों को कहती रहती है; (4) योजना आयोग में राज्य सरकारों के साथ आयोजित किए जाने वाले वार्षिक योजना विचार-विमर्श के समय राज्य की योजना में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे अपना आनुपातिक अंशदान मुहैयया कराने में समर्थ हो सके।

एनआरवाई के सन्दर्भ में शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए (1) एसयूएमई और एसएचएएसयू के लिए बैंकों से निधियां शीघ्रता से जारी के लिए संस्थानात्मक वित्त पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। (2) कार्यक्रम के अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए राज्य ओर जिला स्तर पर शहरी विकास एजेन्सियों का गठन किया गया है। (3) इसके अलावा एनआरवाई के अन्तर्गत कुल निधियों में से अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन राज्यों की निधियों में से जो अपने आबंटनों का उपयोग कर पाने में असमर्थ रहते हैं, ऐसे राज्यों को पुनः आबंटन किया जाता है, जो अच्छा निष्पादन कर रहा हैं।

हाल ही में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि शहरी तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार के क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन, में राज्यों की और अधिक भागीदारी, स्वतन्त्रता तथा सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के अभिकल्पन, तथा सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से सरकार को इन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा करनी है ताकि रोजगार के और अधिक अवसरों, उत्पादी परिसम्पतियों के सृजन तथा गरीबों के कौशल विकास को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे उनकी आय का स्तर बढ़ सके और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सके।

विवरण

1994-95 तथा 1995-96 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत निधियों का आवंटन (केन्द्र + राज्य)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	आईआरडीपी		जैआरवाई		ईएएस*	
		1994-95	1995-96	1994-95	1995-96	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	8344.00	8336.41	33343.71	34529.69	12987.50	18187.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	623.00	623.43	322.51	322.51	1200.00	2323.75
3.	असम	2747.00	2743.50	8921.21	10342.01	5790.00	10025.00
4.	बिहार	16232.00	16218.24	70386.81	73436.21	12987.50	20287.50
5.	गोवा	142.00	141.87	348.46	348.46	–	–
6.	गुजरात	3063.00	3059.22	13835.36	13470.93	4475.00	8712.50
7.	हरियाणा	736.00	735.33	2389.61	2770.19	3600.00	4150.00
8.	हिमाचल प्रदेश	240.00	239.78	1107.26	1107.26	625.00	562.50
9.	जम्मू और कश्मीर	1000.00	999.09	3103.75	2676.25	3687.50	8425.00
10.	कर्नाटक	5603.00	5594.91	22911.44	23446.94	8187.50	13712.50
11.	केरल	2038.00	2036.15	6620.11	7674.44	1700.00	2312.50
12.	मध्य प्रदेश	10573.00	10565.39	49583.34	47403.58	18170.00	28675.00
13.	महाराष्ट्र	9096.00	9087.73	39760.18	39325.20	9027.50	14325.00
14.	मणिपुर	450.00	449.59	413.36	413.36	1237.50	1125.00
15.	मेघालय	478.00	477.57	483.68	483.68	800.00	312.50
16.	मिजोरम	201.00	201.82	203.75	203.76	2000.00	1500.00
17.	नागालैंड	337.00	335.69	518.46	518.46	1400.00	2600.00
18.	उड़ीसा	6769.00	6763.85	29128.18	29464.45	9855.00	14325.00
19.	पंजाब	523.00	521.53	1699.26	1969.93	–	–
20.	राजस्थान	4393.00	4388.01	18835.61	18810.26	12375.00	17537.50
21.	सिक्किम	56.00	55.95	188.76	188.76	200.00	412.50
22.	तमिलनाडु	7543.00	7537.14	27752.94	30758.29	4927.50	10512.50
23.	त्रिपुरा	643.00	641.42	536.90	536.90	2272.50	1950.00
24.	उत्तर प्रदेश	20335.00	20316.50	74376.76	81799.68	13737.50	19450.00
25.	पश्चिम बंगाल	7478.00	7472.20	30410.53	31985.78	9622.50	11550.00
26.	अ.नि. द्वीप समूह	71.00	70.94	152.70	152.69	40.00	40.00
27.	दादरा व नगर हवेली	15.00	14.99	82.89	82.88	20.00	30.00
28.	दमन व दीव	28.00	27.97	48.83	48.83	0.00	20.00
29.	लक्षद्वीप	7.00	6.99	76.55	76.55	100.00	100.00
30.	पांडिचेरी	58.00	57.95	149.47	149.48	–	–
	अखिल भारत	109822.00	109721.16	437692.38	454497.41	141025.00	213163.75

* कुल जारी निधियां (केन्द्र + राज्य) ई ए एस के तहत राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं क्योंकि यह एक मांग आधारित स्कीम है।

विवरण-II

1994-95 तथा 1995-96 के दौरान प्रमुख शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध निधियां

(लाखों रुपये में)

राज्य/सं.रा.क्षे.	एनआरवाई*		पीएमआईयूपी इंपी**
	1994-95	1995-96	1995-95
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	738.01	652.42	980.58
अरुणाचल प्रदेश	46.65	66.66	68.11
असम	259.20	197.17	265.94
बिहार	584.09	647.50	819.37
गोवा	16.42	16.41	90.00
गुजरात	257.76	295.76	583.59
हरियाणा	166.52	148.64	183.03
हिमाचल प्रदेश	77.92	79.92	87.57
जम्मू और कश्मीर	89.48	96.21	136.22
कर्नाटक	569.26	322.27	634.59
केरल	351.97	212.42	263.20
मध्य प्रदेश	853.05	714.00	772.87
महाराष्ट्र	703.76	721.88	948.60
मणिपुर	87.03	81.02	48.65
मेघालय	18.29	34.08	38.92
मिजोरम	32.77	30.30	19.46
नागालैंड	14.58	5.83	108.65
उड़ीसा	241.33	218.84	269.17
पंजाब	288.53	144.84	306.30
राजस्थान	521.08	469.96	506.27
सिक्किम	31.41	30.10	38.92
तमिलनाडु	936.09	823.74	1046.37
त्रिपुरा	32.35	28.35	19.45
उत्तर प्रदेश	2318.40	1641.89	1584.74
पश्चिम बंगाल	561.47	630.18	679.43
अंडमान व निको. द्वीप	14.51	9.90	50.00
चंडीगढ़	10.69	6.38	-
दादरा व नगर हवेली	5.25	4.50	-
दमन व दीव	7.12	15.30	-
दिल्ली	30.00	30.00	-
पांडिचेरी	33.32	18.67	30.00
अखिल भारत	9898.31	8404.14	10580.00

* केन्द्र + राज्य

** केन्द्र से जारी धनराशि

विवरण-III

1994-95 तथा 1995-96 के दौरान प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत उपयोग में लायी गई निधियों की राशि

(लाखों रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ रा.क्षे.	आईआरडीपी		जेआरवाई		ईएएस		एनआरवाई	
		1994-95	1995-96	1994-95	1995-96	1994-95	1995-96	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1321.86	2070.65	4743.07	6119.38	1134.30	7072.26	(-)61.36	(-)76.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	285.97	326.25	149.66	97.02	501.02	868.22	19.17	28.05
3.	असम	2455.51	1318.39	2743.72	2810.09	3299.10	3501.12	(-)69.04	39.59
4.	बिहार	9306.35	7029.48	29829.67	35570.38	7627.10	15013.48	582.09	(-)20.92
5.	गोवा	104.52	25.30	167.50	160.12	-	-	2.35	(-)7.64
6.	गुजरात	(-)72.29	84.68	3185.65	4218.27	3125.07	6085.92	147.87	162.41
7.	हरियाणा	508.31	345.15	618.12	1049.12	1354.62	1689.90	21.79	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हिमाचल प्रदेश	111.47	(-)225.70	486.90	706.99	551.26	658.21	77.92	24.23
9.	जम्मू और कश्मीर	371.90	332.59	1395.00	1414.98	2258.95	3968.46	89.48	(-)10.53
10.	कर्नाटक	2157.83	2765.16	5969.58	4921.78	3009.86	4577.45	431.97	(-)0.66
11.	केरल	284.85	695.45	(-)61.94	843.37	352.42	423.02	21.77	97.16
12.	मध्य प्रदेश	875.50	3696.83	12539.11	14266.44	4826.25	10549.59	367.11	(-)781.94
13.	महाराष्ट्र	3270.86	1931.51	12410.60	13485.74	4286.64	8316.15	300.64	12.98
14.	मणिपुर	53.56	120.66	399.83	262.43	618.09	405.98	66.36	(-)20.79
15.	मेघालय	62.99	183.73	588.23	803.20	934.12	746.82	18.29	(-)23.23
16.	मिजोरम	18.67	8.22	17.18	(-)38.39	72.66	(-)451.21	(-)84.63	(-)6.69
17.	नागालैंड	125.54	355.56	220.40	705.69	349.98	1479.59	14.58	5.83
18.	उड़ीसा	1951.67	1793.54	11000.96	9851.77	2253.71	344.91	241.33	(-)117.00
19.	पंजाब	72.61	58.66	1863.95	2440.53	-	-	(-)15.67	(-)50.43
20.	राजस्थान	1312.75	1158.54	5089.85	5711.39	5146.69	7914.13	45.80	(-)7.98
21.	सिक्किम	16.04	29.28	92.40	26.72	81.69	(-)284.12	31.41	(-)34.31
22.	तमिलनाडु	2029.97	573.32	(-)2370.24	(-)1616.72	1517.43	4448.70	444.01	509.50
23.	त्रिपुरा	(-)106.76	237.30	63.59	114.96	0.00	628.97	15.08	9.28
24.	उत्तर प्रदेश	3268.46	7663.46	15241.13	18599.95	7689.35	10407.37	527.82	37.60
25.	पश्चिम बंगाल	6722.19	6709.57	8325.98	9703.77	2849.53	4469.89	(-)404.71	(-)624.29
26.	अंडमान व निको. द्वीप	15.70	(-)21.83	(-)8.56	(-)10.12	5.48	35.20	11.21	9.50
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	(-)21.42	25.69
28.	दादर व नगर हवेली	4.66	(-)6.66	1.93	62.67	20.33	30.16	3.43	3.05
29.	दमन व दीव	16.34	14.05	37.61	46.70	1.54	8.49	7.12	(-)6.19
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	25.43	30.00
31.	लक्षद्वीप	(-)4.07	0.75	15.97	61.97	114.06	169.73	-	-
32.	पांडिचेरी	90.24	14.03	231.95	109.22	-	-	19.77	3.72
	अखिल भारत	36633.20	39287.92	114988.75	132499.24	53981.25	96178.39	2876.97	(-)790.09

[हिन्दी]

रोजगार के अवसर

***107. श्री दत्ता मेघे :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार के प्रति और ज्यादा ध्यान देने का वायदा किया है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के तीव्र विकास और वहां रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्रतर विकास एवं अत्यधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए केन्द्र सरकार कई कार्यक्रमों

को चला रही है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में मुख्य हैं : (1) जवाहर रोजगार योजना, (2) सुनिश्चित रोजगार योजना और (3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

जवाहर रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य बेरोजगार एवं अल्प रोजगार प्राप्त ग्रामीण निर्धन को अतिरिक्त आयोपार्जक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसका द्वितीयक उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाकर स्थायी रोजगार का सृजन करना है। 2 अक्तूबर, 1993 से सुनिश्चित रोजगार योजना नामक एक अन्य मुख्य श्रम रोजगार कार्यक्रम को भी जनजातीय क्षेत्रों, सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरूभूमिक क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों, इत्यादि में स्थित पिछड़े ब्लाकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस समय देश के 3206 ऐसे ब्लाकों में सुनिश्चित रोजगार योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। सुनिश्चित रोजगार योजना 18 से 60 वर्षों की आयु सीमा में रोजगार के लिए इच्छुक एवं जरूरतमंद ग्रामीण निर्धन को 100 दिनों की अकुशल दैनिक मजदूरी के रूप में सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है। इस योजना के अन्तर्गत एक परिवार के अधिकतम दो वयस्क सदस्यों को रोजगार प्रदान किया जाता है। देश के पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देने के क्रम में, गहन जवाहर रोजगार योजना को भी बेरोजगारी एवं अल्प रोजगारी बहुलता वाले देश के 120 चुनिंदा पिछड़े जिलों में 1993-94 के दौरान शुरू किया गया था।

श्रम रोजगार कार्यक्रमों के अतिरिक्त, स्व रोजगार कार्यक्रमों को भी देश भर में चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मुख्य स्वरोजगार कार्यक्रम हैं, जिसका लक्ष्य ग्रामीण निर्धन को स्वरोजगार के क्रियालकलाप शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वित्तीय सहायता सरकारी सबसिडी एवं बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में दी जाती हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्ष्य समूह में लघु एवं सीमान्त किसान, कृषि मजदूर एवं गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले कास्तकार शामिल हैं। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा भी प्रदान की जाती हैं।

सुधारों की अवधि में निर्धन को बेहतर सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के दृष्टिकोण से सरकार ने आठवीं योजना के दौरान निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया है। बेहतर स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस कार्यक्रम की क्षमता को बढ़ाने हेतु कई नई पहलें भी की गई हैं। इसके अन्तर्गत निवेश के स्तर को बढ़ाना, ऋण के लक्ष्य को निर्धारित करना, ढांचागत विकास के लिए आबंटन में वृद्धि करना, सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए लाभार्थी की एक नई श्रेणी का पता लगाना शामिल है।

[अनुवाद]

गैस की आपूर्ति

***108. श्री बादल चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम तथा त्रिपुरा को सप्लाई की गई गैस का प्रति घन मीटर मूल्य क्या है; और

(ख) क्या सरकार असम तथा त्रिपुरा को समान मूल्य पर गैस की आपूर्ति करने पर सहमत है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) ओर (ख). असम और त्रिपुरा दोनों में ही प्राकृतिक गैस का मूल्य 1000 रुपए प्रति हजार घन मीटर है। मामला दर मामला आधार पर 400 रुपए प्रति हजार घन मीटर की छूट का प्रावधान भी है।

घरेलू तेल उत्पाद

***109. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री अनन्त कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू तेल उत्पादों का बाजार स्थापित करने हेतु अध्ययन करने के लिये किसी समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) सरकार ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन तथा शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों से अग्रणी विशेषज्ञ सदस्यों को लेकर राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुर्नसंरचना के संबंध में एक "कार्यनीतिक योजना दल" गठित किया है। इस दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

पिछड़े जिले

***110. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े जिलों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त कार्यक्रम में बिहार के कुछ जिलों को शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). किसी क्षेत्र की आयोजना तथा विकास और इस प्रयोजनार्थ निधियों का आवंटन मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। फिर भी, योजना आयोग सामान्य केन्द्रीय सहायता हेतु फार्मूला में पिछड़ेपन को महत्व देने के अलावा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों तथा आदिवासी उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटन के माध्यम से पिछड़ेपन की समस्याओं के समाधान में बिहार सहित सभी राज्यों की सहायता करता है।

तेल के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

***111. श्री सत्यदेव सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों आ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने सरकार से इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बाजार पर एकाधिकार करने से रोकने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). तेल एवं गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन तथा विपणन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित निजी निवेश के लिए तेल क्षेत्र को खोल दिया गया है। तेल क्षेत्र में ऐसे निवेशों में भाग लेने वाली विदेशी कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं

(ग) जी, नहीं।

(च) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

(क) तेल एवं गैस का अन्वेषण तथा उत्पादन

उत्पादन हिस्सेदारी समझौते के तहत छोटे आकार तथा मध्यम आकार के क्षेत्रों के अन्वेषण के लिए बोली के नौ दौर तथा विकास के लिए दो दौर हुए हैं। विदेशी कंपनियों को शामिल करते हुए उन परिसंघों का विवरण निम्नानुसार है जिन्हें संविदाएं दी गई हैं :

चौथा दौर

कंपनी का नाम	ब्लाक का नाम
1	3
1. अमेरिका की मैसर्स एल्वियन इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंक., आस्ट्रेलिया की काम्प्लेक्स रिसोर्सेज लिमिटेड, कनाडा की मैसर्स निको रिसोर्सेज तथा भारत की एच ओ ई सी को परिसंघ।	कृष्णा-गोदावरी अपतटीय बेसिन केजी-ओएस-90/1
2. अमेरिका की मैसर्स पैन एनर्जी रिसोर्सेज, आस्ट्रेलिया की स्टलिंग रिसोर्सेज, अमेरिका की आकलैंड आयल कंपनी, आस्ट्रेलिया की पैन पेसिफिक पेट्रोलियम एन एल तथा भारत का का ट्रांस एशिया कंसल्टैंट्स का परिसंघ।	गुजरात-कच्छ तटवर्ती बेसिन में जीके-ओएन-90/2
3. शेल इंटरनेशनल, नीदरलैंड्स	राजस्थान तटवर्ती बेसिन में आरजे-ओएन-90/1
4. भारत की एच ओ ई सी, अमेरिका की वाल्को एनर्जी इंक तथा भारत की टाटा पेट्रोडाइन का परिसंघ	कावेरी तटवर्ती बेसिन में सी वाई-ओ एस;90/1
पांचवां दौर	
1. एचओईसी, भारत-टाटा पेट्रोडायन भारत, वाल्को एनर्जी, अमेरिका	कावेरी अपतटीय बेसिन में सीवाई-ओएस/2
2. कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया-वीडियोकॉन, भारत	कृष्णा-गोदावरी अपतटीय बेसिन में केजी-ओएस/5
3. रेक्सवुड-आकलैंड कारपोरेशन, अमेरिका	गुजरात-कच्छ अपतटीय बेसिन में जीके-ओएस/5

1	3
छठा दौर	
1. एचओईसी, भारत-वाल्को एनर्जी इंक, अमेरिका टाटा पेट्रोडाइन (प्रा.) लि., भारत	कैम्बे अपतटीय बेसिन में सीबी-ओएस/1
2. सैम्सन इंटरनेशनल लिमिटेड, अमेरिका	कैम्बे तटवर्ती बेसिन में सीबी-ओएन/7
3. एचओईसी, भारत-सैम्सन इंटरनेशनल लि. अमेरिका-गुजरात स्टेट पेट्रोलियम क., भारत	कैम्बे तटवर्ती बेसिन में सीबी-ओएन/2
4. कमांड पेट्रोलियम होल्डिंग एन एल, आस्ट्रेलिया-टाटा पेट्रोडाइन (प्रा.) लि., नई दिल्ली	कैम्बे अपतटीय बेसिन में सीबी-ओएस/2
खोजे गए क्षेत्र	
छोटे आकार के क्षेत्र	
कंपनी/परिसंघ का नाम	**क्षेत्र**
1. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम का. लि. (जी एस पी सी) भारत-नीको रिसोर्सेज, कनाडा	हजीरा, कैम्बे, भांदुत, मतार एवं साबरमती
2. लार्सन एंड ट्ब्रो, भारत-जोशी टेक्नोलाजीज, अमेरिका	ढोलका, वैवेल
3. एच ओ ई सी, भारत-मासबैशर एनर्जी कंपनी, अमेरिका-पेट्रोडाइन इंक, अमेरिका	पी वाई-1
4. एच ओ ई सी, भारत-जी एस पी सी, भारत पेट्रोडाइन इंक, अमेरिका	असजोल
मध्यम आकार के क्षेत्र	
1. एनरान अमेरिका-रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत	मध्य एवं दक्षिण ताप्ती, मुक्ता तथा पन्ना
2. एस्सार आयल लिमिटेड, भारत प्रिमियर आयल पैसिफिक, यू.के.	रत्ना तथा आर सिरिज
3. कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया-वीडियोकॉन भारत-मेरूबेनी, जापान	राव्वा
4. कंपनी जिओफाइर्नेसियर, फ्रांस-एन्प्रो सर्विसेज, इंडिया	खरसांग

(ख) **प्राकृतिक गैस का विपणन, वितरण तथा आपूर्ति**

मुम्बई में प्राकृतिक गैस के विपणन, वितरण तथा आपूर्ति के प्रयोजन से गेल ने मैसर्स ब्रिटिश गैस पी एल सी, यू.के. के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) **शोधन**

(1) महाराष्ट्र के देवधर में 6 मि. मी.ट. प्र. वर्ष की एक ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित करने के लिए एच पी सी एल ने ओमान की मैसर्स ओमान आयल कंपनी के साथ हिन्दुस्तान ओमान पेट्रोलियम कंपनी नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की है।

(2) बी पी सी एल ने मध्य प्रदेश के बीना में 6 मि. मी. ट. प्र. वर्ष ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित करने के लिए भारत-ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को स्थापित किया है।

(3) पूर्वी भारत में 6 मि.मी.ट. प्र. वर्ष की एक ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित करने के लिए सरकार के अनुमोदन से आई ओ सी द्वारा कुवैत की राष्ट्रीय तेल कंपनी, कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन (कें पी सी) का संयुक्त उद्यम साझेदार के रूप में चयन किया गया।

सरकार ने निम्नलिखित दो ग्रासरूट रिफाइनरियों को भी अनुमोदित किया है :

(1) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा शेल इंटरनेशनल के मध्य संयुक्त उद्यम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के रायबरेली के नजदीक 7 मि.मी.ट.प्र. की क्षमता की एक रिफाइनरी।

(2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा सऊदी अरब की एक कंपनी अरामको के मध्य संयुक्त उद्यम के तहत पंजाब में 6 मि.मी.ट.प्र. की क्षमता की एक रिफाइनरी।

(घ) **स्नेहकों का निर्माण तथा विपणन एवं आधारभूत संरचना का विकास**

सरकार ने देश के भीतर स्नेहकों के निर्माण तथा विपणन के लिए निम्नलिखित संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन के लिए अनुमोदन किया है :

(1) आई ओ सी मोबिल संयक्त उद्यम ब्रांड के स्नेहकों के मिश्रण तथा विपणन के लिए आई ओ सी ने अमेरिका की मोबिल इंटरनेशनल पेट्रोलियम इंक के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है।

(2) बी पी सी एल शेल संयुक्त उद्यम शेल ब्रांड के उच्च कार्यानिष्पादन वाले स्नेहकों के मिश्रण तथा विपणन के लिए बी पी सी एल तथा शेल ओवरसील इन्वेस्टमेंटस के मध्य संयुक्त उद्यम।

(3) एच पी सी एल - कोलास संयुक्त उद्यम बिटुमन के निर्माण के लिए एच पी सी एल तथा फ्रांस की कोलास, एस ए के मध्य संयुक्त उद्यम।

6) आई बी पी काल्टेक्स संयुक्त उद्यम - स्नेहकों तथा ग्रीज के निर्माण तथा विपणन के लिए आई बी पी तथा अमेरिका के मैसर्स काल्टेक्स पेट्रोलियम के मध्य संयुक्त उद्यम कंपनी

(5) बामर लारी -नायको संयुक्त उद्यम - विशेष प्रयोजन स्नेहकों के निर्माण के लिए बामर लारी एंड कंपनी ने फ्रांस की मैसर्स नायको, एस ए तथा आई ओ सी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया हैं

(6) बामर लारी - फुक्स संयुक्त उद्यम -स्नेहकों के मिश्रण तथा विपणन के लिए बाम लारी एंड कंपनी ने स्विटजरलैंड की मैसर्स फुक्स पेट्रोलब, एजी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया हैं

(7) आई ओ सी, आई बी पी तथा जर्मनी की मैर्सस आयलटैंकिंग जी एम बी एच के मध्य आयल टर्मिनलिंग सुविधा को स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है।

(8) ल्यूब योगजों के निर्माण के लिए एम आर एल शेवरान

(9) बंदरगाह सुविधाएं तथा एल पी जी भरण संयंत्र एवं एल पी जी के विपणन जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास में निवेश के लिए जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमोदन मिला है वे निम्नानुसार है :

(क) मैसर्स सदर्न एल पी जी लिमिटेड

(ख) मैसर्स वेस्टर्नन एनर्जी इंडिया लि.

(ग) मैसर्स हिन्दुस्तान एजिस एल पी जी बोटलिंग कंपनी लि.

(घ) मैसर्स वेस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रीज लि.

(ङ) मैसर्स पंजाब पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

(च) मैसर्स वेस्टर्न इंडिया पेट्रोलियम लि.

(छ) मैसर्स पेट्रोनस इंडिया होल्डिंग कंपनी लि.

(ज) मैसर्स ई एल ई गैस इंडिया लि.

(झ) मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि.

10. प्लास्ट ड्रमों के निर्माण के लिए बामर लारी -नीदरलैंड की वैन-लीयर।

11. मैरीन फ्रेट कंटेनर्स के निर्माण के लिए बामर लारी टेक्ट्रानास - ओकुरा।

[अनुवाद]

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम में संशोधन

***112. श्री सुरेश कोडीकुनील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विचार सन् 2012 तक सभी को विद्युत प्रदान करने के लिए कुछ सुधार/उपाय करने और तदनुसार भारतीय विद्युत अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शरद पवार समिति द्वारा सुझाए गए पुनः प्रयोज्य ऊर्जा नीति के प्रारूप पर भी विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पन्न विद्युत के वितरण की निजी फर्मों को अनुमति देने और अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए कार्बन उपकर लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं। तथापि, विद्युत क्षेत्र के भौतिक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपाय आरंभ कर दिए गए हैं, जिनमें राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करना भी शामिल है। विद्युत उद्योग को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनी प्रावधानों की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि देश में विद्युत की उपलब्धता के संवर्धन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(ख) और (ग). श्री शरद पवार की अध्यक्षता वाली विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और इस पर अभी एनडीसी में विचार विमर्श किया जाना है।

(घ) और (ङ). विद्यमान नीति संबंधित राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् निजी फर्मों को विद्युत का वितरण करने की अनुमति प्रदान करती है। पुनः प्रयोज्य ऊर्जा संबंधी व्यापक नीति, जिसे अभी तैयार किया जा रहा है, का एक घटक अपारंपरिक ऊर्जा

परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए उपकर लगाना है। इस विषय पर कोई भी निर्णय लेने से पहले इस तरह का उपकर लगाए जाने के सम्पूर्ण आशय का अध्ययन किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में मेजिया ताप विद्युत परियोजना

*113. **श्री सुनील खान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मेजिया ताप विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की दूसरी और तीसरी इकाइयों के कब तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेजिया ताप विद्युत परियोजना की 210 मेवा. वाली प्रथम यूनिट को मार्च, 1996 से समकालित कर दिया गया है।

(ग) प्रत्येक 210 मेवा. वाली दूसरी और तीसरी यूनिट को क्रमशः सितम्बर, 1996 और मार्च, 1997 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

गुजरात में गैस ग्रिड

*114. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से गुजरात में प्रस्तावित गैस ग्रिड से राजस्थान को एससोसिएटेड गैस का हिस्सा देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने गुजरात के प्रस्तावित गैस ग्रिड से राजस्थान को एसोसिएटेड गैस उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्रवाई की है ताकि विरोधी और जालौर में उद्योगों का विकास किया जा सके?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ग). राजस्थान सरकार ने विद्युत उत्पादन, उर्वरक एवं मैथानोल परियोजनाओं, एल पी जी निकर्षण, पेट्रोरसायन परियोजनाओं तथा मृत्तिका उद्योगों के संबध में एच बी जे पाइपलाइन से संबद्ध गैस की 20 एम एम एस सी एम डी मात्रा के लिए कहा है।

(ग) एच बी जे पाइपलाइन के साथ उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस पूर्णतया आबंटित है और वर्तमान में गैस के अतिरिक्त आबंटन के संबंध में विचार करना व्यवहार्य नहीं है।

जवाहर रोजगार योजना

*115. **प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषतः पंजाब में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में भारी अनियमितताएं प्रकाश में आई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन में ऐसी अनियमितताओं की जानकारी सरकार को मिली है;

(ग) क्या सरकार ने रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत हुई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कोई तथ्यात्मक सूचना एकत्र की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी नहीं। तथापि, इस मंत्रालय में पंजाब सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान निम्नलिखित राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं :-

(1) असम
(2) बिहार
(3) गुजरात
(4) मध्य प्रदेश
(5) महाराष्ट्र
(6) उड़ीसा
(7) पंजाब
(8) राजस्थान
(9) तमिलनाडु
(10) उत्तर प्रदेश

(ग) शिकायतों को राज्य सरकार के पास उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए तत्काल भेज दिया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

*116. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1996 के अंत में देश में जल विद्युत ताप विद्युत और परमाणु विद्युत क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी-कितनी थी;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन इनकी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार हो रहा है;

(ग) यदि नहीं तो जल, ताप और परमाणु विद्युत क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर कुल अधिष्ठापित क्षमता के आधार पर बिजली का औसतन कितना-कितना उत्पादन हो रहा है;

(घ) क्या कुल अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कम उत्पादन होने के कारण देश में बिजली उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादन लागत में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) 31.3.96 के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन के लिए अधिष्ठापित क्षमता निम्नवत् थी :—

(मे.वा. में)

कुल क्षमता	जल-विद्युत क्षमता	ताप विद्युत क्षमता	न्यूक्लीय क्षमता
83287.96	20976.09	60086.87	2225.00

(ख) और (ग). वर्ष 1995-96 के दौरान बिलियन यूनिट में ऊर्जा उत्पादन हेतु लक्ष्य तथा ताप-विद्युत एवं न्यूक्लीय उत्पादन हेतु संयत्र भार अनुपात इस प्रकार थे :—

श्रेणी	ऊर्जा उत्पादन (बि.यू.)		पीएलएफ%	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ताप विद्युत	297.0*	299.6	62.3	63.0
न्यूक्लीय	7.8	8.0	47.2	46.5
जल-विद्युत	72.3	72.5		
जोड़	371.1	380.1		

(घ) और (ङ). बिजली की प्रति यूनिट निर्धारित लागत उत्पादन के स्तर में कमी के कारण बढ़ती है, क्योंकि यह लागत उत्पादन की लघु मात्रा में विस्तारित होती है। तथापि, ताप-विद्युत केन्द्रों, जो कुल उत्पादन का लगभग .79% उत्पादित करते हैं, के पीएलएफ में 1991-92 में 55.3% से 1995-96 में 63% तक की वृद्धि के कारण, इस संबंध में लागत वृद्धि न्यूनतम रही है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम

*117. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम में सरकार की भागीदारी को कम करके 80 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस निगम में बढ़ाई गई इक्विटी की राशि कितनी है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थाओं/म्युच्यूल फंड से निविदाएं आमंत्रित करके तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) की कुछ इक्विटी को बेच दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी बिक्री दरें क्या थीं;

(ङ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के शेयरों को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में आम जनता को देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) सिद्धांत रूप में, ओ एन जी सी में सरकार की शेयर धारिता कम करके 80 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) ओ एन जी सी की वर्तमान समांशता पूंजी 1425.93 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ). जी, हां। वित्तीय संस्थाओं/ म्यूच्यूअल फंडों आदि से बोलियां आमंत्रित करके सरकार द्वारा विनिवेश किए गए ओ एन जी सी शेयरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

समय जब बोलियां आमंत्रित की गई	बेचे गए शेयरों की संख्या	एकत्र की गई कुल धनराशि	वसूला गया भारित औसत मूल्य
	(संख्या)	(करोड़ रु. में)	(रु.प्रति शेयर)
अक्तूबर, 1994	68,57,000 (बोनस पूर्व)	1051.53	1553.51 (बोनस पूर्व)
अक्तूबर, 1995	1,92,810 (बोनस पश्चात्)	5.15	267.09 (बोनस पश्चात्)

(ङ) फिलहाल सार्वजनिक निर्गम निकालने का ओ एन जी सी का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डो-ओमान पाइपलाइन परियोजना

*118. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डो-ओमान सबमैरीन पाइपलाइन प्रोजैक्ट में, जिसके लिए ओमान सरकार ने 5 बिलियन डालर देने का वायदा किया है, अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) निर्यात करने की ईरानी पेशकश पर चर्चा के लिए हाल ही में ईरान का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हुई बात-चीत, विशेषकर पाकिस्तान के विरोध के कारण एक वर्ष से भी अधिक अवधि से इस परियोजना के लंबित पड़े रहने को देखते हुए पाकिस्तान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से हटकर गहरे समुद्र में पाइपलाइन के वैकल्पिक मांग तलाशने के क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या भारतीय दल ने एल एन जी निर्यात करने और अत्यधिक लागत वाली सुविधाएं स्थापित करने के ईरान के प्रस्ताव का भी अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) ओमान आयल कंपनी ने ओमान इंडिया पाइपलाइन परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया है। व्यवहार्यता अध्ययन अभी पूरा किया जाना है।

(ख) जी, हां।

(ग) बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान के ईईजेड से होकर जाने वाले पाइपलाइन मार्ग के सर्वेक्षण के लिए पाकिस्तान सरकार की सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखे जाएं। यह भी सहमति हुई थी कि गहरे समुद्री मार्ग की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का निर्णय लेने से पहले और अधिक जानकारी की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ). ईरान ने कहा है कि उन्होंने एलएनजी परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया है। ईरान व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने के बाद भारत को एल एन जी का निर्यात करने का प्रस्ताव कर सकता है।

विद्युत क्षेत्र के लिए एशिया विकास बैंक की सहायता

*119. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया विकास बैंक पुनः प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी को वित्त प्रदान करने के लिए 150 मिलियन डालर की सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ए.वि. बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण के अंतर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या आई.आर.ई.डी.ए. ने विशिष्ट पुनः प्रयोज्य ऊर्जा क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए ए.वि. बैंक के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). तीन अक्षय ऊर्जा स्रोत सह उत्पादन, मिथेन गैस उत्पादन तथा सौर तापीय पद्धतियों के तकनीकी, वित्तीय तथा आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) तथा एशिया विकास बैंक (ए.डी.बी.) के बीच एक तकनीकी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में पवन विद्युत उत्पादन को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया। अध्ययन ने उपर्युक्त चार क्षेत्रों के विपणन विकास के लिए इरेडा को एशिया विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने 20 मई से 3 जून, 1995 तक एक खोजी मिशन तथा बाद में 21 अगस्त से 4 सितम्बर, 1995 तक एक मूल्यांकन मिशन भेजा। मिशन ने अपना स्मरणपत्र (ऐड मेम्याअर) प्रस्तुत किया तथा उपर्युक्त क्षेत्रों के दोहन के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण की सिफारिश की। ऋण की राशि तथा संबंधित शर्तें तथा प्रकारताओं को एशिया विकास बैंक के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

पेट्रोलियम उत्पाद

*120. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 के बाद से पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम समुद्रतटीय और अपतटीय कितने नए तेल/गैस भंडारों की खोज की गई; और

(ख) यह उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा तथा प्रतिवर्ष उनसे कितना पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) 1995 तथा 1996 के दौरान देश में निम्नांकित स्थानों पर तेल/गैस भंडार खोजे गए हैं :—

1.	कम्बोई	—	कैम्बे बेसिन
2.	भुवन्दर	—	असम अराकम फोल्ड बेल्ट
3.	अदी वीपलेम	—	कृष्णा-गोदावरी स्थलगत
4.	मुल्लीकी पल्ले	—	-वही-
5.	लंकापलेम	—	-वही-
6.	महादेवापटनम	—	-वही-
7.	किझंवल्लूर	—	कावेरी बेसिन थलगत
8.	पुन्डी	—	-वही-
9.	मेकुलाजन	—	असम
10.	रजाली	—	-वही-
11.	रंगालिटिंग	—	-वही-
12.	बोरहपजान	—	-वही-
13.	तामुलीखाट	—	-वही-
14.	गुमनेवाला	—	राजस्थान
15.	डब्ल्यू ओ-16	—	बंबई अपतटीय
16.	बी-153	—	-वही-
17.	डब्ल्यू ओ-15	—	-वही-
18.	सी-39	—	-वही-

इन खोजों की वाणिज्यिक साध्यता अनुमानाधीन है।

(ख) निम्नांकित खोजें इनकी संभाव्यता का और अनुमान लगाने क लिए पहले ही परीक्षण उत्पादन पर लगा दी गई है :—

1. कम्बोई
2. पुन्डी
3. लंकापलेम
4. मुल्लीकीपल्ले
5. भेकुलाजन
6. रजाली
7. रंगालिटिंग
8. तामुलीखाट

अगस्त, 1996 तथा 1997-98 के आरम्भ तक दो और खोजों नामतया किझवल्लूर तथा अदीवीपलेम को परीक्षण उत्पादन पर लगाने की संभावना है।

शेष संरचनाओं/क्षेत्रों को उत्पादन पर लगाने का कार्यक्रम आगे के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन अनुमान के परिणाम पर निर्भर करेगा।

जहां तक इन नए तेल/गैस क्षेत्रों/संरचनाओं से प्राप्त होने वाली संभावित उत्पादन मात्रा का संबंध है इसे आरेखन वेधन, परीक्षण उत्पादन आंकड़ा, निकासी योग्य भण्डारों के अनुमान, पेट्रोफिजीकल भूसम्पत्तियों इत्यादि के माध्यम से सिद्ध होने वाले क्षेत्र उत्पादन संभाव्यता आंकड़ों के सृजन के पश्चात तय किया जा सकता है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा भूमि में निवेश

804. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों को जमीन खरीदने तथा गृह उद्योग में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ग). सरकार ने भारतीय राष्ट्रीयता मूल के अनिवासी भारतीयों को शहरी विकास तथा आवास में निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना बनाई है। यह योजना भारतीय राष्ट्रीय/मूल के व्यक्तियों और मुख्यतः ओवरसीज कार्पोरेट निकायों के लिए खुली है। योजना के तहत निवेश हेतु ग्राह्य कार्यकलाप इस प्रकार है :

(1) सुविधायुक्त प्लाटों का विकास तथा तैयार परिसरों का निर्माण;

(2) स्थावर सम्पदा जिसमें बिक्री केन्द्रों तथा कार्यालयों सहित रिहायशी व वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं;

(3) शहरी बस्तियों का विकास;

(4) सड़कों तथा पुलों सहित नगर व क्षेत्र स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं;

(5) भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन;

(6) कॉलम (1) से (5) के कार्यों में भारतीय भवन निर्माताओं/उद्यमियों के साथ सहयोग/भागीदारी;

(7) आवास वित्त कम्पनियों में निवेश;

(8) रिहायशी परिसम्पत्तियों में अधिकतम दो परिसम्पतियों की निवेश लाभ राशि को स्वदेश ले जाने सहित अर्जन;

(9) अचल वाणिज्यिक परिसम्पत्तियों की निवेश लाभ राशि को स्वदेश ले जाने सहित अर्जन; और

(10) दो रिहायशी परिसम्पत्तियों को किसी रिश्तेदार को उपहार में देना।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

805. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

(ख) ऐसे कार्यक्रम कब से लागू किये जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत गत वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई तथा उक्त अवधि के दौरान अब तक की मुख्य-मुख्य उपलब्धियां क्या रही हैं; और

(घ) कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्र देव प्रसाद वर्मा) : (क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम देश भर में चलाया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15.8.95 से चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तीन घटक हैं :

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

(ग) विगत वर्ष (1995-96) के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियों के आवंटन एवं इसके साथ उक्त अवधि के दौरान प्राप्त भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धि की प्रगति के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान राज्यों तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी संघ शसित क्षेत्रों तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों से रिपोर्ट आनी शेष है।

(घ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय हैं :

(1) मार्गदर्शिकाओं को तैयार किया गया।

(2) केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर सलाहकारी समिति का गठन।

(3) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के निरीक्षण करने के लिए राज्य तथा जिला स्तरीय समितियों का गठन।

(4) क्षेत्र स्तरीय जन कार्यकर्त्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों तथा पंयाचतों को शामिल करना।

(5) कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन हेतु प्रबंध।

(6) कार्यक्रम के बारे में लोगों के बीच जागरूकता सृजन करने के लिए प्रिन्ट और इलैक्ट्रानिक मीडिया की मार्फत प्रचार।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित आवंटन क्षेत्र	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम					1995-96 (रुपये लाख में) लाभार्थियों की संख्या									
		राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना					राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना					राष्ट्रीय ममातृत्व लाभ योजना				
		आंवटन	रिलीज	खर्च	अधिकतम सीमा	लाभार्थी	आंवटन	रिलीज	खर्च	अधिकतम सीमा	लाभार्थी	आंवटन	रिलीज	खर्च	अधिकतम सीमा	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	2593.74	2593.74	1075.02	466000	260612	1334.93	1334.93	1109.60	24563	20390	746.75	746.75	622.28	242625	207427
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.45	4.68	NR	1700	NR	3.47	1.71	NR	63	NR	3.93	1.95	NR	1313	NR
3.	असम	396.55	195.83	NR	70100	NR	378.85	188.21	NR	7063	NR	178.01	87.79	NR	58563	NR
4.	बिहार	4306.54	2109.72	9.75	774400	NR	2151.32	1090.36	2.46	39563	398	1164.19	572.00	153	376750	1148
5.	गोवा	12.303	6.09	0.67	2200	447	6.80	3.37	1.10	125	17	5.03	26	0.003	1750	1
6.	गुजरात	890.42	441.19	NR	160100	NR	448.49	222.33	NR	8250	NR	240.09	118.25	NR	77875	NR
7.	हरियाणा	209.75	209.75	100.09	37700	33808	92.39	45.72	NR	1688	NR	72.38	35.72	NR	23875	NR
8.	हिमाचल प्रदेश	64.56	64.58	17.50	11600	6519	24.17	11.95	NR	438	NR	21.23	13.42	NR	9063	NR
9.	जम्मू और कश्मीर	147.86	147.86	44.55	26600	10265	55.24	27.3	11.25	1000	247	62.15	308	6.94	20750	2224
10.	कर्नाटक	1755.94	870.28	NR	316200	NR	775.07	383.69	NR	14188	NR	483.61	237.96	NR	157188	NR
11.	केरल	796.65	354.55	104.54	144500	38279	206.13	90.57	4.00	3688	70	147.01	64.88	0.42	46938	140
12.	मध्य प्रदेश	2736.86	2736.86	772.71	489800	181814	1661.31	823.85	NR	30688	NR	933.18	457.60	NR	305500	NR
13.	महाराष्ट्र	2785.13	1380.48	18.73	501700	7364	1225.51	606.69	4.76	22438	80	735.62	361.76	0.89	238375	276
14.	मणिपुर	19.47	9.65	8.91	3500	NR	6.93	3.42	3.33	125	NR	8.23	4.07	3.63	2750	NR
15.	मेघालय	18.4	9.06	NR	3400	NR	6.66	3.27	NR	125	NR	7.86	3.74	NR	2625	NR
16.	मिजोरम	7.96	3.86	3.86	1400	1330	3.49	1.7	1.70	63	83	3.26	1.58	1.63	1063	1265
17.	नागालैंड	13.31	13.31	3.35	2400	NR	5.55	3.53	0.87	63	NR	5.59	5.59	1.38	1875	NR
18.	उड़ीसा	1583.99	784.08	373.32	283400	174331	1029.29	510.09	1.85	19063	18	488.07	240.08	4.17	158375	1389
19.	पंजाब	202.23	202.23	194.94	36500	36514	75.59	37.38	33.61	1375	579	51.82	25.48	11.47	168125	3669
20.	राजस्थान	1114.67	552.07	NR	200000	NR	539.04	266.89	NR	9875	NR	410.60	202.67	NR	135688	NR
21.	सिक्किम	3.85	3.85	2.12	800	800	3.20	1.67	NR	63	NR	1.90	0.94	NR	625	NR
22.	तमिलनाडु	2179.81	2179.81	1080.53	391900	NR	1130.00	1130	560.06	20813	NR	563.60	563.6	276.86	181563	NR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.	त्रिपुरा	29.47	29.47	29.00	5300	NR	10.4	10.4	10.21	188	NR	12.34	12.34	12.34	4125	NR
24.	उत्तर प्रदेश	5727.83	5727.83	11017.38	1027500	764671	3147.28	3147.28	684.68	58000	12651	177792	1777.92	509.87	579813	169589
25.	पश्चिम बंगाल	1971.02	976.31	888.25	353900	353900	1071.36	531.09	450.60	19750	18643	558.14	274.49	200.00	180875	170733
26.	अंडमान निकोबार	3.39	1.68	NR	600	NR	3.35	1.69	NR	63	NR	1.34	0.69	NR	438	NR
27.	चंडीगढ़	7.26	3.59	NR	1300	1187	3.42	1.72	0.10	83	1	3.19	1.57	0.15	1063	5
28.	दादर और नगर हवेली	1.73	0.85	0.23	300	300	3.31	1.65	1.61	63	88	0.61	0.29	0.26	188	28
29.	दमन और दीव	1.18	0.52	0.44	200	86	3.31	1.48	1.30	63	24	0.41	0.18	0.08	125	24
30.	दिल्ली	105.69	52.4	NR	19000	NR	38.08	18.85	NR	6875	NR	44.34	21.85	NR	14813	NR
31.	लक्षद्वीप	0.64	0.30	NR	100	NR	3.30	1.62	NR	63	NR	0.23	0.22	NR	63	NR
32.	पांडिचेरी	8.35	4.16	NR	1500	NR	3.43	1.68	NR	63	NR	3.56	1.78	NR	1188	NR
	कुल	29706.01	21670.61	15745.9	5335600	1871227	15450.67	10506.69	2883.08	290511	53289	8736.79	5870.55	1653.91	2995945	557918

* आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों ने अपनी राज्य वृद्धावस्था योजना का विलय राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में कर दिया है।

एन.आर. : असूचित

[हिन्दी]

एल पी जी एजेंसियां

806. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां विगत तीन वर्षों में एल पी जी एजेंसियों के आबंटन के लिए विज्ञापन दिए गए;

(ख) वहां अब तक एल पी जी एजेंसियों की स्थापना नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे स्थानों को विपणन योजना में सम्मिलित करने, उनके विज्ञापन तथा साक्षात्कार की तिथियों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). गत तीन वर्षों के दौरान तेल विपणन कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश में 179 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए विज्ञापन दिया गया था। 80 मामलों में तेल चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार पूरे किए गए थे, जिसमें से 58 डिस्ट्रीब्यूटरशिप पहले ही आरम्भ हो गई हैं। ऐसा बताया गया है कि साक्षात्कार के लिए तेल चयन बोर्ड के समक्ष 99 मामले लंबित थे।

[अनुवाद]

पूर्ण वेतन सहित अवकाश की मंजूरी

807. श्री राम नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों को टी.बी., कैंसर, कुष्ठ, लकवा आदि गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए पूर्ण वेतन सहित अवकाश भी मंजूर करती है;

(ख) क्या भारत सरकार अपने कर्मचारियों को ऐसी ही सुविधा देती है;

(ग) यदि हां, तो उस सरकारी आदेश का ब्यौरा क्या है जिसके तहत यह सुविधा दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार भी अपने कर्मचारियों को ऐसी ही सुविधा देने पर विचार करेगी?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यम) : (क) भारत सरकार, राज्य सरकारों के सेवा नियमों को मानिटर नहीं करती हैं। तथापि, महाराष्ट्र सरकार के संगत नियमों की एक प्रति इस समय कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में उपलब्ध है।

(ख) और (ग). विभिन्न बीमारियों (टी.बी., कैंसर आदि सहित) के इलाज से संबंधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावलीन 1972 में सम्मिलित नियमों के उद्धरण संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(घ) चतुर्थ वेतन आयोग ने यह टिप्पणी की है कि "विद्यमान छुट्टी नियम पर्याप्त रूप से व्यापक हैं तथा इनमें कोई बड़ा संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।" इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तें इस समय पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचाराधीन हैं। अतः कोई अतिरिक्त सुविधा मंजूर करने के लिए छुट्टी नियमों की पुनरीक्षा का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

31. **अर्जन शोध्य छुट्टी**-[1](1) सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी की दशा को छोड़कर, अर्जन शोध्य छुट्टी स्थायी नियोजन या स्थायीवत् नियोजन में सरकारी सेवक (सैनिक अधिकारी से भिन्न) को प्रमाण-पत्र पर संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 360 दिनों तक निम्नलिखित शर्तों पर मंजूर की जा सकेगी :—

(क) जब छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि छुट्टी समाप्ति होने पर सरकारी सेवक के कर्त्तव्य पर लौटने की युक्तियुक्त संभावना है;

(ख) अर्जन शोध्य छुट्टी, उस अर्द्ध-वेतन छुट्टी तक, जो वह संभवतः तत्पश्चात् अर्जित करे, सीमित रहेगी;

(ग) अर्जन शोध्य छुट्टी, सरकारी सेवक द्वारा उसके पश्चात् उपार्जित की जाने वाली अर्द्ध-वेतन छुट्टी के नामे डाली जाएगी।

(1 क) अर्जन शोध्य छुट्टी ऐसे अस्थायी सरकारी सेवकों को भी मंजूर की जा सकेगी जो क्षयरोग, कुष्ठ रोग, कैंसर या मानसिक रोग से पीड़ित हैं। ऐसी छुट्टी की अधिकतम अवधि संपूर्ण सेवाकाल में 360 दिन की होगी किन्तु यह तब जब कि उप नियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में दी गई शर्तों और निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो जाए, अर्थात् :—

(1) सरकारी सेवक ने कम से कम एक वर्ष सेवा कर ली हो;

(2) ऐसे पद के, जिससे सरकारी सेवक छुट्टी पर जाता है, उसके कर्तव्य पर वापस आने तक, बने रहने की संभावना है; और

(3) ऐसी छुट्टी की मंजूरी के लिए प्रार्थना-पत्र नियम 32 के उपनियम (2) के खण्ड (ग) और (घ) में यथा परिकल्पित चिकित्सीय प्रमाण-पत्र से समर्पित हो।

(2) (क) यदि कोई सरकारी सेवक, जिसे अर्जन शोध्य छुट्टी मंजूर की गई है, सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या उसकी प्रार्थना पर कर्त्तव्य पर लौटे बिना उसे स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो जाने की अनुज्ञा दे दी जाती है तो अर्जन शोध्य छुट्टी रद्द कर दी जाएगी तथा उसका त्याग-पत्र या सेवानिवृत्ति उस

---

1. भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 6 जून, 1998 की अधिसूचना सं.-11012/1/85-स्था. (छुट्टी) द्वारा प्रतिस्थापित, भारत के राजपत्र में 18 जून, 1988 के सा.का.नि. 476 के रूप में प्रकाशित, दिनांक 18 जून, 1988 से लागू।

तारीख से प्रभावी होगी जब से ऐसी छुट्टी प्रारंभ हुई थी और छुट्टी-वेतन वसूल कर लिया जाएगा।

(ख) यदि कोई सरकारी सेवक अर्जन शोध्य छुट्टी का उपभोग करने के पश्चात् कर्तव्य पर लौट जाता है किन्तु ऐसी छुट्टी उपार्जित कर लेने से पूर्व ही सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसे उतनी छुट्टी का छुट्टी वेतन वापिस करना होगा जितनी कि उसने उसके पश्चात् उपार्जित नहीं की है;

परन्तु यदि सेवानिवृत्ति ऐसे खराब स्वास्थ्य के कारण है जिसने सरकारी सेवक को आगे सेवा के लिए असमर्थ कर दिया है या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई छुट्टी-वेतन वसूल नहीं किया जाएगा।

[1]परन्तु यह और कि यदि सरकारी सेवक केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 (1) (ख) के अधीन समयपूर्व अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया जाता है अथवा मूल नियम 56 (जे) या मूल नियम 56 (ठ) के अधीन सेवा-निवृत्त हो जाता है तो खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन छुट्टी वेतन वसूल नहीं किया जाएगा।

32. **आसाधारण छुट्टी** - (1) किसी सरकारी सेवक को (सैनिक आफिसर से भिन्न) असाधारण छुट्टी निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में मंजूर की जा सकेगी :—

(क) जब अन्य कोई छुट्टी अनुज्ञेय नहीं है;

(ख) जब अन्य कोई छुट्टी अनुज्ञेय है किन्तु सरकारी सेवक लिखित रूप में असाधारण छुट्टी की मंजूरी के लिए आवेदन करता है;

(2) जब तक कि राष्ट्रपति मामले की असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा अवधारित नहीं करते, किसी भी सरकारी सेवक को, जो स्थायी नियोजन या स्थायीवत् नियोजन में नहीं है, किसी भी एक अवसर पर निम्नलिखित सीमा से अधिक असाधारण छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी :—

(क) तीन मास;

(ख) छह मास, यदि सरकारी सेवक ने इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय और शोध्य प्रकार की छुट्टी, जिसके अंतर्गत खंड (क) के अधीन तीन मास की असाधारण छुट्टी है, की समाप्ति पर[1] (एक वर्ष की निरंतर सेवा) पूर्ण कर ली है और ऐसी छुट्टी के लिए उसका निवेदन इन नियमों द्वारा यथाअपेक्षित चिकित्सीय प्रमाण-पत्र से समर्थित है;

[2](ग) विलोपित।

1. भारत सरकार, कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 21 नवम्बर, 1979 की अधिसूचना सं.-पी. 11012/1/77-ई.11/(ए.) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. भारत सरकार, कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 21 नवम्बर, 1979 की अधिसूचना सं.-पी. 11012/1/77-ई.11/(ए.) द्वारा विलोपित।

(घ) अठारह मास, यदि वह सरकारी सेवक, जिसने एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है, निम्नलिखित उपचार करा रहा है :—

(i) किसी मान्यता प्राप्त आरोग्याश्रम में फुफ्फस क्षयरोग या क्षय मूल के फुफ्फुसावरण शोथ का उपचार,

टिप्पण :— अठारह मास तक की असाधारण छुट्टी की रियायत फुफ्फुसावरण शोथ से पीड़ित उस सरकारी सेवक को भी अनुज्ञेय है जो अपने निवास स्थान पर, संबंधित राज्य प्रशासनिक चिकित्सीय अधिकारी द्वारा यथामान्य मान्यताप्राप्त क्षयरोग विशेषज्ञ से उपचार करा रहा है और उस विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र पेश करता है कि वह उससे उपचार करा रहा है और सिफारिश की गई छुट्टी की समाप्ति तक उसके स्वस्थ हो जाने की युक्तियुक्त संभावना है।

(ii) शरीर के किसी अन्य भाग के क्षयरोग का किसी अर्हित क्षयरोग विशेषज्ञ या किसी सिविल शल्य चिकित्सक या स्टाफ शल्य विशेषज्ञ या किसी सिविल शल्य चिकित्सक या स्टाफ शल्य चिकित्सक से उपचार; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त कुष्ठ रोग संस्थान में या संबंधित राज्य प्रशासनिक चिकित्सीय अधिकारी द्वारा इस प्रकार मान्यताप्राप्त कुष्ठरोग अस्पताल में सिविल शल्य चिकित्सक या स्टाफ शल्य चिकित्सक या विशेषज्ञ द्वारा कुष्ठरोग का उपचार;

[1](iv) कैंसर या मानसिक रोग का किसी ऐसी संस्था में जो ऐसे रोग का उपचार करने के लिए मान्यताप्राप्त है या किसी सिविल शल्य चिकित्सक या स्टाफ शल्य चिकित्सक या ऐसे रोग के किसी विशेषज्ञ द्वारा उपचार;

(ङ) चौबीस मास, यदि छुट्टी ऐसे अध्ययन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है जिसका लोकहित के लिए होना प्रमाणित किया गया है परन्तु यह तब जब कि संबंधित सरकारी सेवक ने इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय और शोध्य प्रकार की छुट्टी की, जिसके अंतर्गत खंड (क) के अधीन तीन मास की असाधारण छुट्टी है, समाप्ति की तारीख तक तीन वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है।

(3) (क) यदि किसी सरकारी सेवक को, उपनियम (2) के खंड (ग) के उपबंधों को शिथिल करते हुए, असाधारण छुट्टी

1. भारत सरकार, कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 21 नवम्बर, 1979 की अधिसूचना सं.-पी. 11012/1/77-ई.11/(ए.) द्वारा अंतः स्थापित।

मंजूर की जाती है तो उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह प्ररूप 6 में एक बंधपत्र निष्पादित करे जिसमें वह परिवचन दे कि ऐसी छुट्टी के दौरान सरकार और किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपगत किए गए खर्च की वास्तविक रकम का, ब्याज सहित, ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर कर्त्तव्य पर न लौटने या कर्त्तव्य पर वापसी के पश्चात् 3 वर्ष की अवधि से पूर्व सेवा छोड़ देने की दशा में, प्रतिदाय करेगा।

(ख) बंधपत्र, सरकारी सेवक के सदृश या उससे उच्चतर प्रास्थिति के दो स्थायी सरकारी सेवकों की प्रतिभूतियों से समर्थित होगा।

(4) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सरकारी सेवकों को समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रों में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ, उपनियम (2) के उपबंधों को शिथिल करते हुए, विभाग के प्रधान द्वारा असाधारण छुट्टी मंजूर की जा सकेगी।

(5) असाधारण छुट्टी की दो अवधियों के बीच यदि किसी अन्य प्रकार की छुट्टी से मध्यक्षेप होता है तो दोनों अवधियों को उपनियम (2) के प्रयोजनार्थ असाधारण छुट्टी की एक निरंतर अवधि समझा जाएगा।

(6) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भूतलक्षी रूप में बिना छुट्टी अनुपस्थिति की अवधियों को असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर सकता है।

44. **साशय पहुंचाई गई क्षति के लिए विशेष निःशक्तता छुट्टी—**

(1) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ऐसे सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी है या अस्थायी), जो अपने पदीय कर्त्तव्यों के पालन में या उसके परिणामस्वरूप या अपनी पदीय स्थिति के परिणामस्वरूप उसे साशय पहुंचाई गई या कारित की गई क्षति से निःशक्त हो गया है, विशेष निःशक्तता छुट्टी मंजूर कर सकेगा।

(2) ऐसी छुट्टी उस दशा में मंजूर नहीं की जाएगी जब निःशक्तता, उस घटना के, जिसके कारण वह हुई है, तीन मास के भीतर स्वतः प्रकट नहीं होती और निःशक्त व्यक्ति ने उस पर ध्यान दिलाने का कार्य सम्यक् तत्परता से नहीं किया है:

परन्तु यदि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का निःशक्तता के कारण के बारे में समाधान हो जाता है तो, उन मामलों में भी छुट्टी की मंजूरी की अनुज्ञा दे सकेगा जब निःशक्तता, उसके कारण के घटित होने के तीन मास से अधिक के पश्चात् प्रकट होती है।

(3) मंजूर की गई छुट्टी की अवधि उतनी होगी जो किसी प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा प्रमाणित की जाए और वह किसी भी दशा में 24 मास से अधिक की नहीं होगी।

(4) विशेष निःशक्तता छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकेगा।

(5) विशेष निःशक्तता छुट्टी एक से अधिक बार मंजूर की जा सकेगी किन्तु यह तब जब किसी पश्चात्वर्ती तारीख को वह निःशक्तता गुरूत्तर हो जाती है या समरूप परिस्थितियों में पुनः उत्पन्न हो जाती है, किन्तु किसी एक निःशक्तता के परिणामस्वरूप 24 मास से अधिक की ऐसी छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी

(6) पेंशन के लिए सेवा की संगणना में, विशेष निःशक्तता छुट्टी की गणना कर्त्तव्य के रूप में की जाएगी और, उपनियम (7) के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन मंजूर की गई छुट्टी के सिवाय, उसके छुट्टी लेखा के नामे भी डाली जाएगी।

(7) ऐसी छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन-

(क) ऐसी छुट्टी की किसी भी अवधि के प्रथम 120 दिन के लिए, जिसमें उपनियम (5) के अधीन मंजूर की गई ऐसी छुट्टी की अवधि सम्मिलित है, उपार्जित छुट्टी के लिए छुट्टी-वेतन के बराबर होगा; और

(ख) ऐसी किसी छुट्टी की किसी शेष अवधि के लिए, अर्द्ध-वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी-वेतन के बराबर होगा :

परन्तु किसी सरकारी सेवक को, उसके विकल्प पर, अधिक से अधिक अगले 120 दिन के लिए उपनियम (क) में यथा-उपबंधित जितना छुट्टी-वेतन दिया जा सकेगा और ऐसी स्थिति में ऐसी छुट्टी की अवधि उसके अर्द्ध-वेतन छुट्टी लेखा के नामे डाली जाएगी।

टिप्पण :— एक से अधिक सरकारों के अधीन सेवा वाले सरकारी सेवक को मंजूर की गई विशेष निःशक्तता छुट्टी की बाबत छुट्टी-वेतन, प्रसामान्य नियमों के अनुसार उन सरकारों के बीच प्रमाणित कर दिया जाएगा।

(8) (क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) लागू होता है, इस नियम के अधीन देय-छुट्टी-वेतन की रकम में से, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन देय प्रतिकर की रकम कम कर दी जाएगी।

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) लागू होता है, इस नियम के अधीन देय-छुट्टी-वेतन की रकम में से उक्त अधिनियम के अधीन उसी अवधि के लिए देय प्रसुविधा की रकम कम कर दी जाएगी।

(9) (क) इस नियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे :—

(i) किसी सैनिक बल में सेवा के परिणामस्वरूप निःशक्त हुए सिविल सेवक को, जिसे और आगे सैनिक सेवा के लिए अयोग्य ठहरा कर सेवोन्मुक्त कर दिया गया है, किन्तु जिसे और आगे सिविल सेवा के लिए स्थायी और पूर्ण रूप में असमर्थ घोषित नहीं किया गया है; और

(2) ऐसे सिविल सेवक को जो इस प्रकार सेवोन्मुक्त नहीं किया गया है किन्तु जो ऐसी निःशक्तता से पीड़ित है जिसकी बाबत चिकित्सक बोर्ड ने प्रमाणित किया है कि वह प्रत्यक्षतः सैनिक बल में सेवा का परिणाम है।

(ख) दोनों ही दशाओं में ऐसे व्यक्ति को सैनिक नियमों के अधीन उस निःशक्तता की बाबत मंजूर की गई छुट्टी की कोई भी अवधि, अनुज्ञेय अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ, इस नियम के अधीन मंजूर की गई छुट्टी मानी जाएगी।

45. **आकस्मिक क्षति के लिए विशेष निःशक्तता छुट्टी** –

(1) नियम 44 के उपबंध उस सरकारी सेवक को भी, चाहे वह स्थायी है या अस्थायी, लागू होंगे जो अपने पदीप कर्तव्यों के पालन में या उसके परिणामस्वरूप या अपनी पदीय स्थिति के परिणामस्वरूप उपगत आकस्मिक क्षति से, या किसी ऐसे विशिष्ट कर्तव्य के पालन में उपगत बीमारी से निःशक्त हो जाता है, जिसके कारण उसके बीमार होने या क्षतिग्रस्त होने की जोखिम में, उस सिविल पद की, जिसका वह धारक है, मामूली जोखिम की अपेक्षा, अधिक वृद्धि हो गई है।

(2) ऐसी दशा में, विशेष निशःक्तता छुट्टी की मंजूरी के लिए निम्नलिखित शर्तें भी होंगी :—

(i) यदि निशक्तता बीमारी के कारण है तो, किसी प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह प्रत्यक्षतः विशिष्ट कर्तव्य के पालन के परिणामस्वरूप हुई है;

(ii) यदि सरकारी सेवक को किसी निःशक्तता सैनिक बल में सेवा से भिन्न सेवा के दौरान हुई है, तो वह, छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की राय में, असाधारण प्रकृति की होनी चाहिए; और

(3) प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा सिफारिश की गई अनुपस्थिति की अवधि भागतः इस नियम के और भागतः अन्य प्रकार की छुट्टी के अन्तर्गत आ सकती है, और उपार्जित छुट्टी पुन अनुज्ञेय के बराबर छुट्टी-वेतन पर मंजूर की गई विशेष निःशक्तता छुट्टी की मात्रा 120 दिन से अधिक नहीं होगी।

46. **अस्पताली छुट्टी**–

(1) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित सरकारी सेवकों को तब जब कि वे बीमारी या क्षति के लिए, यदि ऐसी बीमारी या क्षति प्रत्यक्षतः उनके पदीय कर्त्तव्यों के दौरान उपगत जोखिमों, के कारण हुई है, चिकित्सीय उपचार अस्पताल में या अन्यथा करा रहे हों, अस्पताली छुट्टी मंजूर कर सकता–

(क) वर्ग IV के सरकारी सवकों को,

(ख) वर्ग III के ऐसे सेवकों, को, जिनके कर्तव्यों में खतरनाक मशीनरी, विस्फोटक सामग्री, विषैली औषधियों और उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की उठाई धराई, या परिसंकटमय कार्यों का पालन सम्मिलित है।

(2) अस्पताली छुट्टी किसी प्राधिकृत चिकित्सीय परिचालक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र पेश किए जाने पर मंजूर की जाएगी।

(3) अस्पताली छुट्टी उतनी अवधि के लिए मंजूर की जाएगी जितनी मंजूर करने वाला प्राधिकारी आवश्यक समझे, तथा–

(1) ऐसी छुट्टी की किसी अवधि के प्रथम 120 दिन के लिए छुट्टी- वेतन, उपार्जित छुट्टी के लिए छुट्टी-वेतन के बराबर होगा; और

(2) ऐसी छुट्टी की किसी शेष अवधि के लिए छुट्टी-वेतन, अर्द्ध-वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी-वेतन के बराबर होगा।

(4) अस्पताली छुट्टी छुट्टी-लेखा के नामे नहीं डाली जाएगी और किसी भी अन्य प्रकार की अनुज्ञेय छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकेगी, परन्तु यह तब जब कि इस प्रकार जोड़े जाने के पश्चात् छुट्टी की कुल अवधि 28 मास से अधिक नहीं है।

(5) (क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) लागू है, इस नियम के अधीन देय छुट्टी-वेतन की रकम में से, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन देय प्रतिकर की रकम कम कर ली जाएगी।

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) लागू है, इस नियम के अधीन देय छुट्टी-वेतन की रकम में से उक्त अधिनियम के अधीन संबंधित अवधि के लिए, देय प्रसुविधा की रकम कम कर ली जाएगी।

47. **नाविक बीमारी छुट्टी**–

(1) किसी सरकारी जलयान में अधिकारी, वारंट अधिकारी या पेटी ऑफिसर के रूप में सेवारत सरकारी सेवक को, जबकि वह अपने जलयान पर या अस्पताल में बीमारी या क्षति के लिए चिकित्सीय उपचार करा रहा हो, छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिक से अधिक छः सप्ताह की अवधि के लिए पूर्ण वेतन के बराबर छुट्टी-वेतन पर छुट्टी मंजूर की जा सकेगी :

परन्तु यदि कोई सरकारी चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करता है कि सरकारी सेवक कर्त्तव्य से बचने के लिए रोगी बना है या उसका अस्वास्थ्य मदिरापान या समरूप भोगासक्ति के कारण है या बीमारी या क्षति जान-बूझकर या गुरूत्तर बनाने के उसके अपने कार्य के कारण है तो ऐसी छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी।

(2) निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर, उस नाविक को जो अपना कर्त्तव्य करने में निःशक्त हुआ है, अधिक से अधिक तीन मास

की अवधि के लिए पूर्ण वेतन के बराबर छुट्टी-वेतन पर छुट्टी दी जा सकेगी :—

(क) निःशक्तता किसी सरकारी चिकित्सीय अधिकारी ने प्रमाणित की है;

(ख) निःशक्तता नाविक की अपनी असावधानी या अनुभवहीनता के परिणामस्वरूप नहीं हुई है;

(ग) नाविक की अनुपस्थिति के कारण हुई रिक्ति भरी नहीं गई है।

(3) (क) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) लागू है, इस नियम के अधीन देय छुट्टी-वेतन की रकम में से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन देय प्रतिकर की रकम कम कर ली जाएगी।

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) लागू है, इस नियम के अधीन देय छुट्टी-वेतन की रकम में से उक्त अधिनियम के अधीन संबंधित अवधि के लिए देय प्रसुविधा की रकम कम कर ली जाएगी।

जनजातीय किसान

808. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कर्जे के मामलों और उनमें शामिल व्यक्तियों विशेषरूप से राज्य के जनजातीय किसानों की भूव्यवस्था के संबंध में रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और उनको क्या राहत पहुंचाई गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद देव प्रसाद वर्मा) : (क) महाराष्ट्र सरकार से केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं मागी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डी.आर.डी.ए.

809. डा. जयन्त रंगप्पी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों में डीआरडीए के कार्य जिला परिषदों और स्वायत्त परिषदों को सौंपे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद देव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). राज्यों का सलाह दी गई है कि जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को जिला परिषदों के समग्र पर्यवेक्षण, नियंत्रण और मार्ग दर्शन के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के अधिशासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होगा और अपनी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अधिशासी निकास का सदस्य-सचिव होगा। जिला समाहर्ताओं/जिलाधीशों/उपायुक्तों को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया जाना होता है और यह जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी की कार्यकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के अधिशासी निकाय में भूतपूर्व संसद सदस्यों/विधायकों/अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

भूमि सुधार

810. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फतहपुर तथा बांदा जिलों में अवस्थित 1995-96 के दौरान तथा 1996-97 के लिए भूमि सुधार विभाग के कार्यालयों को एकक वार कुल कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) तत्संबंधी मदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि सुधार का कार्य निर्धारित मानदंडों के खिलाफ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या फतेहपुर और बांदा के जिला अधिकारी से कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद देव प्रसाद वर्मा) : (क) से (छ). अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन

811. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जून, 1996 के "दैनिक जागरण" (नई दिल्ली-संस्करण) में "देश भर में बिजली संकट गहराने का अन्देशा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या वर्तमान विद्युत संकट को देखते हुए सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों अर्थात् सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने का है;

(ग) यदि हां, तो निकट भविष्य में सभी को असानी से सौर ऊर्जा सुलभ कराने तथा इसके उपकरण कम से कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है और इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार देश में समग्र ऊर्जा आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ग्रिड सप्लाई और विकेन्द्रीकृत इस्तेमाल के लिए विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देती रही है। देश में पवन ऊर्जा, लघुपन बिजली और बायामास आधारित 900 मेवा. से अधिक विद्युत-उत्पादन क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है सौर प्रकाशवोल्टीय और बायोमास ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल से 20 मेवा. से अधिक विकेन्द्रीकृत प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कार्यकलापों के विस्तार के लिए प्रस्तावों का विकास किया जा रहा है। आयोजना किए गए अन्य उपायों में शामिल हैं :—

1. पारंपरिक विद्युत आपूर्ति पर लोड को कम करने के लिए सौर गरम जल प्रणालियों का व्यापक इस्तेमाल।
2. सौर गरम जल प्रणालियों की परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए उदार ऋण योजनाएं।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की सप्लाई को सुधारने के लिए सौर पम्पों और सौर रोशनी प्रणालियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल।
4. जनता को इन उत्पादों की आसान उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादों के प्रति समर्पित शोरुमों की स्थापना करना।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न सौर ऊर्जा और ग्रिड पावर उत्पादन कार्यक्रमों पर व्यय के लिए 80 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में विद्युत परियोजनाएं

812. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में चेनाब नदी पर लगापी जाने वाली जल विद्युत परियोजनाओं का क्षमता सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य तथा केन्द्र दोनों क्षेत्रों की कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं तथा उनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र में कुल कितनी राशि व्यय की गई तथा पूरी हो चुकी और निर्माणाधीन प्रत्येक ऐसी परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(घ) 'सेवा' जल विद्युत परियोजना पर कब कार्य शुरू किया गया, इस पर कितनी राशि खर्च हुई, इसे पूरा करने की क्या समय-सीमा निर्धारित की गई तथा इसकी अनुमानित लागत क्या थी;

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर निम्नलिखित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है :—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मेगावाट में क्षमता		
		स्टेज-I	स्टेज-II	जोड़
1.	सलाल एच.ई.पी.	345	345	690
2.	दुलहस्ती एच.ई.पी.	390	390	780
3.	सावलकोटे एच.ई.पी.	600	600	1200
4.	बथालिहार एच.ई.पी.	450	450	900
5.	रैटल एच.ई.पी.	170	170	340
6.	पाकलदुल एच.ई.पी.	1000	1000	2000
7.	बुरसर एच.ई.पी.	1020	—	1020
8.	नौनाटू नैगढ़ एच.ई.पी.	400	—	400
9.	किरथाई नौनाटू एच.ई.पी.	750	—	750
		5125	2955	8080

उपर्युक्त किसी भी परियोजना को राज्य सरकार द्वारा शुरू नहीं किया गया है। एन.एच.पी.सी. द्वारा सैन्ट्रल सैक्टर में निम्नलिखित परियोजनाओं के निष्पादन पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है:—

		जून 1996 के अन्त तक खर्च की गई राशि (रुपये करोड़ो में)
1.	सलाल एच.ई. परियोजना स्टेज-I	(345 मे.वा.) 651.48
2.	सलाल एच.ई. परियोजना स्टेज-II	(345 मे.वा.) 258.07
3.	दुलहस्ती एच.ई. परियोजना	(390 मे.वा.) 1412.56
4.	बथलिहार एच.ई. परियोजना	(450 मे.वा.) 17.16 (राज्य सरकार को स्थानांतरण
5.	सावलकोट एच.ई. परियोजना	(600 मे.वा.) 8.64 अधीन)

अन्य परियोजनाएं अभी शुरू की जानी हैं।

(ग) राज्य के लिए पावर सेक्टर पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया कुल व्यय इस प्रकार है :—

(1) 1993-94 174.56 करोड़ रु.

(2) 1994-95 259.31 करोड़ रु.

(3) 1995-96 290.60 करोड़ रु.

इन खर्चों के आंकड़ों के क्षेत्रवार ब्यौरे राज्य सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी कर ली गई तथा पूरी की जा रही, दोनों परियोजनाओं की पावर उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार है :—

(1)	अपर सिंध हाईडल प्रोजेक्ट स्टेज-II (के.एम.आर.)	105 मे.वा.	(निष्पादनाधीन)
(2)	कश्मीर में लघु हाईडेल प्रोजेक्ट, उदाहरणतः पहलगाम (2 मे.वा.) मछील (0.35 मे.वा.) अस्थान नाला (1.05 मे.व.)	3.40 मे.वा.	-वही-
(3)	जम्मू क्षेत्र में लघु हाईडेल प्रोजेक्ट, उदाहरणः चेनानी-II (2 मे.वा.) चेनानी-III (7.5 मे.वा.) सेवा-III (9.00 मे.वा.) और भदरवाह (1 मे.वा.)	19.50 मे.वा.	-वही-
(4)	जम्मू में परनाई हाईडेल प्रोजेक्ट	37.5 मे.वा.	-वही-
(5)	जम्मू में सेवा-II हाईडेल प्राजेक्ट	120 मे.वा.	-वही-
(6)	लेह और कारगिल में लघु/ मिनी हाईडेल प्रोजेक्ट, उदाहरणतः संजक (1.26 मे.वा. हफताल (1.00 मे.वा.) मोरपाचो (0.75 मे.वा.) ईगो-मरछीलांग (3.00 मे.वा.) दुमकर (4.50 मे.वा.) छूतक (12.00 मे.वा.)	22.5 मे.वा.	-वही-
(7)	इकबाल पुल एम.एच.पी. (3.75 मे.वा.), हुण्डेर, सुमूर और बाजगो (0.8 मे.वा.)	4.55 मे.वा.	(2.05 मे.वा. क्षमता)
(8)	गैस टर्बाईन प्रोजेक्ट कश्मीर (फेज-II)	100 मे.वा.	(स्थापित)

उपर्युक्त के अलावा राज्य की निम्नलिखित मुख्य उत्पादन परियोजनाएं पिछले कई सालों से प्रचालन है :—

(1)	लोअर झेलम एच.ई.पी. (कश्मीर)	105 मे.वा.
(2)	अपर सिंध एच.ई.पी. स्टेज-I	22.5 मे.वा.
(3)	गैन्डरबाल एच.ई.पी. (कश्मीर)	15 मे.वा.
(4)	चेनानी एच.ई.पी. स्टेज-I जम्मू	24 मे.वा.
(5)	गैस टर्बाईन फेज-I और फेज-II, कश्मीर	75 मे.वा.

(घ) सेवा परियोजना को तीन चरणों में निष्पादित करने का प्रस्ताव है। परियोजना के तीसरे चरण को वर्ष 1992 में 9.00 मे.वा. की स्थापित क्षमता से शुरू किया गया था। इसका 1997-98 में चालू हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की अनुमानित मूल लागत 16.92 करोड़ रुपये थी जिसे संशोधित करके 43.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मार्च 1996 के अन्त तक 27.19 करोड़ खर्च हुए हैं। परियोजना के चरण-II में 120 मे.वा. स्थापित क्षमता का प्रावधान है। चरण-II की मूल अनुमानित लागत 178.00 करोड़ थी जिसे संशोधित करके 325.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मार्च, 1996 तक परियोजना के आधारभूत कार्यों पर 34.54 करोड़ रुपये व्यय हुए परियोजना का आधारभूत कार्यों का काम वर्ष 1990 में शुरू हुआ था, तथा इसको 6 वर्ष में पूरा किया जाना निर्धारित था। तथापि, संसाधनों के अभाव में, परियोजना में प्राईवेट भागीदारी का प्रस्ताव है। इसे पूरा करने के लिए संशोधित लक्ष्य सन् 2002-03 है। चरण-I की अभी पूरी जांच-पड़ताल करनी बाकी है।

विद्युत परियोजना

813. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में सरकार द्वारा कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं/स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही हैं;

(ख) जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय ग्रिड से कितनी विद्युत की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति में शीघ्रता लाने और नागरिकों को नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) परियोजना-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ग). से (ङ). जम्मू व कश्मीर में 3 स्वीकृत स्कीमें चल रही हैं। ब्यौरा निम्नवत है :—

क्र.सं.	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)	1995-96 के लिए आवंटित निधि (करोड़ रु.)
1.	ऊपरी सिंध-2	2×35	35.0
2.	पम्पोर-2 जीटी	4×25	6.0
3.	ऊपरी सिंध-2 विस्तार	1×35	5.0

तीन स्कीमों, नामशः नई गंदरबल एचईपी (3×15 मे.वा.) परखानिक एनीखर चरण-I एवं 2 एच.ई.पी. (5×12 मेगावाट) ओर उड़ी एच.ई.पी. चरण-2 (फेज-I) (4×70 मे.वा.) की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मांगी गयी अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है। स्वीकृति में शीघ्रता लाने के लिए विद्युत मंत्रालय एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन परियोजनाओं की स्थिति की लगातार मानीटरिंग की जा रही है। इस संबंध में परियोजना प्राधिकारियों/प्रवर्तकों के साथ आवधिक चर्चा की जाती है।

(ख) अप्रैल से मई, 1996 के महीनों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र से जम्मू व कश्मीर राज्य द्वारा 559.9 मिलियन यूनिट की पात्रता के मुकाबले 412.0 मिलियन यूनिट विद्युत की मात्रा वास्तव में प्राप्त की गयी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

814. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हुडको स्कीम के नए पैटर्न के फ्लैट बनाने की कोई योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत श्रेणी-वार निर्धारित मूल्यों तथा क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत कुछ फ्लैट अब तक आबंटित किए जा चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार, श्रेणी-वार तथा ड्रा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार 1996 तथा 1997 के दौरान और ज्यादा ड्रा कराकर भविष्य में और अधिक फ्लैट आबंटित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.यू. वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि जनता, एल.आई.जी. और एम. आई. जी. फ्लैटों के आबंटन हेतु 1979 में न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन नामक स्कीम चलायी गयी थी। इस स्कीम की विवरणिका में उल्लिखत पंजीकरण जमा राशि कुर्सी क्षेत्र और अनन्तिम लागत इस प्रकार थी :—

श्रेणी	कुर्सी क्षेत्र	अनन्तिम लागत (रुपये)	पंजीकरण हेतु जमा की जाने वाली राशि (रुपये) सामान्य	सामान्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
एम.आई.जी.	60-65 वर्ग मी.	42,000/-	4500/-	3500/-
एल.आई.जी.	लगभग 38 वर्ग मीटर	18,000/-	1500/-	1200/-
जनता	24 वर्ग मीटर	8,000/-	250/-	200/-

(ग) जी, हां।

(घ) फ्लैट समय-समय पर ड्रा निकालकर आवंटित किए जाते हैं। 31.3.96 तक इस स्कीम के तहत किये गये आवंटनों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है :—

एम.आई.जी	-	30769
एल.आई.जी.	-	48702
जनता	-	58276

ये फ्लैट जिन इलाकों में हैं उनकी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च). इस स्कीम के तहत पंजीकृतों को अभी फ्लैट आवंटित किये जाने हैं उनकी संख्या 31,204 हैं। भूमि की उपलब्धता में कठिनाई और दूसरी एजेंसियों द्वारा सेवाओं के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए डी.डी.ए. की योजना है कि इस स्कीम के सभी प्रतीक्षारत पंजीकृतों को दो वर्ष की अवधि में फ्लैट आवंटित कर दिए जायें। तथापि, इस स्कीम के तहत अब जनता श्रेणी का कोई पंजीकृत आवंटन के लिए प्रतीक्षारत नहीं है।

विवरण

1. रोहिणी
2. नरेला
3. बिंदापुर
4. जनकपुरी

5. द्वारका
6. नसीरपुर
7. मादीपुर
   हस्तसाल
9. लारेंस रोड़
10. पुल प्रहलादपुर
11. मायापुरी
12. पश्चिम विहार
13. वसंत कुंज
14. कालकाजी
15. सिद्धार्थ एन्क्लेव
16. राजौरी गार्डन
17. शालीमार बाग
18. मोतिया खान
19. सराय खलील
20. पीतमपुरा
21. जहांगीरपुरी
22. मदनपुर खादर
23. जसोला
24. पूर्वी लोनी रोड
25. जाफराबाद
26. मानसरोवर पार्क
27. नन्दनगरी
28. झिलमिल
29. दिलशाद गार्डन
30. त्रिलोकपुरी
31. मयूर बिहार
32. कोंडली घरोली
33. अशोक बिहार
34. जयदेव पार्क
35. विकास पुरी
36. हरी नगर
37. चिल्ला गांव
38. खिड़की
39. दक्षिणपुरी
40. सरिता विहार
41. बदरपुर
42. टोडापुर
43. पोसंगीपुर
44. मंगला पुरी
45. कालू सराय
46. अद्ध चीनी
47. बसंत गांव
48. पंचशील
49. पीरा गढ़ी
50. गाजीपुर
51. रघुबीर नगर
52. शास्त्री पार्क

जवाहर रोजगार योजना ।।

815. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना-II चरण के अंतर्गत राज्यों को अनुदान न देने के क्या कारण हैं;

(ख) अनुदान राशि पर किस तिथि से रोक लगाई गई हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों से जवाहर रोजगार योजना-II चरण को पुनः चालू करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्र देव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). 1.1.1996 से जवाहर रोजगार योजना द्वितीय चरण का विलय सुनिश्चित रोजगार योजना में कर दिया गया है तथा जवाहर रोजगार योजना द्वितीय चरण के जिलों के कवर न किए गए खण्डों को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन क्षेत्रों में निर्माण और विकास कार्य

816. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अपनी संस्तुति के माध्यम से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निर्माण और विकास कार्य कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ख) क्या प्रशासन ने जनवरी, 1996 से मई, 1996 तक की अवधि के दौरान संसद सदस्यों के उपरोक्त प्राधिकार के अंतर्गत

संस्तुत और अनुमोदित ऐसे विकास कार्यों को स्थगित करने का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे कार्य कराने के लिए संस्तुति करने के संसद सदस्यों का प्राधिकार हटा लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकार का विचार नव-निर्वाचित संसद सदस्यों के लिए उक्त योजना शीघ्र ही उपलब्ध कराने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. योगेन्द्र के. अलघ) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी. लैड्स) के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारियों को सुझाव दे सकते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र/खास जिले में प्रतिवर्ष एक करोड़ रु. तक का कार्य करवाया जाए। संसद सदस्य द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से संबद्ध जिलाधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्य का कार्यान्वयन करवाना होता है।

(ख) और (ग). ऐसा कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया है कि जनवरी, 1996 के बाद योजना के तहत कार्य बंद कर दिए जाएं। तथापि सभी जिलाधिकारियों को यह अनुदेश जारी किए गए थे और उन्हें सलाह दी गई थी कि वे 19 मार्च, 1996 के बाद नए कार्यक्रम क्रियान्वयन न करें और इसके निम्नलिखित कारण थे :—

(1) चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता 19.3.1996 से लागू हो गई थी।

(2) श्री के.वी.एस. मूर्ति द्वारा दायर की गई 1996 की रिट याचिका संख्या 8200 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वे लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सभी संसद सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक इस योजना के अन्तर्गत एक करोड़ रु. की धनराशि खर्च नहीं करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करे। तदनुसार चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 28.4.96 को यह अनुदेश जारी किया था कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के सारांश की ओर सूचना एवं कठोर अनुपालन के लिए सभी सांसद सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाए।

(3) खासकर दसवीं लोकसभा के भंग होने तथा ग्यारहवीं लोकसभा के गठन के बीच की संक्रमण अवधि से संबंधित मामलों के मद्देनजर कुछ नीति संबंधी उपाय करने पड़े थे। अतः जिलाधिकारियों को सलाह दी गई थी कि वे उपर्युक्त मामलों में नीति विधयक निर्णय के लंबित होने के कारण नए कार्यों को क्रियान्वित न करें।

(घ) यह योजना रुकी नहीं है। वस्तुतः सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने जिलों से नवनिर्वाचित संसद सदस्यों से संपर्क करें और उन्हें इस योजना के ब्यौरे की सूचना दें तथा इससे संबंधित दिशा-निर्देशों से उन्हें अवगत करावें।

(ङ) से (छ). प्रश्न ही नहीं उठते।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

817. श्री के.पी. सिंह देव :
श्री सौम्य रंजन :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ लागू किए जा रहे/किए गए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितना आवंटन किया गया तथा कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या कार्यक्रमों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. योगेन्द्र के. अलघ) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं : (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), (2) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर. वाई.) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) ये कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों को भी कवर करते हैं।

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) देश के सभी ब्लॉकों में कार्यान्वित की जा रही है। एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम इसका उद्देश्य सब्सिडी के रूप में सहायता तथा बैंक ऋण के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे उत्पादक परिसम्पतियां अर्जित उपलब्ध कराना है, ताकि वे उत्पादक परिसम्पत्तियां अर्जित करने में समर्थ हो सकें तथा सतत् आधार पर गरीबी रेखा को पार करने हेतु उपयुक्त कौशल का विकास कर सकें लक्षित समूह में प्रमुखतः छोटे तथा सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक और ग्रामीण दस्तकार शामिल हैं। जिनकी वार्षिक आप गरीबी रेखा से नीचे है। लक्षित समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए 50% का कवरेज सुनिश्चित हैं।

(2) जवाहर रोजगार योजना (जे. आर.वाई.) कार्यक्रम एक मजदूर रोजगार कार्यक्रम है, जो पूरे देश में 1989 में कार्यान्वित किया जा रहा है। जे.आर.वाई. का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करना और ग्रामीण गांवों के हित में ग्रामीण आधारसंरचना और परिसम्पत्तियां का सुदृढ़ीकरण करना भी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(3) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) 2 अक्तूबर, 1993 के 1752 अभिनिर्धारित पिछड़े ब्लॉकों, जो सूखा प्रवण, मरूस्थल, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं और जहां पर पुर्नगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू थी, में आरम्भ की गई थी, देश के 3266 ब्लॉकों को कवर करके ई.ए.एस. का सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया है। इसमें गोवा, पंजाब, चण्डीगढ़ जनसंख्या की अत्यधिक सघनता वाले 1115 ब्लॉकों को एकीकृत जनजाति विकास परियोजना (आई.टी.डी.पी.) के अन्तर्गत और 133 ब्लॉकों को आशोधित क्षेत्र विकास एप्रोच (एम.ए.डी.ए.) के अन्तर्गत कवर किया गया है। इस स्कीम के तहत 100 दिन के लिए अकुशल शारीरिक कार्य का सुनिश्चित रोजगार इन व्यक्तियों को उपलब्ध कराना होता है, जो कम कृषि कार्य के मौसम के दौरान इसकी तलाश में रहते हैं। इसका दूसरा उद्देश्य आधारभूत संरचना सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन है।

(ख) इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता है।

(ग) इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आठवीं योजना के पहले चार वर्षों (अर्थात 1992-93 से 1995-96) के दौरान अनुसूचित जनजातियों का राज्य-वार कवरेज संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सहायता प्राप्त परिवारों की सं.)			
		1992-93	1993-94	1994-95 (अनंतिम)	1995-96 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	18188	52829	16225	12827
2.	अरुणाचल प्रदेश	13642	15207	11756	14381
3.	असम	9957	16164	15037	14248
4.	बिहार	49860	70168	48713	47113
5.	गोवा	–	–	–	–
6.	गुजरात	22075	27983	25320	15188
7.	हरियाणा	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	840	834	923	716
9.	जम्मू और कश्मीर	799	2231	1163	641
10.	कर्नाटक	6666	8936	9430	9021
11.	केरल	1853	1969	1493	1262
12.	मध्य प्रदेश	67179	92068	72968	69801
13.	महाराष्ट्र	31135	36378	33751	28205
14.	मणिपुर	2040	4126	5770	1849
15.	मेघालय	3011	2617	5922	4519
16.	मिजोरम	3474	4684	2006	5085

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	3996	5489	1220	211
18.	उड़ीसा	28838	50246	40631	35843
19.	पंजाब	-	-	-	-
20.	राजस्थान	20099	22315	21087	18748
21.	सिक्किम	397	469	529	1090
22.	तमिलनाडु	3644	5306	3763	2849
23.	त्रिपुरा	3785	5234	798	5327
24.	उत्तर प्रदेश	2378	2486	2971	3300
25.	पश्चिम बंगाल	9171	1210	10828	9804
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	275	230	159	-
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-
28.	दादर व नगर हवेली	274	341	267	265
29.	दमन और द्वीव	68	133	57	42
30.	दिल्ली	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	156	81	100	18
32.	पांडिचेरी	16	-	-	40
	जोड़	303816	432734	332887	302393

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रम दिन में सृजित रोजगार)			
		1992-93	1993-94	1994-95 (अनंतिम)	1995-96 (अनंतिम)
1	2	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	120.66	144.17	97.89	105.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.52	4.85	5.58	8.24
3.	असम	27.80	108.15	74.05	55.18
4.	बिहार	266.85	307.81	184.68	216.16
5.	गोवा	0.09	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	114.34	96.46	101.10	95.24
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमालय प्रदेश	1.40	1.93	2.22	2.37
9.	जम्मू और कश्मीर	4.35	5.67	13.73	6.77
10.	कर्नाटक	39.47	52.59	42.55	56.61
11.	केरल	7.25	7.42	4.64	6.39
12.	मध्य प्रदेश	289.77	295.55	269.94	256.28
13.	महाराष्ट्र	198.46	265.18	188.25	212.97

1	2	7	8	9	10
14.	मणिपुर	3.58	5.47	5.27	6.25
15.	मेघालय	8.83	9.39	8.05	4.86
16.	मिजोरम	4.78	6.32	5.72	3.98
17.	नागालैंड	15.47	16.02	8.47	5.76
18.	उड़ीसा	119.73	182.12	170.00	218.49
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	97.13	118.55	105.15	84.59
21.	सिक्किम	3.77	3.79	2.98	4.17
22.	तमिलनाडु	13.62	13.91	27.65	31.30
23.	त्रिपुरा	5.80	10.58	13.16	8.89
24.	उत्तर प्रदेश	11.10	12.00	10.04	13.93
25.	पश्चिम बंगाल	78.75	76.28	67.43	41.12
26.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	0.57	0.58	0.85	0.85
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	2.65	2.30	2.06	0.64
29.	दमन और द्वीव	0.09	0.54	0.40	0.85
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	2.68	2.21	1.91	1.05
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	1445.51	1749.84	1413.77	1448.81

		तीव्रीकृत जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रम दिन में सृजित रोजगार)			रोजगार आश्वासन स्कीम (लाख श्रम दिन में सृजित रोजगार)		
क्र.सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	1993-94	1994-95 (अंनतिम)	1995-96 (अंनतिम)	1993-94 (अंनतिम)	1994-95 (अंनतिम)	1995-96 (अंनतिम)
1	2	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	29.40	24.11	10.28	एन आर	83.98	55.37
2.	अरुणाचल प्रदेश				3.61	20.84	50.67
3.	असम				एन आर	34.93	61.08
4.	बिहार	30.85	62.02	40.68	एन आर	82.31	86.15
5.	गोवा				–	–	–
6.	गुजरात	14.84	39.38	16.65	4.86	16.75	41.33
7.	हरियाणा				0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश				0.05	2.24	2.95
9.	जम्मू और कश्मीर	0.24	0.00	0.00	0.31	एन आर	

1	2	11	12	13	14	15	16
10.	कर्नाटक	4.21	11.52	6.91	3.27	17.18	26.26
11.	केरल				0.51	4.33	4.50
12.	मध्य प्रदेश	34.65	181.94	62.97	27.91	195.29	187.39
13.	महाराष्ट्र	18.58	86.14	26.77	8.02	59.28	73.65
14.	मणिपुर				एन आर	एन आर	15.96
15.	मेघालय				0.00	1.23	6.82
16.	मिजोरम				8.52	41.71	35.28
17.	नागालैंड				33.92	28.81	34.46
18.	उड़ीसा	18.31	68.66	29.66	16.60	143.89	157.45
19.	पंजाब				-	-	-
20.	राजस्थान	27.32	74.34	13.63	17.15	77.84	70.00
21.	सिक्किम	एन आर	2.67	1.78	0.20	2.72	4.87
22.	तमिलनाडु				एन आर	21.86	21.49
23.	त्रिपुरा				7.18	26.46	13.95
24.	उत्तर प्रदेश	0.46	1.66	0.77	एन आर	5.47	5.30
25.	पश्चिम बंगाल	12.14	18.46	7.57	एन आर	43.31	24.67
26.	अंडमान व निकोबार				एन आर	0.51	0.09
27.	चंडीगढ़				-	-	-
28.	दादर व नगर हवेली				0.04	0.1	0.14
29.	दमन और द्वीव				0.00	0.1	0.01
30.	दिल्ली				-	-	-
31.	लक्षद्वीप				0.00	0.34	1.02
32.	पांडिचेरी				-	-	-
	जोड़	191.00	570.90	217.67	132.15	911.48	980.86

(आई जे आर वाई) और (ई ए एस) 1993-94 में आरंभ की गई थी।

नई विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

818. श्री सुरेश कलमाडी :
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विद्युत परियोजनाओं को अभी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दिए जाने की प्रतीक्षा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). कुल 7706 मे.वा. वाली 14 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं तथा 8477 मे.वा. वाली 15 राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच विभिन्न चरणों में है। परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजना प्राधिकारियों से विभिन्न निदेशों के कारण इन परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में लंबित है, जिनमें ये शामिल हैं, राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों से सांविधिक व, अन्य स्वीकृतियां, परियोजना लागत एवं वित्तीय पैकेजों की अतिरिक्त सूचना, ईंधन एवं अन्य लिंकेज, पर्यावरण स्वीकृति एवं परियोजना प्रवर्तकों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।

विवरण

तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही विद्युत परियोजना की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेवा.)
1	2	3
जल विद्युत	**राज्य/केन्द्रीय स्कीमें (30.6.1996 की स्थिति के अनुसार)**	
जम्मू और कश्मीर		
1.	न्यू गंडेरबल एचईपी चरण-I और	3×15
2.	पारखाचिक पानोखार चरण-2 एचईपी	5×12
3.	उड़ी एचईपी चरण-2 (फेस-I) (पीडीसी, जम्मू और कश्मीर सरकार)	4×70
महाराष्ट्र		
1.	चिकलदारा एचईपी (पंप्ड स्टोरेज स्कीम)	2×200
उड़ीसा		
1.	सिंदोल एचईपी	320
ताप–विद्युत		
गुजरात		
1.	घोघा लिग्नाइट टीपीएस (जीपीसीएल)	2×120
2.	पिपावव जीटीपीपी (जीपीसीएल)	615
3.	कोस्टल टीपीएस (जीपीसीएल)	1000
महाराष्ट्र		
1.	उरान जीटीपीपी विस्तार (एमएसईबी)	400
आंध्र प्रदेश		
1.	सिम्हाद्री टीपीएस (एनटीपीसी)	2×500
2.	हैदराबाद मैट्रो सीसीजीटी चरण-I (एनटीपीसी)	650
कर्नाटक		
1.	येलहंका डीजीपीपी विस्तार (केईबी)	2×23.4
पूर्वी क्षेत्र		
1.	मैथीन आर/बी टीपीएस (डीवीसी)	4×250
2.	मेजिया टीपीएस-2 (डीवीसी)	2×210
3.	तलचेर एसटीपीएस-2 (एनटीपीसी) निजी क्षेत्र स्कीम (जिनके संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है)	4×500
जल विद्युत		
हिमाचल प्रदेश		
1.	कारचाम वांरट एचईपी (मै. जयप्रकाश इंडस्ट्रिज लि.)	4×250
2.	मालाना एचईपी (मै. राजस्थान स्पीनिंग एंड वीविंग मिल)	2×43
उत्तर प्रदेश		
1.	विष्णुप्रयाग एचईपी (मै. जेआईएल)	4×100
2.	श्रीनगर एचईपी (मै. डंकन्स इंडस्ट्रीज लि.)	5×66

1	2	3
ताप विद्युत		
हरियाणा		
1.	यमुनानगर टीपीएस [मै. यमुनानगर पावर कम्पनी (लि.)]	2×350
उत्तर प्रदेश		
1.	रोजा टीपीएस (फसे-1) (मै. इंडो-गल्फ फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल कार्पोरेशन लि.)	2×250
गुजरात		
1.	जामनगर (नियर सिक्का) टीपीपी फेस-1 (मै. रिलायंस पावर लि.)	2×250
2.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै. जीआईपीसीएल)	2×125
मध्य प्रदेश		
1.	कोरबा (पश्चिम) टीपीपी एक्स. (मै. इंडिया थर्मल पावर लि. मैं. मुकंद लि. द्वारा प्रवर्तित)	2×210
2.	कोरबा (पूर्व) टीपीएस [मै. डिवू पावर (इंडिया) (लि.)]	2×525
महाराष्ट्र		
1.	पातालंगगा सीसीपीपी (मै. रिलायंश पातालगंगा पावर प्रा. लि.)	410
आंध्र प्रदेश		
1.	विजाग टीपीएस (हिंदुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लि. मै. अशोक लीलैंड लि. इंडिया और मै. नेशनल पावर पीएलसी यू.के. द्वारा प्रवर्तित)	2×520
2.	रामागुंडम विस्तार [मै. बीपीएल पावर प्रोजेक्टस (एपी) (लि.)]	2×260
उड़ीसा		
1.	डुबुरी टीपीपी (मै. कालिंगा पावर कोरपोरेशन लि.)	2×250

जलमल व्ययन योजना

819. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इंदौर शहर के लिए जलमल व्ययन की कोई योजना स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने इन्दौर कस्बे के लिए एक मलजल व्ययन योजना तकनीकी स्वीकृति हेतु दिसम्बर, 1990 में प्रस्तुत की है। राज्य पी.एच.ई. विभाग से इस प्रस्ताव को सी पी एच ई ई ओ की टिप्पणियों के आधार पर संशोधित करने और इसे तकनीकी स्वीकृति हेतु पुनःप्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार को इस मामले में पिछली बार अनुस्मारक दिसम्बर, 1995 को भेजा गया था। केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार की योजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

योजनाओं और परियोजनाओं का कार्यान्वयन

820. श्री अजित कुमार पांजा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही किन-किन परियोजनाओं और योजनाओं को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गयी है;

(ख) इस सम्बन्ध में 1991-92 से 1995-96 तक परियोजना-वार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि जारी की गई है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ने जिस प्रयोजनार्थ यह धनराशि दी गयी थी, उस पर खर्च कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कौन-कौन से राज्य 1991-92 से 1994-95 तक ऐसी केन्द्रीय निधि का हिसाब नहीं दे पाए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ). राज्य योजनाओं के लिए स्कीम-वार सहायता को चौथी पंचवर्षीय योजना से बन्द कर दिया गया है। यद्यपि

कुछ केन्द्र प्रायोजित स्कीमें हैं, जिन्हें केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों द्वारा उनके बजट से शत प्रतिशत निधियां दी जाती हैं। ये केन्द्र प्रायोजित स्कीमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इन स्कीमों की सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा मानीटरिंग की जाती है। योजना आयोग की उनके कार्यान्वयन में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। तथापि, यह सामान्य तौर पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ वार्षिक योजना के विचार-विमर्श के दौरान योजना स्कीमों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करता है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति

,821. **डा. जी. आर. सरोदे :**
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी मात्रा में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति की मांग की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन उत्पादों की कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई;

(ग) क्या सरकार को इन उत्पादों का कोटा बढ़ाने के लिए कोई नई मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) पूरे देश में मांग के अनुसार पेट्रोल और डीजल की पूर्णरूपेण आपूर्ति की जाती है। मिट्टी का तेल आबंटन किया गया उत्पाद है और केन्द्रीय सरकार इसका राज्यों को थोक आबंटन पूर्वाधार पर करती है जो इसके खुदरा वितरण की व्यवस्था करते हैं।

समय-समय पर मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। परन्तु उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और इसमें शामिल भारी राजसहायता की कठिनाइयों के कारण उक्त राज्यों की मांग पूर्णरूपेण पूरी करना संभव नहीं है। तो भी 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान पूरे देश के लिए मिट्टी के तेल के आबंटन में पिछले वर्षों की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी जिसमें से उन राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जिनमें प्रति व्यक्ति खपत अपेक्षतया कम थी आबंटन अतिरिक्त मात्रा में और विलोमतः किया गया ताकि राज्यों के बीच विषमता कम की जा सके।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की राज्यवार की गई आपूर्ति की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान एम.एस/एचएसडी/एसकेओ की राज्यवार बिक्री,

(टी एम टी)

राज्य/संघ शासित राज्य	एम एस	एस के ओ	एच एस डी
आंध्र प्रदेश	241.59	590.76	2191.01
असम	50.76	254.61	346.23
बिहार	136.19	511.11	1329.35
गोवा	28.85	27.28	141.39
गुजरात	310.43	789.82	1771.64
जम्मू और कश्मीर	46.40	103.98	133.55
केरल	155.72	270.18	959.69
मध्य प्रदेश	173.75	405.22	1487.00
तमिलनाडु	261.98	666.19	2233.12
महाराष्ट्र	561.81	1523.13	2969.98
कर्नाटक	252.34	452.49	1388.03
उड़ीसा	58.92	174.86	534.11
पंजाब	247.37	326.56	1441.67
राजस्थान	146.25	286.38	1640.35
उत्तर प्रदेश	360 09	976.20	3362.54
पश्चिम बंगाल	144.18	761.53	1404.01
हरियाणा	122.56	156.98	1076.75
हिमालय प्रदेश	25.29	37.78	135.80
मणिपुर	8.92	21.51	21.11
मेघालय	15.70	16.53	72.90
नागालैंड	10.03	11.00	22.72
सिक्किम	2.66	5.81	6.21
त्रिपुरा	5.38	21.24	29.15
अंडमान व निकोबार	2.17	4.27	42.66
अरुणाचल प्रदेश	11.61	12.91	51.45
चंडीगढ़	37.15	21.93	44.64
दिल्ली	375.21	238.11	839.54
दादरा और नागर हवेली	2.33	3.11	16.64
दमन और द्वीव	2.01	4.35	5.31
लक्षद्वीप	–	.32	2.84
मिजोरम	5.62	6.68	15.28
पांडिचेरी	9.12	14.73	98.14

वर्ष 1994-95 के दौरान एमएस/एचएसडी/एसकेओ की राज्यवार बिक्री

(आकड़े मी. टन में)

राज्य	एम एस	एच एस डी	एस के ओ
चंडीगढ़	37.2	43.8	17.9
दिल्ली	407.7	924.8	241.2
हरियाणा	132.2	1220.1	157.6
हिमाचल प्रदेश	25.7	148.1	38.8
जम्मू और कश्मीर	45.9	201.7	106.1
पंजाब	285.1	1599.1	335.0
राजस्थान	160.4	1778.8	306.6
उत्तर प्रदेश	362.0	3642.6	1025.4
असम	51.7	349.4	256.5
अरुणाचल प्रदेश	14.9	54.8	12.7
मणिपुर	8.9	21.5	22.3
मेघालय	15.7	78.5	16.4
मिजोरम	5.2	17.1	6.4
नागालैंड	10.5	24.9	11.2
त्रिपुरा	5.4	31.8	22.3
सिक्किम	4.9	14.9	11.9
बिहार	144.7	1457.3	558.7
उड़ीसा	63.2	578.9	197.1
पश्चिम बंगाल	149.4	1521.1	753.2
अंडमान	2.4	39.9	4.8
महाराष्ट्र	625.6	3193.6	1514.2
गुजरात	329.6	1927.3	807.8
मध्य प्रदेश	191.5	1662.8	447.3
गोवा	28.1	164.8	29.2
दमण	2.0	7.4	1.5
दादरा व नगर हवेली	2.7	22.9	3.1
द्वीव	0.4	1.7	1.4
तमिलनाडु	291.9	2447.1	666.6
केरल	174.3	1056.8	272.4
पांडिचेरी	9.7	82.2	14.6
कर्नाटक	274.4	1516.1	461.5
आंध्र प्रदेश	268.4	2414.9	599.3

उक्त सारे आकड़े अनंतिम हैं और आई पी आर के अनुरूप हैं।

वर्ष 1995-96 के दौरान एमएस/एचएसडी/एसकेओ की राज्यवार बिक्री

(टी एम टी)

राज्य	एम एस	एच एस डी	एस के ओ
जम्मू और कश्मीर	45.99	124.99	195.04
पंजाब	313.26	352.58	1766.41
राजस्थान	195.71	329.51	2142.60
उत्तर प्रदेश	394.60	1092.19	3700.20
हरियाणा	148.98	164.60	1350.86
हिमाचल प्रदेश	26.09	37.08	169.99
चंडीगढ़	42.42	19.57	52.56
दिल्ली	436.37	240.23	1152.76
असम	54.81	265.92	353.20
मणिपुर	9.16	22.19	23.85
मेघालय	17.89	16.97	88.48
नागालैंड	10.57	12.60	28.75
त्रिपुरा	5.89	23.32	32.74
अरुणाचल प्रदेश	16.20	11.94	59.42
मिजोरम	6.08	7.04	17.77
बिहार	156.04	607.97	1564.25
उड़ीसा	72.22	222.19	627.47
पश्चिम बंगाल	158.58	816.04	1644.49
सिक्किम	4.56	10.17	8.51
अंडमान और निकोबार	2.35	5.08	44.22
गोवा	32.06	28.27	171.33
गुजरात	393.13	811.80	2401.16
मध्य प्रदेश	215.85	481.34	1922.03
महाराष्ट्र	719.73	1545.25	3814.67
दादरा और नागर हवेली	3.50	3.11	38.65
दमन और द्वीव	2.97	3.16	9.04
आंध्र प्रदेश	314.38	613.80	2863.64
केरल	205.68	291.42	1176.21
तमिलनाडु	336.64	683.52	2866.63
कर्नाटक	316.17	493.56	1774.02
लक्षद्वीप	-	.20	.10
पांडिचेरी	12.09	14.84	106.19

गरीबी रेखा

822. **श्री कचरू भाऊ राउत :**
श्री राम टहल चौधरी :
श्री राम नाईक :
श्री रमेन्द्र कुमार :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा निर्धारित करने का क्या मापदण्ड है;

(ख) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान आज की तिथि तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उसके ऊपर लाने के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई तथा कितने लोग लाभान्वित हुए;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ राशि का दुरूपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गरीबी दूर करने के लिए तैयार की गई रणनीति का ब्यौरा क्या है; और

(च) गरीबी कब तक समाप्त हो जाने का अनुमान है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) भारत में गरीबी की रेखा न्यूनतम आवश्यकताओं तथा प्रभावी खपत मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित है। टास्क फोर्स ने 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। गरीबी की रेखा को वर्ष 1973-74 के लिए औसत खपत बास्केट हेतु अपेक्षित प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रो में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2100 कैलोरी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

(ख) वर्ष 1987-88 के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या के नवीनतम राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1990-91 से 1995-96 के दौरान 110.92 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाते हुए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) के तहत 4469.69 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) के तहत 44646.75 लाख मानव दिवसों तथा 6669.89 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित करने में क्रमशः 17986.77 करोड़ रुपये तथा 3128.87 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) गरीबी उन्मूलन की कार्य नीति तीन रणनीतियों पर आधारित है, अर्थात् (1) आर्थिक विकास का तीव्रीकरण, (2) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का उन्नयन आदि के माध्यम से मानवीय तथा सामाजिक विकास और (3) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी पर सीधा आक्रमण।

(च) गरीबी उन्मूलन की तारीख नौवीं पंचवर्षीय योजना निरूपण के दौरान निर्धारित की जाएगी।

विवरण

1987-88 में गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1.	आंध्र प्रदेश	165.16
2.	असम	37.44
3.	बिहार	278.12
4.	गुजरात	56.12
5.	हरियाणा	14.24
6.	हिमाचल प्रदेश	3.49
7.	जम्मू और कश्मीर	7.81
8.	कर्नाटक	117.05
9.	केरल	38.63
10.	मध्य प्रदेश	195.71
11.	महाराष्ट्र	183.67
12.	उड़ीसा	119.61
13.	पंजाब	9.59
14.	राजस्थान	84.31
15.	तमिलनाडु	152.23
16.	उत्तर प्रदेश	389.35
17.	पश्चिम बंगाल	142.60
	अखिल भारत	**2014.06**

विशेष ध्यान दें : (1) गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 अक्तूबर, 1987 की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

(2) परिणाम उपभोक्ता व्यय के 43वें दौर (जुलाई, 1987-जून, 1988) से सम्बन्धित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित है।)

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियां

823. श्री ई. अहमद :
श्री मुत्तुस्वामी रामचन्द्रन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केरल मे पेट्रोल पम्प/रसोई गैस खोलने के लिए जिला-वार कितनी एजेंसियों को स्वीकृति दी गई;

(ख) केरल में इस समय जिला-वार कितनी रसोई गैस एजेंसियां हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष में नई गैस एजेंसियों को स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) 1993-94 से 1995-96 तक 38 वर्ष की अवधि के दौरान केरल में 32 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की गई हैं।

(ख) 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार केरल में 192 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्यरत थी।

(ग) और (घ). एल पी जी विपणन योजना 1994-96 में केरल के लिए 48 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई है।

[हिन्दी]

विद्युत उप-केन्द्रों की स्थापना

824. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के भागलपुर, भुलबनी तथा बनकटा खंडों में विद्युत उप-केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये विद्युत उप-केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1996-97 के दौरान देवरिया जिले के ब्लाक भागलपुर में 33/11 के.वी. सतरांव उप-केन्द्र तथा ब्लाक बनकटा में 33/11 के.वी. उप-खंड-बनकटा बाजार का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि वर्ष 1996-97 में देवरिया जिले के भुलबनी ब्लाक में किसी भी 33/11 के.वी. उप-केन्द्र का निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) 33/11 के.वी. सतरांव उप-केन्द्र और संबंधित 33 के.वी. लाईन के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है। कार्य के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित राशि 102 लाख रुपये है, जिसकी पूर्ति पूर्वांचल विकास निधि से किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1996-97 के दौरान क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित निर्माण कार्य के कार्यक्रम में 33/11 के.वी. उप-केन्द्र बनकटा बाजार के निर्माण को 27 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर शामिल किया गया हैं

(ग) उपरोक्त दोनों उप-केन्द्रों के निर्माण को मार्च, 1997 के अंत तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

विद्युत की खपत

825. श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुल विद्युत उत्पादन के एक काफी बड़े हिस्से की खपत उद्योग और कृषि क्षेत्र में होती है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग, कृषि, घरेलू खपत और सरकारी क्षेत्र में कुल विद्युत उत्पादन का कितना-कितना प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार अनुत्पादक क्षेत्र में विद्युत के उपयोग को न्यूनतम करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 के दौरान उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की ऊर्जा खपत के पेटर्न का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत का वितरण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। विद्युत की समग्र मांग और उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए राज्य प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करने का निर्णय लिया जाता है। कृषि क्षेत्र और कोर क्षेत्र के उद्योगों को विद्युत आपूर्ति के संबंध में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च). आपूर्ति प्रबंधन में विभिन्न कार्यवाहियों और मांग पक्ष संबंधी उपायों की विविधता के माध्यम से विभिन्न वर्गों द्वारा ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु सरकार ने विभिन्न उपाय किए है।

विवरण

श्रेणी	वर्ष 1993-94 के दौरान बिक्री की गयी ऊर्जा	वर्ष 1993-94 में कुल बिक्री प्रतिशत	वर्ष 1992-93 के दौरान बिक्री की गयी ऊर्जा	वर्ष 1992-93 में कुल बिक्री की गयी ऊर्जा का %	पिछले वर्ष 1992-93 के दौरान बिक्री की गयी ऊर्जा में वृद्धि का %
घरेलू	43343.66	18.17	39717.08	18.00	9.13
वाणिज्यिक	14143.83	5.93	12652.76	5.73	11.78
औद्योगिक विद्युत	94503.24	39.61	90169.55	40.86	4.81
सार्वजनिक विद्युत	1939.37	0.81	1901.07	0.86	2.01
रेलवे/ ट्रामवेज	5620.34	2.35	5067.73	2.30	10.90
कृषि	70699.48	29.64	63327.79	28.70	11.64
सार्वजनिक जल, निर्माण एवं सीवेज पम्पिंग	4837.91	2.03	4376.56	1.98	10.54
विविध	3481.15	1.46	3461.06	1.57	0.58
जोड़	238568.98	100.00	220673.60	100.00	8.11

[अनुवाद]

पेट्रोल की खपत

826. श्री सौम्य रंजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल तथा पेट्रोल उत्पादों की खपत में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान, इन प्रयासों के फलस्वरूप इन उत्पादों को कितनी मात्रा में बचाया जा सका?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) सरकार ने परिवहन, औद्योगिक, कृषि और घरेलू क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के विभिन्न उपाय शुरू किए है। एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन कार्यक्रम पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जन जागृति उत्पन्न करने ओर ऐसे उत्पादों का वास्तव में संरक्षण करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रयोक्ताओं को प्रेरित करने हेतु बहु-जनसंचार माध्यम अभियान रहा है। किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :-

परिवहन क्षेत्र में : ऐसे उपाय और प्रयोग अपनाना जो अधिकाधिक ईंधन तेल की बचत करने, चालकों और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आदर्श डिपुओं और गैराजों की स्थापना करने इत्यादि में सहायक हों।

औद्योगिक क्षेत्र में : दक्ष बायलरों, भट्टियों और अन्य तेल प्रचालित उपस्करों से इनका आधुनिकीकरण और ईंधन तेल की बचत करने में दक्ष प्रयोगों और उपस्करों को बढ़ावा देना।

कृषि क्षेत्र में : मौजूदा पम्पसेटों को और अधिक ऊर्जा बचत करने योग्य बनाने के लिए उनका सुधार, प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना करना, प्रदर्शनियों, किसान मेलों आदि के माध्यम से किसानों को शिक्षित करना।

घरेलू क्षेत्र में : ईंधन की बचत करने वाले मिट्टी के तेल के और गैस के चूल्हों जैसे उपस्करों और यंत्रों का विकास करना और उनके प्रयोग को बढ़ावा देना, पाक क्रिया की बेहतर आदतों के बारे में शिक्षा देना।

(ख) यह अनुमान है कि इन उपायों के परिणामस्वरूप 1994-95 के दौरान 1169 करोड़ रुपये के पेट्रोलियम उत्पादों की बचत हुई। 1995-96 के दौरान हुई बचत का गणना संरक्षण उपायों में संलग्न विभिन्न एजेंसियों द्वारा अभी की जानी है।

एनरॉन

827. श्री अनिल बसु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनरॉन कंपनी ने देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के साथ बातचीत चल रही है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए एफ.आई.पी.बी. संबंधी मंजूरी प्राप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, एनरान डेवलेपमेंट कार्पोरेशन ने महाराष्ट्र राज्य में डाभोल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए एवं करार पर हस्ताक्षर किए है।

(ख) राजस्थान में 50 मे.वा. सौर ऊर्जा फोटो वोलटेक विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मैसर्स एपोको एनरॉन को एक आशय पत्र (एल ओ आई) जारी किया गया है।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र राज्य में डाभोल विद्युत परियोजना को स्थापित किए जाने के मैसर्स एनरॉन के प्रस्ताव को विदेशी निवेश दृष्टिकोण से स्वीकृत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

टिहरी बांध

828. **श्री राधा मोहन सिंह :**
डा. रमेश चंद तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री ज्ञानेन्द्र राह :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में इस आशय की घोषणा की थी कि टिहरी जल विद्युत परियोजना संबंधी विभिन्न आपत्तियों पर विचार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति का अब तक गठन कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कौन-कौन से सदस्य है;

(घ) यदि नहीं, तो समिति का गठन कब तक कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) उक्त समिति के निदेश पद क्या है; और

(च) परियोजना का कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने का अनुमान है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (च). श्री सुन्दर लाल बहुगुणा जो टिहरी परियोजना की समीक्षा की मांग करने के लिए अप्रैल, 1996 में अनशन पर बैठे थे, द्वारा टिहरी परियोजना के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में तथा समस्या का उचित समाधान ढूंढने के लिए श्री सुन्दर लाल बहुगुणा द्वारा सुझाए गए चार विशेषज्ञों के एक दल को टिहरी बांध की सुरक्षा से संबंधित जांच एवं संगत वैज्ञानिक तथा तकनीकी रिपोर्टों और अन्य सूचना प्रदान करने के लिए सरकार सहमत हो गयी है। इन विशेषज्ञों से संगत रिपोर्टों की जांच करने तथा अपनी सिफारिशें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि सरकार इन पर गंभीरता से विचार कर सके और बांध की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा सके।

क्षेत्र के लोगों पर परियोजना का प्रभाव एवं विस्थापित लोगों के पुनः स्थापन के संबंध में अन्य विशेषज्ञ दल, जिसमें श्री बहुगुणा द्वारा नामित विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, द्वारा की जाने वाली जांच समेत पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार ने इच्छा व्यक्त की है। श्री बहुगुणा से इस प्रयोजन के लिए 2-3 विशेषज्ञों को नामित करने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य जारी है तथा कॉफर बांध 660 मीटर ईएल की ऊंचाई तक पहुंच गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मामले

829. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री काशी राम राणा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में प्रत्येक वर्ष मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 1995 तक कितने मामले लंबित थे तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए तथा 31 दिसम्बर, 1995 तक कितने मामले निपटाए गए; और

(ङ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). 31 दिसम्बर, 1993, 1994 और 1995 को अधिकरण में मामलों की संख्या क्रमशः 40028, 39849 और 41970 थी जो सदैव बढ़ती हुई प्रवृत्ति को नहीं दर्शाती।

(घ) पिछले तीन वर्षों में दायर किए गए/निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	दायर मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की सं.
1993	27067	28074
1994	26230	26409
1995	25789	23668

(ङ) अधिकरण के उपाध्यक्षों तथा सदस्यों की रिक्तियों को यथासंभव शीघ्र भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिकरण में न्यायालयों के कार्यकरण में कोई बाधा न हो। सभी मंत्रालयों/विभागों को भी यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है कि वे अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत मामलों पर तुरंत कार्रवाई करें ताकि उनके शीघ्र निपटान में सहायता मिल सके।

तेलशोधक परियोजना

830. श्री विनय कटियार :

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. का देश में नई तेलशोधक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच पी सी एल) का पेट्रोलियम क्षेत्र में अपने कार्य का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में एच पी सी एल की योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) को देश में दो नयी संयुक्त उद्यम रिफाइनरी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त है जो निम्नानुसार है :-

(1) ओमान आयल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में महाराष्ट्र में देवगढ़ में 6 मि.मी. टन प्रतिवर्ष की पश्चिमी भारत रिफाइनरी।

(2) सउदी अरामको के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में पंजाब में 6 मि.मी. टन प्रतिवर्ष की रिफाइनरी।

एच पी सी एल अपनी विजाग रिफाइनरी की क्षमता को 3 मि. मी. टन प्रति वर्ष तक और संयुक्त क्षेत्र की मंगलौर रिफाइनरी की क्षमता को 6 मि.मी. टन प्रति वर्ष तक भी बढ़ा रही है।

(ख) और (ग). अन्य बातों के साथ साथ अपतटीय एवं तटवर्ती अन्वेषणों सहित अपस्ट्रीम क्षेत्र में प्रचालन, भारत विदेश में कच्चे तेल, गैस एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों सहित हाइड्रोकार्बन स्त्रोतों का विकास तथा उत्पादन तथा इसका व्यापार एवं परिवहन तथा सभी संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान विकास कार्य-कलाप के लिए एच पी सी एल ने अन्वेषण तथा उत्पादन कंपनी स्थापित करने के लिए आई सी आई, डी आई सी आई तथा एच डी एफ सी जैसे अग्रणी भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ जून, 1996 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित कंपनी का गठन 20 करोड़ रुपए की आरंभिक इक्विटी के साथ किया जाएगा जिसमें एच पी सी एल का 50 प्रतिशत हिस्सा होगा तथा शेष आई सी आई सी आई का 35 प्रतिशत, टी डी आई सी आई का 10 प्रतिशत तथा एच डी एफ सी 5 प्रतिशत होगा।

उड़ीसा में विद्युत परियोजनाएं

831. डॉ. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों में कौन-कौन सी और कितनी विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन सभी परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अधिष्ठापित क्षमता के ईष्टतम समुपयोजन के लिए उठाए जा रहे विभिन्न उपायों में पर्याप्त ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बेहतर प्रबंधकीय पद्धतियां और संयंत्र की सामयिक मरम्मत एवं अनुरक्षण शामिल है।

विवरण

उड़ीसा में विद्युत केन्द्रों का कार्य निष्पादन

केन्द्र का नाम	क्षमता (मे.वा.)	ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.) अप्रैल-जून, 1996
आई.बी. वेली (टी)	420.0	374
बालीमूला (एच)	360.0	375
हीराकुंड (एच)	307.5	193
रंगाली (एच)	250.0	151
अपर कोलाब (एच)	320.0	183
तल्लेर (टी)	460.0	361
तलचेर एसटीपीएस (टी)	1000.0	जनरेटर क्षतिग्रस्त हो जाने और विभिन्न अनुरक्षण कार्यों के कारण 23.10.95 और 29.6.96 से यूनिटें बन्द है।

(टी)-थर्मल (एच)-हाइड्रो

[हिन्दी]

पेयजल की आपूर्ति

832. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) उनके परिणामस्वरूप प्राप्त सफलताओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). जी हां, चूंकि जलापूर्ति राज्य का विषय है इसलिए जलापूर्ति योजनाएं तैयार करना, लागू करना और उनका रखरखाव राज्य सरकार का दायित्व है। 8वीं योजना कार्यदल ने जलापूर्ति और सफाई प्रबन्ध क्षेत्र के अंतर्गत 23634.55 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया जिसकी तुलना में 8वीं योजनावधि के लिए कुल 5892 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जिसमें से 5494 करोड़ रु. राज्य आयोजना के अंतर्गत हैं। 20,000 से कम आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार वाले छोटे कस्बों में जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए 8वीं योजना के मध्य में 1993-94 में एक केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस योजना की लागत में केन्द्र तथा राज्य सरकार 50:50 के अनुपात में हिस्सेदारी देते हैं। योजना के अन्तर्गत पात्र 2151 कस्बों में से 31.3.96 तक 161.63 करोड़ रु. की लागत से 204 कस्बों के लिए योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 50 करोड़ रु. के 8वीं योजना नियतन में से मार्च, 1996 तक राज्यों को 48.49 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

[अनुवाद]

कानपुर में बिजली की आपूर्ति ठप्प होना

833. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर में लगातार बिजली गुल होने के संबंध में जानकारी है जिसे कि कानपुरवासियों को अत्यधिक परेशान होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). किसी राज्य के क्षेत्र विशेष में विद्युत की आपूर्ति उस राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है।

(ग) उत्तर प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति को सुधारने के लिए किए गए उपायों में: विद्यमान क्षमता से विद्युत उत्पादन को ईष्टतम बनाना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, कारगर भार प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण उपाय लागू करना और पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता प्राप्त करना शामिल है।

[हिन्दी]

भारत पेट्रोलियम

834. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भारत पेट्रोलियम का जोनल कार्यालय कितने वर्षों से कार्य कर रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त जोनल कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). बी पी सी एल का बरेली स्थित मंडल कार्यालय जनवरी, 1984 से कार्य कर रहा था। इसे जनवरी, 1993 में आगरा में स्थानान्तरित कर दिया गया, ताकि यह मथुरा रिफाइनरी के साथ बेहतर समन्वय कर सके ओर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान कर सके। तथा उन पर ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे सके। वर्तमान में कारपोरेशन का क्षेत्रीय विपणन कार्यालय बरेली में स्थित है।

[अनुवाद]

फ्लोराइड जल

835. श्री एम. रामकृष्ण रेड्डी :

श्री एल. राम्मना :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सहित देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित फ्लोराइड जल स्कीम शुरू करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसके लिए गांवों का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो चयन किए गए गांवों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्कीम के लिए 1995-96 और 1996-97 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). 1991-93 के दौरान राज्यों द्वारा करवाये गए सर्वेक्षण के अनुसार, 1.4.1994 तक अधिक फ्लोराइड से प्रभावित पेयजल वाली 28,348 बसावटों का पता लगाया गया था। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1995-96 के दौरान, विभिन्न राज्यों/संगठनों को पेयजल में अधिक फ्लोराइड की समस्या को दूर करने के लिए 5569.725 लाख रुपये रिलीज़ किए गए थे। 1996-97 के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत उप मिशन कार्यक्रम के लिए 10020.0 लाख (अनंतिम) रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया। अधिक फ्लोराइड की समस्या को दूर करने के लिए अपेक्षित राशि उप मिशन के उपरोक्त कुल परिव्यय से ली जाएगी।

विवरण

पेयजल में अधिक फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	फ्लोराइड
1.	आंध्र प्रदेश	4858
2.	बिहार	12
3.	गोवा	-
4.	गुजरात	2413
5.	हरियाणा	397
6.	हिमाचल प्रदेश	738
7.	कर्नाटक	860
8.	केरल	237
9.	मध्य प्रदेश	201
10.	महाराष्ट्र	30
11.	मणिपुर	0
12.	मेघालय	33
13.	मिजोरम	0
14.	उड़ीसा	1138
15.	पंजाब	1113
16.	राजस्थान	14643
17.	तमिलनाडु	527
18.	उत्तर प्रदेश	1072
19.	पश्चिम बंगाल	21
20.	संघ शासित क्षेत्र	46
	कुल	28348

पश्चिम बंगाल को धनराशि का आवंटन

836. **श्री पी.आर. दासमुंशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी विकास हेतु पश्चिम बंगाल को वर्ष 1994-95, 1995-96 के लिए कुल योजना आवंटन कितना दिया गया था तथा गैर योजना मद पर अब तक कितनी सहायता दी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल की कलकत्ता तथा हावड़ा निगम के लिए विशिष्ट परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई; और

(ग) उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वी. वेंकटेश्वरलु) : (क) वर्ष 94-95 और 95-96 के दौरान शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए पश्चिम बंगाल के लिए कुल योजना नियतन यथावत सूचना अनुलग्नक में है। शहरी विकास के लिए पश्चिम बंगाल को कोई गैर योजना सहायता नहीं दी गई है।

(ख) जी, कोई नहीं।

(ग) विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वर्ष 94-95 और 95-96 के लिए नियतनों की तुलना में उपयोग में लाई गई धनराशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

(करोड़ रुपये में)

स्कीम का नाम	वर्ष 1994-95 में नियतित धनराशि	वर्ष 1995-96 में नियतित धनराशि	योग	राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना अनुसार 31.3.96 तक उपयोग की गई धनराशि
छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास का स्कीम (आईडीएसएमटी)	0.71	1.10	1.81	0.17
मेगासिटी स्कीम	16.10	18.08	34.18	*79.31
पश्चिम बंगाल की विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों में बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान हेतु स्कीम	-	**20.00	20.00	1.05

* इसमें 193-94 से 1995-96 तक जारी की गई कुल राशि में से किया गया व्यय शामिल है।

** इसमें पहले खर्च किये गये व्यय के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार को 2.33 करोड़ रुपये की की गई प्रतिपूर्ति शामिल है।

[हिन्दी]

मिलावटी मोबिल तेल

837. **श्री पंकज चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में बड़े पैमाने पर मिलावटी मोबिल तेल की बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में मिलावटी मोबिल तेल की बिक्री को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग): देश में मिलावटी मोबिल आयल की बिक्री के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है।

तथापि, वर्ष 1995-96 के दौरान तेल उद्योग द्वारा कुल 3457 ल्यूब नमूने लिए गए हैं, जिसमें से 131 नमूने विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है। इन मामलों में संबंधित डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा निर्देश के उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से मिलावटी मोबिल आयल की बिक्री न हो, तेल उद्योग खुदरा बिक्री केन्द्रों की आकस्मिक तथा नियमित जांच करता है तथा परीक्षण प्रयोजना के लिए नमूने लेता है। जो नमूने विनिर्देशों के अनुरूप नहीं होते हैं उनके संबंध में विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

गोदावरी बेसिन में तेल का कुआं

838. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा गोदावरी बेसिन में पसरलापुडी में अवस्थित तेल और प्राकृतिक गैस निगम के एक तेल के कुएं में आग लग जाने के कारणों की जांच करने हेतु सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट अभी भी सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आग लगने के कारण कितने परिवार विस्थापित हो गए; और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा इन परिवारों को क्या राहत प्रदान की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). सरकार ने एक सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर पहले ही विचार किया है और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). हालांकि कुछ लोगों को अस्थायी रूप से हटाया जाना आवश्यक था, फिर भी आग लगने के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हुआ।

भूमि की अधिकतम सीमा

839. **श्री हरिन पाठक :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि जोत अधिकतम सीमा पर पुनर्विचार करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बेनामी भूमि जोत के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा भूमि जोत की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव पेश किये गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार के पास भूमि जोतों की अधिकतम सीमा के पुनर्निधारण के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) बेनामी भूमि जोतों के विरूद्ध कार्रवाई करने से संबंधित मामले पर राजस्व मंत्रियों/मुख्य मंत्रियों के सम्मलेनों सहित विभिन्न मंचों पर अन्य बातों के साथ साथ चर्चा की गई है। हाल ही में 27.12.95 को आयोजित राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न स्तरों पर पहुंचे हुए काश्तकारों और बिना रिकार्ड वाले बटाईदारों का पता लगाने के अलावा फालतू भूमि, जिसमें बेनामी जोतें भी शामिल हैं, का पता लगाने के लिए पंचायतों को राजस्व अधिकारियों की मदद करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सम्मेलन की सिफारिशों को मामले के संबंध में उपयुक्त कदम उठाने के लिए राज्यों को भेज दिया गया है।

(घ) और (ङ). महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों ने भूमि जोतों की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात दोनों राज्यों ने अपने-अपने प्रस्तावों को वापस ले लिया था। भारत सरकार ने भूमि जोतों की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

महाराष्ट्र की विद्युत परियोजनाएं

840. श्री राम नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की अनेक विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या निर्धारित समय के भीतर सभी परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान के लिए जांच की जा रही महाराष्ट्र की विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1.	पाताल गंगा सीसीपीपी (मैसर्स रिलायंस पाताल गंगा विद्युत प्राईवेट लिमिटेड)	410
2.	चिकलदारा एच.ई. परियोजना (पम्पड स्टोरेज स्कीम)	2×200
3.	ऊरान जी.टी.पी.पी. विस्तार	400

(ग) और (घ). पाताल गंगा को "सिद्धांत रूप में" स्वीकृति कर दी गई है। अन्य दो परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना स्पष्टीकरण मांगा गया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, परियोजना प्राधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने के अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य में मंजूरी देने वाली एजेंसियों से अपेक्षित सांविधिक एवं अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करनी होती हैं अपेक्षित स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन परियोजनाओं की स्थिति की लगातार मानीटरिंग की जा रही है।

[हिन्दी]

कपार्ट

841. श्री ललित उरांव : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सामाजिक संगठनों को 1 जनवरी, 1994-से 30 जून, 1996 तक "कपार्ट" योजना के तहत अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) कपार्ट ने सूचना दी है कि 1.1.1994 से 30.6.1996 तक की अवधि के दौरान उन्होंने बिहार में स्वयंसेवी एजेंसियों की 436 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी हैं इन परियोजनाओं के लिए 12.97 करोड़ रुए की संस्वीकृत राशि में से कापार्ट ने अब तक संबंधित स्वयं सेवी एजेंसियों को 6 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों की निधियों का उपयोग न किया जाना

842. श्री राजीव प्रताप रुडी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में वर्ष 1994-95, 1995-96 के लिए संसद सदस्यों की सिफारिश पर व्यय हेतु निर्धारित निधि का उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अप्रयुक्त धनराशि को निर्वाचित संसद सदस्यों की सिफारिश पर व्यय करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है और इसका औचित्य क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी नहीं। यह सही नहीं है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 1994-95, 1995-96 के लिए संसद सदस्यों की सिफारिश पर व्यय हेतु निर्धारित निधि का उपयोग नहीं किया गया हैं

(ख) बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में योजना के आरंभ होने से लेकर विनिर्मुक्त धनराशि और उस मद में हुए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :

राज्य	विनिर्मुक्त राशि (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में) (17.6.1996 तक प्राप्त सूचना के आधार पर 31.3.1996 की स्थिति)
बिहार	15515.0	6826.4
उत्तर प्रदेश	24440.0	12797.6
उड़ीसा	6250.0	2034.0
पश्चिम बंगाल	11985.0	4359.1

(ग) और (घ). दसवीं लोक सभा के पूर्व संसद सदस्यों द्वारा की गई सिफारिश के लिए अप्रयुक्त धनराशि के उपयोग करने से संबद्ध मामला सरकार के विचाराधीन है। जहां तक कि ग्यारहवीं लोक सभा के नव-निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित संसद सदस्यों का प्रश्न है, वे मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु एक करोड़ रुपए तक की धनराशि के लिए अधिकृत है।

[हिन्दी]

बेरोजगारी

843. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :**
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार अधिक रोजगार के सृजन हेतु नीतिगत कार्यक्रम तैयार करने का है ताकि बेरोजगारी में वृद्धि को राका जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या बेरोजगारी दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के हेतु लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं;

(च) शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है;

(छ) क्या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कुल कितना वार्षिक खर्च होने का अनुमान है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ). बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा मोटे तौर पर पंचवार्षिक अन्तरालों पर आयोजित किए गए विस्तृत रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। आयोजित किए गए उत्तरोत्तर सर्वेक्षणों पर आधारित बेरोजगारी के तुलनीय अनुमान (सामान्य मूल स्थिति) नीचे दिए गए हैं।

एन.एस.एस. चक्र (वर्ष)	बेरोजगार (मिलियन)
32वां चक्र (1977-78)	10.79
38वां चक्र (1983)	7.96
43वां चक्र (1987-88)	11.53

बेरोजगारी की वर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में, 1993-94 में आयोजित एनएसएसओ सर्वेक्षण के 50वें चक्र के परिणाम को अन्तिम रूप दिए जाने पर पता चल पाएगा। उच्च रोजगार गहनता के साथ, जैसा कि कृषि, कृषि और ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण आधार संरचना, छोटे और विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्रक। शहरी अनौपचारिक क्षेत्रक और सेवाओं के साथ क्षेत्रकों और उपक्षेत्रकों के विकास के माध्यम से और विशेष रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार अवसरों का विस्तार करना आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक महत्व वाला क्षेत्र है। नौवीं योजना में भी रोजगार सृजन एक महत्व वाला क्षेत्र बना रहेगा।

(च) एनएसएसओ के सर्वेक्षण के 43वें चक्र के अनुसार 1987-88 में शिक्षित बेरोजगारों के 4.5 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था।

(छ) केन्द्र सरकार के विचाराधीन इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) ऐसा महसूस किया जाता है कि उपलब्ध संसाधनों को विशेष रोजगार स्कीमों द्वारा समर्पित अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन पर खर्च किया जाना चाहिए, जहां आवश्यक हो, बजाए इसके कि इन्हें बेरोजगारी भत्ते की अदायगी पर खर्च किया जाए।

अम्बेडकर ग्राम

844. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर ग्रामों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन सभी ग्रामों का पूर्ण विकास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सभी अम्बेडकर ग्रामों का पूर्णतः विकास कब तक हो जाएगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आठवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

845. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ पहलुओं पर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय एक दूसरे से असहमत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

कमजोर वर्गों के लिए आवास

846. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए कुल कितने आवासों का निर्माण किया गया है;

(ख) देश में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए कुल कितने आवासों का निर्माण किया जाना है और कब तक इन सभी आवासों का निर्माण कर लिये जाने की संभावना है;

(ग) दिल्ली में अब तक कितने झुग्गी-झोपड़ी वासियों का योजनाबद्ध आवासों में पुनर्वास किया गया है और कितने व्यक्ति अभी भी झुग्गी झोपड़ी में ही रह रहे है और कब तक उनका विकसित क्षेत्रों में पुनर्वास किया जाएगा; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सहकारी आवास ग्रुप समितियों के मध्यम आय वर्गीय आवंटियों पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवासों के निर्माण लागत का भार डालने के क्या कारण है जब कि यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलायी जा रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात 1993-94; 1994-95 और 1995-96 के दौरान समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए बनाये गये मकानों की राज्य वार तथा संघ शासित क्षेत्र वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) आंकलन के अनुसार 1.3.91 तक शहरी क्षेत्रों में 8.23 मिलियन मकानों की कमी है। तथापि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के मकानों के बारे में संघ सरकार द्वारा कोई अलग से सूचना नहीं रखी जाती।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किए गए सर्वे और जारी राशनकार्ड के अनुसार 1990 में करीब 13 लाख की आबादी वाले 929 झुग्गी झोपड़ी समूह/पट्टरीवासी बस्तियां थीं। इस समय अनुमान है कि दिल्ली में 20 लाख झुग्गी निवासियों के 1080 झुग्गी झोपड़ी समूह हैं जिनमें करीब 4.80 लाख झुग्गी वासियों को दूसरे स्थान पर बसाव/पुनर्वास दिल्ली नगर निगम द्वारा उन भू-स्वामी एजेन्सियों के अनुरोध पर किया जाता है जो पुनर्वास लागत में हिस्सा देती हैं। 1.4.1990 से 30.6.96 तक की अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा 5943 पात्र झुग्गी परिवारों को दूसरे स्थानों पर बसाया गया।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचना के अनुसार फ्लैटों की बिक्री लागत का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा समय समय पर लिये गए नीतिगत निर्णय के अनुसार किया जाता है। फ्लैट की बिक्री लागत मोटे तौर पर पूरी योजना हेतु "बिना लाभ हानि" आधार पर तय की जाती हैं तदनुसार, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए, प्राधिकरण ने भूमि दरों तथा अन्य ऊपरी प्रभारों में राहत/सबसिडी देकर उसे एम.आई/एस.एफ.एस. फ्लैटों व सहकारी समूह आवास समितियों पर डाल दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की स्कीम के तहत बनाए गए मकान

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	55424	48082	55034
2.	असम	294	1412	771
3.	बिहार	42	0	192
4.	गोवा	20	0	0
5.	गुजरात	2445	4383	2474
6.	हरियाणा	641	56	31
7.	हिमाचल प्रदेश	30	15	30
8.	जम्मू और कश्मीर	1	2	11
9.	कर्नाटक	7521	7846	4572
10.	केरल	22051	19526	30373
11.	मध्य प्रदेश	6013	5559	4254
12.	महाराष्ट्र	4410	4987	1500
13.	मणिपुर	0	0	0
14.	मेघालय	547	0	0
15.	मिजोरम	100	0	0

1	2	3	4	5
16.	उड़ीसा	2723	5539	477
17.	पंजाब	421	0	388
18.	राजस्थान	1994	2911	1382
19.	सिक्किम	40	–	150
20.	तमिलनाडु	9948	7676	7366
21.	त्रिपुरा	387	507	0
22.	उत्तर प्रदेश	5122	4553	3810
संघ शासित प्रदेश				
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
24.	दमन और द्वीव	10	0	0
25.	दिल्ली	2686	1763	831
	योग	122895	116817	113646

पेयजल

847. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च-अप्रैल, 1996 के दौरान 12 जिले ओला वृष्टि से प्रभावित हुए थे और महबूबनगर जिले के 74 गांवों में पेयजल की कमी हो गई थी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की सहमति दी थी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता देने की सहमति की थी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). राज्य में ओला वृष्टि से प्रभावित गांवों में पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सी.बी.आई. द्वारा जांच

848. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जून, 1991 से आज तक राजनीति से जुड़े व्यक्तियों तथा नौकरशाहों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले सी.बी.आई. के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) सी.बी.आई. द्वारा की जा रही जांच की वर्तमान स्थिति क्या है तथा जांच का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने जांच की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी सेल बनाया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यम) : (क) जहां तक राजनीति से जुड़े व्यक्तियों का संबंध है, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के 12 मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में लम्बित है।

जहां तक नौकरशाहों के विरुद्ध मामलों का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार विभिन्न रैंकों के लोक-सेवकों के विरुद्ध 1.6.91 को या उसके पश्चात् भ्रष्टाचार के आरोपों संबंधी 1210 मामले दर्ज किए गए थे जिनकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में लम्बित थी।

(ख) जैसा कि भाग-"क" के उत्तर में पहले ही सूचित किया गया है, यह उन मामलों का ब्यौरा है जिनकी जांच लम्बित है। जहां तक इन मामलों को अंतिम रूप दिए जाने में लगने वाले संभावित समय का संबंध है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में मामलों को निपटाने के लिए समय-सीमा निर्धारित है जो कि साधारण नियमित मामलों के लिए 6 माह तथा साधारण प्रारंभिक जांच के मामलों के लिए 4 माह है। तथापि, जटिल मामलों में इस समय-सीमा का अनुपालन करना संभव नहीं हो पाता। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निश्चित अंतरालों पर ऐसे मामलों की मॉनीटरिंग करके उन्हें शीघ्रता से निपटाने के प्रयास किए जाते हैं। जांच कार्य में लगने वाला समय प्रत्येक मामले के स्वरूप तथा विस्तार पर निर्भर करता है।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में हर एक मामले की जांच की प्रगति की मॉनीटरिंग करने की पद्धति है। शाखाओं द्वारा, मामलों के महत्व को देखते हुए, सभी महत्वपूर्ण मामलों की प्रगति-रिपोर्ट, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर, उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है। मामलों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी जोनल/क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षकों के साथ बैठकें भी संचालित करते हैं। निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी सभी उप-महानिरीक्षकों तथा संयुक्त निदेशकों के साथ प्रत्येक मामले में हो रही प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से, प्रत्येक तिमाही में बैठक करते हैं तथा जहां आवश्यक होता है, अधिकारियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। मामलों का जांच कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बंजरभूमि विकास

849. श्री जगमोहन : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड की स्थापना के समय और उसके बाद चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बंजरभूमि के सुधार एवं विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वास्तव में कुल कितनी भूमि का सुधार एवं विकास किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान खेती योग्य भूमि बंजर बन गई है; और

(घ) वर्तमान असंतोषजनक स्थिति से उभरने तथा बंजरभूमि के सुधार एवं विकास की गति में तेजी लाने हेतु किन-किन नई रणनीतियों पर विचार किया जा रहा है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) 1985 में, राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड के गठन के समय बंजरभूमि विकास के लिए कोई लक्ष्य निधारित नहीं किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4020 करोड़ रुपये के परिव्यय से 6.9 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र के विकास की परिकल्पना की गई थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 163.12 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1.90 लाख हैक्टेयर भूमि का विकास किया गया।

(ग) खेती के लिए बंजरभूमि का सुधार राष्ट्रीय विकास बोर्ड का कार्य नहीं है।

(घ) नई रणनीतियों में सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मरूभूमि विकास कार्यक्रम, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम जैसी क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों के लिए समेकित वाटरशेड नीति अपनाने हेतु सामान्य मार्ग दर्शिकाएं तैयार करना शामिल है।

कायमकूलम परियोजना

850. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कायमकूलम विद्युत केन्द्र के संबंध में अब तक कौन-कौन सी परियोजनाऐं तैयार की गयी हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली कायमकूलम संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (400 मेवा.) को एनटीपीसी के आंतरिक संसाधन और बाह्य वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित किए जाने के आधार पर सरकारी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। तथापि, विश्व बैंक के टाइम स्लाइश ऋण के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ इस मामले पर कार्रवाई की गई थी। ईंधन लाने-ले-जाने के तरीके के संतोषजनक समाधान की शर्त पर विश्व बैंक ने मई, 1996 में निधियों की उपलब्धता की पुष्टि कर दी है। इस प्रयोजनार्थ नियुक्त परामर्शदाता की सलाह का अनुपालन करने के लिए एनटीपीसी सहमत हो गया है।

परियोजना के लिए मुख्य संयंत्र टर्नकी संविदा के संबंध में ठेका संबंधी सिफारिशों से विश्व बैंक सहमत हैं। विश्व बैंक वित्तपोषण के आधार पर परियोजना को संशोधित सरकारी अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद ही एनटीपीसी द्वारा ठेका प्रदान किया जाएगा।

परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है और स्थल पर अवसंरचनात्मक गतिविधियां प्रगति पर हैं।

[हिन्दी]

रोजगार योजना

851. श्री बच्ची सिंह रावत बच्चदा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े खण्डों में कोई नई रोजगारोन्मुख योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे खण्डों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन के सभी पहाड़ी जिलों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) 2 अक्तूबर, 1993 को 1752 अभिनिर्धारित पिछड़े ब्लॉकों, जो सूखा प्रवण, मरुस्थल, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं और जहां पर पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू थी, में आरम्भ की गई थी।

देश के 3206 ब्लॉकों को कवर करके ईएएस का सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया है। इसमें गोवा, पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी शामिल नहीं है। अतिरिक्त ब्लॉकों के अन्तर्गत नवीन अभिनिर्धारित सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डोपीएपी) तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) ब्लॉक, आशोधित क्षेत्र विकास एप्रोच (एमएडीए) के अन्तर्गत ब्लॉक तथा देश के बाढ़ प्रधान क्षेत्र के ब्लॉक आते हैं। इस स्कीम के तहत 100 दिन के लिए अकुशल शारीरिक कार्य का सुनिश्चित रोजगार उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराना होता है, जो कम कृषि कार्यों के मौसम के दौरान इसकी तलाश में रहते हैं।

(ख) देश के पहाड़ी क्षेत्रों में ईएएस के अन्तर्गत ऐसे सभी ब्लॉकों को कवर किया गया है। जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीडीएस) चालू है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण सफाई

852. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की समेकित ग्रामीण सफाई परियोजना (1995) तथा जवाहर रोजगार योजना के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य को कब तक धनराशि/अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश के 22 जिलों में 10 लाख परिवारिक शौचालयों, 2.5 लाख स्नानघरों, 3.5 लाख मीटर लम्बी गांव की नालियों के निर्माण तथा प्रत्येक गांव में जागरूकता लाने के लिए दो शिविर आयोजित करने हेतु अनुमानित परियोजना प्रस्ताव की लागत 226 करोड़ रुपए हैं।

(ग) इस बात पर विचार करते हुए कि केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कुल बजट मात्र 60 करोड़ रुपए हैं, राज्य सरकार से स्वच्छता शौचालयों के निम्न लागत वाले माडलों, महसूस की गई आवश्यकता/मांग के सृजन हेतु सूचना शिक्षा और संचार घटक को अपनाने बाह्य सहायता के लिए संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से परियोजना में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था। इस संशोधित परियोजना को अभी राज्य सरकार द्वारा भेजा जाना है।

रोजगार के अवसर

853. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कुछ रोजगार सृजन योजनाओं को शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख रोजगार योजनाएं हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना 2300 खंडों में ग्रामीण गरीबों के लिए स्व रोजगार कार्यक्रम के रूप में 70 के दशक के मध्य में आरंभ की गई थी तथा बाद में 2 अक्तूबर, 1980 से देश के सभी खंडों को कवर करने हेतु इस योजना का विस्तार किया गया। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित समूहों में छोटे तथा सीमांत किसान कृषि मजदूर, कारीगर आदि हैं उपरोक्त के अतिरिक्त, कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों तथा महिलाओं को सुरक्षा भी प्रदान की गई है। इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना 1.4.1989 से कार्यान्वित की जा रही है। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारी और अल्प रोजगारी वाले लोगों को अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर 1993 से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना 18 से 60 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के मजदूरों को 100 दिनों का शारीरिक श्रम की सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराती है। वर्तमान में यह योजना देश के 3206 पिछड़े खंडों में कार्यान्वित की जा रही है, जो सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों, मरुपर्वतीय क्षेत्रों आदि में स्थित हैं।

भारत में विद्युत परियोजना

854. श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी प्रमुख जापानी औद्योगिक घराने ने भारत में विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए लगभग 10 बिलियन डालर निवेश करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भूतपूर्व सैनिकों को शस्त्र

855. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व सैनिकों को शस्त्र देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो शस्त्र कब तक दे दिए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने उन कुछ भूतपूर्व सैनिकों को पहले ही शस्त्र दे दिए हैं जिनकी भर्ती, खासकर डोडा तथा जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में आतंकवादी हिंसा पर काबू पाने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के रूप में की गई थी। डोडा और उधमपुर जिले में अब तक ऐसी 200 ग्राम रक्षा समितियां स्थापित की जा चुकी हैं, जिनके 1680 से भी अधिक सदस्य हैं जिनमें अधिकांश भूतपूर्व सैनिक हैं। ऐसी और समितियां स्थापित होने की प्रक्रिया में है। सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने के प्रयास के एक भाग के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, स्थानीय पुलिस के एक भाग के रूप में भूतपूर्व सैनिकों की 17 कम्पनियां खड़ी की गई हैं और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न ड्यूटियां निभा रही हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस की आपूर्ति

856. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति करने संबंधी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली के किन-किन क्षेत्रों में उपरोक्त योजना पहले से ही कार्यान्वित की जा चुकी है/किए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ). वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पाइपलाइन के माध्यम से एल पी जी की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बहरहाल गेल ने दिल्ली में घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों को पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए एक परियोजना अपने हाथ में ली है। पहले चरण में बापानगर, काकानगर आदि जैसे क्षेत्रों को कनेक्शन दिए जाएंगे। परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में उचित दर की दुकानें

857. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेंसियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में कितनी मात्रा में खाद्यान लाया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रत्येक जिले में प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न की कितनी आपूर्ति की गई;

(ग) खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं की राज्य में आपूर्ति पर प्रत्येक वर्ष कितनी वित्तीय हानि होती है;

(घ) क्या राशन डिपो से गेहूं तथा चावल सहित घटिया राशन दिए जाने की शिकायतें मिली हैं, इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) राशन डिपो में कितनी मात्रा में खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं बर्बाद हुई तथा इनका मूल्य क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) जम्मू एवं कश्मीर को पिछले तीन वर्षों के दौरान आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मीट्रिक टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
1993-94	1,60,814	1,25,569
1994-95	1,53,966	1,12,427
1995-96	2,79,850	1,05,525

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) खाद्यान्नों की आपूर्ति पर राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय हानि नहीं उठाई जा रही है।

(घ) खाद्यान्नों की घटिया क्वालिटी के बारे में शिकायतें कभी-कभी प्राप्त होती हैं। ऐसे स्थाई निर्देश हैं कि खाद्यान्नों की घटिया क्वालिटी की विशिष्ट शिकायतें की स्थिति में, घटिया क्वालिटी वाले ऐसे खाद्यान्नों को तुरंत बदलाया जाना चाहिए और उसे वापस भा.खा.नि. के गोदामों में भेज दिया जाना चाहिए।

(ङ) भंडारों में बरबाद हो गए खाद्यान्नों एवं अन्य राशनों की मात्रा एवं कीमत नीचे बताई गई हैं :—

	उपभोक्ता सामग्री	मात्रा (मीट्रिक टन में)	कीमत (लाख रु. में)
जम्मू संभाग	(1) गेहूं	110	4.49
	(2) आटा	2.5	1.21
	(3) चावल	11.4	0.75
कश्मीर	(1) गेहूं	699	30.00
	(2) आटा	1514	66.91
	(3) चावल (आई आर-8)	2167	121.35
	(4) चावल (पी आर-106)	1134	75.41

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई खाद्यानों की जिलावार आपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण

(मीट्रिक टन में)

	जिल	चावल			गेहूं		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
1.	कठुआ	1344	600	1036	1900	460	437
2.	जम्मू	6001	9029	9512	33292	24375	19020
3.	पुंछ	1591	872	1524	1667	314	1359
4.	राजौरी	2499	2424	5699	2806	3023	5368
5.	उधमपुर	7040	6847	9150	23795	22750	25284
6.	डोडा	8177	7867	10127	22077	20110	22484
7.	अनंतनाग	29943	20665	37008	2106	1634	2232
8.	पुलवामा	15879	12186	26536	853	877	1659
9.	बडगाम	10251	7882	20421	2500	1134	3791
10.	श्रीनगर	34736	46575	65275	4009	2460	3734
11.	बारामूला	22224	17088	35400	2690	1400	3177
12.	कुपवाड़ा	19666	16138	24579	2684	1243	619
13.	लेह	3786	4100	3800	3947	3754	4195
14.	कारगिल	4440	4770	4600	4563	5301	5062

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

858. जस्टिस गुमान मल लोढा :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ वर्षों से प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय में वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी;

(ग) वर्ष 1995-96 के अंत तक देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी होने का अनुमान है; और

(घ) वर्ष 2000 के अंत तक देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय औसतन कितनी होने का अनुमान है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) पिछले वर्षों से प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(ख) स्थिर (1980-81) मूल्यों पर 2175 रुपये।

(ग) स्थिर (1980-81) मूल्यों पर 2506 रुपये।

(घ) ऐसे अनुमान नौवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के लिए तैयार किए जायेंगे।

[अनुवाद]

बन्धकों की रिहाई

859. कुमारी उमा भारती :
श्री विनय कटियार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर में अल-फरान संगठन द्वारा विदेशी पर्यटकों का अपहरण कब किया गया था तथा उनके नाम क्या हैं तथा उनकी रिहाई हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या विदेशी पर्यटकों के अपहरणकर्ताओं की पहचान कर ली गई है;

(ग) क्या अपहरणकर्ताओं के साथ कोई सम्पर्क स्थापित किया गया था तथा उनके द्वारा अपहृत पर्यटकों की रिहाई के लिए क्या मांग की गई थी;

(घ) अपहरणकर्ताओं/पर्यटकों के साथ अंतिम बार कब सम्पर्क स्थापित किया गया था;

(ङ) मारे गए बंधकों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बंधकों की रिहाई के लिए किन्हीं विदेशी एजेंसियों की सहायता ली गई थी तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(छ) अल-फरान संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यम) : (क) से (छ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) से (छ). जम्मू और कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र से 4-8 जुलाई, 1995 को छह विदेशी पर्यटकों, नामतः पाल वैल्स, कीथ मंगन, जॉन चाईल्ड्स, डोनाल्ड हचिंग्स, डिर्क हैसर्ट और हैंस क्रिश्चियन औस्ट्रो का अपहरण कर लिया गया था। उनमें से एक जॉन चाईल्ड्स नाम व्यक्ति 10 जुलाई को बचकर भाग निकलने में सफल हो गया जबकि दूसरे हैंस क्रिश्चियन औस्ट्रो नामक व्यक्ति की 12 अगस्त, 1995 को अपहरकर्ताओं द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। शेष चारों बन्धकों का कुछ अता-पता नहीं है। जबसे अपहरण हुआ है तभी से उन चारों बन्धकों के बारे में पता लगाने और उनकी सुरक्षित रिहाई के गहन प्रयास किए गए हैं। तथापि, सरकार ऐसी कोई अविचारित कार्रवाई करने से बचती रही है जिससे उन बन्धकों की जान जोखिम में पड़ती हो। सरकार ने बातचीत द्वारा व समझा बुझा कर अपहरणकर्ताओं को मनाने का मार्ग अपनाया है ताकि बन्धकों को बिना किसी प्रकार के नुकसान के रिहा कराया जा सके। इस प्रक्रिया में, अपहरण होने के दिन से लेकर नवम्बर, 1995 के अन्त तक, अपहरणकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ कई बार अप्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क स्थापित किया गया, और उसके बाद किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं हुआ। इन सम्पर्कों के दौरान, बन्धकों को मानवीय आधार पर छुड़ाने और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न करने के लिए अपहरणकर्ताओं को राजी करने के प्रयास भी किए गए हैं। सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, राज्य के स्थानीय संगठनों, बन्धकों से संबंधित देशों की सरकारों और उनके परिवारों द्वारा भी मानवीय आधार पर अपीलें जारी की गई तथा अपहरण के कृत्य की समान रूप से निन्दा की गई।

2. पारदर्शिता की नीति के एक भाग के रूप में तथा बन्धकों की सुरक्षित रिहाई हेतु संयुक्त प्रयास करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रारंभ से ही अपहृत हुए व्यक्तियों के देशों के राजनयिकों के साथ लगातार निकट से सम्पर्क बनाए रखा है। इस प्रक्रिया में, समय-समय पर इन देशों के विशेषज्ञों को भी साथ लिया गया। आपसी विचार-विमर्श, सहयोग और विचारों का यह आदान-प्रदान जारी है।

3. अपहरणकर्ताओं ने अल-फरान नामक एक गुट से संबंधित होने का दावा किया है और कई पाकिस्तान राष्ट्रिकों/पाक अधिकृत कश्मीर के निवासियों, जो कि पाकिस्तान स्थित अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह, हरकत-उल-अंसार, के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, समेत 22 नामी और बेनामी आतंकवादियों को छोड़ देने की मांग की थी। इस

तथाकथित अल-फरान गुट का नाम पहले नहीं सुना गया था, तथा उपलब्ध सभी सूचनाओं से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि हरकत-उल-अंसार का एक मंच है। बन्धकों की रिहाई के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए राजनैयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान सरकार को राजी करने के भी प्रयास किए गए हैं। इसके साथ-साथ, जिन लोगों ने अपहरण को अंजाम दिया उनकी पहचान करने तथा बन्धकों और अपहरणकर्ताओं का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

प्राकृतिक गैस

860. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में इस समय कुल कितनी प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) राज्य में हर रोज कितनी गैस जल रही है; और

(ग) कुल कितनी गैस रसोई गैस प्रसंसाधित की जा रही है और राज्य में रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) गुजरात में फिलहाल गैस की लगभग 15.5 एम एम एस सी एम डी मात्रा उपयोग में लाई जा रही है।

(ख) गुजरात में फिलहाल गैस की 0.84 एम एम एस सी एम डी मात्रा दहन की जा रही है।

(ग) वर्तमान में गुजरात में एल पी जी निकर्षण के लिए गैस की लगभग 7 एम एम एस सी एम डी मात्रा संसाधित की जा रही है। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने गंधार में 370,000 एम टी पी ए क्षमता का नया एल पी जी संयंत्र स्थपित करने के लिए प्रस्ताव किया है।

खनिज भंडार

861. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास खनिज भंडारों की समुद्र-तलीय जल ताप विद्युत प्रणाली की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये भंडार व्यापक खनिज संसाधनों, प्लैटिनम, सोना, चांदी और अन्य धातुओं से समृद्ध हैं; और

(ग) इन संसाधनों के विकास और दोहन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से अंडमान और निकोबार समूह के समीप जल-तापीय क्रियाशीलता का पता चला है।

(ख) चूंकि जल-तापीय क्रियाशीलता, प्लैटिनम, सोना, चांदी आदि जैसी धातुओं के समृद्ध भंडारों का सर्जन करने में सहायक होती है, अतः राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान (एनआइओ) ऐसे भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रहा है।

(ग) सरकार जल-तापीय क्रियाशीलता क्षेत्रों की विस्तृत खोज के लिए एक अंतरविभागीय कार्यक्रम का समन्वय कर रही है।

[हिन्दी]

रसोई गैस का दुरुपयोग

862. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों पेट्रोमेक्स (गैस लालटेन) की बड़े पैमाने पर देश में बिक्री की जा रही है जिससे रसोई गैस की कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनकी गैर-कानूनी बिक्री को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ). सरकार ने फरवरी, 1993 के दौरान निजी उद्यमियों को समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत अपने नेटवर्क के माध्यम से बाजार निर्धारित मूल्यों पर एल पी जी का आयात और विपणन करने की अनुमति दी थी। एल पी जी का पेट्रोमेक्स (गैस लालटेन) में उपयोग करने के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, तेल कंपनियां विभिन्न स्तरों पर अपने डिस्ट्रीब्यूटरों का नियमित रूप से निरीक्षण करती हैं। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध बाजार अनुशासन दिशानिर्देशों बेचता पाया जाता है, तो दोषी डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध बाजार अनुशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

लेकिन यह समझा जाता है कि निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां विभिन्न पेट्रोलियम ईंधनों के आधार पर पेट्रोमेक्स बेच रही है, जिसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन ले लिया होगा।

[अनुवाद]

योजनाओं की समीक्षा

863. श्री सुरेश कोडीकुनील :
प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम क्या हैं और इनकी समीक्षा किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन योजनाओं की समीक्षा कब तक पेश की जाएगी;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु विभिन्न राज्यों को चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में अधिक धनराशि आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण जल सप्लाई तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम जैसी ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं की आवधिक रिपोर्टों, राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों, परियोजना निदेशक की कार्यशाला आदि की मार्फत सतत् रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, क्षेत्र अधिकारियों की योजना की मार्फत भी समीक्षा की जाती है जिसके अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से योजनाओं की समीक्षा हेतु एक अथवा दो राज्य सौंपे जाते हैं।

इस नियमित समीक्षा के अलावा योजनाओं की समीक्षा करने के लिए अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ). जी हां, 1995-96 की तुलना में 1996-97 के दौरान ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत आबंटनों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

एल पी जी एजेंसियां

864. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान विशेष रूप से जयपुर में पेट्रोल/डीजल पम्प और एल पी जी एजेंसियां आबंटित करने के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदकों को पेट्रोल/डीजल पम्प और एल पी जी एजेंसियां आबंटित किए जाने की संभावना है;

(ग) इनकी मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह कब तक आबंटित किये जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ). राजस्थान में विज्ञापित 59 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 47 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों, जिनमें से 5 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 5 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें जयपुर जिले के लिए हैं, के संबंध में तेल विपणन कंपनियों को बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। विज्ञापन देने तथा डीलर के चयन पश्चात् एक डीलरशिप/डिस्ट्रीब्टरशिप आरंभ करने के लिए सामान्यतया 1 1/2 वर्ष का समय लगता है।

पेट्रोलियम उत्पाद

865. श्री ई. अहमद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में किसी संस्था ने देश में, विशेषरूप से केरल में पेट्रोलियम उत्पादों का पता लगाने के लिए खनन कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे खनन कार्य करने के लिए दी जाने वाली धनराशि का मापदंड क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इससे परिचित है कि प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम का सह उत्पाद है वह विशेषरूप से बम्बई तथा कोचीन के तेल शोधक कारखानों में नष्ट हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख). जी हां। ओ एन जी सी, जिसने केरल के स्थलगत और अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य किए हैं, के अतिरिक्त भारत सरकार ने विभिन्न बोली दौरों के अन्तर्गत केरल-कोंकण अपतट सहित भारत के विभिन्न भागों में निजी पक्षकारों को भी ब्लाक दिए हैं। ओ एन जी सी में अन्वेषण के लिए धनराशियों का आबंटन तकनीकी और वाणिज्यिक प्राचलों के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ). प्राकृतिक गैस का उत्पादन किसी रिफाईनरी में नहीं किया जाता। तथापि किसी रिफाइनरी में कच्चे तेल को संसाधित करते समय "रिफाइनरी गैस" कहलाने वाली कुछ हल्की गैस का उत्पादन होता है। इस रिफाइनरी गैस का इस्तेमाल अधिकांशतः रिफाइनरी संक्रियाओं में किया जाता है तो भी बम्बई और कोचची रिफाइनरियों सहित सभी रिफाइनरियों में तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ न्यूनतम रिफाइनरी गैस का दहन करना पड़ता है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षमता उपयोग

866. श्रीमती शीला गौतम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की 50 प्रतिशत जल-विद्युत उत्पादन क्षमता पूर्वी भाग में विद्यमान है लेकिन इस क्षेत्र में इस क्षमता के 2 प्रतिशत भाग का ही उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र की जल विद्युत क्षमता उपयोग में वृद्धि करने के लिए क्या विशेष कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) पूर्वी क्षेत्र अर्थात् पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जल-विद्युत हेतु कुल शक्यता 60% भार अनुपात पर 37,447 मेवा. है, जिसमें से 1232.67 मेवा. (3.3%) का विकास कर लिया गया है तथा 1021.56 मेवा. (2.7%) विकासाधीन है।

(ख) जल-विद्युत शक्यता के समुपयोजन का स्तर, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में काफी कम है, जिसके प्रमुख कारण कम मांग, विद्युत निकासी संबंधी कठिनाइयां, वृहत जल-विद्युत परियोजनाओं के प्रति कुछ राज्यों का विरोध, कानून तथा व्यवस्था संबंधी समस्याएं, अंतः राज्यीय मुद्दे तथा पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति की समस्याएं हैं।

(ग) जल-विद्युत शक्यता का समुपयोजन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कुछ विशेष कदमों में, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय, प्रशासनिक और कानून प्रक्रियाओं में संशोधन करना, केन्द्र/संयुक्त क्षेत्र निगमों का गठन करना, जल-विद्युत परियोजनाओं के निकास हेतु परिव्यय में वृद्धि करना, केन्द्र/संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं हेतु बजटीय आवंटन में वृद्धि करना तथा विदेशी सहायता के जरिए जल-विद्युत परियोजनाओं हेतु निधियों की व्यवस्था करना शामिल है।

कच्चा तेल

867. श्री सौम्य रंजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कच्चे तेल का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन किस हद तक होने की सम्भावना है; और

(ग) देश में इस समय किन-किन स्थानों पर कच्चे तेल की खोज की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख). 1995-96 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 35.19 मि.मी. टन था। 1996-97 के दौरान लगभग 36 मि.मी. टन उत्पादन होने की आशा की जाती है।

(ग) निम्नांकित क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बनों के संबंध में अन्वेषण किया जा रहा है:—

- कच्छ की खाड़ी, केरल-कोंकण के पास गहरे समुद्र सहित पश्चिमी तट अपतट।,
- पूर्वी तट अपतट।
- उत्तर में काकीनाडा से दक्षिण में निजामपटनम तक आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र।
- पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित तमिलनाडु के अन्तर्गत कावेरी बेसिन।
- ऊपरी असम, ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे, धनसीरी घाटी और उत्तर पूर्व में कछार के क्षेत्र।
- पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात में कैम्बे बेसिन।
- हिमाचल प्रदेश में हिमालय की तराई तथा जम्मू-कश्मीर।
- मध्य प्रदेश में विंध्याचल/गोंडवाना क्षेत्र।
- राजस्थान।
- सौराष्ट्र अपतट।
- उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी।

[हिन्दी]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

868. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत एक वर्ष की अवधि के दौरान जून, 1996 तक चरम मांग के समय विद्युत का उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) देश में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और अन्य विद्युत उत्पादक संयंत्र (केन्द्र सरकार के अधीन और निजी) की वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए इसके उत्पादन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) मध्य प्रदेश में गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी बार मांग की गयी; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जुलाई, 1995 से जून, 1996 के दौरान देश में राज्यवार व्यस्ततमकालीन मांग, व्यस्ततमकालीन आपूर्ति और कमी संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) 31.3.96 के अनुसार देश में केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्रों में राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ग) विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों में अधिष्ठापित क्षमता का उच्चतम समुपयोजन करना, ताप-विद्युत केन्द्रों हेतु उचित गुणवत्ता तथा मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति को मानिटरिंग करना तथा विद्यमान विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करना शामिल हैं। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के अलावा, राज्यों तथा केन्द्र दोनों स्तरों पर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचालनाधीन परियोजनाओं का तीव्रता से क्रियान्वयन करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). मध्य प्रदेश ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए गैस आधारित विद्युत संयंत्रों हेतु-निम्नलिखित स्कीमों को प्रस्तुत किया है। इन स्कीमों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि कोई गैस लिकेज उपलब्ध नहीं है।

स्कीम का नाम	क्षमता (मेवा.)	के.वि.प्रा. में प्राप्ति की तिथि	टिप्पणियां
ग्वालियर सोसीजीटी	200	7/93	जब तक कि गैस लिकेज सुनिश्चित नहीं होते, तब तक नई स्कीम को प्रस्तुत करना होगा।,
ग्यालियन सीसीजीटी	817	6/91	वापिस कर दिया गया, क्योंकि एचवीजे पाइपलाईन से गैस को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
झबुआ सीसीजीटी	3×100 (जीटी) +1×150(एसटी) = 450	10/88	-वही-
राजगढ़ सीसीजीटी	3×100(जीटी) +1×150(एसटी) = 450	10/88	-वही-
विजय पुर सीसीजीटी	2×30(जीटी) +1×30(एसटी) = 90	7/91	-वही-

विवरण

राज्यवार व्यस्ततमकालीन मांग एवं व्यस्ततमकालीन आपूर्ति (जुलाई 1995-जून 1996)

राज्य/प्रणाली	(आंकड़े निवल मेवा.में)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
चंडीगढ़	
व्यस्ततम मांग	166
व्यस्ततम आपूर्ति	166
कमी	0
%	0.0
दिल्ली	
व्यस्ततम मांग	2150
व्यस्ततम आपूर्ति	2022
कमी	128
%	6.0
हरियाणा	
व्यस्ततम मांग	2150
व्यस्ततम आपूर्ति	1795
कमी	355
%	16.5

1	2
हिमाचल प्रदेश	
व्यस्ततम मांग	506
व्यस्ततम आपूर्ति	506
कमी	0
%	0.0
जम्मू और कश्मीर	
व्यस्ततम मांग	825
व्यस्ततम आपूर्ति	580
कमी	245
%	29.7
पंजाब	
व्यस्ततम मांग	4000
व्यस्ततम आपूर्ति	3840
कमी	160
%	4.0
राजस्थान	
व्यस्ततम मांग	2850
व्यस्ततम आपूर्ति	2754
कमी	96
%	3.4
उत्तर प्रदेश	
व्यस्ततम मांग	6550
व्यस्ततम आपूर्ति	5024
कमी	1524
%	23.3
उत्तरी क्षेत्र	
व्यस्ततम मांग	17900
व्यस्ततम आपूर्ति	15937
कमी	1963
%	11.0
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	
व्यस्ततम मांग	6100
व्यस्ततम आपूर्ति	4584
कमी	1516
%	24.9

1	2
मध्य प्रदेश	
व्यस्ततम मांग	5500
व्यस्ततम आपूर्ति	4255
कमी	1245
%	22.6
महाराष्ट्र	
व्यस्ततम मांग	8950
व्यस्ततम आपूर्ति	8094
कमी	856
%	9.6
गोआ	
व्यस्ततम मांग	204
व्यस्ततम आपूर्ति	204
कमी	0
%	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	
व्यस्ततम मांग	19760
व्यस्ततम आपूर्ति	16740
कमी	3020
%	15.3
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	
व्यस्ततम मांग	5830
व्यस्ततम आपूर्ति	4276
कमी	1554
%	26.7
कर्नाटक	
व्यस्ततम मांग	4250
व्यस्ततम आपूर्ति	2947
कमी	1303
%	30.7
केरल	
व्यस्ततम मांग	2005
व्यस्ततम आपूर्ति	1568
कमी	437
%	21.8

1	2
तमिलनाडु	
व्यस्ततम मांग	5365
व्यस्ततम आपूर्ति	4284
कमी	1081
%	20.1
दक्षिण क्षेत्र	
व्यस्ततम मांग	16170
व्यस्ततम आपूर्ति	12350
कमी	3820
%	23.6
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	
व्यस्ततम मांग	1710
व्यस्ततम आपूर्ति	931
कमी	779
%	45.6
डी.वी.सी.	
व्यस्ततम मांग	1530
व्यस्ततम आपूर्ति	1207
कमी	323
%	21.1
उड़ीसा	
व्यस्ततम मांग	1900
व्यस्ततम आपूर्ति	1531
कमी	369
%	19.4
पश्चिम बंगाल	
व्यस्ततम मांग	2775
व्यस्ततम आपूर्ति	2339
कमी	436
%	15.7
पूर्वी क्षेत्र	
व्यस्ततम मांग	7792
व्यस्ततम आपूर्ति	5845
कमी	1947
%	25

1	2
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	
अरुणाचलम प्रदेश	
व्यस्ततम मांग	54
व्यस्ततम आपूर्ति	43
कमी	11
%	20.41
असम	
व्यस्ततम मांग	500
व्यस्ततम आपूर्ति	472
कमी	28
%	5.6
मणिपुर	
व्यस्ततम मांग	76
व्यस्ततम आपूर्ति	73
कमी	3
%	3.9
मेघालय	
व्यस्ततम मांग	87
व्यस्ततम आपूर्ति	87
कमी	0
%	0.0
मिजोरम	
व्यस्ततम मांग	47
व्यस्ततम आपूर्ति	47
कमी	0
%	0.0
नागालैंड	
व्यस्ततम मांग	36
व्यस्ततम आपूर्ति	36
कमी	0
%	0.0
त्रिपुरा	
व्यस्ततम मांग	88
व्यस्ततम आपूर्ति	68
कमी	20
%	22.7

1	2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
व्यस्ततम मांग	860
व्यस्ततम आपूर्ति	770
कमी	90
%	10.5

1	2
अखिल भारत	
व्यस्ततम मांग	60981
व्यस्ततम आपूर्ति	49836
कमी	11145
%	18.3

विवरण-II

31.3.96 (अनंतिम) के अनुसार राज्यवार संक्षिप्त उत्पादन संयंत्र अधिष्ठापित क्षमता

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिष्ठापित क्षमता (मेवा.)			
		जल-विद्युत	ताप-विद्युत	न्यूक्लीय	जोड़
1	2	3	4	5	6
(1)	**उत्तरी क्षेत्र**				
1.	हरियाणा	883.90	896.42	0.00	1780.32
2.	हिमाचल प्रदेश	288.57	0.13	0.00	288.70
3.	जम्मू और कश्मीर	184.06	181.76	0.00	365.82
4.	पंजाब	1798.94	1710.00	0.00	3508.94
5.	राजस्थान	967.58	1013.50	0.00	1981.08
6.	उत्तर प्रदेश	1504.55	4570.19	0.00	6074.74
7.	चंडीगढ़	0.00	2.00	0.00	2.00
8.	दिल्ली	0.00	653.60	0.00	653.60
9.	केन्द्रीय क्षेत्र (उ.क्षे.)	1530.00	6862.00	895.00	9287.00
	जोड़ (उ. क्षे.)	7157.60	15889.60	895.00	23942.20
(2)	**पश्चिम क्षेत्र**				
1.	गोवा	0.05	0.11	0.00	0.16
2.	गुजरात	487.00	4841.47	0.00	5328.47
3.	दमन और दीव	845.86	3017.50	0.00	3863.36
4.	महाराष्ट्र	1780.22	8247.00	0.00	10027.22
5.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	केन्द्रीय क्षेत्र (प.क्षे.)	0.00	4652.00	860.00	5512.00
	जोड़ (प.क्षे.)	3113.13	20728.08	860.00	24731.21

1	2	3	4	5	6
(3)	**दक्षिणी क्षेत्र**				
1.	आंध्र प्रदेश	2655.94	2551.50	0.00	5207.44
2.	कर्नाटक	2409.55	967.92	0.00	3377.47
3.	केरल	1491.50	0.00	0.00	1491.50
4.	तमिलनाडु	1947.70	3119.35	0.00	5067.05
5.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	केन्द्रीय क्षेत्र (द. क्षे.)	0.00	4170.00	470.00	4640.00
	जोड़ (द. क्षे.)	8504.69	10808.77	470.00	19783.46
(4)	**पूर्वी क्षेत्र**				
1.	बिहार	164.90	1603.50	0.00	1768.40
2.	उड़ीसा	1271.92	420.00	0.00	1691.92
3.	पश्चिम बंगाल	96.51	3478.88	0.00	3575.39
4.	सिक्किम	30.89	2.70	0.00	33.59
5.	केन्द्रीय क्षेत्र (पू.क्षे.)	144.00	6217.50	0.00	6316.50
	जोड़ (पू.क्षे)	1708.22	11722.58	0.00	13430.80
(5)	**उत्तर-पूर्वी**				
1.	अरुणाचल प्रदेश	23.55	15.81	0.00	39.36
2.	असम	2.00	595.19	0.00	597.19
3.	मणिपुर	2.60	9.41	0.00	12.01
4.	मेघालय	186.71	7.05	0.00	193.76
5.	मिजोरम	3.37	21.07	0.00	24.44
6.	नागालैंड	3.20	3.62	0.00	6.82
7.	त्रिपुरा	16.01	53.35	0.00	69.36
8.	केन्द्रीय क्षेत्र (उ.पू.)	255.01	167.50	0.00	422.51
	जोड़ (उ.पू.क्षे.)	492.45	873.00	0.00	1365.45
(6)	**द्वीपसमूह**				
1.	अंडमान द्वीपसमूह एएमडीएस	0.00	29.47	0.00	29.47
2.	लक्षद्वीप	0.00	5.37	0.00	5.37
	जोड़ (द्वीपसमूह)	0.00	34.84	0.00	34.84
	केन्द्रीय क्षेत्र	1929.01	22069.00	2225.00	26223.01
	एसएस+पीएस	19047.08	38017.87	0.00	57064.95
	अखिल भारत	20976.09	60086.87	2225.00	83287.96
	प्रतिशत का जोड़	25.19	72.14	2.67	100.00

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

869. **डा. कृपासिंधु भोई :**
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए आठवीं योजनावधि के दौरान कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा का वर्ष-वार अनुपातः कितना उत्पादन हुआ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन/बचत करने के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान उन्नत चूल्हा, बायोगैस, बायोमास गैसीकरण, सौर प्रकाशवोल्टीय, सौर तापीय, पवन ऊर्जा; लघु पन बिजली, बायोमास कम्बस्टन एवं सह-उत्पादन, शहरी और नगरीय अपशिष्टों से ऊर्जा की प्रति-प्राप्ति आदि जैसे अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन व्यापक श्रेणी में किया जा रहा है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के लिए 942 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान (आईआरईपी) के अंतर्गत 85 करोड़ रुपये शामिल है) किया गया।

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान पवन, लघु पन बिजली, बायोमास कम्बस्टन एवं सह-उत्पादन, बायोमास गैसीकरण, बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय प्रणालियों एवं युक्तियों जैसे विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से वर्ष वार अनुमानित ऊर्जा उत्पादन/बचत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के माध्यम से अनुमानित ऊर्जा/बायोगैस उत्पादन/जलायन लकड़ी की बचत

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि/वर्ष		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	पवन, लघु पर बिजली, बायोमास कम्बस्टन एवं सहउत्पादन, सौर प्रकाशवोल्टीय के अंतर्गत विद्युत उत्पादन (मिलियन किवा. घं.)	417.56	532.17	894.76
2.	सौर तापीय ऊर्जा (मिलियन किवा. घं.)	4.40	5.40	8.80
3.	सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियां (मिलियन किवा. घं)	4.50	5.40	6.80
4.	बायोगैस संयंत्र (बायोगैस का उत्पादन लाख घन मी. में)	11.50	10.80	9.70
5.	उन्नत चूल्हा (अनुमानित जलावन लकड़ी की बचत लाख टन प्रतिवर्ष)	9.70	10.70	12.53
6.	बायोमास गैसीफायर (मिलियन किवा. घं.)	28.00	40.00	48.00

रख-रखाव एवं मरम्मत कोष

870. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए रख-रखाव एवं मरम्मत कोष में वृद्धि करने और इसे पूर्व प्रभाव से लागू करने का हाल ही में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार वार्षिक योजना निधियों का 10 प्रतिशत ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के रख रखाव और मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाना होता है। इसी प्रकार, राज्य क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की 10 प्रतिशत निधियों को भी संचलन और रख रखाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रख-रखाव और मरम्मत के लिए निधियों की बकाया जरूरतों को राज्य सरकार की गैर योजना निधियों तथा प्रयोक्तओं द्वारा दिए गए अंशदान से पूरा किया जाना होता है।

पनकी ग्रिड में आग

871. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर में पनकी ग्रिड में आग की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस घटना के कारण कुल कितनी हानि हुई; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) इस कलैण्डर वर्ष के दौरान पनकी, कानपुर स्थित 400 के.वी. और 220 के.वी. उपकेन्द्र पर आग की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

तेल निकलना

872. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम भारत में तेल निकालने के लिए कितने अनिवासी भारतीयों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन किये गए हैं;

(ख) सरकार को 1992-93, 1993-94 के दौरान तथा आज तक अनिवासी भारतीयों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिन-जिन कम्पनियों को अनुमति प्रदान की गई उनका ब्यौरा क्या है तथा उनकी शर्तें क्या हैं;

(घ) अनिवासी भारतीयों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पश्चिम भारत में तेल निकालने हेतु कितने केन्द्रों का चयन किया गया है; और

(ङ) इन कम्पनियों द्वारा कब तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा तथा प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख). 1992-93, 1993-94 और 1994 (अप्रैल) से आज तक के दौरान पश्चिमी भारत में तेल और गैस के अन्वेषण और विकास के लिए जिन अनिवासी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बोलियां भेजी थीं उनकी संख्या नीचे दी गई है :

अवधि	अनिवासी भारतीयों/ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या
1992-93	35
1993-94	20
1994 (अप्रैल) से आज तक	11

(ग) और (घ). उक्त अवधि के दौरान पश्चिमी भारत में जिन कंपनियों और अन्वेषण ब्लाकों/अन्वेषा किए गए क्षेत्रों के लिए ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

1992-93 — शून्य

1993-94 — शून्य

1994 (अप्रैल) से आज तक

ब्लाक का नाम	स्थान	अन्वेषण ब्लाक ठेकों पर हस्ताक्षर निम्नलिखित द्वारा किए गए
आर.जे-ओ एन-90/1	राजस्थान	भारत सरकार, ओ एन जी सी, शेल इंडिया उत्पादन विकास बी वी नीदरलैड्स।

छोटे और मध्यम आकार के अन्वेषण किए गए क्षेत्र

क्षेत्र का नाम	स्थान	ठेकों पर हस्ताक्षर निम्नलिखित द्वारा किए गए
1	2	3
भांदुत	गुजरात	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन भारत तथा कनाडा की नीको रिसोर्सेज
मतार	-वही-	-वही-
कैम्बे	-वही-	-वही-
साबरमी	-वही-	-वही-
हजीरा	-वही-	-वही-
पन्ना-मुक्ता	बम्बई अपतट	भारत सरकार, ओ एन जी सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत एनरान एक्स्प्लोरेशन कंपनी।,
मध्य एवं दक्षिण तापती	-वही-	-वही-
असजोल	गुजरात	एच ओ ई सी, भारत, जी एस पी सी एल, भारत तथा पेट्रोडाइन इंक अमेरिका।

1	2	3
ढोलका	गुजरात	एल एंड टी लिमिटेड, भारत तथा जोशी टेक्नोलाजी इंटरनेशनल इंक, अमेरिका।
वैवेल	-वही-	-वही-
इन्द्रोरा	-वही-	सेलन एक्स्प्लोरेशन टेक्नोलाजीज लिमिटेड, नई दिल्ली।
बकरोल	-वही-	-वही-
लोहार	-वही-	-वही-
बाओला	-वही-	इंटरलिंक पेट्रोलियम लिमिटेड, बड़ौदा

अन्वेषण ब्लाकों के लिए संविदाएं उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं हैं जिसमें कच्चे तेल तथा संबद्ध गैस के मामले में संविदा की अवधि 25 वर्ष तक हैं। कंपनियां बोनस तथा सांविधिक उद्ग्रहणों के भुगतान से मुक्त हैं। इन संविदाओं के तहत उत्पादन तेल के संबंध में भारत सरकार को अस्वीकार करने का प्रथम अधिकार है जिसमें कंपनियों को उनके हिस्से के तेल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का भुगतान किया जाएगा। उक्त उद्यम में अन्वेषण और/अथवा विकास चरण में ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा भागीदारी का प्रावधान किया गया और ओ एन जी सी/ओ आई एल उक्त उद्यम में 30% से 40% भागीदारी हित ले सकती है। वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य प्राकृतिक गैस स्रोतों के विकास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मध्यम आकार के क्षेत्रों को संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विकसित किया जाएगा जिसमें एक ओर आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी एल) आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) तथा दूसरी ओर निजी कंपनियां होंगी। ओ एन जी सी/ओ आई एल उद्यम में 40% का हिस्सा लेंगे। भारत सरकार के साथ कंपनियों द्वारा हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के तहत छोटे आकार के क्षेत्रों को कंपनियों द्वारा स्वयं विकसित किया जाएगा जिसमें ओ एन जी सी/ओ आई एल भाग नहीं लेंगी। इन दोनों मामलों में कंपनियों को अपने हिस्से के रायल्टी, उपकर आदि जैसे सांविधिक उद्ग्रहणों को वहन करना होगा। तेल के अन्वेषण में लगी विदेशी कंपनियों पर 50% की नियत दर पर आयकर लगाया जाएगा जबकि भारतीय कंपनियां आयकर के संगत प्रावधानों से शासित होंगी। इसके अतिरिक्त निजी कंपनियां लाभ तेल का सरकार के साथ हिस्सा बाटेंगी।

(ङ) अन्वेषण किए गए क्षेत्रों से 1995-96 के दौरान 0.64 एम टी कच्चा तेल और 328.9 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन हुआ था।

पंचायतीराज संस्थाएं

873. श्री राम नाईक : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व पंचायतों को प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के लिए विधान बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कानून को राज्य-वार किस हद तक कार्यान्वित किया गया है;

(ग) कौन-कौन से राज्य अब तक पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराने में विफल रहे हैं; और

(घ) किन-किन राज्यों में राज्य वित्त आयोग को स्थापना की गई है तथा उनमें से कितने आयोगों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां। पंचायतों के संबंध में संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, जो कि 24 अप्रैल, 1993 से लागू हो गया है, में अन्य बातों के अलावा राज्य विधान मंडलों द्वारा पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करने की व्यवस्था है। उन सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के प्रावधान लागू हैं, ने आवश्यक राज्य कानूनों को पारित कर दिया है तथा इनको कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ग) पंचायतों के सभी स्तरों पर चुनाव बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, लक्षद्वीप, और पांडिचेरी में होने हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव पर्वतीय जिलों में होने हैं। मणिपुर और गोवा में जिला स्तरीय पंचायतों के चुनाव होने हैं।

(घ) उन लगभग सभी राज्यों में जहां संविधान (73वां) अधिनियम, 1992 लागू है में राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोगों को इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों के राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। पंजाब राजस्थान, असम, केरल और पश्चिम बंगाल के राज्य वित्त आयोगों द्वारा अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने की सूचना मिली है।

गैस/कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

874. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) द्वारा कितने गैस एवं कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है;

(ख) इनमें से प्रत्येक कोयला एवं गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता क्या है;

(ग) क्या इन विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक संयंत्रों द्वारा अलग-अलग कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अभी तक देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 11 कोयला आधारित परियोजनाओं और 5 कम्बाइंड साइकिल गैस/तरल ईंधन आधारित विद्युत परियोजनाओं को आरंभ किया है। इनके अतिरिक्त, एक कम्बाइंड साइकिल विद्युत परियोजना (नापथा) और दो विद्यमान कोयला आधारित परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ख) से (घ). विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन क्षमता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वे सभी विद्युत संयंत्र जिन्हें चालू किया गया है, विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं।

विवरण

चालू/प्रचालनाधीन विद्युत परियोजनाएं

1. चालू परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	उत्पादन क्षमता	अवस्थित (राज्य)
1	2	3	4	5
1.	सिंगरोली एसटीपीपी (कोल)	2000	2000	उत्तर प्रदेश
2.	रिहंद एसटीपीपी (कोल)	1000	1000	उत्तर प्रदेश
3.	नेशनल कैपिटल पावर प्रोजेक्ट (कोल)	840	840	उत्तर प्रदेश
4.	फिरोज गांधी ऊंचाहार टी पी पी स्टेज I (कोल)	420	420	उत्तर प्रदेश
5.	दादरी सीसीजीबीपीपी (गैस)	817	817	उत्तर प्रदेश
6.	अंता सीसीजीबीपीपी (गैस)	413	413	राजस्थान
7.	औरैया सीसीजीबीपीपी (गैस)	652	652	उत्तर प्रदेश
8.	विन्ध्याचल एसटीपीपी स्टेज I (कोल)	1260	1260	मध्य प्रदेश
9.	कोरबा एसटीपीपी (कोल)	2100	2100	मध्य प्रदेश
10.	कवास सीसीजीबीपीपी (गैस)	645	645	गुजरात
11.	झनोर-गंधार सीसीजीबीपीपी (गैस)	648	48	गुजरात
12.	रामागुंडम एसटीपीपी (कोल)	2100	2100	आंध्र प्रदेश
13.	फरक्का एसटीपीपी (कोल)	1600	1600	पश्चिम बंगाल
14.	कहलगांव एसटीपीपी (कोल)	840	840	बिहार
15.	तलचेर एसटीपीपी (कोल)	1000	1000	उड़ीसा
16.	तलचेर थर्मल पावर स्टेशन (कोल)	460	460	उड़ीसा
	जोड़-1	16795	16795	

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित क्षमता (मे.वा.)	वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	उत्पादन क्षमता (मे.वा.)	अवस्थित (राज्य)
II.	कायमकुलम सीसीपीपी नापथा	400	शून्य	लागू नहीं	केरल
III.	विद्यमान परियोजनाओं का निर्माणाधीन विस्तार				
1.	फिरोज गांधी ऊंचाहार आई पीपी चरण-2 (कोयला)	420	शून्य	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश
2.	विन्ध्याचल एसटीपीपी स्टेज-2 (कोयला)	1000	शून्य	लागू नहीं	मध्य प्रदेश
	जोड़ 2 + 3	1820	-	-	-
	जोड़ 1+2+3	18615	16795	16795	

उपरोक्त केअलावा, फरक्का एसटीपीपी चरण-3 हेतु 500 मे.वा. को भी अनुमोदित किया गया है। तथापि, पूर्वी क्षेत्र में मांग की कमी के कारण परियोजना को आरंभ नहीं किया गया है।

एसटीपीपी-सुपर ताप विद्युत परियोजना

टीपीपी-ताप विद्युत परियोजना

सीसीजीबीपीपी-कम्बाईड साइकल गैस आधारित विद्युत परियोजना

सीसीपीपी-कम्बाईड साइकल विद्युत परियोजना

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

875. श्री जी.जी. स्वैल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट आई है और इराक को निकट भविष्य में 2 बिलियन टन कच्चे तेल की बिक्री करने की अनुमति मिलने के साथ ही ये मूल्य और भी कम हो जायेंगे;

(ख) विश्व बाजार में कच्चे तेल का वर्तमान मूल्य क्या है; और

(ग) देश में पेट्रोल और पेट्रोल उत्पादों के सरकारी मूल्यों में असामान्य वृद्धि के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). तेल बाजार एक अत्यधिक परिवर्तनशील बाजार है तथा तेल मूल्य अस्थिर हैं और यह आपूर्ति/मांग मूल सिद्धान्तों के अन्तर्गत परिवर्तनों, बाजार के उतार-चढ़ावों, प्रमुख तेल उत्पादक/उपभोक्ता देशों इत्यादि के अन्तर्गत राजनीतिक गतिविधियों द्वारा शासित होते हैं।

(ग) तेल पूल लेखे के घाटे को नियंत्रित करने और इस प्रकार तेल कंपनियों को देश में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति कायम रखने के लिए समर्थ बनाने हेतु मूल्य वृद्धि की आवश्यकता हुई है।

दामोदर घाटी निगम परियोजना के कारण विस्थापित लोग

876. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वित होने के परिणाम स्वरूप बहुत से ग्रामीणों को उनके गांवों से विस्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वित होने के परिणामस्वरूप 20,646 परिवार (लगभग) अपने मूल गांवों से विस्थापित हो गए हैं।

(ग) दामोदर घाटी निगम ने सभी प्रभावित विस्थापित परिवारों को पूरा मुआवजा दे दिया है। पुनः स्थापित स्थलों पर जीवन की दिन प्रतिदिन की सभी आवश्यक बुनियाद सुविधाएं प्रदान की गई हैं। दामोदर घाटी निगम में वर्क चार्जड संस्थापन तथा मस्टररोल कार्यों, दोनों में नियुक्ति के लिए इन विस्थापित परिवारों को पहली प्राथमिकता प्रदान की गई है। सामाजिक समन्वित कार्यक्रम के अधीन विस्थापितों को उनके पुनः स्थापन के लिए रियायती ऋण एवं निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया गया है।

सलाल जल विद्युत परियोजना

877. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाल जल विद्युत परियोजना में इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुसार विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर में स्थिति नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन की सलाल जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन, अन्य बातों के साथ-साथ जल के प्रवाह पर निर्भर करता है। चालू वर्ष के दौरान अप्रैल-जून, 1996 की अवधि के लिए 619 मिलियन यूनिट के लक्ष्य के मुकाबले 698.39 मि.यू. का वास्तविक उत्पादन हुआ।

(ग) बरसात के महीनों में जल में भारी गाद आ जाने के कारण परियोजना के प्रचालन में बाधाएं आती हैं, जिससे उत्पादन यूनिटें बार-बार बंद हो जाती हैं। गाद की नियंत्रित करने तथा विद्युत स्टेशनों के निष्पादन में और सुधार लाने के लिए एन.एच.पी.सी तकनीकी उपाय कर रहा है।

पट्टा अवधि में परिवर्तन

878. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में पट्टे वाली जमीन को "फ्रीहोल्ड" में बदलने की योजना में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू) : (क) जी हां।

(ख) स्कीम में संशोधन के तहत प्रभारों में माफी का प्रावधान इस प्रकार है :

(1) ऐसी पुनर्वास कालोनियों में, जहां प्रथम बिक्री पर अनार्जित आय-बढ़त के भुगतान की छूट है और पट्टाधारी को, पट्टे की शर्तों व निबंधनों के अनुसार, नाम-मात्र का अर्थात् रु. 1/- का जमीनी-लगान देना होता है, मूल पट्टों के प्रसंग में 50% की माफी।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित नये फ्लैटों, समूह-आवास समितियों द्वारा निर्मित फ्लैटों तथा भूमि व विकास कार्यालय द्वारा आबंटित मकानों के प्रसंग में परावर्तन शुल्क में 33 1/3% की माफी।

(3) अन्य पट्टों तथा पट्टा शर्तों के अनुसरण में विक्रय अनुमति लेने के बाद कई बार बेची गयी सम्पतियों के प्रसंग में, परावर्तन शुल्क में 25% की छूट।

(4) यह स्कीम "एशियाड विलेज कम्पलैक्स" के आबंटियों/पट्टाधारियों के लिए भी सुलभ करा दी गयी है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प

879. श्री बची सिंह रावत बचदा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अकोरा तथा पिथौरागढ़ पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वहां पेट्रोल पम्पों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक तहसील तथा ब्लाक मुख्यालय में पेट्रोल पम्प की सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग). खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों ऐसे स्थानों पर खोली जाती हैं, जो तेल उद्योग के मात्रा-दूरी मानकों के अनुरूप होते हैं। यह डीलरशिपें प्रत्येक तहसील और प्रखंड मुख्यालय को शामिल करने के आधार पर नहीं खोली जाती हैं। तदनुसार उत्तर प्रदेश अल्मोड़ा जिले में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप खोलने के लिए एक स्थान को 1993-96 की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में शामिल कर लिया गया है। विज्ञापन की तिथि से सुविधा के आरंभ होने तक आमतौर पर एक से दो वर्ष का समय लगता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

880. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन का कार्य आरंभ करने के लिए विद्युत वित्त निगम से 280 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एपीएसईबी) के आवेदन पत्र पर विद्युत वित्त निगम ने कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन के लिए लीज वित्तपोषण के रूप में 280 करोड़ रु. की धनराशि पहले ही स्वीकृत कर दी है। एपीएसईबी को उनके द्वारा किए गए दावे के आधार पर 234.27 करोड़ रु. की धनराशि पहले ही मुहैया करा दी गई है। जैसे ही थर्मल विद्युत स्टेशन के लिए की गई आपूर्तियों के लिए एपीएसईबी दावे प्रस्तुत करेगा, उसे शेष धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा। जैसाकि उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि एपीएसईबी को ऋण प्रदान करने में विद्युत वित्त निगम की ओर से कोई देरी नहीं हुई है।

जम्मू और कश्मीर में आंतकवाद

881. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में प्रत्येक माह कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा कितने गिरफ्तार किए गए;

(ख) इनमें से कितने सुरक्षाकर्मी थे तथा कितने आतंकवादी/विघटनकारी थे;

(ग) इस वर्ष जनवरी से प्रत्येक माह स्कूलों सहित कुल कितने निजी तथा सरकारी गृहों को क्षति पहुंचाई गई;

(घ) इस बढ़ती हुई हिंसा विशेषरूप से अपहरण के मामलों के क्या कारण हैं; और

(ङ) फिरौती के कितने मामले पुलिस को बताये गए तथा इनमें कितनी-कितनी राशि अन्तग्रस्त थी?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यम) : (क) जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 1996 के दौरान (जनवरी से जून, 1996 तक), उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 1372 व्यक्ति मारे गए थे, 1070 घायल हुए और 1192 गिरफ्तार किए गए, माहवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

माह	मारे गए	घायल हुए	गिरफ्तार
जनवरी	224	118	99
फरवरी	235	136	94
मार्च	231	100	134
अप्रैल	259	238	241
मई	234	226	38
जून	189	202	39

(ख) मारे गए व्यक्तियों में 702 सिविलियन, 604 उग्रवादी तथा सुरक्षा बलों के 66 कार्मिक शामिल थे। 795 सिविलियन तथा सुरक्षा बलों के 225 कार्मिक घायल हुए।

(ग) इस अवधि के दौरान आतंकवादी हिंसा में 418 निजी इमारतें तथा 92 सार्वजनिक इमारतों/सम्पत्तियों के, क्षतिग्रस्त/नष्ट हो जाने की सूचना है।

(घ) पिछले वर्ष की तुलना में समग्र हिंसा के स्तर में कमी आई है यद्यपि, उग्रवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनका अपहरण भारी संख्या में जारी रहा। इस अवधि के दौरान 352 व्यक्ति अपहृत किए गए। इन लक्षणों से आतंकवादियों की इस बढ़ती प्रवृत्ति का पता चलता है कि वे आसान लक्ष्यों पर छिपकर हमले करने का सहारा ले रहे हैं और इससे यह भी प्रकट होता है कि सुरक्षा बलों के बढ़े हुए एवं प्रभावी दबाव से तथा उनकी अपनी गतिविधियों से लोगों का मोह भंग होने और उनके प्रति प्रकट क्षोभ के कारण उनमें हताशा बढ़ती जा रही है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान धन ऐंठने के 79 मामलों की सूचना प्राप्त हुई जिसमें 14,99,668 रु. की राशि शामिल थी।

पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण

882. श्री परस राम भारद्वाज : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण आयोजना संबंधी एक परियोजना प्रयोजित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के उद्देश्य और इसके लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के उपलक्ष्य में इस मंत्रालय ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के निकट सहयोग से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं के चुने हुए कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु एक गहन कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता की चुने हुए कार्यकर्ताओं की मार्फत स्व-शासन प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी को मजबूत बनाना है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में एक चुने राज्य अर्थात् मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों के चुने हुए सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लक्षित समूह के लाभ के लिए परियोजना में एक बहुआयामी सिद्धांत अर्थात् छपी हुई सामग्री का स्वयं पठन, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम और स्थानीय सम्पर्क कार्यक्रम तथा सरल भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वार्षिक योजना परिव्यय

883. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित अनेक राज्यों के लिए वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) मुख्य योजना शीर्षों और उपशीर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों की अनुमानित अर्द्धवार्षिक जनसंख्या के आधार पर दिल्ली सहित राज्यों के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष परिव्यय का प्रधान ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु विकास के विभिन्न मुख्य/गौण शीर्षों के अन्तर्गत वार्षिक योजना परिव्यय का उल्लेख करने वाले विवरण योजना आयोग के वार्षिक योजना के क्रमशः वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए दस्तावेजों में दिये गये हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 1996-97 के वार्षिक योजना परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सभी राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय से सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वार्षिक योजनाएं 1994-95 और 1995-96 राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना (1994-95) प्रति व्यक्ति परिव्यय	वार्षिक योजना (1995-96) प्रति व्यक्ति परिव्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	302	441
2.	अरुणाचल प्रदेश	3571	4901
3.	असम	436	576
4.	बिहार	258	263
5.	गोवा	1458	1650
6.	गुजरात	511	585
7.	हरियाणा	579	692
8.	हिमाचल प्रदेश	1181	1337
9.	जम्मू और कश्मीर	1142	1235
10.	कर्नाटक	691	744
11.	केरल	413	501
12.	मध्य प्रदेश	389	402
13.	महाराष्ट्र	522	688
14.	मणिपुर	1210	1477
15.	मेघालय	1467	1564
16.	मिजोरम	2715	2877
17.	नागालैंड	1638	1732
18.	उड़ीसा	580	481
19.	पंजाब	681	775
20.	राजस्थान	519	664
21.	सिक्किम	2987	4111
22.	तमिलनाडु	476	549
23.	त्रिपुरा	1042	1149
24.	उत्तर प्रदेश	309	365
25.	पश्चिम बंगाल	237	282
26.	दिल्ली	1473	1569

टिपपणी : भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के जनसंख्या अनुमानों पर आधारित

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्ड

884. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों को अधिक अर्थक्षम और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) आमतौर पर राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) के निरंतर असंतोषजनक भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्रेषित अपने विभिन्न पत्रों में राज्य विद्युत क्षेत्र के सुधार/पुनर्संरचना की आवश्यकता पर जोर डाला है।

(ख) कई राज्यों नामशः हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भौतिक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से निदानात्मक अध्ययन आरंभ किए गए हैं। एक नया सुधार कानून नामशः उड़ीसा सुधार अधिनियम, 1996 पारित किया गया है और इसे उड़ीसा राज्य में 1.4.1996 से लागू किया गया। कुछ अन्य राज्य भी इस प्रकार के कदम उठाए जाने पर विचार कर रहे हैं।

(ग) राज्यों को अपने राज्य बिजली बोर्डों की पुनर्संरचना किए जाने हेतु प्रोत्साहित करने के अलावा राज्य बिजली बोर्डों को और अधिक व्यवहार्य बनाए जाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में, उनके उत्पादन में सुधार लाना, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना, स्थापना लागतों को कम करना, बेहतर प्रबंधन पद्धतियों एवं परियोजना क्रियान्वयन क्षमताओं को प्रोत्साहन देना तथा पूंजीगत पुनर्संरचना शामिल हैं।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

885. जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सातवीं योजना में निर्धारित किया गया विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वस्तुस्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विगत अनुभवों के आधार पर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय किए हैं; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए देश में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). सातवीं योजना के विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन के लक्ष्य एवं वास्तविक उपलब्धि निम्नवत थे :—

(बिलियन यूनिट)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1985-86	170.0	170.3	100.0
1986-87	190.0	187.7	98.7
1987-88	205.0	201.9	98.5
1988-89	226.5	221.1	97.6
1989-90	251.3	245.4	97.5

(ङ) और (च). उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों में पर्याप्त ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बेहतर प्रबंधकीय पद्धतियों एवं परिसमापन तथा समय-समय पर संयंत्र का रख-रखाव एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य शुरू करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

परियोजनाओं को स्वीकृति

886. श्री ई. अहमद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन सभी विद्युत परियोजनाओं से, जिन्हें केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने सिद्धांततः स्वीकृति प्रदान कर दी है, अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) जी, हां। सभी राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को यह निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी निजी विद्युत परियोजनाओं के प्रवर्तक, जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा "सिद्धांत रूप में" स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, के.वि.प्रा. की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 31.3.97 तक सुनिश्चित लागत अनुमानों सहित अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करें।

ग्रामीण विकास योजनाएं

887. डा. कृपासिंधु भोई :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बेहतरी के लिए तैयार और कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं की राज्यवार क्या-क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के माध्यम से अनुमानतः राज्यवार कितने लोगों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराया गया?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). सम्पूर्ण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं हैं : (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना (3) सुनिश्चित रोजगार योजना तथा (4) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे ग्रामीण गरीब परिवारों का पता लगाकर उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपनी आय बढ़ा सकें तथा ऋण पर आधारित उत्पादक परिसम्पतियों को प्राप्त करके तथा ऋण पर आधारित उत्पादक स्वरूप की प्राप्ति से उन्हें सतत् रोजगार मिलेगा जिससे वे गरीबी की रेखा को पार कर सकेंगे। ट्राइसेम, जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप योजना भी केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के ग्रामीण युवाओं को बेसिक, तकनीकी तथा प्रबंधकीय कौशल प्रदान करना है ताकि वे अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्व रोजगार तथा मजदूरी रोजगार पा सके।

जवाहर रोजगार योजना, लाभकारी सामुदायिक परिसम्पतियों के सृजन द्वारा ग्रामीण गरीबों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए लाभकारी मजदूरी रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुंओं की योजना 31.12.1995 तक जवाहर रोजगार योजना की उप योजनाएं थी। 1.1.1996 से इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुंओं की योजना स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर 1993 को देश के 27 राज्यों के 1758 विकास खंडों में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी लोगों जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं और रोजगार की तलाश में हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है, को सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है। वर्तमान में सुनिश्चित रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में देश के 3206 विकास खंडों में कार्यान्वित की जा रही है।

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में कवर न की गई सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी को स्थायी रूप से शुद्ध पेयजल मुहैया करना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत जिन लोगों को लाभप्रद रोजगार मुहैया किया गया है उनकी संख्या सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्धियां राज्यवार संलग्न विवरण-I से IV में दी गई हैं।

विवरण-I

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ट्राइसेम के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ	के दौरान सहायता किए गय			रोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवाओं		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	259697	159908	122863	9516	9840	10569
2.	अरुणाचल प्रदेश	9972	18764	14381	797	332	920
3.	असम	63172	62584	58547	2826	2944	3059
4.	बिहार	332625	224736	265525	6728	6300	7363
5.	गोवा	2747	2192	2448	696	1797	0
6.	गुजरात	79725	72418	55686	4630	6519	4132
7.	हरियाणा	33000	28285	29771	3708	2489	2258
8.	हिमाचल प्रदेश	7005	7355	6750	732	3831	699
9.	जम्मू और कश्मीर	7266	13545	13176	147	103	422
10.	कर्नाटक	122275	125810	119685	5551	4210	8200
11.	केरल	53698	46294	43357	41033	5321	4265
12..	मध्य प्रदेश	240486	210629	210692	32442	15343	35733

1	2	4	5	6	7	8	9
13.	महाराष्ट्र	206267	196677	181597	12190	8437	3321
14.	मणिपुर	6302	7658	2774	258	144	77
15.	मेघालय	2561	6020	4534	114	45	162
16.	मिजोरम	4684	3345	5085	554	414	524
17.	नागालैंड	4368	1220	211	450	450	0
18.	उड़ीसा	160000	139837	120669	9087	10612	4498
19.	पंजाब	33736	22701	11786	2441	2240	1690
20.	राजस्थान	116567	107799	92818	3778	2313	2798
21.	सिक्किम	1218	1281	2843	0	0	0
22.	तमिलनाडु	214888	201221	150648	5552	6628	1750
23.	त्रिपुरा	16297	21818	14657	545	1723	1665
24.	उत्तर प्रदेश	445403	369725	355916	35505	28887	31507
25.	पश्चिम बंगाल	73818	159722	161724	8347	10022	10232
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1171	1126	591	53	124	95
27.	दादर और नगर हवेली	372	302	274	0	0	0
28.	दमन और द्वीव	507	97	89	0	6	0
29.	लक्षद्वीप	81	100	18	0	1	6
30.	पांडिचेरी	1407	1221	1563	173	356	326
	अखिल भारत	2538320	2214390	2050678	150923	131431	136271

विवरण–II

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित रोजगार तथा किया गया खर्च

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सृजित रोजगार			किया गया खर्च		
		1993–94*	1994–95* (लाख श्रमदिन)	1995–96*	1993–94*	1994–95* (लाख रुपये में)	1995–96*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1028.90	812.25	701.57	32815.59	36264.38	34556.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.85	5.58	8.24	191.60	222.22	357.12
3.	असम	278.24	263.29	179.08	7911.51	10386.94	9583.33
4.	बिहार	1474.25	986.88	1197.03	68523.99	50731.49	62281.95
5.	गोवा	8.53	6.45	8.38	353.83	372.24	363.47
6.	गुजरात	232.64	258.48	209.42	11715.95	14166.06	12824.42
7.	हरियाणा	33.29	33.96	33.50	2164.35	2583.42	3304.78
8.	हिमाचल प्रदेश	34.54	28.87	21.45	1303.08	1150.10	1001.19
9.	जम्मू और कश्मीर	32.16	88.04	48.23	1406.91	3813.23	2534.58

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	651.30	499.67	524.89	19257.68	23746.02	24908.70
11.	केरल	120.43	101.01	127.75	7788.38	7234.60	8888.24
12.	मध्य प्रदेश	849.24	1075.25	759.46	40178.27	50503.16	42377.25
13.	महाराष्ट्र	1188.50	1100.73	1014.47	27015.01	36760.33	39801.56
14.	मणिपुर	6.68	7.16	9.34	301.82	370.54	506.22
15.	मेघालय	9.55	8.50	4.86	359.46	407.31	200.28
16.	मिजोरम	6.32	5.72	5.20	350.70	336.38	284.56
17.	नागालैंड	16.02	8.47	5.76	668.66	410.70	264.07
18.	उड़ीसा	522.96	604.51	678.31	21493.65	25542.96	28671.48
19.	पंजाब	38.57	24.36	6.44	1922.31	1673.48	408.38
20.	राजस्थान	450.37	545.58	361.72	15875.91	19909.03	18204.39
21.	सिक्किम	10.14	7.03	9.27	273.07	189.21	618.83
22.	तमिलनाडु	881.10	1027.66	1069.75	27324.02	33982.35	39415.70
23.	त्रिपुरा	23.41	29.02	18.43	838.66	1131.61	788.23
24.	उत्तर प्रदेश	1791.16	1395.94	1532.46	71511.16	74606.88	83562.16
25.	पश्चिम बंगाल	554.03	580.82	414.75	25915.32	29856.99	30492.80
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.81	2.59	2.59	107.20	161.26	161.26
27.	दादरा व नागर हवेली	2.34	2.07	0.64	80.68	91.41	33.18
28.	दमन और दीव	0.59	0.55	1.11	25.94	27.36	55.02
29.	लक्षद्वीप	2.21	1.91	1.05	73.58	80.27	40.86
30.	पांडिचेरी	4.27	4.72	3.10	122.53	121.21	199.85
	कुल	10258.40	9517.07	8958.25	387870.82	426833.14	446690.62

* – गहन जवाहर रोजगार योजना सहित

विवरण–II

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत खर्च/रोजगार सृजन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	खर्च (लाख रुपये में)			रोजगार सृजन (लाख श्रम दिन)		
		1993–94	1994–95	1995–96	1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2566.02	13787.18	12249.54	62.42	277.24	252.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	136.17	862.81	1956.55	3.64	20.84	50.67
3.	असम	963.09	4115.31	9822.98	31.75	95.50	181.85
4.	बिहार	1608.36	9639.54	12901.12	31.44	193.72	254.44
5.	गुजरात	146.21	1809.97	5751.65	6.75	35.26	92.45
6.	हरियाणा	993.85	2901.53	3814.72	15.20	34.64	52.11
7.	हिमाचल प्रदेश	2.47	115.02	455.55	0.05	3.20	6.86

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	जम्मू व कश्मीर	133.75	2338.55	6715.49	3.46	59.85	129.96
9.	कर्नाटक	678.26	8024.38	12144.91	32.12	177.45	268.74
10.	केरल	171.20	1901.38	2241.90	2.60	27.64	32.47
11.	मध्य प्रदेश	2503.49	17959.01	22951.66	51.26	363.78	388.02
12.	महाराष्ट्र	430.10	7617.01	10295.49	31.53	233.89	293.23
13.	मणिपुर	116.89	1327.52	1337.11	3.06	28.60	31.21
14.	मेघालय	0.00	65.88	499.80	0.00	1.39	8.30
15.	मिजोरम	470.98	2206.36	2023.87	8.52	41.74	40.91
16.	नागालैंड	975.15	1124.87	1470.39	33.92	28.81	34.46
17.	उड़ीसा	1280.35	11655.94	13133.80	31.43	281.24	311.06
18.	राजस्थान	926.99	10876.32	14770.06	50.00	273.11	288.02
19.	सिक्किम	20.27	243.04	778.31	0.82	8.50	16.01
22.	तमिलनाडु	319.48	4409.34	7581.23	10.96	141.29	211.35
21.	त्रिपुरा	659.35	2375.65	1321.03	16.14	60.35	28.03
22.	उत्तर प्रदेश	647.68	8908.28	16731.98	15.00	165.63	318.23
23.	पश्चिम बंगाल	2621.00	9220.72	9929.64	52.53	184.79	143.08
24.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2.41	42.11	10.28	0.10	0.57	0.11
25.	दादर और नगर हवेली	1.51	3.16	20.17	0.04	0.10	0.23
26.	दमन और द्वीव	0.00	3.46	13.05	0.00	0.12	0.36
27.	लक्षद्वीप	0.00	10.94	44.33	0.00	0.34	1.02
	कुल	18375.03	123545.28	170966.61	494.74	2739.56	3435.59

* अन्तिम

नोट :- सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग पर आधारित योजना है। तथापि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई लक्ष्य नहीं हैं

विवरण–IV

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1993–94, 1994–95 तथा 1995–96 के दौरान कवर किए गये गांवों/बसावटों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1408	2774	3100
2.	अरुणाचल प्रदेश	149	148	224
3.	असम	751	1536	1233
4.	बिहार	3530	7185	11865
5.	गोवा	56	62	54
6.	गुजरात	458	464	1144
7.	हरियाणा	700	845	895
8.	हिमाचल प्रदेश	570	800	925
9.	जम्मू और कश्मीर	76	107	426
10.	कर्नाटक	5150	4935	8135
11.	केरल	164	214	1173
12.	मध्य प्रदेश	5963	12138	13112
13.	महाराष्ट्र	1373	6828	6350
14.	मणिपुर	155	170	246

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	743	363	423
16.	मिजोरम	167	222	242
17.	नागालैंड	65	0	59
18.	उड़ीसा	5460	7351	8071
19.	पंजाब	343	426	293
20.	राजस्थान	2328	3054	4554
21.	सिक्किम	70	66	158
22.	तमिलनाडु	3751	3808	2954
23.	त्रिपुरा	215	610	1031
24.	उत्तर प्रदेश	6047	11283	19946
25.	पश्चिम बंगाल	1750	5372	6490
26.	अंडमान व निकोबार	19	20	27
27.	दादर और नगर हवेली	0	112	50
28.	दमन और द्वीव	2	11	11
29.	दिल्ली	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	4	2	4
31.	पांडिचेरी	21	28	28
	कुल	41488	70934	93223

रसोई गैस वितरक

888. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक गुजरात में निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के कितने रसोई गैस वितरक कार्यरत हैं;

(ख) कुल कितने उपभोक्ताओं के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं; और

(ग) सभी उपभोक्ताओं को कब तक रसोई गैस के कनेक्शन मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग). समानांतर विपणन प्रणाली के तहत निजी एजेंसियां बगैर सरकारी हस्तक्षेप के ग्राहकों को पंजीकृत करने तथा डिस्ट्रीब्यूटरों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। समानांतर विपणनकर्ताओं के बारे में सरकार द्वारा ऐसी जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार सरकार की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों की प्रतीक्षा सूचियों में लगभग 7.95 लाख उपभोक्ता हैं।

यथा संभव अधिकतम आवेदकों को यथाशीघ्र एल पी जी कनेक्शन देने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता को बढ़ाकर, नये संयंत्र लगा कर तथा अपेक्षाकृत अधिक आयात के माध्यम से आपूर्ति को बढ़ाकर एल पी जी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार की गयी हैं। कांडला तथा मंगलौर में एल पी जी के आयात के लिए नयी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है जिन्हें अक्तूबर, 1996 तक आरंभ किए जाने की आशा है। इसके फलस्वरूप अधिक आयातों के माध्यम से एल पी जी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। अपेक्षाकृत अधिक मांग को पूरा करने के लिए सरकारी तेल कंपनियों द्वारा नये भरण संयंत्र तथा एल पी जी की अधिक डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली जा रही है। वर्ष 2001 तक समस्त प्रतीक्षा सूची को निपटा दिए जाने की आशा है।

गैस-आधारित विद्युत केन्द्र

889. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में गैस-आधारित विद्युत केन्द्रों के खराब कार्यनिष्पादन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) उक्त गैस-आधारित विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). वर्ष 1995-96 के दौरान देश में गैस आधारित केन्द्रों के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, यह देखा जा सकता है कि उन केन्द्रों को छोड़कर जहां गैस और भार मांग की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति उपलब्ध नहीं कराई गई थी, अधिकतर गैस आधारित केन्द्रों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। कुछ गैस आधारित केन्द्रों का प्रचालन केवल व्यस्ततम कालीन भार स्टेशनों के रूप में किया जाता है।

विवरण

केन्द्र	1995-96		
	लक्ष्य (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4
अन्ता जीटी	2500	2607	104.3
औरैया जीटी	3500	3510	100.3
दादरी जीटी	3000	3795	126.5
कवास जीटी	2100	1962	93.4
गंधार जीटी	600	2375	395.8

1	2	3	4	
कैथालगुड़ी जीटी	700	346	49.4	
डेसू जीटी	1070	615	57.5	
रामगढ़ जीटी	150	16	10.7	नया स्टेशन
धवरन जीटी	180	141	78.3	
उतरान जीटी	150	103	68.7	
उतरान जीटी	800	962	120.2	
उरन जीटी	4220	4872	115.5	
विज्जेश्वरन	500	538	107.6	
बी. ब्रिज	160	-	-	
नामरूप जीटी	393	330	84.0	
लकवा जीटी	500	408	81.6	
मोबाइल जीटी				
बरामुरा जीटी	58	43	74.1	
रोखिया जीटी	154	110	71.4	
वतवा जीटी	664	555	83.6	
जीआईपीसीएल	1000	1116	111.6	
ट्राम्बे जीटी	775	1466	189.2	
जोड़ (गैस आधारित)	23174	25870	111.6	

योजना आयोग का पुनर्गठन

890. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार योजना आयोग के पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). सरकार मामले की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेन्सियां

891. श्री बच्ची सिंह रावत बच्चदा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्य भागों की तुलना में उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के जिलों में कार्यरत रसोई गैस एजेन्सियों की संख्या कम है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा उत्तरांचल क्षेत्र में वहां की जनसंख्या के अनुपात में रसोई गैस एजेन्सियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में उत्तरांचल क्षेत्र की उपेक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्तरांचल क्षेत्र में गैस एजेन्सियों की संख्या बढ़ाने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). नीचे दिए गए ब्यौरे से यह देखा जा सकता है कि घरेलू एल पी जी सुविधाओं के संबंध में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों के निवासियों की तुलना में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की उपेक्षा नहीं की गई है :

	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले	हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	उत्तर पूर्वी राज्य
जनसंख्या (लाख में)	59.22	51.70	77.18	315.44
एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या	54	62	81	209
उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	4.28	2.71	1.88	5.99
जनसंख्या की तुलना में एलपीजी उपभोक्ताओं का अनुपात	1:14	1:19	1:27	1:52

[अनुवाद]

धनराशि का अन्यत्र खर्च किया जाना

892. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित रोजगार आश्वासन योजना अत्यधिक बेरोजगारी वाले चयनित पिछड़े क्षेत्रों में लागू की गई थी;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय की सूचना दी थी कि रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना, दोनों में आवंटन का स्तर प्रत्येक परिवार को रोजगार के 100 दिनों का भी आश्वासन देने भर पर्याप्त नहीं हैं;

(ग) रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि जारी की गई है और राज्य की भागीदारी कितनी है;

(घ) क्या इन कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्र द्वारा आवंटित धनराशि को अन्य उद्देश्यों के लिए निर्धारित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1995-96 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 14550.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गयी थी, जो राज्य अंश सहित 18187.50 लाख रुपये है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सड़क निर्माण

893. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बसोली-भद्रवाह सड़क परियोजना का निर्माण कार्य किस तारीख से शुरू किया गया था;

(ख) इस सड़क की लंबाई कितनी है और इसका मूल संशोधित लागत अनुमान कितना है तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) भद्रवाह-चम्बा सड़क परियोजना किस अनुमानित लागत पर और कब शुरू की गई थी तथा इस पर अब तक प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई और इसमें कितनी प्रगति हुई है तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) बसोहली-भदरवाह सड़क परियोजना के निष्पादन का कार्य जुलाई, 1986 में शुरू किया गया था।

(ख) इस सड़क की लम्बाई 175.8 कि.मी. है तथा इसकी मूल अनुमानित लागत 32.42 करोड़ रुपये है। इसकी फार्मेशन कटिंग और सर्फेसिंग का कार्य क्रमशः मार्च, 1999 और 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) भदरवा-चम्बा सड़क का जमीनी कार्य 1971-72 में 3.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किया गया था। यह कार्य अब पूरा हो चुका है। मार्च, 1996 तक 3.37 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। इस सड़क की लम्बाई 50 कि.मी. है। सुधार करने/उन्नयन की योजना 3.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 1991 में शुरू की गयी थी। मार्च, 1996 तक सड़क को पक्का करने पर 11.92 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) इस क्षेत्र में व्याप्त सुरक्षा परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार को भदरवाह-चम्बा सड़क के उन्नयन के कार्य को स्थगित करना पड़ा। भदरवाह, जम्मू व कश्मीर के डोडा जिले में आता है जोकि पिछले छह से अधिक वर्षों से उग्रवाद के कारण बुरी तरह प्रभावित रहा है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजीकृत मामले

894. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक कितने मामलों को अपने हाथ में लिया गया है;

(ख) इस संबंध में मामले-वार क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितने मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1993, 1994, 1995 तथा 1996 (30.6.96 तक) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिए कुल 642 मामलों को हाथ में लिया गया था।

(ख) जांच को अंतिम रूप दिए जाने के परिणामस्वरूप 30.6.96 तक 402 मामलों का जांच कार्य निपटा दिया गया था तथा 240 मामले जांच के लिए शेष बचे थे।

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा न्यायालय में 255 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल कर दिए हैं।

पेयजल

895. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों हेतु प्रति व्यक्ति प्रति दिन 40 लीटर पेयजल आपूर्ति को राष्ट्रीय मानदंड के रूप में अपनाया है;

(ख) यदि नहीं, तो शहरी क्षेत्र के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ग) कितने कस्बों में उक्त मानदंडों के अनुसार जलापूर्ति की जा रही है और कितने शहरी क्षेत्रों में अभी ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी हैं; और

(घ) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान शहरी जलापूर्ति हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वी. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए अपनाये गए मानक इस प्रकार हैं :

— उन शहरी क्षेत्रों में जहां पाइप से जल आपूर्ति तथा भूमिगत मल निस्तारण की प्रणाली है, 125 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन।

— उन शहरी क्षेत्रों में, जहां पाइप से जल आपूर्ति तो है परन्तु भूमिगत मल निस्तारण की सुविधा नहीं है, 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन।

— जमीनी स्रोत नलकों (स्पाट सोर्स/स्टैंडपोस्ट) वाले शहरों के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन। अधिकतम 100 मीटर के दायरे में 20 परिवारों के लिए एक स्रोत।

(ग) जल आपूर्ति का विषय होने के नाते जल आपूर्ति के शहर-वार ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31.3.93 को, 84.33% शहरी आबादी को स्वच्छ पेय जल की सुविधा सुलभ थी।

(घ) योजना आयोग द्वारा शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई सेक्टर के तहत राज्य योजना में किया गया नियतन तथा 1995-96 के दौरान शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय अंश के रूप में जारी धनराशि संलग्न विवरण में है। वर्ष 1996-97 बाबत परिव्यय का अभी निर्धारण किया जाना है।

विवरण

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई सेक्टर के तहत राज्य योजना में 1995-96 के लिए संशोधित नियतन	शहरी सुलभ जल आपूर्ति के केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम के तहत 1995-96 के दौरान शहरी विकास विभाग द्वारा जारी धनराशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	73.37	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.94	0.00
3.	असम	10.94	0.00
4.	बिहार	2.12	0.94
5.	गोवा	18.25	0.00
6.	गुजरात	21.15	0.27
7.	हरियाणा	23.00	0.77
8.	हिमाचल प्रदेश	57.45	0.82
9.	जम्मू और कश्मीर	54.85	0.28
10.	कर्नाटक	72.42	0.00
11.	केरल	30.05	0.25
12.	मध्य प्रदेश	45.80	3.80
13.	महाराष्ट्र	393.79	0.36
14.	मणिपुर	11.63	0.39
15.	मेघालय	5.05	0.48
16.	मिजोरम	12.05	0.07
17.	नागालैंड	3.30	0.00
18.	उड़ीसा	28.64	0.01
19.	पंजाब	5.94	0.77
20.	राजस्थान	147.20	2.37
21.	सिक्किम	3.70	0.00
22.	तमिलनाडु	356.08	0.00
23.	त्रिपुरा	6.69	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	27.13	7.64
25.	पश्चिम बंगाल	3.84	0.71
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2.02	0.00
27.	चंडीगढ़	8.29	0.00
28.	दादर और नगर हवेली	0.12	0.00
29.	दमन और दीव	0.54	0.00
30.	दिल्ली	205.50	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.07	0.00
32.	पांडिचेरी	4.55	0.00
	जोड़	1665.47	20.00

भूमि जल विकास एजेन्सी

896. श्री ई. अहमद : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जल विकास एजेन्सी की भांति भूमि जल विकास एजेन्सी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) भूमि जल विकास की देखरेख जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत भूमि जल विकास एजेन्सी की स्थापना करना जरूरी नहीं समझा गया है। भूमि जल विकास राज्यों में संबंधित विभागों द्वारा भी किया जाता है।

कश्मीरी विस्थापित

897. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर राज्य में तथा राज्य के बाहर विभिन्न कैंपों में रह रहे कश्मीरी विस्थापितों की संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न स्थानों पर कैंपों से बाहर रह रहे विस्थापितों की संख्या कितनी है;

(ग) आवास और स्वास्थ्य रक्षा आदि पर प्रति वर्ष कितनी अनुग्रह सहायता राशि खर्च की जा रही है;

(घ) क्या उनके पुनर्स्थापन के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जम्मू और कश्मीर राज्य में तथा उसके बाहर कैंपों में कुल 4740 परिवार रह रहे हैं।

(ख) विभिन्न स्थानों पर कैंपों से बाहर कुल 43,391 परिवार रह रहे हैं।

(ग) विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू मापदण्डों/दरों के अनुसार राहत प्रदान करते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक खर्च की गई वर्ष-वार राशि निम्न प्रकार है।

वर्ष	1990-91	91-92	92-93	93-94	94-95
(राशि करोड़ रु. में)	50.51	42.81	30.58	30.55	39.23

(घ) और (ङ). कश्मीरी प्रवासियों के संबंध में सरकार की नीति इस, मान्यता पर आधारित है कि जितनी जल्दी उनकी वापसी हेतु पर्याप्त रूप से अनुकूल स्थितियां तैयार की जा सकेंगी, उतनी जल्दी ही वे घाटी में वापस चले जाएंगे। तद्नुसार, राज्य से बाहर प्रवासियों को स्थायी रूप से बसाए जाने का विचार नहीं है। जम्मू और कश्मीर में शान्ति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने तथा अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासियों की उनके घरों को वापसी हेतु अनुकूल स्थितियां पैदा करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्य सरकार तथा प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेन्सियां

898. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस समय रसोई गैस कनेक्शन हेतु कितने लोग प्रतीक्षारत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रसोई गैस के कितने कनेक्शन कराए गए,

(ग) इस समय दिल्ली में रसोई गैस/पेट्रोल एजेन्सियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इन एजेन्सियों में से गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी एजेन्सियां आवंटित की गई तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी एजेन्सियां आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास प्रतीक्षा सूचियों में 7.95 लाख आवेदक हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में जारी किए गए एल पी जी कनैक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	जारी किए गए कनैक्शनों की संख्या
1993-94	0.93
1994-95	1.29
1995-96(अनंतिम)	0.97

(ग) 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में खुदरा बिक्री केन्द्रों की 279 डीलरशिप तथा एल पी जी की 259 डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालन कर रही थी।

(घ) गत दो वर्षों के दौरान आवंटित खुदरा बिक्री केन्द्र एवं एल पी जी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी
1994-95	42	38
1995-96	38	06

वर्ष 1994-96 की एल पी जी विपणन योजना में दिल्ली के लिए 21 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शामिल किया गया है। जमीन के नहीं मिलने तथा स्थलाबंटन की वजह से अनेक आशय पत्रों के लंबित रहने के कारण वर्ष 1993-96 की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में दिल्ली के लिए किसी नए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप को शामिल नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

नीम और हल्दी का पटेंट करना

899. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीम और हल्दी का पेटेंट करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष और इस संबंध में की गई सिफारिशों तथा कंपनियों और देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक देश में इन वस्तुओं के प्राचीन महत्व को ध्यान में रखते हुए विदेशी कंपनियों की इस प्रकार की सिफारिशें करने के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). सरकार ने नीम तथा हल्दी से संबंधित पेटेंटों के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, सरकार द्वारा वित्त पोषित कतिपय संस्थाओं यथा-प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन परिषद (टाइफैक), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ये यह संकेत दिया है कि भारतीय पेटेंट कार्यालय सहित विभिन्न पेटेंट कार्यालयों द्वारा नीम तथा हल्दी से संबंधित पेटेंटों को जारी किया गया। भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा इस संबंध में जारी किये गये पेटेंटों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क. भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा नीम से संबंधित जारी किये गये पेटेंट (1972-1996 जनवरी)

शीर्षक	आवेदक
नीम तेल का शोधन	हिन्दुस्तान लीवन लि.
नीम तेल के शोधन (उन्नयन) प्रक्रिया	हिन्दुस्तान लीवर लि.
उच्च मुक्त वसीय अम्लांश वाले नीम तेल के शोधन (उन्नयन) की प्रक्रिया	हिन्दुस्तान लीवर लि.
नीम तेल वसीय अम्ल आसवन अवशेष आधारित कीटनाशक के निर्माण की प्रक्रिया	गोदरेज सोप लि.
नीम तेल निस्सारण की प्रक्रिया	आर गुप्ता
नीम के बीजों से सक्रिय तीखे तथा गंधयुक्त घटकों के विलगीकरण की प्रक्रिया	आर गुप्ता
डिहाइड्रोएजेडैचिटिन या टेट्राइड्रोएजेडिरैचिटिन वाले नोवल हाइड्रोजनेटिड प्लांट एक्सट्रैक्ट के निर्माण के लिए एक परिष्कृत प्रक्रिया	रोहम एण्ड हास कम्पनी
नीम तेल से नीम्बैटिकटम अथवा निम्बीडिन के विलगीकरण की प्रक्रिया	सेट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेदा तथा सिद्ध धर्म भवन।
नीम वृक्ष खासतौर पर नीम बीज गुठों से भंडारण स्थायित्व वाले एजेडिरैचिटिन के रिच आसव विनिर्माण की प्रक्रिया	त्रिकोलियो-एम जीएमबीएच हरस्टेलिंग अंडबेट्रिव होच्रेनर बायोसब्सटेन्जेन।
नीम पौधे के विभिन्न भागों से एक सक्रिय संघटन जिसमें एजेडिरैचिटिन तथा इसके व्युत्पन्नों, जिसमें कीटों के नाश तथा बढ़वार को रोकने की क्षमता हो के विनिर्माण की प्रक्रिया।	सी एस आई आर
नीम के पौधे से लिपिडयुक्त कीटनाशक रूप से सक्रिय संघटन के विनिर्माण की प्रक्रिया	सी एस आई आर
नीम पौधों के विभिन्न भागों से एजेडिरैचिटिन के नवीन ट्राइटरपीन व्युत्पन्नों के विलगीकरण की प्रक्रिया।	सी एस आई आर

ख. भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा हल्दी से संबंधित जारी किये गये पेटेंट (1972-1996 जनवरी)

शीर्षक	आवेदक
सोडियन करक्यूमिनेट से एन्टीइन्फ्लेमेट्री संघटन के निर्माण की प्रक्रिया	सी एस आई आर
करकम्यूमिन से फार्माकोलोजिकली एक्टिव एंटी इनफ्लेमेट्री एजेण्टों से संबंधित अथवा उनमें सुधार।	सी एस आई आर

[हिन्दी]

रोजगार आश्वासन योजना

900. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांदा जिले में वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए रोजगार आश्वासन योजना, चयनित जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) और दस लाख कुएं खोदने संबंधी योजना हेतु सरकार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या जारी की गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया है और कार्य समाप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले द्वारा सरकार (केन्द्र+राज्य) से निम्नलिखित राशियां प्राप्त की गई थीं :

(रुपये लाख में)

वर्ष	गहन जवाहर रोजगार योजना	दस लाख कुओं की योजना	सुनिश्चित रोजगार योजना
1994-95	459.39	319.51	787.50
1995-96	113.92	196.31	825.00

(ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान गहन जवाहर रोजगार योजना दस लाख कुंओं की योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राशि का इस्तेमाल किया गया है :

(रुपये लाख में)

वर्ष	सुनिश्चित रोजगार योजना	गहन जवाहर रोजगार योजना	दस लाख कुंओं की योजना
1994-95	774.92	470.03	298.39
1995-96	778.51	382.79	148.65

(ग) संस्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा कुछ सीमा तक फरवरी और मार्च 1996 में निधियों के प्राप्त होने में विलम्ब के कारण राशि का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

(घ) पिछले वर्षों को आगे लाई गई निधियों को नवम्बर 1996 तक के कार्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

"इसरो" जासूसी प्रकरण

901. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :
श्री ई. अहमद :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री सुरेश कोडीकुन्नील :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "इसरो" जासूसी प्रकरण को फिर से खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

गरीबी रेखा से ऊपर की जनजातियां

902. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड सहित पूर्वी राज्यों बिहार, असम, मिजोरम, मेघालय में उनकी कुल जनसंख्या की तुलना में वहां

रहने वाली उन जनजातियों का प्रतिशत कितना है, जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय पर किए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या का अनुमान लगाता है। यद्यपि, उनके अनुमान केवल 17 प्रमुख राज्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध है और वे भी केवल राज्य स्तर तक के ही हैं। अतः मेघालय, मिजोरम और उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

योजना आयोग के गरीबी रेखा से नीचे के अनुमान 1983-84 के आधार पर 4 पूर्वी राज्यों, अर्थात् असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश राज्य में कुल जनसंख्या की तुलना में गरीबी रेखा से ऊपर रह रही जनजातियों का प्रतिशत निम्नवत निकाला गया है :

अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा 1983-84 से ऊपर रह रही कुल जनसंख्या का प्रतिशत

राज्य	अनुसूचित जनजातियां		कुल जनसंख्या	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
पूर्वी राज्य				
1. असम	74.50	79.80	76.24	78.44
2. बिहार	35.10	60.20	48.65	62.96
3. उड़ीसा	31.10	47.20	55.24	70.71
4. पश्चिम बंगाल और	41.40	66.90	56.16	73.48
5. उत्तर प्रदेश	54.20	75.70	53.52	59.75

(ख) उपर्युक्त राज्यों में जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए संघ सरकार द्वारा विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), स्वःरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (टीआरवाईएसईएम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.), जवाहर रोजगार योजना (जे आरवाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) आदि।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दें।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको एक-एक कर बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं। धनबाद में मैथन क्षेत्र में टेलपुल डैम परियोजना, जो कि 40 मेगावाट की विद्युत परियोजना थी, जो 1978 में शुरू हुई थी और महज 5.7 करोड़ की लागत से दो-तीन साल में बनकर तैयार हो जानी थी वह डी.वी.सी. प्रबंधन की उपेक्षा, निष्क्रियता और उनके द्वारा रुचि न लेने के कारण तथा उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण डिले होती गई और वह आज भी पूरी नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस परियोजना का एक हिस्सा तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी बात पूरी कह लेने दें।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अब यह परियोजना 40 करोड़ की हो गई है, जिसमें 11.5 करोड़ तो खर्च हो चुका है। परसों डी.वी.सी. के चेयरमैन उस क्षेत्र में जाकर यह घोषणा करते हैं कि "क्षेत्र के लोग परियोजना पूरी नहीं होने दे रहे, इसलिए मैं इस परियोजना को बंद कर दूंगा"। जबसे उन्होंने यह घोषणा की है तबसे उस क्षेत्र में भंयकर जन-आंदोलन है। मैं यह कहना चाहती हूं कि सारी देरी उनके भ्रष्टाचार के कारण हुई है। उन्होंने जो वास्तविक विस्थापित लोग थे उनको नौकरी नहीं दी और गलत लोगों को पैसा लेकर नौकरी दी। हमने पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन किया और उसमें हम जीत गए। अब जो वास्तविक लोग हैं उनको नौकरी व कंपनसेशन दिया जाना है इसलिए उसके डर से कह रहे हैं कि यह परियोजना बंद कर देंगे। इतना घोर अन्याय हो रहा है। मैं आपके संरक्षण की मांग करती हूं कि आप मंत्री जी को निर्देश दें कि वे सदन में एक वक्तव्य दें और उस क्षेत्र में जो जन-आंदोलन चल रहा है, उस क्षेत्र के लोगों की जो जन-भावनाएं भड़की हैं उनको शांत करने के लिए कोई ठोस उपाय करें। यह परियोजना किसी भी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए। यह सरकार स्टेटमेंट दे कि वह परियोजना किसी भी हालत में बंद नहीं करेंगे, न्याय होगा और यह परियोजना चलाऐंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस परियोजना का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र पुरुलिया में पड़ता है। मैं कल वहां गया था।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि पश्चिमी बंगाल में ज्यादा अच्छा रिहेबिलिटैशन का काम हुआ है। क्या करें, हमारी सरकार तो पशुपालन घोटाले में लगी रहती है। उसको रिहेबिलिटेशन का समय ही नहीं मिलता। मैं आपके द्वारा बिहार सरकार के मंत्रियों से मांग करूंगी कि वे अपना दायित्व भी पूरा करें और लोगों के रिहेबिलिटेशन में मदद करें। मैं चाहूंगी इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस परियोजना का एक हिस्सा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। मैं संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित एक कंवेंशन में रविवार को वहां गया था। उनकी मांग थी कि टेलपूल डेम परियोजना पर काम पूरा किया जाना चाहिये क्योंकि यह पेंचेट परियोजना तथा दामोदर घाटी परियोजना के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब 1978 में इस परियोजना की योजना बनी थी उस समय यह इस प्रौद्योगिकी से बनने की एक मात्र परियोजना थी और हमारे देश में ऐसी प्रोद्योगिकी से कहीं और कोई परियोजना नहीं बन रही थी इसलिए ही दामोदर घाटी परियोजना के प्रबन्धकों ने इसमें देरी लगाई है। जब हमने सम्पर्क किया था तो भूमि का अधिग्रहण हो चुका था और उस पर 11 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे। अब परियोजना की लागत 5.75 करोड़ रुपये से बढ़कर 41 करोड़ रुपये कर दी गई है। अब वे इस परियोजना को छोड़ देने का निर्णय ले रहे हैं और वे इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है। हम इसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। उन्होंने रोजगार नहीं दिया। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ यह समझौता हुआ था कि इस डैम से प्रभावित होने वाले गांवों में लिफ्ट सिंचाई के लिये भूमि को कृषि योग्य बनाया जायेगा, प्राथमिक स्कूलों के भवनों और सड़कों का निर्माण किया जायेगा किन्तु अभी तक कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। अब वे इस परियोजना को छोड़ देने का निर्णय ले रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के बाद यदि परियोजना का विचार त्याग दिया जायेगा तो इससे दामोदर घाटी परियोजना तथा धनबाद और पुरुलिया दोनों ही जिलों की जनता का हित संवर्धन नहीं होगा। मैं यहां उपस्थित मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे दामोदर घाटी परियोजना के प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाये ताकि परियोजना पर पुनः शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाये। उन्हें इस परियोजना को छोड़ना नहीं चाहिये अपितु समझौते के अनुसार वहां कार्य आरम्भ करना चाहिये। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे दामोदर घाटी परियोजना के प्राधिकारियों के साथ इस बारे में बातचीत करें।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : नहीं, महोदय।

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला) (असम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं अपनी बात को अच्छे और जोरदार ढंग से कह सकूंगा या नहीं किन्तु मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वास्तव में मैं पांच-छः दिन तक इस आशा में इन्तजार करता रहा कि शायद इस देश के वरिष्ठ नेता और प्रमुख दलों के लोग इस मुद्दे को उठायेंगे।

यह घटना बिहार के भोजपुर जिले में बठानीटोला गांव में इस माह की 11 तारीख को हुई थी इस दिन के लिए समूचे राष्ट्र को शर्मिन्दा होना चाहिये क्योंकि 21 मुस्लिम एवं दलित व्यक्ति मारे गये। इन व्यक्तियों की भूस्वामियों की गैर-कानूनी घोषित रणवीर सेना द्वारा बड़े ही नृशंस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहां अधिकांश राजनीतिक दल सामाजिक न्याय की दुहाई देते नहीं थकते किन्तु उनमें से किसी ने इस घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया उनके अपने ही राज्य में दलित एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की इस तरह नृशंस हत्या कर दी जाती है और उन्होंने इस ओर सरकार का ध्यान भी आकर्षित नहीं किया है।

मैं इस घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं कि विपक्षी दल भी इस घटना की भर्त्सना करेंगे और सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगेगे। इस घटना के तीन पहलू हैं। यह घटना रात अथवा आधी रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दिहाड़े शाम चार बजे घटित हुई। भूस्वामियों की प्रतिबंधित रणवीर सेना ने दलित एवं मुस्लिम जाति के इस गांव पर हमला कर 21 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। वहां लड़ाई या युद्ध हुआ होता तो मैं इस नरसंहार की बात समझ सकता था किन्तु इन लोगों को गंडासों से काट दिया गया और केवल एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

डा. जयन्त रंगपी : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसला है। 21 व्यक्ति जो मारे गये हैं उनमें 15 महिलाएं और 5 बच्चे थे और केवल एक व्यस्क पुरुष मारा गया। उनकी अंगुलियां और कान भी काट दिए गए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बात पूरी करे।

डा. जयंत रंगपी : महोदय, मैं प्राय : अधिक समय नहीं लेता। मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। प्रशासन को यह पता था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने काफी समय ले लिया है। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

डा. जयंत रंगपी : जिलाधीश को 3 और 8 जुलाई को सूचना दी गई थी क्योंकि इन दो दिनों में इस गांव में इस प्रकार हमला करने की योजना थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार गृह मंत्री महोदय को इस घटना के बारे में वक्तव्य देने के लिए कहें और वे भोजपुर के जिलाधीश एवं एस.पी. के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक, दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैंने भी नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, केवल एक मिनट बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको चांस दूंगा। आप बैठ जाइये।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : बड़े आदमी तो बोलते रहते हैं। आप हमें भी चांस दीजिये।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मल्टी नेशनल कम्पनी, जिसका नाम कोर्जेट्रिक्स है उसको दक्षिणी कनाडा पोस्ट पर 1000 मेगावाट पावर हाउस बनाने के लिए इनवाइट कर लिया गया लेकिन उसका बहुत झगड़ा चल रहा है। वहां के दस गांवों के लोग परेशान हैं। वे हाई कोर्ट में पहुंच गये। उनका रिट पैंडिंग हैं। इसके लिए कोई ग्लोबल टैंडर नहीं मांगा गया और उसे इन्वाइट कर लिया गया। इसके लिए कोई भी क्लियरेंस न तो पोलुशन कंट्रोल बोर्ड की हुई और न ही एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की हुई।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : यह कोई तात्कालिक महत्व का मामला नहीं है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यह एक तात्कालिक महत्व का मामला है। लोग चिंतित हैं। वे इस मामलों को लेकर जमीन आसमान एक कर रहे हैं।

[हिन्दी]

वे सब लोग परेशान हैं। वहां बहुत से फिशिंग करने वाले गांव हैं। इसे लगाने से हजारों लोगों पर असर पड़ेगा क्योंकि अगर यह प्रोजेक्ट वहां लग गया तो फिशरीज तबाह हो जायेगी। वहां बहुत पुराना रेन फॉरेस्ट है। अगर वह प्रोजेक्ट वहां लग गया तो वह रेन फॉरिस्ट तबाह हो जायेगा। वहां की जो हेबीटेशन है, उस पर भी असर पड़ेगा। वहां पर इकोलाजिकल बेलेंस चेंज होता है। उन्होंने कहीं से भी इजाजत नहीं ली। न ही एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से अनुमति ली और न ही स्टेट गवर्नमेंट से ली। ऐसे हालात में वहां यह प्रोजेक्ट आ रहा है। इस तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसमें प्रधान मंत्री जी का नाम इन्वाल्व किया जा रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि अभी तक उनका बढ़िया नाम है, उसको स्पायल नहीं होने देना चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही जबरदस्त इंसानी मसला यहां उठाना चाहता हूं। हजारों-हजार गरीब लोगों के सरों पर यह खतरा मंडरा रहा है कि वे किसी भी वक्त बेघर कर दिये जायेंगे। शायद दिल्ली, ओखला या बटाला हाऊस कालोनी पूरी की पूरी डी.डी.ए. की डिमोलेशन कार्यवाही की गिरफ्त में आ जाए। वहां पर हजारों लोग हैं। किसी भी वक्त महीने की 30 तारीख के पहले डी.डी.ए. की डिमोलेशन की तलवार उनके सरों पर लटक रही है। ये कोई झुग्गियां नहीं हैं, कोई झोंपड़ पट्टी नहीं हैं। ये पुख्ता इमारतें, पक्के घर बने हुए हैं।...**(व्यवधान)** मैं वहां गया था। ...**(व्यवधान)**

मैं वहां गया था, वहां के हालात देखे। लोग मुझसे यह पूछ रहे हैं कि क्या गरीबों को जीने का और घर का हक भी बाकी नहीं रहा। हद तो यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 1071 अनऔथराईज्ड कालोनीज की लिस्ट तैयार की और यह रिकमैंड किया कि उनको रैगुलराइज कर दिया जाए। लेकिन आज तक वह रिकमैंडेशन सैन्ट्रल गवर्नमैंट के पास पड़ी हुई है और कोई सैंक्शन नहीं दी गई है। ये सारे गरीब आवाम मुसलमान हैं, शायद इसीलिए उनके ऊपर कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है।

मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस अहम मामले में कार्यवाही करें। उनको रैगुलराइज करने के लिए सैंक्शन करें और हर किस्म का कदम उठाया जाए ताकि वे सही-सलामत रह सकें।...**(व्यवधान)** एक डैलीगेशन मिल चुका है और प्रधानमंत्री से भी कार्यवाही का मुतालवा कर चुका है।...**(व्यवधान)** यह कब तक होता रहेगा कि सदन के अंदर तो हम माईनौरिटीज के वैल्फेयर की बातें करते हैं लेकिन जहां हजारों मुसलमान बेघर होने को हैं, वहां किसी किस्म की कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। इंसानी मसलों पर फौरी तवज्जह दी जाए। उनको बचाया जाए, सैंक्शन दी जाए, पूरे कदम उठाए जाएं ताकि कालोनी को हिफाजत के साथ रखा जा सके।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, यह वही मामला है।

श्री निर्मल कुमार चटर्जी (दमदम) : महोदय, यह वही मामला है। इसलिये उन्हें भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हजारों आदमी बेघर हो जाएंगे। मैंने आपको लिखकर दिया है। आप मुझको एक सैंकंड दे दें...**(व्यवधान)** जिन लोगों के पक्के राशन कार्ड बने हुए हैं, वे तीस साल से उस जमीन पर रहते हैं, उनके इलैक्शन के आईडेनटिटी कार्ड बने हुए हैं। उनको नोटिस देकर बेघर करने की कोशिश की जा रही है। उनका कसूर यह है कि वे सब मुसलमान हैं। मुसलमानों को तंग करने के लिए उन बस्तियों को उजाड़ना चाहते हैं। दिल्ली में इतनी अनऔथोराईज्ड कालोनीज हैं, उनमें से किसी को भी उजाड़ने का कोई प्लान नहीं है। क्योंकि वहां पर मुसलमान रहते हैं,

गरीब लोग रहते हैं इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है।... **(व्यवधान)** युनाइटेड फ्रंट की सरकार द्वारा उनको नोटिस देकर उजाड़ने की कोशिश की जा रही है।...**(व्यवधान)** पासवान जी, सुनिए, यह मुसलमानों को उजाड़ने की साजिश है। आपकी सरकार आने के बाद उनको नोटिस दिया गया है।...**(व्यवधान)** उनके पक्के मकान बने हुए हैं। यह सरकार उनको रिकगनाइज नहीं करना चाहती है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आप गरीब आदमी को मत मारिए। वे भी हिन्दुस्तान का नागरिक हैं।...**(व्यवधान)** आप उनको प्रोटैक्शन दें। ...**(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त : सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए।.. .**(व्यवधान)**

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : बिहार में इतना बड़ा कांड हो गया, उसका मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया।...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय ...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। ऐसा करना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : आपकी सरकार वहां भी है, आपकी सरकार बिहार में भी है, आप इसकी जांच कराइए।...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव : लोक सभा में भी आपके आदमी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।...**(व्यवधान)**

श्री विनय कटियार : आप दोनों जगह सत्ता में हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

उनका जवाब सुन लीजिए। आप बैठिए पहले।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, यह कोई हिन्दू मुसलमान का मामला नहीं है। न मुझको उस सम्बन्ध में कोई जानकारी है, लेकिन जहां इन्होंने सरकार के ऊपर कहा है कि वर्तमान सरकार के समय में यह काम शुरू हुआ है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। कि मेरी सरकार जब पिछली बार 1990 में थी और उस समय यह झुग्गी-झोंपड़ी का मामला, खास करके दिल्ली में आया था तो उस समय हम लोगों ने साफ निर्देश दिया था कि जो झुग्गी-झोंपड़ियों में बसे हुए लोगों को कहीं से हटाया नहीं जाएगा।...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : यह झुग्गी नहीं हैं, यह पक्के बने हुए मकान हैं। यह झुग्गी थोड़े ही हैं।

श्री राम विलास पासवान : आप सुन तो लीजिए न।

इस मामले में हमारे पास में भी काफी लोग यहां के ही नहीं, दूसरी जगह के भी आये थे और जो माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कहा है, उनका जो सुझाव है...**(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : वह सब आई.एस. आई. के एजेंट हैं।...**(व्यवधान)**

वहां आई.एस.आई. के एजेंट भी रहते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सबको चांस मिलेगा। मैं एक-एक करके सब को चांस दूंगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हैं। आज के समाचार-पत्रों में बड़ी प्रमुखता से यह दुखद समाचार छपा है, आपने भी पढ़ा होगा, कि परसों रात श्रीनगर में छह पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई।

इस एक घटना ने सरकार के उन दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दीं, जहां सरकार यह कहती हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य हो गये हैं, कश्मीर में शान्ति बहाल हो रही है। इन छह लोगों में तीन राजस्थान के जयपुर से सम्बन्धित और तीन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से सम्बन्धित हैं। यह छह पर्यटक डल लेक से शाम के पांच बजे अपहरण किए गए। अपहरण तो 12 लोगों का किया गया, लेकिन छह लोग रात 10 बजे छोड़ दिए गए। मगर इन्हें बंधक बनाकर कहा गया कि सुबह छोड़ेंगे। मगर रात के अंधेरे में गोलियों से भूनकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। घटना तो दर्दनाक है लेकिन इससे भी ज्यादा ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी चांस दूंगा। आपको चांस मिलेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने भी नोटिस दिया है, नोटिस देकर अनुमति ली है। मेरा भी नोटिस एक्सैप्ट हुआ है।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

घटना के दर्दनाक होने से भी ज्यादा भयावह उस सरकार के द्वारा कश्मीर की स्थिति का आंकलन और उस स्थिति से निपटने की सोच है, जिस तरह से यह सरकार स्थिति से निपटना चाहती है। वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यह माना है कि डल लेक में स्थानीय और विदेशी आतंकवादियों का जमावड़ा हो चुका है। जो एक बंधक बचा है, उसने यह बयान दिया है कि अपहरणकर्ताओं ने यह कहा है कि वह पुलिस टास्क फोर्स से सम्बन्धित हैं।

चाहिए तो यह था कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकार सख्ती से कदम उठाती, सख्ती से आतंकवादियों से निपटने के लिए कोई योजना बनाती, लेकिन इसके विपरीत हमारे गृह राज्य मंत्री, जोकि उसी कश्मीर से चुनकर आए हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अब तो समय आ गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को बैरकों में वापस लौट जाना चाहिए। हम स्वागत करेंगे जिस दिन वहां से सेना वापस लौट सके। हम स्वागत करेंगे जिस दिन कश्मीरी शरणार्थी अपने घरों में जा सकेंगे, लेकिन वह स्थिति पैदा तो हो, हालात सुधरें तो सही, कश्मीर में शांति स्थापित तो हो। लेकिन वैसी स्थिति निर्माण होने से पहले यदि इतने गैर जिम्मेदाराना बयान सरकार की तरफ से आएंगे तो स्थिति सुधरने के बजाए बिगड़ेगी। कश्मीर जैसे नाजुक मुद्दे से निपटने के लिए जिस संयम और धीरज की आवश्यकता है, उस संयम और धीरज का अभाव इस सरकार में दिखाई देता है। कम से कम अपने बयानें में संयम बरतने की बात करें, धीरज रखने की बात करें और कम से कम अपने बयानों से स्थिति को बिगड़ने न दें।

जिन पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई है उनके आश्रितों को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करें। इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए संयम रखें।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला श्रीमती सुषमा स्वराज ने उठाया उसके मुतल्लिक प्रश्न मैंने शून्य काल में उठाने का नोटिस दिया था। चाहिए तो यह था कि जो जम्मू-कश्मीर से चुने हुए लोग हैं पहले उनको मौका मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं होता।

श्री मंगत राम शर्मा : मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में लोक सभा के चुनाव हुए। उससे वहां के हालात में काफी सुधार आया। यही वजह है कि अब पाकिस्तान और उसके जो पिछलग्गू हैं, वे नहीं चाहते कि वहां हालात सुधरें। यह जो घटना हुई वह इसलिए हुई कि वहां पर सरकार ने सितम्बर में विधान सभा चुनाव कराने की बात कही है, इसलिए वे लोग वहां पर हर कीमत पर इन चुनावों को रोकना चाहते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जम्मू-कश्मीर के हालात में जो दुरुस्ती आई है। उसको बरकरार रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं कि आतंकवादियों की जो सरगर्मियां हैं, उन पर काबू पाया जा सके। इसके लिए पुलिस और मिलिटरी फोर्सेज को पूरी अथोरिटी दी जाए जिससे वे इनको रोक सकें। हमारे देश के और विदेश के पर्यटक वहां आ रहे हैं, वे तभी आ रहे हैं जब उनको मालूम पड़ा कि हालात सुधरे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार उनको तवज्जोह नहीं देती, सिक्योरिटी नहीं देती और उनको ऐसे हालातों में ही जाने देना चाहिए जहां सरकार को यकीन हो कि वहां अमन और सुरक्षा है। लगता है कि कुछ इलाकों पर सरकार का मुस्तैदी से कंट्रोल नहीं है। जो हिन्दुस्तान के हक में वातावरण बना है, चुनाव के हक में वातावरण बना है, वह बिगड़ने नहीं देना चाहिए और सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए जिससे वहां अमन और शांति पैदा हो सके।

जयपुर और इलाहाबाद से वहां आए जिन पर्यटकों की हत्या हुई है उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा देना चाहिए और अच्छा वातावरण पैदा करना चाहिए ताकि वहां जो पर्यटन उद्योग है, वह तबाह न हो। पिछले पांच-छः साल से यह उद्योग वहां फेल हो गया है, जबकि वहां की अधिकांश जनता पर्यटन उद्योग पर निर्भर करती है। अब हालात सामान्य हो रहे हैं और लोगों का आना शुरू हो रहा है, ऐसे वाकयों से बड़ा धक्का लगता है और नुकसान होता है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए।

श्री मुख्तार अनीस (सीमापुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक बार फिर उस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, जिस पर पहले भी सदन में चर्चा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का बिजली बोर्ड आतंकवाद में डूबा हुआ है।...**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : हमें भी बोलने का मौका दें, क्योंकि जयपुर शहर के तीन लोग वहां मारे गए हैं।

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : अम्बेडकर योजना उत्तर प्रदेश में चलाई गई और तय किया गया कि एक वर्ष के अंदर इन अम्बेडकर गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा। मान्यवर पूरे उत्तर प्रदेश की आप रिपोर्ट मंगवा लीजिए, विद्युत परिषद ने उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर गांवों के बारे में क्या किया है। मैं अपने जिले सीतापुर के बारे में बता दूं कि एक भी गांव में विद्युत बोर्ड ने विद्युतीकरण नहीं किया है। हर जिले में सारे निकम्मे और भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हुए हैं। ...**(व्यवधान)** क्योंकि विद्युत बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन बनता है वह एक-एक करोड़ रुपया घूस लेता है और वे घूस देकर बनते हैं। उनके बाद धीरे-धीरे वसूली होती है। हमारे जिले से हर महीने कम से कम 2 लाख रुपया विद्युत बोर्ड के चेयरमैन को जाता है। इसलिए मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मेरी पहली बात यह है कि अम्बेडकर गांवों के बारे में रिपोर्ट मंगाई जाए कि वहां कितना विद्युतीकरण हो गया है और सीतापुर के अम्बेडकर गांवों के बारे में रिपोर्ट मंगायी जाए कि वहां कितना विद्युतीकरण हुआ है। दूसरा मेरा कहना यह है कि विद्युत बोर्ड बिजली में कटौती कर रहा हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। मान्यवर बरसात आ गई है, अब नहीं कह सकते हैं कि पानी की समस्या रह गई है। जलाशय भर रहे हैं फिर भी विद्युत बोर्ड जान-बूझ कर बड़े उद्योगों को बिजली दे रहा है, छोटे कारखानेदारों और किसानों को बिजली नहीं मिल रही है।

मान्यवर, आप मुझे अपना संरक्षण दीजिए। आप विस्तार से रिपोर्ट मंगाएं और इसको जांच कराए कि कहां पर भ्रष्टाचार है, इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मसला उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का अवसर मिलेगा। कृपया आप बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री सुखराम : (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो हिमाचल प्रदेश में ।। तारीख को एयर क्रैश हुआ उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने यहां स्टेटमेंट दिया। मगर चूंकि लोक सभा में मंत्री के स्टेटमेंट के ऊपर सप्लीमेंटरी या क्लेरीफिकेशन नहीं पूछा जाता, इस वास्ते मुझे जीरो आवर में 2-4 बातें सरकार के ध्यान में लानी हैं। मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि जब तक सिक्योरिटी या सेफ्टी मेजर्स न लिए जाएं तब तक वहां के एयर ट्रैफिक को बंद करना चाहिए, ऐसा आभास मुझे उनके स्टेटमेंट से मिला।

महोदय, जब से हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट कम्पनियां आई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कुल्लू वैली का और हिमाचल का टूरिज्म उससे बहुत फैला है, मगर इसमें 2-3 बातें देखने वाली हैं। जिस दिन एयर क्रैश हुआ वहां एक मिनट पहले उनका कम्युनिकेशन लिंक टूटा हुआ था। वह कम्युनिकेशन लिंक एयरपोर्ट से नहीं हो सका, क्योंकि मेरा तो वह पार्लियामेंट्री हल्का है और असेम्बली का भी हल्का रहा है, मैंने उस जगह को भी देखा है। जो फ्लाइट थी वह साढ़े 12 हजार, साढ़े आठ हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। अगर कम्युनिकेशन लिंक न टूटता तो वहां से वे इनफोर्म कर सकते थे। क्योंकि वहां पर मौसम की खराबी से इतनी फॉग थी, पायलट देख नहीं सका कि आगे पहाड़ी आ रहा है और उससे टकराने से एयर क्रैश हुआ। जिससे नौ जानें गईं और दो साल पहले भी 9 जुलाई को ऐसा ही हुआ। उसी जगह नहीं दूसरी जगह हुआ। उसमें भी मौसम की खराबी की वजह से हुआ। इस वास्ते मैं सरकार के ध्यान में दो बातें लाना चाहता हूं। एक जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है उसके बारे में पहले ही सभी पायलट्स ने कहा है कि यह गलत जगह लगा हुआ है, मगर अधिकारी अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरा कारण ढूंढ़ते रहे और उसमें जो एंटीना लगा हुआ है वह भी गलत जगह पर है। एक तो उसको वहां से हटाने की बात है और दूसरा वी.एच.एफ. की सुविधा है कि उसके माध्यम से वह पायलट के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

चूंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है और जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तथा उसके बाद वापस वैली में आते हैं तो यह वी.एच.एफ. जहां मैदानी क्षेत्र में फायदेमंद हो सकता है, कारगर सिद्ध हो सकता है वहां वह मैदानी क्षेत्र में नहीं हो सकता है। आज विज्ञान का युग है। हमें कोई ऐसा साधन ढूंढना चाहिए जिससे पायलट जब थिक फॉरेस्ट में आता है तो कंट्रोल टूटे नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां बिजली की फेल्योर होती रहती है। उसके लिए भी एयरपोर्ट अथोरिटी को इंतजाम करना चाहिए। अगर एयर-ट्रैफिक हिमाचल प्रदेश का बंद हो गया तो टूरिज्म का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन चीजों पर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी सेफ्टी के उपाय ढूंढ़े जाने चाहिए जिससे एयर-ट्रैफिक वहां ठीक ढंग से चले।

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर यादव, आप बोलिये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के ऐसे मामले पर खड़ा हूं जिन घटनाओं की चर्चा अगर मैं इस सदन में करूं तो उससे करीब-करीब सारे लोग उत्तेजित हो जाएंगे। अभी हमारे कटारिया साहब आरा की घटनाओं के बारे में बोल रहे थे। यह बात सही है कि जहां सरकार रहती है वह कुछ न कुछ दोषी होती है। लेकिन जो घटना घटी है, हरिजनों और मुसलमानों को जो मारा गया है वह किस संगठन ने मारा है और उस संगठन को किसका संरक्षण प्राप्त है। रणवीर सेना 5000 की टोली में हरिजनों की बस्ती में गयी और पहली दफा...**(व्यवधान)**

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष जी, होम-मिनिस्टर इस पर वक्तव्य दे चुके हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : ...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, कृपया बैठ जाईये? मैं आपको बैठने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। यादव जी, कृपया ठीक ढंग से पेश आयें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, अपने सदस्य पर अकुंश लगाएं।

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें और सही ढंग से पेश आये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, अपने सदस्य से बैठने के लिए कहें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : यह रणवीर सिंह सेना कौन है?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है पार्लियामेंट है, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले बैठ जायें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह पार्लियामेंट हाउस है, पब्लिक प्लेस नहीं है।

[अनुवाद]

आपको सही ढंग से पेश आना चाहिये अन्यथा मुझे किसी और तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा। हां, श्री नीतीश कुमार जी। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सदन की गरिमा बनाये रखनी होगी।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम कहां है?

उपाध्यक्ष महोदय : इस लिस्ट में 70 नाम हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : हमने भी अपना नाम दिया है। लिस्ट के हिसाब से नाम नहीं बुलाये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास यह टाईप की हुई लिस्ट है जिसमें 70 नाम हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : जिन्होंने बोलने के लिये नोटिस दिया है उन्हें पहले बुलाया जाना चाहिये। ऐसा नहीं है कि कोई भी हाथ-उठाये और उसे बोलने का अवसर दे दिया जाये। यह अध्यक्ष महोदय और आपका निर्देश है। जिन्होंने नोटिस दिया है उन्हें आप पहले बुलायें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार बाढ़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार आपसे एक भिन्न विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये इजाजत चाह रहा था। वह सवाल है पिछली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, जिसके श्री वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री थे, ने दस हजार रुपए तक के किसान के कर्जे की माफी कर दी थी। वह स्कीम लोन वेवर्स के नाम से थी। उस कार्यक्रम को आगे आने वाली कांग्रेस सरकार ने भी जारी रखा। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन किसानों का कर्जा ऐलानिया तौर पर माफ कर दिया गया था, उस कर्जे की वसूली सूद के साथ बिहार में हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इस पर सरकार वक्तव्य दे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने हिस्से का पैसा राज्य सरकार को दिया। इसमें गलती राज्य सरकार की है या बैंक संस्थाओं की है? इस बात की पूरी दरयाफ्त करके जिन किसानों का कर्जा उस क्राईटीरिया में माफ कर दिया गया था, उनका माफ कर दिया जाना चाहिय। इस संबंध में जो सर्टिफिकेट जारी हो रहा है या जो कुछ भी काम हो रहा है, वह काम रुक जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी भोजपुर जिला में हुआ है, उसकी जितनी निन्दा की जाय कम होगी। इस प्रकार यदि राजनीतिक क्षेत्र में हिंसा का प्रवेश होगा तो इस तरह से इस देश में किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। जिस तरह से महिलाओं और बच्चों की हत्या की गयी है, उससे उन सब लोगों का सिर शर्म से झुका हुआ है जो अहिंसा में और संविधान में विश्वास रखते हैं। इस सवाल को उठाकर राजनैतिक लाभ लाने का मकसद नहीं है बल्कि इस पर सब को मिलकर फैसला करना चाहिये कि इस हिंसा पर किस तरह से रोक लगाइ जाए यह हिंसा कभी रनवीर सेना करे या एम.सी.सी. या माले-सी.पी.आई. (एम.एल.) करे, उस हिंसा की निन्दा की जानी चाहिये। इस तरह से इस घटना की निन्दा होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस घटना की निन्दा करना चाहता हूं लेकिन मुझे इस बात का एतराज है कि इस सवाल को डा. रंगपी ने अलग अंदाज से उठाया। इस संबंध में गृह मंत्री का दूसरे सदन में एक वक्तव्य आया है। इस सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक दूसरे संदर्भ में चर्चा करते हुये इसका उल्लेख किया था। वे जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं सके। इस पर हर आदमी चिन्तित है। हर किसी ने इस घटना की निन्दा की.लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने इस घटना का जिस तरह से उल्लेख किया, वह निन्दनीय है। अगर उसमें किसी पार्टी का, चाहे वह समता पार्टी हो या बी.जे.पी. हो, यह बात अलग है कि वहां से जीतने वाले उम्मीदवार जनता दल के श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा हैं और जो केन्द्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि रणवीर सेना माले-और सी.पी.आई. (एम.एस.) उनके बीच में हुए टकराव को शान्तिपूर्ण प्रयास से समझौता करके हल करना चाहते हैं।

एक बहुत सराहनीय बयान उनका था और इस सवाल पर उन्होंने बयान दिया था। वहां से जनता दल के व्यक्ति जीते। दूसरे नंबर पर समता पार्टी के उम्मीदवार राम प्रसाद जी रहे जिनको भारतीय जनता

पार्टी का समर्थन प्राप्त था। अगर वहां कोई घटना घटती है तो उसको इस तरह से राजनैतिक रूप दिया गया। किसी गिरोह ने हत्या की तो उसमें जोड़ दिया गया कि यह भातरीय जनता पार्टी के समर्थन का गिरोह है। समता पार्टी का उम्मीदवार चूंकि वहां कंटेस्ट में था इसलिए समता पार्टी के साथ उसको जोड़ दिया जाए, इससे ज्यादा घिनौनी हरकत कोई नहीं कर सकती। अगर इस प्रकार का कोई वक्तव्य, इस प्रकार का कोई भी वाक्य था वाक्यांश जिसमें समता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप किया गया है, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि उसको सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति की रोटी सेंकने का अख्तियार किसी को नहीं है। जहां तक इस तरह की घटनाओं का सवाल है, इनकी निन्दा होनी चाहिए और इनको रोकने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए। बिहार में जो कुछ हो रहा है, खासकर मध्य बिहार में जो कुछ हो रहा है, चाहे कहीं एम.सी.सी. ओर सी.पी.आई.एम.एल. का टकराव हो ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, सही ढंग से पेश आयें। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सी.पी.आई.एम.एल. और एम.सी.सी. का आपस में टकराव है। दोनों वामपंथी संगठन हैं। दोनों के बीच में खूनी संघर्ष चल रहा है। कहीं एम.सी.सी. का दूसरे लोगों के साथ टकराव है। वहां एम.सी.सी. के लोगों ने जनता दल के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, दूसरी पार्टी के लोगों पर हमला किया है। माले के साथ एक जगह नहीं, अनेक जगह पर...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, आप उन्हें कितना समय देंगे? अन्य मामलों पर भी चर्चा की जानी है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माले की गतिविधियां दूसरी जगह पर भी हिंसा को उकसाने वाली रही हैं। इस तरह से जो कोई भी हिंसा करे, हिंसा के खिलाफ सभी दल के लोगों को बैठकर विचार करना चाहिए और सिर्फ एक राज्य के हिसाब से उसको जोड़कर समस्या का समाधान नहीं होगा। हम केन्द्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक हो जिसमें सभी लोग मिलकर इस बात की निन्दा करें। जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इस सरकार के गृह मंत्री ने जो कुछ भी राज्य सभा में कहा है, मैं उसकी ताईद करता हूं कि वहां की सरकार इनएफिशिएंट है, इनएफैक्टिव है। यह यहां के गृह मंत्री ने राज्य सभा में कहा है और इस संबंध में मैं भारत के गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्त का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही वक्तव्य दिया है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, बिहार में तथाकथित रणवीर सेना द्वारा जो हत्याएं की गई हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सुन लीजिए नीतीश जी। आज गृह मंत्री बिहार गए हैं ऑन द स्पॉट स्टडी करने के लिए। वे आज शाम सात बजे तक वापस आ जाएंगे और सदन को भी पता है कि उनके आने के बाद वहां क्या हुआ है, डीटेल में एक बयान भी आ जाएगा। यहां एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन के अलावा खुद ही गृह मंत्री पता लगाने गए हैं और शाम का आ जाएंगे। कल सदन में एक बयान भी इसके ऊपर आ जाएगा...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जितेन्द्र नाथ दास को बोलने के लिए कह दिया है।

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास (जलपाई गुड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा उस पर अर्जित ब्याज पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई रोक पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पुरानी सभी योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस रोक को समाप्त कर दे ताकि संसद सदस्यों द्वारा बताई गई नई एवं पुरानी योजनाओं को जिलाधीश पूरी कर सकें।,

धन्यवाद, महोदय...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मेरे राज्य केरल के बारे में है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : डेवलपमेंट फंड्स के लिए क्या आपको कुछ कहना है? एम.पीज. के डेवलमेंट फण्ड्स के बारे में उनका प्वाइंट था।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, संसद सदस्य विकास निधि के बारे में कुछ समस्या थी। मेरे विचार से सम्बद्ध मन्त्री महोदय ने उसका समाधान कर लिया है। वे माननीय अध्यक्ष महोदय से भी मिले थे।

मुझे आशा है कि आज शाम तक मैं सदन को स्थिति के बारे में अवगत करा सकूंगा...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। इस मामले पर केरल की जनता में रोष है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री यहां बैठे हैं। मुख्य मंत्री सम्मेलन में भी केरल के मुख्य मंत्री ने यह मामला उठाया था। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवर्तन कर कुछ लोगों को उसमें से निकाले जाने पर विचार कर रही है। यदि इस योजना को लागू किया जाता है तो कई लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर हो जायेंगे। मैं उनका उद्देश्य समझ सकता हूं। किन्तु कहीं योजना का दुरुपयोग हो रहा है तो सरकार उसे ठीक कर सकती है। किन्तु यदि हम सरकार द्वारा बनाई इस योजना को लागू करेंगे तो अनेक लोगों को इस प्रणाली का लाभ नहीं मिलेगा। केरल सरकार ने अपनी आपत्ति व्यक्त कर दी है। केरल के लगभग 90 प्रतिशत लोग इस प्रणाली पर निर्भर हैं। गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निकालने से अनेक लोग इसके लाभ से वंचित हो जायेंगे। केरल में खाद्यानों की कीमतों में भी वृद्धि हो जायेगी। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था। राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने पर नये सिरे से विचार करने के लिये मन्त्री महोदय को अभ्यावेदन भेजे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री यहां बैठे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में बताये क्योंकि लोग इस बारे में काफी निन्तित हैं।

[हिन्दी]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना ग्रहण कर ली है। माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की है, जो माननीय सदस्य की जानकारी में नहीं है। अभी नई प्रस्तावित जो योजना है वह सरकार के विचाराधीन है। इसलिए इसके बाबत माननीय सदस्य की जो शंका है उस पर हम ध्यान रखेंगे।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। जनसाधारण गरीब लोगों को एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के नोट या तो मिलते नहीं हैं और अगर मिलते भी हैं तो टूटे-फूटे और इतनी गंदी हालत में मिलते हैं कि वह नोट किसी काम के नहीं होते। अभी तक वह नोट बंद हो जाने चाहिए थे लेकिन आज 20 परसेंट और 25 परसेंट का नये नोटों पर ब्लैक चल रहा है। पूरे देश के अंदर यह परिस्थिति है। महोदय, इस देश में नये सिक्के निकाले हैं। आप भी विदेशों में गये होंगे। वहां पर सब सिक्कों का अलग-अलग साइज होता है। परंतु हमारे यहां रिजर्व बैंक ने एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के सिक्के निकाले हैं जिनका अंधेरे में मालूम नहीं पड़ता। एक रुपये की जगह दो रुपये या पांच रुपये देने पड़ते हैं। गरीब किसान और अनपढ़ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इस सरकार ने कैसा बेवकूफी का काम किया है। चवन्नी, अठन्नी और रुपये में जैसा फर्क है वैसा फर्क इनमें भी होना चाहिए। यह जनता का बहुत बड़ा दुख-दर्द है। रिक्शावाले, आटो रिक्शावाले, गरीब दुकानदार उनको बहुत तकलीफ हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं फाइनेन्स मिनिस्टर से कि रिजर्व बैंक में किसी सिरफिरे ने यह काम कर दिया है, उसको बदल दें। एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के सिक्के हाथ लगते ही पहचान में आने चाहिए। हमारे यहां पर क्या दीवाला निकल गया है।

नए नोट छपने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सबका दुख-दर्द है इसलिए इस पर फाइनेंस मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि जम्मू-कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र साल में सात महीने बंद रहता है। इस बार एक महीना और लेट हो गया और वह क्षेत्र आठ महीने बंद रहने के बाद वहां का रास्ता खुला। वहां सप्लाई की हालत यह है कि जो रास्ता है वह बॉर्डर सिक्युरिटी ऑर्गेनाइजेशन मेंटन करता है। वह संगठन उस रास्ते को ठीक प्रकार से मेंटिन नहीं कर रहा है। इसमें बहुत जबर्दस्त करप्शन हो रहा है। वहां पर ट्रक फंस जाते हैं और उनको खींचने के लिए बुलडोजर हजारों रुपये खर्च करते हैं। दूसरा पहलू यह है कि उस क्षेत्र में ट्रैफिक मेंटिन आर्मी के सी.सी.पी. ने कर रखा है। वे सिर्फ आर्मी के ट्रकों को ही अलाऊ करते हैं। वहां रोजाना 400-500 आर्मी के ट्रक वे अलाऊ करते हैं। दूसरी ओर प्राइवेट 30-40 गाड़ियां ही वे अलाऊ करते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि लद्दाख में फैमिन वर्क समय पर नहीं खुले और पहले ही बंद हो गए। इस साल यह स्थिति है कि वहां नमक, आटा, चावल, माचिस व एडिबल ऑयल नहीं है। हमारे पास सप्लाई के लिए केवल अढ़ाई महीने रह गए हैं। अगर अढ़ाई महीने में सप्लाई कम्पलीट नहीं हुई तो लद्दाख में हालत खराब हो जाएगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे तत्काल आर्मी ऑथारिटीज को निर्देश दें कि वे रास्ता दें और प्राइवेट वाहनों को भी पर्याप्त संख्या में अलाऊ करें। वहां आर्मी हैरेशमेंट कर रही है और लद्दाख में एंट्री के लिए पैसा ले रही है। उसको बंद किया जाए और रेगुलर सप्लाई की व्यवस्था की जाए। मेरा कहना है कि आधे आर्मी के ट्रक अलाऊ किए जाएं और आधे सिविल ट्रकों को अलाऊ किया जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको रक्षा मंत्री जी के नोटिस मे लाएं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी बात कहने दो

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रुडी (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। बिहार राज्य के बोधगया शहर में हाल की घटना समाचारपत्रों में आई है। वहां चार बोरों में लगभग 300 नर-कंकाल मिले हैं, जिसमें पांच वर्ष की आयु के बच्चे से लेकर 35 वर्ष तक के आदमियों के नर-कंकाल पाए गए हैं, पूरे शरीर की हड्डियां पाई गई हैं। मैं सदन का ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि हिन्दू रीति के अनुसार जो मृत शरीर है उसे जला दिया जाता है, मुसलमानों की रीति के अनुसार कब्रगाह में दफना दिया जाता है और उसकी पूरी सुरक्षा की जाती है। विषय यह बनता है कि इतनी भारी संख्या में, 300 से अधिक नर-कंकाल पाए गए, जिसको यह कहकर रफा-दफा किया जा रहा है कि ये नर-कंकाल कुछ व्यापारियों द्वारा समय-समय पर एकत्रित किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस राज्य में पशु चारा और पशु के मामले में एक स्कूटर पर 5-5, 10-10 भैंस सवार होकर चल सकती हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 300 लोगों के नर-कंकाल मिले हैं। वे बिहार में आज की परिस्थिति देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं, भा.ज.पा. के कार्यकर्ता हो सकते हैं। बिहार में 30-40-50 लोगों के मरने की घटना तो होती रहती है। इतनी बड़ी संख्या में नर-कंकाल मिले और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए यह गहन जांच का विषय बनता है। कहीं नाजी जर्मनी की तरह बिहार की जनता दल सरकार के पास गैस चेम्बर तो नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के बारे में सरकार की ओर से बयान आना चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि नर-कंकालों के मिलने का क्या राज है? उसकी जांच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है यही काफी है। धन्यवाद।

श्री पी.आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय से सम्बद्ध एक गम्भीर महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

पिछले एक सप्ताह से धनबाद में गैर-कानूनी कोयला उत्खनन से धनबाद और कलकत्ता के बीच सुपरफास्ट रेलवे लाईन को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। जी.टी.वी. ने इस खतरे का कल विस्तृत विवरण दिया था। अनेक गांव वाले भयभीत हो रहे हैं। लोग रेल लाइन से आधे किलोमीटर दूर कालोनियों में रह रहे है। राजधानी एक्सप्रेस तथा सुपरफास्ट गाड़ियों को खतरा है।

अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने राय जाहिर की है कि यदि रेल विभाग कोयला उत्खनन अधिकारियों को सावधान नहीं करेगा तो खतरनाक दुर्घटना होने की सम्भावना हो सकती है।

मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कोयला उत्खनन अधिकारियों से शीघ्र सम्पर्क कर उस स्थान पर होने वाली सम्भावित घटना को रोकने के लिए तत्काल कदम उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपरान्ह 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा अपराह्न 2.08 बजे पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अपराह्न 2 बजे

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी कोई बात ही नही हो रही है तो कैसा पाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

सदन के समक्ष इस समय कोई मामला नहीं है। इसलिये व्यवस्था का प्रश्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

अपराह्न 2.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार के वर्ष 1995 आदि के प्रतिवेदन

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : मैं श्री पी.चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (1996 का संख्यांक 1)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 106/96]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (1996 का संख्यांक 2)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 107/96]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (डाक और दूर संचार) (1996 का संख्यांक 7)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 108/96]

(2) वर्ष 1994-95 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 109/96]

(3) वर्ष 1994-95 के लिए संघ सरकार वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 110/96]

(4) वर्ष 1994-95 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखाओं (डाक सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 111/96]

(5) वर्ष 1994-95 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखाओं (दूर संचार सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 112/96]

(6) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 1994-95 के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 113/96]

(दो) वर्ष 1994-95 के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के विनियोग लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 114/96]

(7) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी दिनांक 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (जम्मू-कश्मीर सरकार) की एक प्रति (हिन्दी, तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 115/96]

(8) आर्थिक सर्वेक्षण 1995-96 के शुद्धि-पत्र* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 116/96]

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराजमान हो गए तो हाउस कन्डक्ट हो गया...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने पाइंट ऑफ आर्डर उठाया था हाउस के सामने कोई बिजनेस

[अनुवाद]

नहीं था। सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : मेरा निवेदन तो सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, सुनाइए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : आपने परसों आसन से सरकार को उज्जैन की घटना के संबंध में निर्देश दिया था कि वह वक्तव्य दे। कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसी आसन से सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह उज्जैन और हरिद्वार की घटना के संबंध में वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रौमिस किया था, शाम तक हो सकता है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं पाइंट ऑफ आर्डर इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री जी के संबंध में अभी जैना साहब ने यह जानकारी दी थी कि वे आज यहा नहीं हैं, आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं।

दिल्ली से बाहर गए हुए हैं तो आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कौन करेगा? मेरा आसन से निवेदन है कि वह सरकार जो लापरवाही कर रही है, आसन के निर्देश का पालन नहीं कर रही है, उसके सम्बन्ध में आप निर्देश दें और वह वक्तव्य दिलवाएं। उज्जैन में, हरिद्वार में, ओंकरेश्वर में और पटना में जहां-जहां धार्मिक स्थल हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सरकार लापरवाही कर रही है।...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : यह पाइंट ऑफ ऑर्डर अपनी जगह महत्व का है।...**(व्यवधान)** इस सम्बन्ध में सरकार का निर्देश भी दिया गया था कि वक्तव्य दें। वक्तव्य देने का समय भी निश्चित था।...**(व्यवधान)**

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों की अवहेलना क्यों हो रही है?...**(व्यवधान)**

---

* आर्थिक सर्वेक्षण 1995-96, 27 फरवरी, 1996 को सभा पटल पर रखा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उम्मीद करता हूं कि शाम के पांच बजे तक मंत्री जी का स्टेटमेंट हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों का पालन होना चाहिए।...**(व्यवधान)**

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : हरिद्वार और उज्जैन में जो घटना घटी है, यह बहुत ही वीभत्स घटना थी...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जरा एक मिनट सुन लीजिए। मंत्री जी ने कहा था कि

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : चेयर की तरफ से कोई निर्देश होना चाहिए।

आप सरकार को कठघरे में खड़ा करिए। यह सरकार आपके निर्देश का भी पालन नहीं कर रही है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सुन तो लीजिए। मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट सुन लीजिए।

श्री थावरचन्द गहलोत : उपाध्यक्ष जी, आपके आदेश की भी अवहेलना हो रही है। यह सरकार आपके आदेश का भी अनुसरण नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सुन तो लीजिए।

[अनुवाद]

विधि कार्य विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : यदि पीठासीन अधिकारी की तरफ से कोई निर्देश है तो उसका अनुपालन किया जायेगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : डायरैक्शन तो था ही, मंत्री महोदय ने प्रोमिस भी किया था कि कल स्टेटमेंट होगा। कल समय नहीं था।

[अनुवाद]

श्री रमाकांत डी. खलप : महोदय, हम उसका अनुपालन करेंगे।

श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन : मन्त्री महोदय ने कहा था कि वे उस स्थान का दौरा करेंगे और वे वही कर रहे हैं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मन्त्री महोदय सदन की इच्छानुसार उस स्थान का दौरा करने गए हैं...**(व्यवधान)** अब हम मंत्री महोदय को पटना से अभी लौट कर, यहां बोलने के लिए कैसे कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पाइंट ऑफ ऑर्डर पर आपकी व्यवस्था क्या है? परसों आपने निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि कल स्टेटमेंट देंगे, कल का दिन चला गया। फिर अध्यक्ष जी ने कल निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि आज वक्तव्य देंगे, लेकिन आज गृह मंत्री जी बाहर गए हुए हैं। गृह मंत्री जी जवाब नहीं दे सकते या वक्तव्य नहीं दे सकते। आपके आदेशों की अवहेलना की जा रही है।

मेरा निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था दें, सरकार को प्रताड़ित करें या आपका कोई मंत्री सामूहिक जिम्मेदारी वहन करते हुए उसका वक्तव्य दे। यह गम्भीर मामला है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : महोदय, हमें इस मामले के बारे में हम सभी को चिन्ता है।...**(व्यवधान)** ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : वहां पहले से पुलिस व्यवस्था हटी है।

सरकार इन घटनाओं को दबाकर उसपर लीपापोती कर रही है। जानबूझकर टाइम ले रही है और इस सदन की अवमानना कर रही है।

श्री थावचन्द गेहलोत : सरकार यहां बैठी हुई है, इस पर कोई टाइम फिक्स करें। मंत्री जी बैठे हुए हैं, कहें कि हम शाम को इतने बजे वक्तव्य देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आज शाम को छह बजे तक वक्तव्य दे पाएंगे।

श्री रमाकांत डी. खलप : उपाध्यक्ष जी, मैं सभा सदन से विनती करूंगा कि वह एजीटेटेड न हों, गृह मंत्री जी वहां पर गए हुए हैं ...**(व्यवधान)**

श्री विनय कटियार : कहां गए हुए हैं?

[अनुवाद]

श्री रमाकांत डी. खलप : पीठासीन अधिकारी के निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।...**(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद : हम शाम छः बजे तक प्रतीक्षा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर का क्या हुआ? आपने कहा था कि सबको बोलने का चांस मिलेगा। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट। जरा एक समय में एक आदमी बोलिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : आपने जीरो ऑवर में यह कहा था कि सबको बोलने का चांस मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर ओवर हो गया। अब हम नियम 377 के अधीन सूचना ले रहे हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.14 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र–जारी

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1995 जो 30 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 569 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1996 जो 5 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1996 जो 5 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1996 जो 5 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 77(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 1996 जो 5 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 78(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[गंन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 117/96]

(2) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1994-95 का पैंतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अध्याय आठ में दी गई संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार न किए जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[गंन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 118/96]

अपराह्न 2.14 1/2 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में फरेन्दा गणेश शुगर मिल को शुरू करना।

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जनपद महाराजगंज में फरेन्दा गणेश शुगर मिल्स, जो नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के अन्तर्गत आती हैं, पिछले लगभग दो वर्ष से बंद पड़ी है। इस मिल के बंद होने के कारण हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, जबकि उस मिल को मात्र 35-40 लाख की राशि से मरम्मत कर चलाया जा सकता है। लेकिन नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के इंकार किए जाने के कारण यह मिल बी.एफ.आई.आर. में चली गई है। उसने यह निर्णय लिया है कि इस मिल को या तो सरकार चलाए अथवा उसे निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए। जब तक इस मिल का विस्तारीकरण नहीं हो जाता, तब तक इस मिल को 35-40 लाख रुपये लगाकर चलाया जाए। श्रमिकों को उनकी अनेक महीनों से बकाया राशि का भुगतान किया जाए।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मिल को तुरन्त चलाया जाए, जिससे मिल के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए लाखों लोगों को रोजगार मिल सके।

[अनुवाद]

(दो) महाराष्ट्र के थाणे जिले में देहानू तालुक में उद्योग स्थापित करने पर लगे प्रतिबंध को उठाये जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामन वानगा (दहानू) : पर्यावरण और वन विभाग, भारत सरकार ने 20 जून, 1991 की अधिसूचना के द्वारा थाणे जिले (महाराष्ट्र) में दहानू तालुक को परिस्थितिकी की दृष्टि से कमजोर क्षेत्र घोषित कर दिया था और न केवल दहानू तालुक से बल्कि उसी 25 किलोमीटर शहरी परिधि में उद्योग स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। यह समूचा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है तथा इसका अधिकांश हिस्सा मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दहानू में पड़ता है।

इस अधिसूचना के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उद्योगों के संवर्द्धन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जिससे हजारों आदिवासी लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ा है। मेरे क्षेत्र की जनता, जिला परिषद, तालुक पंचायतों तथा महाराष्ट्र सरकार ने भी भारत सरकार से इस प्रतिबन्ध पर पुनः विचार करने के लिए कहा है क्योंकि इस प्रतिबन्ध से वहां का आर्थिक विकास तो प्रभावित हुआ ही है यह प्रतिबन्ध भेदभावमूलक भी है। इसलिए भारत सरकार ने इसकी समीक्षा करने के लिये एक समिति का गठन किया था और इस समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी है। तत्पश्चात्, संसद सदस्यों, विधायकों तथा उद्योगों तथा युवा संगठनों के प्रतिनिधि फरवरी, 1996 में तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मन्त्री से मिले थे और उन्होंने औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिये साक्षारात्मक निर्णय लेने का प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया था।

दहानू तालुक की 25 किलोमीटर का बाहरी परिधि में दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र एवं गुजरात राज्य का क्षेत्र भी आता है जहां पर इस प्रतिबन्ध को लागू नहीं किया जा रहा है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस प्रतिबन्ध को हटाये जाने में हो रहे विलम्ब के कारण परेशान हैं और वे बहुत बड़ा आंदोलन आरम्भ करने जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिये इस प्रतिबन्ध को शीघ्र वापस ले लें।

(तीन) राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : राजस्थान में खासकर आदिवासी क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा उद्योग नहीं है, जिसके कारण बेरोजगार नौजवानों को राजस्थान से पलायन करने से रोका जा सके इसी कारण पिछड़े क्षेत्र के लोगों में भारी असंतोष हो रहा है। राजस्थान में इस समय कई प्रकार की परेशानियां हैं। कहीं पर बाढ़ है तो कहीं पर अकाल। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान में खासकर पिछड़े क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भारत सरकार की ओर से छोटे-बड़े उद्योग खोले जाएं। मैं मांग करता हूं कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार प्रदान कराया जाए, जिससे भुखमरी से लोगों को बचाया जा सके। इस हेतु केन्द्र सरकार राज्य सरकार को आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करे।

[अनुवाद]

(चार) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद में वैज्ञानिकों की भर्ती की वर्तमान संविदात्मक प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर) : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के कार्यरत वैज्ञानिकों ने । जुलाई, 1996 को एक दिन हड़ताल का यह मांग की थी कि विद्यमान ठेका प्रणाली समाप्त कर दी जाये और जिन वैज्ञानिकों ने परिवीक्षा पूरी कर ली है उनकी सेवाएं विनिमित कर दी जाये। वैज्ञानिकों के लिए अनुसन्धान के लिए अनुकूल वातावरण बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा वातावरण बनाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें वित्तीय एवं नौकरी की सुरक्षा दी जाये। मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों की भर्ती की ठेका प्रणाली को समाप्त किया जाये।

(पांच) बेलगाम जिले में सोगालु में 'यात्रिका' के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री शिवानंद एच. कौजलगी (बेलगाम) : महोदय, कर्नाटक सरकार ने बेलगाम जिले में सोगालु तथा येलुम्मान गुड्डा तालुक साबादाती में 'यात्रिका' (यात्री निवास) की स्वीकृति के लिये भारत सरकार के पर्यटन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था किन्तु केन्द्र सरकार ने अभी इसे स्वीकृति नहीं दी है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कर्नाटक सरकार द्वारा भेज गये प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दे।

(छह) भारत-बंगला देश सीमा पर लगाई जा रही बाड़ से प्रभावित लोगों के नुकसान को कम से कम करने के लिये बाड़ की सीमा निधारित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री चित्त बसु (बारासाट) : महोदय, भारत सरकार ने भारत-बंगला देश सीमा की सुरक्षा के लिये सीमा पर अवैध रूप से आने वालों पर रोक लगाने तथा असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा अन्य सीमावर्ती राज्यों के लोगों के जीवन और माल की रक्षा के लिये सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है।

सारी सीमा पर बाड़ लगाई जायेगी। भारतीय क्षेत्र में शून्य बिन्दु से 125 गज दूरी पर बाड़ का संरक्षण किया जायेगा जिसके कारण पश्चिम बंगाल में हजारों ग्रामवासी बेघर हो जायेंगे। हजारों एकड़

उपजाऊ और कृषियोग्य भूमि बाड़ के दूसरी ओर चली जायेगी। भूमि और खड़ी फसलें असुरक्षित हो जायेगी।

सरकार को बाड़ के मार्ग संरक्षण के लिये समुचित दिशा-निर्देश निर्धारित करने चाहिये ताकि इसके कारण कम से कम हानि और क्षति हो। जो परिवार बेघर हो जायेंगे उन्हें शीघ्र ही बसाया जाये।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां एक दल को भेजा जाये जो जांच का उपयुक्त उपाय करने की सिफारिश करे। इससे वहां की जनता आश्वस्त हो सकेगी।

(सात) केरल में अल्पसंख्यकों के स्कूलों के लिय शेष 50 प्रतिशत अनुदान देने की आवश्यकता

श्री ई.अहमद (मंजेरी) : महोदय, 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में 22 निचले प्राथमिक 14 उच्च प्राथमिक एवं 6 उच्च उच्चतर स्कूलों का चयन किया गया था। इनके भवन निर्माण अध्यापकों के वेतन तथा उपकरणों की खरीद के लिये केन्द्र सरकार ने शत प्रतिशत अनुदान का आश्वासन दिया था जिसमें से केवल 50 प्रतिशत अनुदान राशि दी गई है। इन स्कूलों को कुछ विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिये मैं सरकार से शीघ्र ही अन्य उपायों के साथ साथ निम्न उपाय करने का अनुरोध करता हूं:

1. वेतन के लिये अनुदान की राशि जारी करें।
2. अभी तक भुगतान नहीं की गई शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करे।
3. इन स्कूलों को सीधी भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत लायें और
4. इन अल्पसंख्यक स्कूलों को अन्य सहायता प्राप्त स्कूलों के समकक्ष मानें।

(आठ) मुम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बनी गन्दी बस्ती के लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मुम्बई की जनसंख्या 1 करोड़ 20 लाख से अधिक हो गई है। इस शताब्दी के अन्त तक मुम्बई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर हो जायेगा इस समय इसकी लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, मुम्बई नगर निगम तथा गैर-सरकारी न्यासों/व्यक्तियों की भूमि पर बनी मलिन बस्तियों में रह रही है। इन मलिन बस्तियों की पहली बार 1976 में जनगणना की गई थी जिससे पता चला था कि लगभग 20 लाख लोग रेलवे, हवाई पत्तन, रक्षा आदि केन्द्रीय सरकारी विभागों की भूमि पर रह रहे हैं।

मलिन बस्ती सुधार एवं उत्थान योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार की भूमि पर बनी मलिन बस्तियों के अलावा सभी मलिन बस्तियों में पीने के पानी, शौचालय, मल निकास, बिजली जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को अनेक बार अभ्यावेदन दिये हैं कि उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाये किन्तु अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इन 20 लाख लोगों को मूल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं; जिससे अनेक मलिन बस्तियों में गम्भीर पर्यावरणीय खतरा पैदा हो गया है।

वर्तमान महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक लोकप्रिय योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत सभी मलिन बस्ती वालों को 225 वर्ग फीट के बिना लागत के फ्लैट दिये जायेंगे। इसके लिये विकास करने वालों को अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स दिया जायेगा। केन्द्र सरकार की भूमि पर मलिन बस्तियों के लोग महाराष्ट्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन दो मामलों पर विचार कर राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि राज्य सरकार मुम्बई में मलिन बस्तियों में रहने वाले को नागरिक सुविधायें और मुफ्त आवास उपलब्ध करा सके।

अपराह्न 2.25 बजे

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोध्णन तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

और

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में मद सख्या 5 और 6 पर संयुक्त रूप से चर्चा होगी। मैं श्री सत्यपाल जैन से अपना भाषण जारी रखने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं एक सूचना लेना चाहता हूं। कल की कार्यसूची में था कि इस विधेयक को बाद किसी और विधेयक पर बहस होगी। आज की कार्यसूची में उस क्रम में परिवर्तन कर दिया गया है। यदि कार्यालय इस प्रकार क्रम में परिवर्तन करेगा हमारे लिये वक्ताओं की व्यवस्था करना कठिन हो जायेगी। हमें वक्ताओं की सूची देनी होती है। हमें सदस्यों को बताना होता है। अनेक नये सदस्य हैं। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि किसी कार्यसूची में दिये गये क्रम को अचानक नहीं बदल देना चाहिये। इससे सब के लिये अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। इसलिए उस क्रम में विशेष रूप से अगले दो से तीन विधेयकों में क्रम में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, मेरे विचार में आपको इस बारे में निर्देश देना होगा। कल की कार्यसूची के अनुसार हम जानते थे कि एक विधेयक विशेष पर बहस होगी। किन्तु आज की कार्यसूची में एक अन्य विधेयक लिया जा रहा है। इसलिये हमारे सदस्यों के तैयारी आदि करना कठिन हो जाता है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की ओर से कोई इस पर कुछ कहना चाहता है?

(व्यवधान)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मद को पीठासीन अधिकारी की अनुमति से कल ले लिया था...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला : सदस्यों को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया। समस्या यह है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उस, मद को अब छोड़ दिया गया है?

(व्यवधान)

श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन : उसे आज की कार्यसूची से निकाल लिया गया है। हम इसके बारे में आज कार्य मन्त्रणा समिति में विचार करेंगे।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, कार्यसूची में क्रम को इस प्रकार परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये...**(व्यवधान)**

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह मैंने निर्धारित समयावधि में नियम 377 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित सूची में आपका नाम नहीं है।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, आपने मेरा नाम कैसे छोड़ दिया?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं छोडा। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित सूची में आपका नाम नहीं है।

श्री एस. बंगारप्पा : महोदय, क्या कल नियम 377 के अन्तर्गत लिए जाने वाले मामलों में मेरा मामला उठाया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कल आप अपना मामला ले सकेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष जी, एक सदस्य ने तो लॉटरी बंद करने का प्रस्ताव भेजा था और लॉटरी में उसका नाम निकला नहीं। इसलिए मामला टेक-अप नहीं हो पाया है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ लगता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यपाल जैन जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने इस बिल पर बोलते हुए जब सदन आज के लिए स्थगित हुआ तो यह बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ-साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल ट्रायल्स मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनकी सर्विस कंडीशन में भी सुधार होना चाहिए। उनको भी अधिक वेतन और भत्ते दिये जाने चाहिए। उसी पॉइंट को स्पष्ट करते हुए कल मैंने ट्रांसफर पॉलिसी के रिव्यू की बात भी की थी। हाई कोर्ट के जजों की ट्रांसफर पॉलिसी की नीति के बारे में पुनर्विचार होना चाहिए। कुछ जजों को ट्रांसफर के बाद भाषा की, मकान की समस्या सामने आती है। दूसरा यह कि हाई कोर्ट के जजों का दूसरी जगह जब ट्रांसफर होता है तो उसके संबंध में कोई क्लीयर कट पॉलिसी नहीं है। जिन जजों का तबादला हुआ है वे व्यक्तिगत बातचीत में यह प्रश्न करते हैं कि मैं फलां हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आया हूं। मेरे से सीनियर जज भी वहां पर हैं, जूनियर जज भी वहां पर हैं। मैं सर्विसिज से हूं तो सर्विसिज के लोग भी वहां पर हैं। मैं अगर बार से हूं तो बार के लोग भी वहां हैं। मैं पूछना और समझना चाहता हूं कि मेरे को क्यों ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पूरा सम्मान करता हूं। परन्तु जिस न्यायाधीश का तबादला होता है उसके मन में शंका बनी रहती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। स्पष्ट नीति न होने का कारण, और उसके मन में शंका होने के कारण आगे जाकर जब वह व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में काम करेगा तो पूरी तन्मयता से नहीं कर सकेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जजों के तबादले में स्पष्ट नीति अपनाई जानी चाहिए।

जहां तक मेरी जानकारी है जो पीछे ट्रांसफर की पॉलिसी बनी, उसके अंदर एक बात यह भी थी कि एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दूसरी हाई कोर्ट से होगा। लेकिन उस हाई कोर्ट का ऑरिजिनल जज जहां अपांइट हुआ था, वह दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होगा। इस संबंध में मेरा एक छोटा सा निवेदन है। क्योंकि विधि मंत्रीजी यहां बैठे हुये हैं, और वे बहुत ही रीजनेबल और लॉजिकल हैं, उनसे कहना है कि हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो ऑरिजिनल जज हैं, उनमें से हिन्दुस्तान के किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं हैं और उनमें से कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। यह हाई कोर्ट तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का जाइंट हाई कोर्ट है। अगर इस नीति के अंतर्गत हमारा हक़ बनता है तो हमारा जज दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनकर जाये तो वह अधिकार हमें मिलना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐलिवेएशन हो तो हाई कोर्ट का ऑरिजिनल जज जो वहां बिलांग करता हो तो उस के नाम पर विचार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जज के सलेक्शन के बारे में कल जिक्र आया था। आज अच्छी तादाद में जज नहीं मिल पा रहे हैं। सलेक्शन के बारे में मेरा सुझाव है कि जज का सलेक्शन करते समय उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्य के मुख्य मंत्री, केन्द्र के विधि मंत्री, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं, वे इस बात पर विचार करें कि जब भी किसी जज का सलेक्शन होना हो तो वहां के सीनियर लोग, टॉप टैलेंटेड एडवोकेट हों जिनकी संख्या 10 या 5 हो सकती है, उनको भी इन्वाल्व करें और उनकी राय लें। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से हाई कोर्ट्स में जजों के खाली स्थान पड़े हुये हैं। मेरे अपने हाई कोर्ट में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के अनेक हाई कोर्टों में कम से कम 15 साल पहले के केस पैंडिंग पड़े हुये हैं। मैंने 1980 में बतौर वकील हाई कोर्ट जाइन किया था तो जो केस तब दाखिल हुये, वे अभी तक नार्मल टाईम में बहस में नहीं आ पाये हैं। उसमें साल-दो साल और लग सकते है। आप अंदाजा लगाइये कि मकान के केस के बारे में क्या होगा। रिटायरमेंट का मामला हो, पेंशन का मामला हो। ग्रेच्युटी का मामला हो, अगर लोगों को 15-15 साल तक इंतजार करनी पड़ेगी तो निर्णय कैसे होगा। कई बार निर्णय होने पर भी रिमांड हो जाता है। इसलिये जजों की अपाइंटमेंट जल्दी होनी चाहिये। मैं विधि मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा...

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एस.सी.एस.टी. के जज हाई कोर्ट में नहीं है, उनका सलेक्शन होना चाहिये। जो जज रिटायर हो जायें तो पालिटिक्स में आना चाहिये।

श्री सत्य पाल जैन : मुझे खुशी होगी यदि एस.सी.एस.टी. के जज होंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन ऐसे व्यक्ति मिल नहीं रहे हैं। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये। हम इस बात से सहमत हैं। मैं सुलतानपुरी से कहना चाहूंगा कि इस पर किसी में भी मतभेद नहीं है।

दूसरी बात जज के रिटायरमेंट की आती है। यह मालूम होता है कि फलां जज फलां तारीख को रिटायर हो रहा है। बहुत अच्छा होगा यदि उसके रिटायरमेंट से 6 महीने पहले ही उसके उत्तराधिकारी का प्रोसीजर स्टार्ट कर दें ताकि एक जज के रिटायर होने के तुरंत बाद ही दूसरा जज आ जाये जिससे केसों का निपटारा आसानी से हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के बहुत सारे भ्रष्टाचार के केस गर्त्त में चले गये होते यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इंटरवीन न किया होता। हम उनके लिये आभारी हैं। उनके कारण ही ये केसेज लाईमलाईट में आये हैं। कौन दोषी है और कौन नहीं है, मैं इस बात में तो नही जाना चाहता लेकिन मैं इस सिलसिले में एक केस का जिक्र करना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर 1984 में दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई और सिखों के साथ ज्यादती हुई। दंगे हुये। उसके बाद उनकी विधवाओं ने कोर्ट में अनेकों चक्कर लगाये कि उनके पति या उनके भाई या परिवार का कोई सदस्य मार दिया गया है या जिन्दा जला दिया गया है, उसका कुछ मुआवजा मिलना चाहिये। ऐसे ही केसेज पंजाब में हुये हैं जहां उग्रवादियों द्वारा परिवार के लोगों को मार देने पर 20-30-40 हजार रुपया मुआवजा दिया गया अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी भजन कौर के ऐसे केस में, जहां उस घर के मुखिया को जान से मार दिया गया, साढ़े तीन लाख रुपया उसके आश्रित परिवार को मुआवजा दिये जाने का माननीय जज ने निर्णय दिया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधि मंत्रालय में बहस हो रही है। इसका रेलेवेंस यह है।

आप इस बारे में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को इंस्ट्रक्शंस इश्यू करें। भजन कौर की तरह हर विधवा को अपना केस न डालना पड़े। जिसका पति या पिता मारा गया, उसे मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार चंडीगढ़ तथा और जहां-जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं आप निर्देश जारी करें, जहां-जहां ऐसी हत्याएं हुई हैं। उनके आश्रितों को साढ़े तीन लाख रुपये का मुआवजा सरकार दें तथा यह सारे देश में समान रूप से लागू हो। जो दंगों में मारे गये उनके परिवार को भी मुआवजा मिलना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है चाहे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हो, उन परिवारों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि विधि मंत्रालय यह मामला टेक-अप करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सत्यपाल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में माननीय विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि मैंने इसमें अमेंडमेंट भी दे दिये हैं। मेरा निवेदन है कि जो आपने प्रोपोज्ड अमेंडमेंट दिया है वह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आज हिंदुस्तान में आम जनता का विश्वास जूडिशियरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में अगर सबसे अधिक बचा है जुडिशयरी के प्रति बचा है। मेरा निवेदन है कि आप इनकी सर्विस कंडीशंस, ट्रांसफर पॉलिसी और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की समस्या की ओर ध्यान दें। इसके संबंध में सरकार जितनी जल्दी ध्यान देगी उतना अच्छा रहेगा। अगर हिन्दुस्तान की आम जनता का जूडीशियरी से विश्वास हिल जाता है तो वह हमारे लिए एक खतरनाक स्थिति होगी। उसको हम अवॉइड करें। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के संशोधनों का समर्थन करता हूं किन्तु यह भी महत्वपूर्ण बात है कि मूल्य वृद्धि के कारण उनके भत्तों को बढ़ाना ही होगा।

कल मैं दूसरी ओर के प्रतिष्ठित संसद सदस्य एवं प्रख्यात न्यायविद् श्री लोढा के उस भाषण को बड़े मनोयोग से सुन रहा था जिसमें वे न्यायपालिका का समर्थन कर रहे थे। हम सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं क्योंकि संसद, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका लोकतन्त्र के उच्चतम सोपान हैं। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश की जनता हाल में न्यायपालिका के कार्य को बड़े आदर की दृष्टि से देख रही है जिस ढंग से वे मामलों को निपटा रहे हैं, वह वस्तुतः सराहनीय है।

महोदय श्री सत्यपाल जैन ने अपने भाषण का समाहार करते हुए कहा है कि इन दिनों लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति काफी अधिक आदर हैं और विधायिका में उतना आदर नहीं है। इससे हम सब के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं मिलता। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं भी न्यायपालिका का सम्मान करता हूं किन्तु फिर भी मैं यह समझता हूं कि यदि मैंने संविधान को समझा है, राष्ट्र-निर्माताओं के स्वप्नों को समझा है यदि मैंने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को समझा है या फिर डा. बी.आर. अम्बेडकर तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे संविधान निर्माताओं की भावना को समझा है तो मैं कह सकता हूं कि संसद का सर्वोच्च स्थान है और संसद की सर्वोच्चता की संविधान के किसी अन्य अंग की सर्वोच्चता के साथ तुलना नहीं का जा सकती। इस देश में यह बात अनेक अवसरों पर स्थापित हो चुकी है और यहां तक कि स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश की जनता, राष्ट्र की सर्वाधिक निर्धन जनता की इच्छा को वर्ष 1969 में साकार किया।

श्री लोढा ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की कार्यशैली पर आपत्ति की है क्योंकि कुछ न्यायाधीशों को निलम्बित कर दिया गया था। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता। मैं पांचवीं लोक सभा में नया नया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस ओर से श्री मोहन कुमार मंगलम, बाबू जगजीवन राम, श्री वाई.वी. चव्हाण तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे नेताओं ने भाषण दिये थे और विपक्ष से सी.पी.आई. (एम) के तत्कालीन नेता श्री ए.के. गोपालन ने जनता के अधिकारों की पक्षकरता करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की कार्यवाही से विकास की समूची प्रक्रिया ठप्प पड़ गई है।

इस सम्बन्ध में अन्ततः जनता ने निर्णायक भूमिका निभाई और उसने बता दिया कि वे संसद को अपनी इच्छानुरूप बना सकती है और संसद ने भी उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य किया। आज न्यायपालिका की सक्रियता क्यों उभरी है? ऐसा इसलिए हुआ है कि संसद ने उस ढंग से कार्य नहीं किया जैसाकि उसे करना चाहिए था। न्यायिक सक्रियता का यही कारण है। इसलिए ही ऐसी स्थिति बनी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति रामास्वामी, जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो चुका था, मामले में संसद अपना कर्त्तव्य नहीं निभा सकी। यहीं कारण है कि अब निचले न्यायालय से लेकर उपर तक हर न्यायालय प्रत्येक राजनीतिज्ञ पर उंगली उठा रहा है। हो सकता है कि दो चार लोग भ्रष्ट हों किन्तु न्यायपालिका में बैठे लोग आजकल ऐसा दिखा रहे हैं मानों न्यायालयों में न्याय के आसन पर बैठे यह लोग देवता है और शेष हम सभी राक्षस हैं। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है।

कुछ दिन पहले एक अन्य न्यायाधीश श्री ढींगरा ने भी टिप्पणी की थी। श्री चन्द्र शेखर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी किन्तु यह केवल एक प्रतिक्रिया मात्र ही नहीं हो सरकार को ऐसे न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही भी करनी चाहिये। वे क्या कर रहे हैं? न्यायपालिका की क्या बात है? कुछ समय पहले भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. भट्टाचार्य को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन तथा धोखाधड़ी की अन्य गतिविधियों के लिए मुम्बई उच्च न्यायाधीश की सेवा से हटाया गया था। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का सदस्य होने के नाते मैं अपने इस नये प्रधान मंत्री जो एक गरीब किसान परिवार हैं-से अनुरोध करता हूं कि वे एक ऐसी संस्था अथवा एक जांच समिति की स्थापना करे जो दो वर्ष के अन्दर पिछले 15 वर्षों के सभी मन्त्रियों, मेरे सहित सभी संसद सदस्यों, सभी भूतपूर्व न्यायाधीशों एवं शिखर के सभी नौकरशाहों की जांच कर पता लगाए कि उन्होंने कितनी सम्पत्ति और धन जमा कर रखा है। उन सब की जांच कर यह पता लगाना चाहिये कि वे कितना वेतन लेते थे और उन्होंने अपने बच्चों का लालन-पालन अमरीका कनाडा या लंदन में कैसे किया और उनकी शिक्षा पर खर्च कहां से किया जा रहा है। मैं ऐसे कई मामलों के बारे में जानता हूं किन्तु मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता।

यरावल्कय मुनि से लेकर भगवान रामकृष्ण तक 'हिन्दुत्व' की व्याख्या नहीं कर सके किन्तु हमारे न्यायाधीश इसकी व्याख्या कर रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द तक हिन्दुत्व की व्याख्या नहीं कर सके।, दो या तीन न्यायाधीश हिन्दुत्व के बारे में उपदेश दे रहे हैं। मैं उन के प्रति पूरे सम्मान से यह कहना चाहता हूं कि उनकी अतिवादी प्रतिक्रिया है वे अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं और वे अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वे हवाला मामले में एक या दो व्यक्तियों को पकड़ सकते हैं और यदि उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य होगा तो उन्हें सिद्धदोष ठहरा सकते हैं। किन्तु उन्हें सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिये और उनके विरुद्ध मुकदमों के दौरान सब के विरुद्ध टिप्पणी नहीं करनी चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि "संसद ऐसी है वैसी है, संसद सदस्य ऐसे हैं या वैसे हैं अथवा राजनीतिज्ञ ऐसे हैं या वैसे हैं। एक या दो भ्रष्ट इसे सहन कर सकते हैं। शेष राजनीतिज्ञ तथा अन्य व्यक्ति इस प्रकार की बातें सहन नहीं कर सकते। वे क्या कर सकते हैं? क्या वे हमें जेल भेज सकते हैं? हर एक बात की सीमा होती है। मैं इस बात को जानता हूं।

किन्तु हो क्या रहा है? जिस व्यक्ति ने देश के सबसे ऊंचे न्यायालय में अपने ही शपथ पत्र की अवमानना का न्यायालय की भी अवमानना की और जिसके कारण मुम्बई, सूरत, अहमदाबाद, कलकत्ता में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई लाखों लोग गलियों में निकल आये और हजारों लोग मारे गये, उसको देश के सबसे ऊंचे न्यायालय ने 2000 रुपये का जुर्माना किया और तिहाड़ जेल में उसे अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह एक घन्टे के लिये रखा। यह उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की बात है। क्या यहीं न्यायापालिका है? क्या यहीं दण्ड दिया जाता है? क्या इसे प्राकृतिक न्याय की संज्ञा दी जाती है? क्या न्यायशास्त्र का यही निचोड़ है?

मैं श्री लोढा से अपील करता हूं। मैंने भी कानून की पढ़ाई श्री चित्ततोश मुखर्जी जैसे महान व्यक्ति से की है जो बाद में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। वे मेरे प्राध्यापक थे। कक्ष में पढ़ाते हुए

वे कहा करते थे कि यदि न्यायाधीश कानून का परिधि में वास्तविकता एवं जनमानस को समझने में असमर्थ रहे तो उसमें न केवल वे अपना कर्तव्य नहीं निभा पाते अपितु देश के भाग्य दिग्दर्शन में भी असमर्थ रहते हैं।

यही हुआ है। शपथ पत्र और न्यायालय की अवमानना से ऐसी स्थिति बनी और न्यायाधीशों ने इसकी वैसी व्याख्या की। अवमानना क्या है? शपथ पत्र दाखिल करें और उसका अनुपालन न करे और 2000/- रुपये का जुर्माना दें और बात समाप्त हो जाती है। किन्तु इसके कारण पूरे देश को परिणाम भुगतना पड़ा। इस देश को क्या हो गया है? मैं इस प्रकार के आचरण को उचित नहीं मानता। यह विधेयक उनके वेतन में वृद्धि के बारे में है। सक्षम लोगों को आना चाहिए। न्यायपालिका का सम्मान और आदर होना चाहिये।

श्री कल्पनाथ राय कल बता रहे थे कि न्यायालय में उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया और उनके विरुद्ध क्या क्या टिप्पणियां की गई। क्या ऐसा करना उचित था? क्या किसी जन प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिये? मैं उस मामले के गुणदोषों में नहीं जाना चाहता। उसकी सुनवाई होनी चाहिये। न्यायपालिका द्वारा कई अच्छे कार्य किये जा रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : महोदय, यह ...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मैं झुकने वाला नहीं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जज ने जो जजमेंट दिया है, वह कोर्ट में दिया है, उसको यहां पर क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में गोलकनाथ मामले में दिये गये फैसले की प्रंशसा की गई थी और बाद में उसकी आलोचना की गई थी...**(व्यवधान)**

श्री सत्यपाल जैन : मैं उन्हें बोलने से रोकना नहीं चाहता। उन्हें आलोचना करने का अधिकार है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : आपके दल ने उच्चतम न्यायालय को शपथ पत्र पर दिये गए आश्वासन का उल्लंघन किया है। आप उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे?

श्री सत्यपाल जैन : नियम 352 (पांच) में कहा गया है :

> (पांच) बोलते समय कोई सदस्य उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो;
>
> व्याख्या : शब्द "उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों" का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अन्तर्गत केवल उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में, उसके द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध तभी महाभियोग लाया जा सकता है जब मेरे मित्र यह अनुभव करें कि उन्होंने कोई गलत फैसला दिया है। किन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। न्यायाधीशों ने कभी उस पक्ष में और कभी इस पक्ष में निर्णय दिये हैं। मैं तो केवल आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। माननीय सदस्य द्वारा दण्ड आदि पक्ष पर न्यायाधाशों के निर्णयों की आलोचना करना उचित नहीं होगा। मेरे विचार से आज उच्च न्यायालय ने श्री नरसिंह राव का आवेदन अस्वीकार कर दिया होगा। मेरे विचार से इसी कारण माननीय सदस्य इस प्रकार बोल रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका ज़बरदस्त विरोध करता हूं। मैं तो साफ साफ बात कह रहा था। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा था। मैं यह बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप अपनी बात जारी रखें।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं तो यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं है हम न्यायाधीशों के विरुद्ध नहीं है। इसके विपरीत मैंने आरम्भ में ही कहा था कि समूचा राष्ट्र न्यायालयों के कार्य को बड़े ध्यान, सावधानी और सम्मान के साथ देख रहा है क्योंकि कुछ न्यायालय कई बातों के बारे में स्पष्टता ला रहे हैं किन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सोचना भी सही नहीं है कि केवल न्यायपालिका ही एक सम्मानीय संस्था है और विधायिका का कोई सम्मान नहीं है। यह सही नहीं है और यदि वे ऐसी बात सदन में कहना चाहते हैं तो उन्हें संसद सदस्य होने को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हमें जनादेश मिला है और जब जनता ने हमें चुना है तो उन्होंने हमें सही चुना है।

अयोध्या के मामले में संसद ने उच्चतम न्यायालय को प्रेषित किया था। तब मैं सदन में नहीं था। मैं विपक्ष या सरकार किसी पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

मैं यह नहीं जानता कि भगवान राम ने भगवान बुद्ध को यह कैसे बताया कि वे कहां पैदा हुए थे। भगवान बुद्ध को भी इसका पता नहीं चला। मीरा बाई राम और कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी किन्तु उन्हें भी कभी यह स्वप्न नहीं आया कि भगवान राम की जन्मस्थली कौन-सी है। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान राम ने

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को यह कैसे बता दिया कि वे देश के किस भाग में पैदा हुए थे और उन्होंने वैसा निर्णय दिया। मुझे इसका पता नहीं, यह सम्भव नहीं। हो सकता है कुछ प्रकाश आया होगा। ऐसा कैसे सम्भव है मैं कह नहीं सकता।

[हिन्दी]

जजमेंट बतायेगा। एक दिन सुप्रीम कोर्ट बतायेगा।

[अनुवाद]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं आपसे सहमत हूं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : यह सही रवैया नहीं है। यह कहना सही नहीं है कि आप राम की जन्मस्थली के बारे में जानते हैं। महोदय, मैंने रामायण धारावाहिक देखा है। मैंने मुस्लिम रिक्शावालें को आधा घन्टा अपना काम छोड़कर बड़े सम्मान से रामायण धारावाहिक देखते हुए देखा है। राम कितने महान थे। मुसलमान राम भगवान का आदर करते थे किन्तु उस पावन नाम को बदनाम कर दिया गया है राम के नाम पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और राम को एक समुदाय विशेष का मानकर इस मामले को न्यायालय का खण्डपीठ को प्रेषित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं सेंकड़ों वर्षों से मानती आई है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं आशा करता हूं कि इसका परिणाम कुछ तो निकलेगा। इस देश की जनता यह फैसला करेगी।

महोदय, हम कानून बनाने वाले हैं। और वे कानूनों का व्याख्या करते हैं। हमें ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहिये कि कानून के व्याख्याकर्ताओं को यह फैसला करने का अधिकार है कि हम सही अथवा नहीं। वे संविधान की व्याख्या कर यह फैसला कर सकते हैं कि क्या उसकी सुरक्षा हो रही है अथवा नहीं। वे फैसला दे सकते हैं किन्तु उन्हें प्रशासन के कार्यों की प्रक्रिया में और दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।...**(व्यवधान)**

अपराह्न 2.51 बजे

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

महोदय, अब न्यायपालिका का राजनीतिज्ञों के बारे में बातें करना एक फैशन-सा बन गया है। कुछ न्यायाधीशों में एक नया फैशन यह बनता जा रहा है जोकि न्यायपालिका के भविष्य एवं निष्पक्षता के लिये खतरनाक है। फैशन यह बन गया है कि समाचार पत्रों की सुर्खियों में कैसे आया जाये। यदि वे समाचार पत्रों और टेलीविजन का सुर्खियों में आना चाहेंगे तो न्यायपालिका की निष्पक्षता समाप्त हो जायेगी। उन्हें ऐसी भूमिका नहीं निभानी चाहिये।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ये व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ी हुई है। क्या व्यवस्था है।

श्रीमती भगवती देवी (गया) : व्यवस्था यह है कि राम के बारे में यहां चर्चा हो रही है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यहां राम के बारे में नहीं, बिल पर चर्चा हो रही है।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मैं विधिमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात का पता लगाये कि देश के कितने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के बेटे, बेटियां तथा दामाद उसी न्यायालय में प्रेक्टिस कर रहे हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : महोदय, कुछ न्यायाधीश टेलीविजन पर साक्षात्कार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वे कितने महान हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उसका इस बिल से क्या सम्बन्ध है?

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : इस का सम्बन्ध है क्योंकि वे यही कह रहे हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मैं माननीय विधि मन्त्री से केवल यह अनुरोध कर रहा हूं कि वे इस बात का पता लगायें कि कितने न्यायाधीशों की पत्नियों, बेटे, बेटियां और दामाद उसी न्यायालय में प्रेक्टिस कर रहे हैं और कितने न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद अपने उन्हीं न्यायालयों में उसी व्यवसाय में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं? यह नैतिक दृष्टि से बहुत ही गलत है और यदि आवश्यक हो तो एक नया कानून बनाकर इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

महोदय, न्यायपालिका के प्रति मेरे मन में पूरा आदर है और मैं महसूस करता हूं कि जैसे राजनीति में सुधार की आवश्यकता है वैसे ही न्यायपालिका में भी सुधार की आवश्यकता है। राजनीति में हम सभी दलों को एकजुट होकर भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिये। न्यायापालिका में भी सुधार आवश्यक हैं। विलम्ब से न्याय से वंचित होना पड़ता है। इसलिये सक्षम लोगों की नियुक्ति कर यह सुनिश्चित किया जाये कि न्याय निर्णयों में विलम्ब न हो।

महोदय, कल लोढाजी बता रहे थे कि न्यायपालिका बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं उनसे यहीं अनुरोध करता हूं कि वे अपने लम्बें अनुभव के आधार पर यह पता लगाये कि महिलाओं के मामलों में न्यायपालिका में इतना विलम्ब क्यों होता है महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मामलों के उच्च न्यायालयों और मजिस्ट्रेटों के

न्यायालयों में अम्बार लगते जा रहे हैं हजारों ऐसे मामले इकट्ठे होने जा रहे हैं और उन पर शीघ्र न्याय नहीं मिल रहा। उन पर तारीख के बाद अगली तारीख दे दी जाती है।

लोढा जी मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे क्योंकि वे भी एक न्यायाधीश थे और उन्हें स्थिति का पता है। पहले दिन जब मैं न्यायालय में हाजिर हुआ तो एक न्यायाधीश ने मुझे बताया कि तीन सप्ताहों में निर्णय लिखा जायेगा। मैंने यह समझा कि मेरे मुविक्कल को तीन सप्ताहों में राहत मिल जायेगी। किन्तु तीन सप्ताह के स्थान पर तीन साल हो गये फिर तीन साल नौ साल हो गये और उसके बाद भी फैसला नहीं हुआ। यह स्थिति है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यहां ज्यूडिशयरी सिस्टम पर बहस नहीं हो रही है। अगर आप बिल पर कनफाइन करें तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : सभापति महोदय, हम उनके वेतन और भत्तों पर बहस कर रहे हैं इसलिये यह सब कहना जरूरी है। इसलिये हम थोड़ा-बहुत उनके आचरण के बारे में बहस कर सकते हैं। इसमें गलत क्या है? संसद सर्वोच्च संस्था है।

इन शब्दों के साथ मैं पूरे अधिकार के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि संसद सर्वोच्च है न्यायपालिका नहीं।

श्री सी. नारायण स्वामी (बंगलौर उत्तर) : महोदय, यह सभा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों पर बहस कर रही है। इस प्रक्रिया में माननीय सदस्य आज देश में न्यायपालिका के कार्यकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं अधिवक्ता भी रहा हूं और अब इस सदन का सदस्य हूं। यह भी सच है कि जब लोग न्याय के लिये न्यायालयों के द्वार खटखटाते हैं तो वहां अनेक कारणों से न्याय मिलने में बहुत देरी लगती है। शायद आम आदमी तो देश का सर्वोच्च अदालत से न्याय प्राप्त कर ही नहीं सकता। हम इस देश मे लोकतान्त्रिक परम्पराओं का अनुसरण कर रहे हैं। हम संविधान के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और कानून के शासन के सिद्धान्तों पर चल रहे हैं। इस देश में शक्तियों के पृथक्करण का भी सिद्धांत है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार और दायित्व भी अलग अलग हैं। सबकी अपनी-अपनी एक निर्धारित भूमिका है।

हम यह समझते हैं कि न्यायाधीशों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जायें ताकि वे अपने कर्त्तव्य बिना किसी भय अथवा पक्षपात के निभा सकें। हमें यह भी पता है कि उन्हें जो सुविधाएं दी जाती है वे उन्हें निर्भय होकर बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने कर्तव्य एवं कार्य करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारे देश के न्यायालयों में विचाराधीन अधिकांश मामले तुच्छ बातों को लेकर हैं और वहीं मामले न्यायालयों का अधिक समय ले लेते हैं।

अपराह्न 2.58 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए)

अब देश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पणिामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। न्यायालयों पर भार को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर न्याय पंचायतों की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जा रहा है। नागरिक एवं आपराधिक मामलों सम्बन्धी छोटे-छोटे मामलों को जिन पर तत्काल ध्यान दे कर समाधान करने की आवश्यकता होती है, को इन न्याय पंचायतों को प्रेषित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हम देश में न्याय पंचायतों के लिये संवधिक प्रावधिक करने पर विचार करें। यह राज्य का विषय है इसलिये उन्हें इन स्थानीय निकायों की स्थापना के लिए कानून बनाना होगा। मैं समझता हूं कि अब हमें संवैधानिक संशोधन द्वारा अथवा अन्यथा इस अवधारणा को पूरे देश में कानूनी जामा पहनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

अपराह्न 3.00 बजे

यहां पर दोनों ओर से माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। मैं उनका भावनाओं को समझता हूं। इस देश में इस समय यह धारणा बन गई है कि जन प्रतिनिधि बेईमान, भ्रष्ट एवं स्वार्थी हैं। लोकतंन्त्र के लिये यह बहुत गलत बात है। हम सभी जानते हैं कि राज्य के तीनों विधानांग सन्देह के घेरे में हैं। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कुछ भ्रष्ट लोग हैं। सब जगह अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। लोक जीवन में भ्रष्ट गतिविधियों की हमें हमेशा भर्त्सना करनी चाहिये। हमें न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और कार्य का समर्थन करना चाहिये। किन्तु कोई भी बात सभी के लिये नहीं कही जानी चाहिये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनप्रतिनिधियों के रूप में अपना कर्त्तव्य भली भांति निभा रहे हैं।

प्रश्न उठता है कि राज्य के अंगों में न्यायपालिका सर्वोच्च है या कि विधायिका अथवा कार्यपालिका। हम जन प्रतिनिधि हैं इसलिये यह सोचते हैं कि हमारे पास अनन्य अधिकार हैं। किन्तु संविधान एवं कानूनों के निर्वचन में न्यायपालिका की भी भूमिका है। हमारे माननीय संसद सदस्य, जो अभी कुछ समय पहले बोल रहे थे, ने न्यायाधीशों के रिश्तेदारों के बारे में कतिपय संगत टिप्पणी की है जो न्यायालयों में और कई बार उन न्यायालयों में प्रेक्टिस कर रहे होते हैं जहां न्यायाधीश स्वयं पीठासीन होते हैं। अब समय आ गया है कि हम इस मसले पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि न्यायाधीश अपने कार्य कलापों में सन्देह के घेरे से बाहर रहे। हम देख रहे हैं कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लोकहित मामलों की बाढ़-सी आ गई है। यह मुकदमे बड़े रोचक हैं और मैं समझता हूं कि वे जरूरी भी हैं।

कार्यपालिका कई बार अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करती ओर कई बार अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करती हैं। किन्तु कई बार कार्यपालिका में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे विधायिका की शक्तियों का भी इस्तेमाल करने का प्रयास करती हैं और वे विधायिका के उन कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करती है जो अनन्य रूप से विधायिका के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसलिए जब भी कहीं न्याय का उल्लंघन हो या कहीं कोई शिकायत हो और विधि के शासन का अनुपालन न हो तो न्यायालयों के हस्तक्षेप का हम स्वागत करते हैं किन्तु उनको भी यह देखा होगा कि वे विधायिका चाहे वह राज्य की विधायिका हो या संसद के कार्यों और क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करे।

विधेयक के संशोधन पर चर्चा के दौरान पहले जारी किये गये तीन अध्यादेशों का उल्लेख किया गया है हमारे एक वरिष्ठ सांसद माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीस ने संशोधन का नोटिस दिया है मैंने उसे पढ़ा है।

उन्होंने न्यायपालिका के सदस्यों को देय व्यय भत्ते से सम्बन्धित धारा के बाद एक उपबन्ध को शामिल करने का उल्लेख किया है। मेरे विचार से सरकारी संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये क्योंकि इसे निर्वाह-व्यय सूचकांक पर आधारित नहीं किया जा सकता। व्यय भत्ते को तो समय-समय पर निर्धारित किया जाना होगा। ऐसा करते हुए उन्हें विधायिका पर निर्भर नहीं रखा जाना चाहिये और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता है।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : महोदय, मैं यह बात जानना चाहता हूं कि जल्दी ही नियम 193 के अन्तर्गत बाढ़ों पर चर्चा शुरू हो जायेगी। पिछले सप्ताह माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सभा में बाढ़ों को रोकने सम्बन्धी उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिये क्योंकि प्रश्न काल के दौरान राहत उपायों पर चर्चा में बाढ़ों को रोकने का प्रश्न भी उठा था। उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और सदन में सभी इस बात पर सहमत हैं कि देश में बाढ़ों की स्थिति पर चर्चा के दौरान इस पक्ष पर भी विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, बाढ़ों पर चर्चा में कृषि मन्त्री महोदय भी हिस्सा लेंगे। किन्तु बाढ़ों की रोकथाम का दायित्व जल संसाधन मन्त्री का है इसलिये उन्हें भी इस चर्चा में भागीदारी करनी चाहिये। यह मेरा विनम्र निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जैसा कहा था जल संसाधन मन्त्री को इस चर्चा के दौरान उपस्थित रहकर उसमें भागीदारी करनी चाहिये।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापटनम) : जल संसाधन मन्त्री महोदय के बिना हम इस विषय के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय : जब यह विषय हमारे सामने आयेगा, हम उसके बारे में फैसला कर लेंगे।

श्री बलाई चन्द्र राय (बर्दवान) : सभापति महोदय, इस संशोधन का स्वागत है क्योंकि यह एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। किन्तु यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। न्यायपालिका की कोई यूनियन नहीं होती और न ही वे लोग समाचार पत्रों आदि में अपनी बात कह सकते हैं। विधायिका और कार्यपालिकाओं की जागरूकता के परिणामस्वरूप ही न्यायपालिका की सुरक्षा सम्भव है और तभी वे जनता की इच्छानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों पर चर्चा करते समय हमें उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत होने वाले कुछ न्यायाधीशों को पेंशन की स्वीकृति में पाई जाने वाली कमियों पर भी विचार करना चाहिए।

महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं में से जो नियुक्तियां की जाती हैं चाहे वे बारह वर्ष तक सेवा में क्यों न रहे, उन्हें पूरी पेंशन नहीं मिली। किन्तु उच्च न्यायिक सेवा से नियुक्त व्यक्तियों को, चाहे उनका सेवा काल केवल 4 वर्ष का ही क्यों न हो, पूरी पेंशन मिलती है। इस विसंगति से उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायाधीश विचलित हैं और इसलिये मैं विधि और न्याय मन्त्रालय के प्रभारी मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पक्ष पर विचार करें क्योंकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अन्तर्गत की जाती है। चाहे वे न्यायविद हो या न्यायाधीश अथवा अधिवक्ता, प्रत्येक क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव आवश्यक है। जब उन्हें एक ही प्रकार का अनुभव होता है जब वे उच्च न्यायालय में नियुक्त होते हैं और सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें अलग-अलग तरह की पेंशन नहीं दी जानी चाहिए। इससे स्पष्ट ही समस्याएं पैदा होती हैं। इससे उन न्यायाधीशों को भी पदों पर आने का आमंत्रण मिलता है जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नहीं लिया जाना चाहिए।

यह कहा गया है कि हम न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में संशोधन कर रहे हैं। न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में संशोधन करने का आधारभूत मानक ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उनकी कार्यकुशलता, ईमानदारी और स्वतन्त्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। हमेशा इसी बात को ध्यान में रखकर यह सभा उनकी सेवा शर्तों में संशोधन करेगी। एक समय विशेष पर तो सेवा की शर्तें बहुत ही खराब थीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1974 में जब विधि आयोग के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र गडकर थे तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दूसरे और तीसरे दर्जे की अधिवक्ताओं की चिचौरी करनी पड़ती है कि वे न्यायाधीश के पद को स्वीकार करें किन्तु वे इसके लिये मानते नहीं है। पूरे राष्ट्र के लिये इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ है।

यहां बैठे मेरे एक माननीय मित्र ने न्यायाधीश का पद स्वीकार किया था किन्तु उसे अनुकूल न पाकर पुनः प्रेक्टिस में आ गए थे। यह आठवें दशक की बात है जब उच्च न्यायालयों का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। अब कुछ सुधार हुआ है किन्तु न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अभी भी उतनी अच्छी नहीं है।

न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार पर बोलते हुए मुझे उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की कार्यशैली के

बारे में भी अवश्य कुछ कहना चाहिये। निसन्देह हम न्यायपालिका में न्यायाधीशों की आलोचना नहीं कर सकते, हम ऐसा करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। सभा ने न्यायपालिका के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त किया है सभा में सभी ने न्यायपालिका के प्रति अथवा सम्मान व्यक्त किया है। यह सत्य है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न आदेशों के कतिपय महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छुपी हुई गतिविधियां उजागर हुई हैं इसका स्वागत किया जाना चाहिये। समाचार पत्रों में भी इनका प्रचार-प्रसार किया गया। अब ऐसा हो गया है कि समाचार पत्रों की ऐसे मामलों पर न्यायालयों द्वारा सुनवाई से पहले ही निर्णय देने की आदत बनती जा रही है। प्रेस द्वारा मुकदमा चलाने जैसी बुराई प्रत्येक सभ्य समाज में बनी हुई है। हम इसे सहन करने को स्थिति में नहीं हैं क्योंकि यहां की जनता इतनी जागरूक नहीं कि उस पर इसका दीर्घगामी प्रभाव न पड़े। यहां मेरे माननीय मित्र ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि न्यायाधीशों का गतिविधियों के समाचार पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार का अच्छा प्रभाव तो होता ही है उसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है क्योंकि यह माना जाता है कि न्यायाधीश भी एक-जैसे होते हैं जबकि सभी न्यायाधीश एक जैसे नहीं होते क्योंकि कुछ न्यायाधीश प्रचार पाने की दृष्टि से अपनी कार्य को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ऐसी प्रवृत्ति वांछनीय नहीं मानी जा सकती। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय इस सदन के अध्यक्ष महोदय की संस्था की भांति स्व-अनुशासनिक संस्थाएं हैं अध्यक्ष महोदय की कम से कम इस सदन के प्रति जवाबदेही हैं किन्तु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसी के प्रति भी न तो जनता के प्रति न संसद के प्रति और न ही कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह हैं और निश्चय ही उन्हें कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहिए। किन्तु जवाबदेह न होने के कारण इसका बड़े से बड़े न्यायालयों में न्यायाधीशों के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, इस बात का किसी को पता नहीं होता कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कब न्यायालय में बैठेंगा। हम यहां अपना कार्य सुबह 11 बजे आरम्भ कर देते हैं किन्तु उच्च न्यायालयों में कुछ न्यायाधीश प्रातः 11.20 अथवा 11.30 बजे पहुंचते हैं। उन्हें तो प्रातः 10.30 बजे तक आ जाना चाहिए। इन बातों पर कौन ध्यान देगा?

न्यायाधीशों के न्यायालयों में उनकी पत्नियों, पुत्र, पुत्रियों आदि प्रेक्टिस करने के बारे में यहां काफी कुछ कहा गया है। यह बुराई सर्वविदित है। इससे भी बड़ी बुराईयां हैं। रिश्तेदारों द्वारा प्रेक्टिस को बन्द करने के बाद भी शायद आप आज की सामाजिक कमजोरियों को दूर न कर सके जो प्रायः हमेशा विद्यमान रहती हैं। निसन्देह इस सदन के पास कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है। सर्वोच्चता का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हमारा तो संविधान ही सर्वोच्च है-उसके अतिरिक्त कोई सर्वोच्च नहीं है। न्यायपालिका की सहायता और सहमति से एक ऐसी संस्था का स्थापना का समय आ गया है जो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुशासन पक्ष पर नजर रखे। लोकपाल या कोई और यह कार्य कर सकता है कई दशकों से हम इसका जरूरत महसूस कर रहे हैं। क्या केवल महाभियोग ही एक मात्र उपचार होना चाहिए? हमने महाभियोग की नियति देख ली है। हमने आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के घर से 30 लाख रुपये की राशि पकड़ी जाती देखी है। इस सदन में रामास्वामी के मामले पर बहस हुई थी। मेरे मित्र ने श्री ए.एम. भट्टाचार्य का उल्लेख किया ही है। ऐसे कई वीरास्वामी, रामास्वामी एवं एवं ए.एम. भट्टाचार्य हुए हैं। ऐसे लोग न्यायपालिका का नाम बदनाम नहीं करेंगे, इसका दायित्व किस पर है? इस पर रोक लगाने के लिये कोई संस्था होनी चाहिये। एक ऐसी संस्था तैयार की जानी होगी?

क्या यह सदन मान सकता है कि स्वतंत्र भारत में पिछले लगभग 50 वर्षों में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का एक भी न्यायाधीश ऐसा नहीं था जिसने कभी अनुशासन भंग न किया हो, हमेशा ईमानदारी से कार्य किया हो और हमेशा अपना कार्य सही ढंग से करता रहा हो? हमें ऐसा ही मानना होगा क्योंकि इन वर्षों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कभी किसी न्यायाधीश के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रावधान भी नहीं है। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि कार्यपालिका अथवा इस गौरवशाली सदन को सीधे ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये। न्यायपालिका को स्वयं ही किसी संस्था के बारे में सोचना चाहिये किन्तु ऐसी संस्था की जरूरत है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई भी अंग जनता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह हैं कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेह है न्यायपालिका को भी जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिये। न्यायपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाये इसके लिये स्वयं न्यायपालिका और यदि सम्भव हो तो इस सदन के अध्यक्ष महोदय तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस पर विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को लाने के लिये विधि मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं मैं इस विधेयक और संशोधन का समर्थन करता हूं।

सुरेश प्रभु (राजापुर) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं यह विधेयक अध्यादेश का स्थान लेगा। किन्तु दुर्भाग्यवश मुझे यह कहना होगा कि एक ऐसे विषय के बारे में अध्यादेश जारी करना पड़ा जिसे एक कानून के रूप में लाया जाना चाहिए था।

हम इस विषय पर कल से चर्चा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम न्यायिक समीक्षा आयोग के लिए विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं। हमने इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया है और चर्चा के दौरान हमने कुछ न्यायाधीशों के आचरण और कार्य निष्पादन सहित न्यायपालिका के कई पहलुओं को देखा।

मेरे विचार से संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिसके अन्तर्गत वस्तुतः किसी को इस प्रकार की समीक्षा का कोई अधिकार हैं मेरे विचार से शायद संसद सदस्यों ने सोचा कि संसद ही एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से वे अपनी शिकायतों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मैं हैरान हूं क्या इस प्रकार के रवैये से न्यायपालिका को सुदृढ़ किया जा सकता है।

जैसाकि सभी ने कहा है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका राज्य के तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका का कानून बनाने की जिम्मेदारी समाप्त होते ही न्यायपालिका की जिम्मेदारी आरम्भ हो जाती है। कानूनों का निर्वचन और कार्यपालिका के कार्यों की व्याख्या जैसे कार्य अनेक बार न्यायपालिका के अन्तर्गत आते हैं।

हमने देखा है कि जिस प्रकार इस सदन में हुआ है, अनेक लोग न्यायपालिका की आलोचना करते हैं। हम संसद सदस्य होने के नाते संसद को सर्वोच्च मानते हैं। हम इसे सर्वोच्च संस्था मानते हैं क्योंकि हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं और हम अपनी शक्ति जनता से ही प्राप्त करते हैं। न्यायपालिका की कुछ संसद सदस्यों ने कटु आलोचना की है किन्तु आम लोग उसके आलोचक नहीं बल्कि वे महसूस करते हैं कि न्यायपालिका ही उनका अन्तिम सहारा है और न्यायपालिका ही उनके अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है। निर्वाचन आयोग द्वारा अर्द्धन्यायिक कार्यों का निष्पादन किया जाता है। हमें ऐसा देखने को मिला है कि लोग यह अनुभव करते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही एकमात्र उनका हितसाधक है। वे एक व्यक्ति इतना लोकप्रिय हो गया है हालांकि उसके विरुद्ध गलत कार्य के कई आरोप लगाये गये थे। फिर भी आमलोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नायक का भांति पूजा करते हैं।

जब हम संसद सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी हैं जनता यह महसूस करती है कि न्यायपालिका ही एक ऐसी संस्था है जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। जन प्रतिनिधि होने के नाते हमें जनता के अधिकारों और उसकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जनता ने हमें इसलिये चुना है क्योंकि हम इस देश में लोकतान्त्रिक पद्धति का अनुपालन कर रहे हैं। हमारे संविधान में जिन लोकतांन्त्रिक मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है उनमें मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह देश के सभी नागरिकों के लिए प्रतिपादित किये गये हैं। ये मूल अधिकार हमारे संविधान में प्रतिपादित किये गए हैं किन्तु इन अधिकारों के प्रयोग का कोई उपाय नहीं है इसलिये इन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। विश्व में अनेक देशों के संविधान में इन अधिकारों को शामिल किया गया है किन्तु उचित न्यायिक संरचना के अभाव में इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया जा सकता और वहां लोकतंत्र बस मजाक बनकर रहा गया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि एक अच्छे लोकतन्त्र, जो हमें अधिकार देता है का सफलता के लिये न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी-अपनी भूमिका निभानी होती है।

विभिन्न न्याय निर्णयों, जिनका यहां उल्लेख किया गया है और जिनकी कटु आलोचना की गई है, संसद या हम संसद सदस्यों के विरुद्ध नहीं कार्यपालिका के विरुद्ध दिये गये हैं। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिये कि सभी न्याय निर्णय ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दिये गए हैं जो सरकारी पदों पर आसीन हैं जो इस सदन में चर्चा का विषय भी रहे हैं इसलिए जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने यहां आरोप लगाया है, हम संसद सदस्य-जन प्रतिनिधि के रूप में न्यायिक संवीक्षा की परिधि में नहीं आये हैं। इसलिए हमें इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये और यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतन्त्र की सफलता के लिये न्यायपालिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

तथापि मैं इस तथ्य से परिचित हूं कि मैं संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में प्रदत्त प्रावधानों के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता क्योंकि इनके बारे में संविधान में पहले से ही प्रावधान किये जा चुके हैं। किंतु इस समय मैं केवल इस प्रस्तावित संशोधन सम्बन्धी सीमित प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसे बहुत विलम्ब से लाया गया है। हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि संविधान में यह अवधारणा प्रतिपादित की गई है कि न्यायाधीशों को कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम होना चाहिए यहीं कारण था कि उनकी सेवा की शर्तें संविधान में ही दे दी गई थीं। न्यायपालिका को इस सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान किया गया है न्यायाधीशों को अधिकार एवं विशेषाधिकार दिये गए हैं और उनके लिये भत्तों का व्यवस्था संविधान में की गई है ताकि कोई भी उन में रद्दोबदल न ला सके। अतः यह स्वाभाविक ही है कि इन अधिकारों और विशेषाधिकारों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहना चाहिये।

नई आर्थिक नीति के चलते देश के लाखों लोगों के पास धन की सृष्टि हुई है। उसी न्यायपालिका पर ही यह दायित्व आ गया है कि वह उन आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई करे जिन्होंने करोड़ों रुपयों की बेईमानी की है। इसलिये लगभग 30 अथवा 35 वर्ष पुरानी सेवा शर्तों के साथ न्यायपालिका कार्य और कर्त्तव्य का निर्वहन दक्षता से कर पायेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि न्यायाधीशों को उचित लाभ, भत्ते दिये जाने चाहिये ताकि वे बिना किसी हस्तक्षेप के, निर्भय और निष्पक्ष होकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन एवं संविधान का सुरक्षा कर सकें।

हमें न्यायपालिका का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए। संविधान में महाभियोग चलाने का प्रावधान है। मैं यह भी जानता हूं कि महाभियोग प्रक्रिया की वर्तमान रूप में पूरा करना कठिन है। इस प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिये किन्तु देश के कुछ भागों में न्यायपालिका के कुछ सदस्यों द्वारा किये गए कुकर्मों के लिये सम्पूर्ण न्यायपालिका की आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं माननीय विधि मन्त्री से न्यायाधीशों के भत्तों में समय-समय पर वृद्धि करने की संभावना के प्रश्न पर विचार करने का भी अनुरोध करता हूं। हमें इस एक परिवर्तन को लागू करने के लिए 10 अथवा 12 वर्ष तक इन्तजार करने की जरूरत न हो इसलिये ही मैंने यह कहा है कि संशोधन के माध्यम से दिया जा रहा लाभ बहुत ही कम है और इसे बहुत विलम्ब से दिया जा रहा है।

हमें यह भी देखना चाहिये कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यह बताया गया है कि पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। यह उद्देश्य

21 जून का है किन्तु 3 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। मैं विधि मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे भी भत्तों में 30 प्रतिशत वृद्धि के लिए संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्तावित संशोधन में यह नहीं बताया कि कितनी राशि बढ़ाई जा रही है। बढ़ी हुई राशि का उल्लेख पेट्रोल की कीमतों के सम्बन्ध में किया गया है। यदि इसे ऐसा रखा गया है तो उद्देश्यों में इस बात का उल्लेख करने की जरूरत नहीं कि पेट्रोल के मूल्यों की कीमतों में वृद्धि के कारण ऐसा किया जा रहा है क्योंकि यह तो पेट्रोल की खपत में वृद्धि की राशि है।

मैं विधि और न्याय मंत्री महोदय का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसे पहले भी कुछ माननीय सदस्यों ने उठाया है। न्यायपालिका में केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ही नहीं है। आम आदमी तो न्याय के लिये इन न्यायालयों तक पहुंच ही नहीं पाता। उसे तो जिला न्यायालय अथवा उससे भी निचले न्यायालयों में न्याय के लिए जाना होता है। इन जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में भी सुधार किये जाने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि सिंधु दुर्ग तथा कोंकण के रतनागिरि जिलों में न्यायपालिका के पास उचित भवन भी नहीं है। मेरे विचार से न्यायपालिका के स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के लिये कोई कानून लाया जाना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें कि न्यायाधीशों का मूल्य वृद्धि के कारण समय-समय पर भत्ता बढ़ाया जाये और उसके लिये उन्हें कार्यपालिका की कार्यवाही पर निर्भर न रहना पड़े। उस स्थिति में कार्यपालिका को यह कहने का अवसर मिल जायेगा कि न्यायपालिका उनके विरुद्ध अनेक निर्णय दे रही है।

इसलिये हम उनकी मांग पर फैसला नहीं देना चाहेंगे। कार्यपालिका को कार्यपालिका की भूमिका निभानी चाहिये और न्यायपालिका को न्याय करना चाहिये। मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं और माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब अवश्य दें।

[हिन्दी]

श्री चार्ल्स फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति जी, जजों के बारे में कार्यपालिका के लोगों के मन में भावनाएं हैं, मुझे लगता है वही कारण है कि यह विधेयक इतनी देरी से इस सदन में लाया गया। 1958 में शायद जजों की तनख्वाह और उनकी सर्विस आदि के बारे में कानून बना था और उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि हर दस साल में एक बार उनके बारे में सोचा जाता है। अब यह जो विधेयक है इसमें मूलतः केवल उनका जो समचुअरी अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस है, उनको बढ़ाने की बात है। सभापति जी, हम यह देख रहे हैं कि ये दोनों मामले, समचुअरी अलाउंस हो या ट्रैवलिंग अलाउंस हो, वास्तविकता को न देखते हुए कार्यपालिका ने न्यायपालिका के साथ व्यवहार किया है।

आज सदन में जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उससे पहले जजों के बारे में 1986 में, आज से ठीक 10 साल पहले सोचा गया था। उस समय सभापति जी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सम्पचुअरी एलाउंस 500 रुपए प्रति माह या 17 रुपए रोज था। यदि आप देखें तो 1986 कोई बहुत भूत की बात नहीं है, लगभग वर्तमान ही है और 1986 में चीजों के दाम आज के मुकाबले बहुत कम नहीं थे। उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को सम्पचुअरी एलाउंस प्रति दिवस 17 रुपये और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रति दिवस 10 रुपए मिलता था। इसमें मुझे एक प्रकार की ऐसी भावना लोगों में नजर आ रही है जैसे कार्यपालिका के प्रति उनके मन में कोई घृणा है वरना इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं कानून मंत्री से जानना चाहूंगा कि उनकी इस बारे में क्या सोच है?

तब के 500 रुपए को आपने जो भी बढ़ाना था, वह बढ़ा दिया लेकिन उसे बढ़ाकर 10 साल बाद, आज अगर रोज का हिसाब लगाकर देखें तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जो संशोधन लाया है, उससे कोई बहुत राहत मिल जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिये हमने संशोधन दिया है कि आप एलाउंस आदि को बढ़ाने के बारे में जो कानून लाए हैं, उन्हें और 10 साल इंतजार करने की जरूरत न हो, इस महीने जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्डैक्स है, एक निर्णय करके आप उसके साथ इसे जोड़ दीजिए। जैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्डैक्स बढ़ेगा, जिस तरह देश में सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों या तनख्वाह पाकर काम करने वाले व्यक्तियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी होती है, उसी तरह यह सम्पचुअरी एलाउंस, चूंकि रोजमर्रा के खर्च के लिये है इसलिये इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग से जोड़ना उचित होगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे इस सुझाव को कबूल करेंगे।

सदन में इस विधेयक पर जो बहस चली, उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि हमने देखा कि जजों के प्रति यहां बहुत गुस्सा व्यक्त किया गया। कुछ मामलों में मुझे खुशी हुई। खुशी इसलिये हुई क्योंकि जजों के बारे में राजनेताओं के मन में काफी डर पैदा हुआ है जो स्वागत करने लायक बात है। मैं यहां पर केवल राजनेताओं की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां चूंकि राजनीति से जुड़े हम लोग बैठे हैं, जब हम यहां पहुंच जाते हैं तो राजनेता बन ही जाते हैं लेकिन बाहर भी हम आज देखते हैं कि लोगों के मन में जजों के प्रति डर पैदा हुआ है। हमने सुना, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे रोजमर्रा के कामकाज में इनका हस्तक्षेप क्यों हो रहा है। मैं आपके सामने दो उदाहरण रखता हूं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने चंद महीने पहले एक जजमेंट दिल्ली की सड़कों की साज-सफाई के बारे में दिया था। उससे कुछ दिन पहले पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट पटना शहर की सड़कों की साज-सफाई और उनकी मरम्मत आदि के बारे में आया था। वैसे पटना में अनेक निर्णय हुए हैं, अगर मैं उन सारी चीजों की चर्चा यहां करूंगा तो उसके लिए पूरे दिन की बहस करनी होगी लेकिन मैं यहां केवल दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि जजों के सामने लोगों को जाना पड़ा, जिस पर जजों ने फैसला दिया। जजों ने

अदालत को सड़कों पर लाकर खड़ा नहीं किया बल्कि पटना के लोग अदालत में गए, दिल्ली के लोग अदालत में गए। इन लोगों ने अदालत में जाकर कहा कि राजनीति करने वाली जो जमात है, जिनके हाथों में सत्ता है, जिनका काम है कि सड़कों की साज-सफाई रखें, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप हमें बचा लीजिए।

तब जजों ने हस्तक्षेप किया। वही बात दिल्ली की हुई। जजों की एक्टिविज्म की बात करनी है तो दूसरी बात हम लें। हवाला मामले को वर्षों तक एक पत्रकार और उसके साथ मिले हुए दो-तीन और लोग हर दरवाजे तक खटकाते फिरे। प्रधान मंत्री जी को चिट्ठियां गई, औरों से मिलना हुआ। कई ऐसे सांसद निकले जिन्होंने प्रधान मंत्री को चिट्ठियां भेजी, जिसमें एक मैं भी था। एक लाइन का जवाब आया था, उससे आगे कुछ नहीं हुआ। एक फिल्म बनी उसके ऊपर पाबंदी लग गई। यह पाबंदी किसने लगाई? आपकी कार्यपालिका ने पाबंदी लगाई। अगर अदालत नहीं होती, पहले बम्बई हाईकोर्ट और आगे जाकर राष्ट्र की सुप्रीम कोर्ट, तो आज हवाला का मामला लोगों के सामने कतई नहीं आता। इसमें कार्यपालिका के भी उतने ही लोगों के नाम हैं जितने राजनेताओं के नाम हैं। इसको ये कभी सामने नहीं आने देते। इसलिए हम समझ सकते हैं कि क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों इतना विरोध हो रहा है और क्यों सारी बहस यहां पर हो रही है।

एक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि जजों में क्या गलतियां नहीं होती हैं। कौन कहता है नहीं होती हैं? एक जज ने जो बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी वे कह दीं। इस सदन में हमने खड़े होकर उसकी निन्दा की और कहा कि ये बातें नहीं चलेंगी। मगर इसी सदन में जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस रामास्वामी पर महाभियोग लाया गया था तो इस सदन का व्यवहार क्या था? आज बीच में बैठे और तब वहां बैठे लोगों ने बहुमत के आधार पर झूठ को सच करने में यहां पर कामयाबी पाई और आज आप भाषण देकर देश व दुनिया को सबक सिखा रहे हैं कि जजों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपको याद होना चाहिए वह महाभियोग लाने से पहले जो जांच हुई थी, उस जज द्वारा की गई गलतियों को पूरा पहचान कर, पूरा पकड़कर जो दस्तावेज बनाकर इस लोक सभा के अध्यक्ष के सामने और जहां कहीं भी उसे पहुंचना था, किसने पहुंचाया था? पहले पंजाब हाई कोर्ट के जजों ने बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया था। आज तो अदालतों में "ब्रदर जजेज" करके कहते हैं, उन्हीं "ब्रदर जजेज" ने ऐसा किया था। यह राजनैतिक लोगों ने या अखबार के लोगों ने नहीं किया। उस असलियत को हम भूल जाएं और जजों का व्यवहार, उनका काम, उनका परिवार, उनका रहन-सहन, इन सारी चीजों पर हम बात करें तो यह कहां तक उचित है। जहां गलती है, जहां कोई गलत काम करता है उसके लिए कहा जाना चाहिए। मगर देश की न्यायपालिका से जुड़े लोगों के साथ इंसाफ होना हमेशा जरूरी है।

अभी प्रभू जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि नई आर्थिक नीति ने देश में एक विशेष वर्ग में दौलत पैदा करने में कामयाबी पाई है। उसका एक नतीजा यह भी हुआ है कि आज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जो लड़के पास होकर बाहर निकलते हैं उनको सीधे ही वहां जाकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां महीने का 35 हजार, 50 हजार, कई लोगों को एक-एक लाख रुपये तक को तनख्वाह देकर उन इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे से उठाकर ले जाती हैं। यह इस देश में आज की स्थिति है।

मुकदमें निपटाने में देरी हो रही है, यह कुछ सदस्यों ने शिकायत की। फिर चाहे वह महिलाओं पर अत्याचार हो, या मजदूरों के मामले हों, 25-25 साल से मजदूरों के मामले वहां अदालतों में पड़े हुए हैं सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन उसके लिए जजों का ही हम नाम क्यों लेते हैं? इस सदन ने कब सोचा कि देश में जजों की कमी है, न्यायपालिका के लोगों की कमी है,वहां अधिक भर्ती होनी चाहिए, उन्हें उचित तनख्वाह मिलनी चाहिए, उन्हें उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए? फिर वकील। क्या आज इस सदन में हममें से अनेक लोग नहीं हैं और ऐसे अनेक प्रदेशों की सरकारों से जुड़े हुए लोग नहीं हैं जो यह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर एक वकील को खड़ा करना है तो आज के दिन एक मिनट के लिए,

[अनुवाद]

"माननीय महोदय, कोई अन्य तारीख दे दें"

[हिन्दी]

इतना ही कहने के लिए लाखों रुपये लिए बिना कई वकील आज खड़े नहीं होते है।

क्या यह मालूम नहीं है? इसलिए आज यदि हम लोग यहां इन लोगों की तनख्वाह को बढ़ाने, इन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो गलत काम हुआ है, उसे दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जजों के ऊपर इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है। मैं एक बात कहूं, हम यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान की राजनीति यदि ईमानदारी से चली होती, राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक ढंग से चले होते, तो आज यह स्थिति उपस्थित नहीं होती। राजनीति का मतलब पैरवी करना नहीं है और कहां कितना मारने के लिए मिलता है, यह देखना नहीं है, बल्कि लोगों की दरअसल सेवा करने का नाम राजनीति है और यदि हमने ऐसा किया होता, तो जज़ेज को इतना एक्टीविस्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पैसिव हो गए। राजनीति, राजनीतिक नेताओं के दरबारों में कैद हो गई। पटना में कैद हो गई, मुम्बई में कैद हो गई, मद्रास में कैद हो गई, बंगलौर में कैद हो गई। जब राजनीति लोगों के दरबारों में कैद हो जाती है, जब राजनीति लोगों के सवालों को लेकर सड़क पर नहीं जाती, तो फिर लोगों के लिए एक ही जगह रह जाती है वह है न्यायपालिका।

सभापति महोदय, इस न्यायपालिका के चलते हमने अपने को इस राजनीतिक जीवन में कई बार बचाया है। इमरजेंसी के दिनों में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तो इस सदन में क्या हुआ, इस सदन में हां में हां मिला दी गई। सारे अधिकार, मानवीय अधिकार और जीने का भी अधिकार उस समय छीन लिया गया। अदालत में जाकर अटार्नी जनरल ने खड़े होकर कहा था कि जीने का भी अधिकार नहीं

है। जब बचाव पक्ष के वकील ने खड़े होकर पूछा-तो फिर क्या होगा? अटार्नी जनरल ने कहा कि अगर किसी की जान ली गई, तो इमरजेंसी हटने के बाद अदालत में आ सकता है। यानी मरने के बाद हम अदालत में जाएंगे? हम इमरजेंसी में मर जाएंगे और उसके बाद अदालत में जाएंगे। इस सदन में उसे एक राय से पारित कर दिया गया। विपक्ष का एक हिस्सा उसी में था। एक हिस्सा समर्थन देने में था और एक हिस्सा विरोध में था और जो थोड़े लोग यहां बचे थे सिर्फ वे ही विरोध में थे। बाकी सांसद तो जेलों में बन्द थे।

सभापति महोदय, ऐसे मौके पर जहां न्यायपालिका और विधायिका भी एक हो जाती हैं और तानाशाही को देशों पर लादने का काम करती हैं, ऐसे कानूनों को लाती हैं, चाहे वह टाडा कहिए, चाहे मीसा कहिए, ऐसे किसी भी नाम से कहिए, ऐसे कानूनों को लाते हैं जो गैर-कानूनी कानून हैं, जो कोई कानून नहीं हैं, तब केवल न्यायपालिका हमें बचाती है। मैंने अपने 47-48 साल के राजनीतिक जीवन में महोदय, देखा है कि मुझे कई बार न्यायपालिका ने बचाया है। इस सदन में मधु लिमये होते थे। इस सदन में डा. लोहिया होते थे। मुझे मालूम है कि कितनी बार इन लोगों को इस कार्यपालिका के जुल्म के खिलाफ न्यायपालिका ने बचाकर उनकी आजादी को वापस देने में कामयाबी पाई है। इसलिए इस इतिहास को ख्याल में रखकर, कुल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, इस मुद्दे पर, हम लोगों को, यहां पर बोलना चाहिए।

सभापति महोदय, खाली एक ही जुमला कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और वह यह है कि न्यायपालिका आज जो पहल कर रही है, मुझे लगता है उससे इस देश की राजनीति में कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, बशर्ते राजनीतिक लोग भी कहीं न कहीं वही दिशा पकड़कर आगे बढ़ने का संकल्प करें। सभापति जी, इटली में यही हुआ। इटली 40-45 साल तक माफिया के हाथों में थी। आज वहां पर दो भूतपूर्व प्रधान मंत्री जेलों में सजा काट रहे हैं। एक आठ साल की सजा काट रहा है और दूसरा पांच साल की सजा काट रहा है और इन दोनों प्रधानमंत्रियों के ऊपर आज भी इटली की अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं। हो सकता है कि इस साल के पूरा होने तक दो नहीं बल्कि तीन भूतपूर्व प्रधान मंत्री इटली की जेलों में बन्द हो जाएं।

सभापति महोदय, हमें दूसरों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अमरीका में एक राष्ट्रपति को केवल एक झूठ बोलने पर गद्दी से उतार दिया गया। उन्होंने इतना ही कहा था कि डैमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में चोरी हुई है, मुझे मालूम नहीं है। पत्रकारों ने सिद्ध कर दिया कि उन्हें मालूम था और उन्हें इस झूठ के लिए जेल जाना पड़ा, लेकिन उपराष्ट्रपति ने उनको जेल जाते समय माफ करके बाहर रख दिया। बाकी देशों का मैं नाम नहीं लूंगा। और देशों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जापान को ले लीजिए और एकाध देश को ले लीजिए, लेकिन मैं यहां किसी और देश की बात नहीं करके सिर्फ इटली का ही एक वाकया कहकर समाप्त करूंगा। वह यह है कि इटली में जजों ने अपनी जानें दी हैं। माफिया से लड़ते समय जजों को मरना पड़ा। जो वकील उनके साथ काम करते थे, उन्हें जान से मारा गया। जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वे हमेशा दुनिया की हर जगह पर मस्ती में रहते हैं। वे कभी नहीं मरते हैं, लेकिन मरने वाले छोटे सिपाही होते हैं और इटली में सैकड़ों लोग इस तरह से माफिया के हाथों से गये हैं और पत्रकार, इन तीनों की जोड़ी वहां पर थी। न्यायपालिका से जुड़े हुए मजिस्ट्रेट, वकील और पत्रकार, जो खोज करके लाते थे और पुलिस, जो ईमानदारी के साथ चोरों को या माफिया के लोगों को पकड़ते थे। हम आशा करते हैं कि आज केवल जज ही हिन्दुस्तान में बहुत सक्रिय हैं। कुछ वकील भी बहुत सक्रिय हैं लेकिन हम चाहेंगे कि इस देश में पुलिस के जवानों में भी इतनी ही हिम्मत और ताकत आ जाये।

हिन्दुस्तान की पत्रकारिता भी इतनी ही हिम्मत के साथ खड़ी हो जाये जिससे जहां राजनीति हम लोगों की असफल रही है, वहां आज जो सक्रियता हम देख रहे हैं, उस सक्रियता के चलते इस देश में कुछ ईमानदारी पुनःस्थापित हो जाये।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प.बं.) : महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इस विषय पर अनेक महत्वपूर्ण भाषण सुने हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अपने दल आर.एस.पी. की ओर से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह विधेयक जनवरी, 1996 में जारी किये गये अध्यादेश का स्थान लेगा। इस अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के व्यय भत्ते में वृद्धि करने तथा उनकी सेवा की शर्तों को बेहतर बनाने के लिए जारी किया गया था। उनकी मांग बिल्कुल उचित है और इसलिये मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

मेरे कुछ मित्रों ने न्यायिक सक्रियता के बारे में कहा है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक निरंकुशता में बड़ा भारी अन्तर होता है। मैं न्यायिक सक्रियता अथवा न्यायिका निरंकुशता के कारणों में नहीं जाना चाहता। किन्तु आपकी अनुमति से मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि केवल अधिवक्ता लोग ही न्यायालयों में नहीं जाते, राजनीतिज्ञ एवं नौकरशाह भी न्याय के लिए वहां जाते हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं जब शासनाध्यक्ष भी न्याय के लिये वहां गए हैं चाहे वह अयोध्या का मामला हो नदी जल विवाद का मामला हो या फिर विभिन्न राज्यों से सम्बद्ध कोई संवैधानिक मामला हो। न्यायपालिका वस्तुतः हमारे सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान के तीन महत्वपूर्ण स्कंध-विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका हैं उनमें से न्यायपालिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि वे जनता के अधिकारों और स्वतन्त्रता की संरक्षक हैं। उसमें जनता की अनन्य आस्था और विश्वास है। यह एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने हमारे देश के न्यायाशास्त्र की भव्य पुरातन परम्पराओं को बनाये रखा है। इसलिये हम उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के व्यय भत्ते को बढ़ा सकते हैं। उनकी सेवा की शर्तों में सुधार किया

जाना चाहिए ताकि वे निर्भय एवं निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें।

न्यायाधीशों के व्यय भत्ते में वृद्धि सम्बन्धी विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमारी जनता आज आर्थिक कठिनाईयों का सामना कर रही है। वे लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। बेरोजगारी की व्यापक समस्या बनी हुई है। हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के और लड़कियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बेरोजगारी की घोर समस्या है इसे लेकर अन्य चीजों से समझौता नहीं किया जा सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिये वेतन और भत्तों में वृद्धि की घोषणा से हमारे देश के बेरोजगार युवकों के दिलोदिमाग पर अंधकार की काली छाया पसर जाती है।

अपराह्न 3.51 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

ऐसी परिस्थितियों में मैं प्रधान मंत्री महोदय तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि बेरोजगार युवकों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये कुछ व्यवस्था करें। साथ ही मैं इस गौरवशाली सदन के माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि न्यायपालिका का स्तर और उसके मूल्यों को बनाये रखा जाना चाहिये।

आज यह भी प्रश्न मुहबाय खड़ा है कि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले प्रतिभाएं अन्यत्र पलायन कर रही है। विश्वविद्यालयों में प्रतिभाओं के कई स्तर हैं। विश्वविद्यालयों में उच्च कोटि का प्रतिभायें कम्प्यूटर और इलेक्टॉनिक ईंजिनियरिंग का चयन करती हैं। अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात वे विपुल धन कमाने के लिए जापान, अमेरिका यूरोपीय देश में चले जाती हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में दूसरे स्तर की प्रतिभाएं धन कमाने के लिये चिकित्सा पाठ्यक्रम आदि का चयन करती हैं। प्रतिभावान व्यक्ति न्यायालयों में आना पसंद नहीं करते। इसलिये उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पद के लिये प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिये। विश्वविद्यालयों से प्रतिभावान व्यक्तियों को न्यायिक सेवा के लिए आकर्षित करने की दृष्टि से ही मैं केवल इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस समय हमारे न्यायाधीशों को सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था प्रदान की जानी चहिए ताकि हम अपने लोकतन्त्र, संविधान तथा अपनी परम्पराओं और विरासत को सुरक्षित रख सके। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापित जी, न्यायाधीशों के जो निर्णय हुए हैं, उनके विरुद्ध टिप्पणी करते हुए कई भाषण मैंने सुने हैं। उससे मेरे मन को बहुत ही ठेस लगी है क्योंकि यह जो बिल लाया गया है, उसमें केवल यह है कि माननीय न्यायाधीशों के पैट्रोल के खर्चे की मात्रा बढ़ा दी जाए या जितनाा एक्चुअल कंजम्शन आता है, वह उनको दिया जाए। जो अतिथि सत्कार जैसे यदि आप जजेस के घर जाते हैं, उनके चैम्बर में जाते हैं तो लस्सी पीएंगे, कॉफी पीएंगे, डबलरोटी खाएंगे, या एल.एम.बी. की मिठाई मंगाकर आपको खिलाई जाएगी, इन सब के खर्चे का भार उन पर न पड़े केवल इन दो बातों के लिए यह बिल लाया गया है। आपका सत्कार बढ़ जाय और उनका जो पैट्रोल का खर्चा है, वह पूरो हो जाय।

जहां तक मैं समझता हूं, इस युग में भगवान के बाद न्यायाधीश की महत्ता है कि भगवान न्याय करेगा। भगवान तो आता नहीं, पता नहीं पेंट पहनता है, कोट पहनता है, पाजामा पहनता है, मैंने तो परमात्मा को देखा नहीं, आपने देखा हो तो बात अलग है और इनमें से किसी ने देखा हो तो मुझे बता दें, मुझे तो मालूम नहीं है।... **(व्यवधान)** जरा खामोशी से सुनिए, बड़े ज्ञान की बात है। उधर जाकर आप थोड़े से बिगड़ गए हो। भगवान तो होता नहीं है, भगवान के प्रतीक के रूप में न्यायाधीश ही होता है। पहले के समय में न्यायाधीशों का मिलना-जुलना, सार्वजनिक स्थानों पर जाना भी एक प्रकार से अपराध माना जाता था, वही बात आज भी मैं मानता हूं कि आज न्यायपालिका ही सबसे बड़ी शक्ति है।

डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस, ये भारत के चार स्तम्भ हैं। इन चारों स्तम्भों में से यदि एक भी स्तम्भ, एक भी खम्भा टेढ़ा हो जाय तो प्रजातंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होता है। शायद माननीय जार्ज साहब यहां नहीं है, वरना खड़े होकर मेरी बात का समर्थन करते।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पीठासोन अधिकारी को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं आपको ही देख रहा हूं। यह पूछ रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया कौन हैं। यह मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा कि सैंट्रल हॉल में चित्र जाकर देखना, वहां उनका चित्र लगा हुआ है। डा. लोहिया के अनुसार इन चारों स्थितियों में से थोड़ा सा कार्यपालिका वाला अपना जो खम्भा है, कार्यपालिका वाला यह खम्भा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो जाने के बाद, तिरछा हो जाने के कारण से न्यायपालिका ने अपने हाथ में यह सारी बातें ले लीं हैं। इस कारण से लोगों को थोड़ा सा दुख हो रहा है, वरना आजकल तो टी.वी. में जब आप देखेंगे तो यही चर्चा मिलेगी कि आज फैसला क्या हुआ, फलां की जमानत हुई कि नहीं। यह छोटी-छोटी बातें केवलमात्र आजकल विशेषकर...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आज क्या हुआ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आज पता नहीं क्या हुआ, कई लोगों को दर्द हो रहा था। भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी का क्या फैसला हुआ,

भगवान जाने। अब शाम को हमको टी.वी. पर मालूम पड़ेगा। हमको बड़ा दुख हुआ है, इसलिए मेरा सारा...**(व्यवधान)** 19 तारीख को होगा। अब सब के मन में गड़बड़ पड़ी है कि जाने क्या होगा। न्यायपालिका आजकल इस देश में सबसे बड़ा काम, एक अच्छा रोल अदा कर रही है।

मेरा कहना है कि ऑल इंडिया जूडिशियल सर्विस बने, जजेज को अच्छा मकान मिले, जजेज को ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा हो, जजेज को अच्छी लाइब्रेरी मिले और जजेज का अच्छा वेतन हो। अच्छा वेतन इसलिए हो कि आज जैसे आप शायद वकालत करते हैं तो इन श्रीमान् जी से अभी मैं पूछ रहा था कि यदि मैं आपको हाई कोर्ट का जज बनवा दूं तो क्या आप बनेंगे? तो वह बोले कि मैं तो हाई कोर्ट का जज नहीं बनूंगा, इसलिए नहीं बनेंगे कि इनको हाई कोर्ट के जज बनने में पैसे कम मिलेंगे। अच्छा वेतन होगा तो आदमी ...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला : आप लोढा जी से पूछिए, उनको अच्छा पैसा मिलता था क्या?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप भी अपने मन से सोच लो, संसद सदस्य को 5500 रुपये मिलते हैं, उसमें से पार्टी में कटता है, बिजली का कटता है, पानी का कटता है, टेलीफोन का कटता है, अगर स्टूल खरीदा तो स्टूल का किराया कटता है। आपको क्या मिलता है? आप भी मन में दुखी हो। आज सांसद को जो मिल रहा है, यह बस ऐसा ही मामला है। मैं सांसदों के मन की बात बता रहा हूं। अब आपको समझ में बात आई न, पैसे वाली बात झट समझ में आ गई, इसलिए आप यहां से भाग गये हो, वरना तो आपको यहां जो मौज थी, वहां वह मौज थोड़े ही हैं।

इसलिए जजेज को अच्छा वेतन मिलना चाहिए, अच्छा मकान हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, लाइब्रेरी हो, तभी जाकर एक जज ईमानदारी से, ठीक प्रकार से काम कर सकता है, वरना ठीक प्रकार से काम करना मुश्किल होगा।...**(व्यवधान)** सुरक्षा की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए।

हमारे गुमान मल लोढा जी ने अपने समय मैं, जो एक माननीय न्यायाधीश हमारे सामने बैठे हुए हैं। यह असम में भी न्यायाधीश रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में भी रहे हैं, इन्होंने एक पोस्ट कार्ड के आधार पर, पोस्ट कार्ड को पिटीशन मानकर, पोस्ट कार्ड को याचिका मानकर फैसले किए हैं और कई जगह ऐसी है कि यदि अखबार में भी कुछ खबर आ गई तो अखबार में आई हुई खबर को मानकर फैसले दिए हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

ये है न्यायाधीश और यह है न्यायपालिका, जिनके ऊपर कुछ माननीय सदस्य टिप्पणी कर रहे थे। मैं समझता हूं हम सांसदों को माननीय न्यायाधीश के कार्यों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है जब-जब देश में अन्याय हुआ है, न्यायपालिका ने ठीक प्रकार का काम किया है। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि आल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस होनी चाहिए। आज क्या हालत है, मेरे पास किताब है उसके अनुसार देश में कई जगहों पर जजेज के स्थान रिक्त पड़े हैं। मैं इस किताब को पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अपना आसन ग्रहण करेंगे? मेरे विचार से चार बजे एक विषय पर चर्चा की जानी है। आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अब माननीय मन्त्री श्री मोहम्मद मकबूल डार को 15 जुलाई, 1996 को उज्जैन और हरिद्वार में तीर्थयात्रियों की मौत की घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य देना है।

अपरान्ह 4.01 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उज्जैन और हरिद्वार में तीर्थयात्रियों की मृत्यु की घटनायें

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : 16 जुलाई को लोक सभा में विचार-विमर्श के दौरान माननीय गृह मंत्री ने, उज्जैन और हरिद्वार में हुई भारी जन-हानि पर माननीय सदस्यों की चिन्ता से सहमति जतायी और दोनों राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त करने का वायदा किया था।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया कि 15 जुलाई को उज्जैन शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लगभग 5.30 बजे प्रातः भक्तगणों की भारी भीड़ जमा हो गयी थी। मंदिर परिसर में लगभग 3000 व्यक्ति थे और लगभग 6000-7000 व्यक्ति मंदिर के बाहर पंक्ति में खड़े थे। भगदड़, पूजा स्थल को जाने वाली सीढ़ियों के शुरू में हुई, जहां पर तीर्थयात्री पूजा के लिए दौड़े और ऐसा प्रतीत होता है कि संगमरमर के गीले फर्श पर कुछ व्यक्तियों के फिसल जाने के कारण भगदड़ हुई। यह बताया गया है कि उज्जैन सिविल हस्पताल पहुंचने पर 34 व्यक्तियों को मृत घोषित किया गया। इनमें एक बच्चे और 11 महिलाओं सहित 23 पुरूष शामिल हैं। 29 घायल व्यक्तियों को हस्पताल में दाखिल किया गया जिनमें से 7 गंभीर रूप से घायल बताये गए हैं। गंभीर रूप से घायल 6 व्यक्तियों को इन्दौर के मैडीकल कालिज अस्पताल में विशेष चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक जांच कराने की घोषणा की है जिसे एक न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस जांच के विचारणीय विषयों

में, दुर्घटना के कारण, जिला अधिकारियों द्वारा किए गए प्रबन्धों की पर्याप्तता, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में तत्परता तथा भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लिए किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। राज्य सरकार ने इस भगदड़ में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित को एक लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों को 25,000 रुपये तथा अन्य घायल व्यक्तियों को 10,000 रुपये की अनुग्रह राहत का भुगतान किए जाने की घोषणा की है। उनके चिकित्सा-व्यय की भरपाई भी सरकार की तरफ से की जाएगी। जबकि यह आशा की जाती है कि प्रशासनिक लापरवाही की जिम्मेवारी उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच द्वारा तय की जाएगी वहीं राज्य सरकार ने इस बीच उज्जैन के नगर पुलिस अधीक्षक, मंदिर क्षेत्र के प्रभारी टाउन इंस्पेक्टर तथा ड्यूटी पर तैनात कार्यकारी मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर दिया है।

जहां तक हरिद्वार में हुई घटना का संबंध है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 15 जुलाई को 20 तीर्थयात्री मारे गए और 6 तीर्थयात्री जख्मी हुए। इस अवसर पर लगभग 15 लाख तीर्थयात्रियों के एकत्र होने की आशा थी परन्तु "सोमवती अमावस्या" के अवसर पर हरिद्वार में लगभग 25 लाख तीर्थ यात्री एकत्र हुए। विगत में, तीर्थयात्री हर-की-पौढ़ी पर दो पुलों का इस्तेमाल करते थे लेकिन उन दोनों में से एक पुल को इस समय इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था क्योंकि पिछले वर्ष वर्षा के कारण यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। भगदड़ उस समय मची, जब प्रातः लगभग 6.30 बजे, भारी संख्या में तीर्थयात्री एक ही पुल से जाने की कोशिश करने लगे।

घटना की रिपोर्ट प्राप्त होते ही, श्री डी.के. आर्य, राज्यपाल के सलाहकार; महानिदेशक (पुलिस) और स्वास्थ्य सेवाओं के राज्य महानिदेशक, तुरन्त घटना स्थल के लिए रवाना हो गये। राज्य सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने का भी फैसला किया है। इस बीच, राज्य सरकार ने इस दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित को एक लाख रुपय तथा घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 25,000 रुपये की अनुग्रह राहत का भुगतान करने की घोषणा की है। घायलों का सरकारी हस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा, पुलिस के एक वरिष्ठ उप-निरीक्षक और एक नायब तहसीलदार, जो पुल के निकट ड्यूटी पर थे, को निलम्बित कर दिया गया है।

जैसाकि दोनों राज्य सरकारों की रिपोर्टों से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टि में भगदड़ की वजह, इस प्रकार के महत्वपूर्ण त्यौहार के अवसर पर भीड़ नियंत्रण के लिए अपर्याप्त प्रबन्धों का होना ही प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुल पर केवल एक उप निरीक्षक तथा एक तहसीलदार ही ड्यूटी पर थे। जैसाकि कुछ सदस्यों और गृहमंत्री ने कल कहा था, प्राधिकारियों की ओर से समुचित पूर्वोपायों का अभाव और दुर्व्यवस्था रही। इसमें सन्देह नहीं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विस्तृत कारणों की जानकारी, जांच रिपोर्टों के आ जाने पर ही हो सकेगी। परन्तु हमें आशा है कि इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारें, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने फील्ड अधिकारियों को उचित निदेश जारी करेंगी।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : केवल एक तहसीलदार को निलम्बित कर देना काफी नहीं है ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं खड़ा हूं इसलिए कृपया आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश का बताया है मध्य प्रदेश के बारे में नहीं बताया। ...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही में कुछ शामिल नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : स्पष्टीकरण के लिये कोई नियम नहीं है। हमें नियमों के अनुसार चलना चाहिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। स्पष्टीकरण के लिए कोई नियम नहीं है।

(व्यवधान)

सभापित महोदय : मैंने जो कहा है उसके अतिरिक्त कार्यवाही में कुछ शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत : मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है। मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर यह है...**(व्यवधान)** आप मुझे अनुमति दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यवस्था को कोई प्रश्न नहीं है।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति और प्राकृतिक आपदायें

अपराह्न 4.11 बजे

सभापति महोदय : अब हम सदन के कार्य की दूसरी मद पर चर्चा करेंगे। यह मद देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में है और इसे प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा द्वारा पेश किया जायेगा।

प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय मैं नियम, 193 के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के लिए एक महत्वपूर्ण विषण पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति जी, बाढ़ से देश के लोगों को जो नुकसान प्रतिवर्ष होता है अगर उस पर नजर डालें तो बहुत ही चिंता वाली बात नजर आती है। इससे करोड़ों रुपयों की फसल चौपट हो जाती है, मकान तबाह हो जाते हैं, पशु मर जाते हैं और सबसे चिंता की बात यह है कि सैंकड़ों लोग बाढ़ से मर जाते हैं। उदाहरणार्थ, 1995 में 600 से भी अधिक जानें देश भर में बाढ़ के कारण गयी, 2.2 लाख से अधिक मकान तबाह हुए और 1.66 लाख पशु मर गए। 1988 में बाढ़ के कारण इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ। खासतौर से पंजाब का पटियाला शहर पूरी तरह से डूब गया था जिसके कारण करोड़ों-अरबों का नुकसान हुआ था। पंजाब के लुधियाना, जालंधर, फिरोजपुर में और इसी तरह से हरियाणा में

[अनुवाद]

पिछले वर्ष 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि इस नुकसान को रोकने के लिए सरकार सीरियस नहीं है। इस समस्या को गंभीरता के साथ नहीं लिया गया और जो इसके लिए उपाय किए गए वे सब टैम्प्रेरी किये गए जैसे डंग-टपारू होते हैं। बाढ़ के लिए जो धनराशि दी जाती थी यह मान ही लिया जाता था कि बाढ़ आएगी और इतनी राशि दी जाएगी। उसका भी ठीक से आबंटन नहीं किया गया। धनराशि देनी चाहिए, हैल्प होनी चाहिए। केन्द्र सरकार की ओर से 1994-95 में 800 करोड़ रुपए दिए गए और 1995-96 में 1130 करोड़ रुपए दिए गए। यह राशि प्रतिवर्ष बढ़ रही है लेकिन इसका मिस-यूज जो हो रहा है इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1988 में बाढ़ के लिए 100 करोड़ रुपए की सहायता का सेंटर की ओर से ऐलान किया गया, जिसमें से 32 करोड़ रुपए एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च दिखाया गया है। जीपों पर, हवाई सर्वेक्षण पर, डीजल पर, टी.ए.डी.ए. पर 32 करोड़ रुपए खर्च हो गए तो लोगों को क्या मिला? बाकी में से पटवारी और तहसीलदार ले जाते हैं। जो प्रभावित लोग होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। प्रति-एकड़ 500 रुपए कंपंसेशन से कुछ नहीं होता है। उपाध्यक्ष जी, किसानों का बाढ़ से जो नुकसान हो रहा है वह बहुत ही चिंताजनक बात है। इसके लिए जो गंभीरता सरकार की ओर से दिखाई जानी चाहिए थी वह दिखाई गयी है। 1983 में नेशनल वाटर रिसोर्सिज कमीशन की स्थापना की गयी थी। प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर होते हैं और सब राज्यों के मुख्यमंत्री उसके मैम्बर होते हैं।

चेयरमैन साहब, इसकी दो बैठकें-अक्तूबर 1985 और 1987 में हुई हैं। यह सरकार की गंभीरता है। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है और फालतू पानी पाकिस्तान को चला जाता है आज देश के कई हिस्से पानी के बिना सूखे से मर रहे हैं। इस फालतू पानी के इस्तेमाल के कोई उपाय नहीं सोचे जा रहे हैं। इसलिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि देश को फ्लड-प्रूफ बनाना चाहिये जैसे रूस में किया गया है। वहां पर नदियों को चैनलाईज कर दिया गया और लोग का बचाव हो गया। अमरीका में कभी बाढ़ नहीं आती है। आज देश को आजादी प्राप्त किये 50 वर्ष हो गये हैं लेकिन बाढ़ से नुकसान चल रहा है। मेरे सुझावों पर सरकार अमल करें तो मैं समझता हूं कि इसका परमानेंट सौल्यूशन निकल सकता है।

मेरा पहला सुझाव यह है कि सरकार नदियों की खुदाई अच्छी तरह से करवा दे और जो टेड़ है वह निकलवा दे जिससे फ्लो ज्यादा हो सकता है और नदियों की कैपेसिटी भी ज्यादा हो सकेगी। इससे पानी का डिस्पोजल हो सकता है और बाढ़ से बचा जा सकता है।

नदियों के पुश्ते मिट्टी से बनाये जाते हैं और जब मौनसून आता है तो वह बहकर नदी में चली जाती है। मेरा सुझाव है कि पुश्ते पक्के पत्थरों में बनाये जायें, पत्थर तो पहाड़ों से फ्री मिलते हैं। सरकार को कितना ही पैसा कम्पनसेशन के रूप में लोगों को देना पड़ता है। यदि वही पैसा पक्के पुश्ते बनाने में लगा दिया जाये तो बाढ़ से बचाव का परमानेंट काम हो सकता है।

एक सुझाव यह है कि इरीगेशन प्रॉजैक्ट बनाये जायें। अब तक 50 हजार करोड़ रुपया इन प्रॉजैक्ट्स पर खर्च किया जा चुका है जिससे केवल 20 मिलियन हैक्टेयर लैंड ही इरीगेट हो सकी है। इसका कारण यह है कि प्रॉजैक्ट डिले हुये हैं, इससे उनसे कोई लाभ नहीं हो सका है। अगर ये प्रॉजैक्ट समय पर तैयार हो जाये तो बाढ़ से बचा जा सकता है। लोगों को इरीगेशन के लिये पानी दिया जा सकता है। इसके मल्टी-परपज फायदे हो सकते हैं। इससे फ्लड कंट्रोल हो सकता है। इस पानी को डैम में रोककर इरीगेशन के काम में लाया जा सकता है।

चेयरमैन साहब, पॉवर जैनेरेशन कोयले के प्लांट से मंहगी पड़ती है। अगर हाईडल प्रॉजेक्ट्स तैयार किये जायें तो इससे बिजली सस्ती पड़ेगी और पौल्यूशन भी नहीं बढ़ेगा। हमारे पंजाब में थर्मल पावर प्लांट्स पर कोयला जल्दी नहीं पहुंच सका तो मैंने उस समय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब से कहा तो तुरन्त कोयला

पहुंचाने के लिये रेल विभाग से कहा और वह पहुंच गया। इसलिये कोयले की प्राब्लम न केवल पंजाब में बल्कि बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में भी बतायी है।

अगर इरीगेशन प्रोजैक्ट्स बनाए जाएं तो इन समस्याओं से भी बचा जा सकता है। हमें खेद है कि प्रोजैक्ट्स में बहुत डिले होता है। पंजाब में थीन डैम का काम वर्षों से चल रहा है। प्रौजैक्ट की इनीशियल कॉस्ट 85 करोड़ रुपए थी। आज उसकी कॉस्ट 2650 करोड़ रुपए है। अभी पता नहीं कब तक वह चलेगा। जब पंजाब पैसा मांगता है तो केन्द्र सरकार की ओर से पैसा नहीं दिया जाता है। उससे व्यास में पानी आता है, सतलुज में पानी आता है और सारा पंजाब तबाह हो जाता है। इसलिए जब पानी के मसले की बात होती है तो हम रिपेरियन लॉ की बात करते हैं कि बाढ़ से जिन प्रदेशों को नुकसान होता है, पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार भी उन प्रदेशों को होना चाहिए। इसीलिए हम पंजाब के लिए रिपेरियन लॉ के अनुसार पानी मांगते हैं। इसके लिए मैंने एक सुझाव जीरो आवर में पिछले दिनों दिया था। वहां एक घग्घर दरिया है। पटियाला, अंबाला, कुरूक्षेत्र, हिसार और संगरूर जिलों में वह दरिया जाता है। अगर हिमाचल, हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होकर उस पर डैम बना लें तो बाढ़ से भी बचा जा सकता है और चंडीगढ़ में जो पीने का पानी की कमी होती है, उसको भी दूर किया जा सकता है और इरीगेशन के लिए पटियाला, संगरूर, कुरुक्षेत्र, अंबाला जिलों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एड देनी चाहिए और वह डैम बनाना चाहिए ताकि पंजाब और हरियाणा को इससे बचाया जा सके।

अंत में मेरा सुझाव है कि जब भी सरकार इसके लिए परमानेंट सौल्यूशन बनाए, उस समय तक फ्लड और नेचुरल केलामिटीज से बचने के लिए एक क्रॉप इंश्योरेंस हो जाए तो अच्छा होगा। यहां अगर एक गाड़ी की लाइट टूट जाती है तो उसको पूरे पैसे मिल जाते हैं। किसान की 10000 रुपए की फसल नष्ट हो जाती है तो 500 रुपए एकड़ के हिसाब से मिलता है। इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने जो सोचा था वह बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार में के.एल. राव सिंचाई मंत्री थे। उन्होंने भी सुझाव दिया था और वह सुझाव है लिंकिंग ऑफ नॉदर्न रिवर्स विद साउदर्न रिवर्स। अगर यह हो जाए तो देश को बाढ़ से बचाया जा सकता है, सूखे से बचाया जा सकता है। अब हमारी पोजीशन ऐसी होती है कि किसी आदमी के दो लड़कियां थी। एक का किसान के यहां ब्याह हो गया और दूसरी का प्रजापति के यहां हो गया। जब वर्षा आने लगी तो किसी ने पूछा कि क्या बन रहा है? वह बोलने लगा कि भाई क्या बनाना है। या टांडे वाली नहीं या भांडे वाली नहीं। पानी बरसता है तो बाढ़ आ जाती है और अगर वर्षा न हो तो सूखे से मर जाते हैं। इससे बचने के लिए जो रिवर लिंक स्कीम है, उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाईये। पहला नाम प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा का था और दूसरा नाम श्री उद्धव बर्मन का है। एक माननीय सदस्य को प्रस्ताव पेश करना है या चर्चा आरम्भ करनी है। दल की सूची में श्री उद्धव बर्मन का नाम है उसे सही समय पर बुलाया जायेगा।

अब श्री धनन्जय कुमार अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर) : इस सदन के इतिहास में हमने देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति तथा सूखा की स्थिति के बारे में कई बार बहस की है। इस सदन में विशेष रूप से मौनसून अधिवेशन में इस विषय पर बहस की जाती रही है। इस वर्ष यह अधिवेशन इस अर्थ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह बजट अधिवेशन भी है।

हमें देश के विभिन्न भागों में विशेषरूप से इस वर्ष उत्तर में पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर तथा दक्षिणी राज्यों में भी बाढ़ की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में समाचार मिल रहे है। हमने यह भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री तक ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। मैं पुनः यह कहूंगा कि यह मात्र एक अनुष्ठान बनकर रह गया है। प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री इस सदन में खड़े होकर करेंगे कि वे निसहाय हैं उनके हाथ बंधे हैं क्योंकि वित्त आयोग विभिन्न राज्यों को उपलब्ध केन्द्रीय सहायता के वितरण के मानक निर्धारित कर चुका है।

यदि हम इस समस्या का गहराई से अध्ययन करें तो यह और कुछ नहीं एक वास्तविक मानवीय समस्या हैं। इस देश की स्थलकृति के अनुसार तो हमें ऐसे दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाने चाहिये जिससे इस भयावह समस्या का स्थायी समाधान हो सके। मैं इस गौरवशाली सदन को गंगा-कावेरी को मिलाने सम्बन्धी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की याद दिलाना चाहता हूं इस कार्यक्रम की परिकल्पना भारत सरकार के एक प्रतिष्ठित जल संसाधन मंत्री डा. के. एल. राव ने की थी। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस परियोजना को कभी साकार नहीं किया गया क्योंकि हम हमेशा यह देखते हैं कि हम ऐसी महत्वांकाक्षी परियोजना के लिए धनराशि नहीं जुटा सकते। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर वर्ष मौनसून के दौरान हमारे देशवासियों द्वारा जिस समस्या का सामना किया जाता है इस परियोजना से उसका समाधान हो सकता है। इस बार कर्नाटक को कुछ सीमा तक बाढ़ की विभीषका का सामना नहीं करना पड़ा है। किन्तु इस बार कर्नाटक राज्य के प्रमुख हिस्सों में सूखे जैसे स्थिति बनी हुई है।

वर्षा अभी आरम्भ हुई है। कुछ दिन पहले इस सदन में कावेरी नदी से जल छोड़ने के बारे में गर्मागम बहस हुई थी।

सूखे की स्थिति एवं जलग्रहण क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण कावेरी नदी पर बने जलाशयों में जल बिल्कुल सूख गया है। तमिलनाडु के लोग कावेरी नदी से जल के लिए कर्नाटक का मुंह ताकतें हैं। अधिकरण द्वारा उनके पक्ष में अन्तरिम पंचाट दिया गया है और

अनेक बार वे न्यायालयों के द्वार भी खटखटाते हैं। इन समस्याओं का स्थायी समाधान क्या है?

महोदय, अब तो दक्षिण भारत में भी वर्षा हो गई है। केरल, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में भारी वर्षा हुई है। बाढ़ के कारण वहां 34 मौतें भी हुई हैं। ऐसा भी प्रायः होता है कि तेज समुद्री तूफान आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाते हैं। इस बार भी तेज समुद्री तूफानों के कारण आन्ध्र प्रदेश में कई लोग मर गए हैं। इस बार तो समुद्री तूफान महाराष्ट्र राज्य में भी पहुंच गया था। देश के इन भागों में स्थिति से परिचित होते हुए हमें क्या स्थायी समाधान के बारे में नहीं सोचना चाहिये?

मैं यह कहूंगा कि जो मान स्थापित किये गये हैं, हो सकता है वित्त आयोग द्वारा स्थापित किये गये हो, अथवा मुख्यमंत्रियों की बैठक में सहायता प्रदान करने के लिए जो पद्धतियां निर्धारित की गई हैं, ये पूरी तरह से असन्तोषजनक हैं और इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार को राष्ट्रीय आपदा राहत निधि स्थापित करने के बारे में सोचना चाहिए।

जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रीय आपदा राहत निधि में बहुत कम धनराशि होती है कृषि मन्त्री महोदय हमेशा सदन में खड़े हो कर कहते हैं वे निसहाय है और नियम-विनियमों से बंधे हैं तथा वित्त आयोग के फैसलों में बंधे हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री महोदय कह रहे थे कि यदि आवश्यक हुआ तो वे अग्रिम रूप से धनराशि दें देंगे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से राज्यों को देय राशि किस्तों में जारी की जायेगी और राज्य उसे अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिए दो घन्टे का समय आवंटित किया गया है और इस पर बोलने वाले माननीय सदस्यों की एक लम्बी सूची है। स्वाभाविक बात है। कि अनेक सदस्य इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं। मेरा हरेक वक्ता से अनुरोध है कि वे दस मिनट से अधिक न बोले।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापतनम) : सभापति महोदय, पांच मिनट का समय काफी है क्योंकि हर सदस्य उन्हीं बातों को दोहरा रहा है।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री वी. धनन्जय कुमार : महोदय, सरकार को मेरा सुझाव यह है कि एक पृथक निधि की स्थापना की जाये और प्रकृति आपदा की स्थिति में राज्यों को एक निश्चित राशि दी जाये। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत आपदा राहत कोष से पैसा लेते समय वे कई प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। वे कहते हैं कि जब तक किसी स्थिति विशेष को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाता, पैसा नहीं दिया जा सकता इसके अलावा, खड़ी फसलों को क्षति, मनुष्यों अथवा पशुओं की मृत्यु आदि से हानि का पता लगाने के लिये कतिपय दिशा-निर्देश हैं।

महोदय, स्पष्ट दृष्टिकोण अपनायें बिना और यह कह कर कि हम कुछ मानकों से बंधे हैं, हम इस मानवीय समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएं। भारत सरकार के पास एक कोष होना चाहिए और जब इस प्रकार की आपदा का सामना करना पड़े तो उससे तत्काल धनराशि दी जानी चाहिए और जनता को शीघ्र ही सहायता दी जानी चाहिये। भारत सरकार को सम्बद्ध राज्य को सहायता देने के लिए आगे आना चाहिये।

जैसाकि आप जानते हैं कि राज्य सरकारों का बजट सीमित होने के कारण वे राहत देने पाने की स्थिति में नहीं होती। वे इस प्रकार की आपदा का अनुमान नहीं लगा सकती। केन्द्र सरकार ही किसी प्रकार के तन्त्र का प्रावधान कर सकती है जिससे वे जरूरतमंद लोगों को सहायता कर सके।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर कृषि मन्त्री महोदय अब भी सोच विचार करें। अब भी देर नहीं हुई है। अब भी गंगा-कावेरी को मिलाने जैसी किसी परियोजना पर विचार किया जा सकता है ताकि उत्तर-दक्षिण में किसी प्रकार का ऐसा सम्पर्क बनाकर इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकाल सकें।

श्री नुरुल इस्लाम (घुबरी) : महोदय, हमारे देश में बाढ़, सूखा, भूकंप, भुखमरी और समुद्री तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। सरकार ने पिछले 50 वर्षों के दौरान इन आपदाओं पर नियन्त्रण के लिये कोई दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन नीति नहीं बनाई है। इसलिए सरकार से मेरा सुझाव है कि बाढ़, सूखा, भूकंप, समुद्री तूफानों और तूफानों पर नियन्त्रण के लिये हमें दीर्घकालीन आयोजन करनी चाहिये और अल्पकालीन उपाय करने चाहिये। महोदय, आप जानते ही हैं कि हमारे देश में अनेक नदियां हैं और सरकार ने आज तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इन नदियों के जल के बारे में सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है। मैंने कई बार सुझाव दिया है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी नदियों के जल को राष्ट्रीय जल घोषित किया जाये और यदि इन नदियों से कोई क्षति होती है तो राष्ट्रीय सरकार को उसकी भरपाई करनी चाहिए।

महोदय, असम की अर्थ-व्यवस्था, कृषि पर आधारित है और ब्रह्मपुत्र जो कि एक विकराल एवं विशाल नदी है में बाढ़ से असम की अर्थ-व्यवस्था को व्यापक क्षति हुई है। हर वर्ष बाढ़ से इसकी अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ को भारी क्षति होती है। केन्द्रीय सरकार से यह बात बार-बार कही जाती रही है किन्तु वह सुनती ही नहीं हैं। जब तक केन्द्र सरकार राज्य सरकार की बड़े पैमाने पर सहायता नहीं करती राज्य सरकार इस भारी क्षति से उबर नहीं सकती। पिछले पच्चीस वर्षों से ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ एवं तट कटाव नियन्त्रण के बारे में हम काफी सुनते आये हैं। सरकार ने डिबोंग और सुबानसिटी में बांध निर्माण के लिए कतिपय परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं। इन बांधों को किसी न किसी आधार पर अभी तक निर्मित नहीं किया जा सका है। किन्तु इसका सही कारण हमें मालूम नहीं है। भारत सरकार इनके निर्माण से बचना चाह रही है। इन बांधों के निर्माण से इन्हें दो और महत्वपूर्ण परियोजनाएं लेनी होंगी। एक कम-मूल्य की जल-विद्युत परियोजना है और दूसरी सिंचाई योजना है जिससे आधे देश को सिंचाई

सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसलिये सरकार की उपेक्षा आज तक समझ नहीं आ सकी है। इस उपेक्षा के कारण असम राज्य तबाह हो रहा है।

ब्रह्मपुत्र नदी का पाट मेरे जिले में दो किलोमीटर चौड़ा है। अब इसकी चौड़ाई बढ़कर 15 किलोमीटर हो गई है। यह मेघालय सीमा तक पहुंच गई है। आप इस समस्या के आयाम को समझ सकते हैं। जिसे राज्य सरकार अपने सीमित साधनों से सुलझा नहीं सकती है।

इसलिये मेरा केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस बांध का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाये। सरकार को जल-विद्युत कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाये। सरकार को जल-विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी आरम्भ करना चाहिए।

साथ ही सरकार को मेरा यह भी सुझाव है कि वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों पर भी नियन्त्रण करे जिसके कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति अत्यन्त भयावह हो जाती है। इस बाढ़ से न केवल खड़ी फसलों को अपितु सड़कों, पुलों को भी भारी क्षति पहुंचती है और संचार माध्यम भी प्रभावित हो जाते हैं। अतः बाढ़-नियन्त्रण के उपाय किये जाने चाहिए।

पिछले पचास वर्षों का भारत सरकार की उपेक्षा के कारण हमें बाढ़ों का प्रकोप सहना पड़ रहा है जिसके कारण अब हमें बाढ़ से भय नही लगता। ब्रह्मपुत्र नदी में भू-कटाव से और भी खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि इसके कारण हर वर्ष हजारों परिवार बेघर और भूमिहीन हो रहे हैं और राज्य की ऐसी बहुमूल्य भूमि नष्ट हो रही है जिसमें बिना किसी वैज्ञानिक साधनों की सहायता से वर्ष में तीन फसलें उगाई जा सकती हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिये और राज्य को बचाना चाहिये। केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य की व्यापक आधार पर सहायता करनी चाहिए। यह माना जाता है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार एक राष्ट्रीय कल्याणकारी सरकार है किन्तु हमें यह कहते हुए दुःख होता है कि असम राज्य के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार कल्याणकारी भूमिका नहीं निभा रही है।

पिछले 10 वर्षों में मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ के कारण 60,000 परिवार बेकार और भूमिहीन हो गए हैं। मैंने यह मामला इस सम्मानित सदन में बार-बार उठाया है किन्तु किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है। मेरा रोना चिल्लाना व्यर्थ गया है। यह 60,000 परिवार बिना पानी, बिना भोजन, बिना आवास और बिना किसी आधुनिक सुविधा के पशुओं का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार को अविलम्ब असम राज्य को विशेष रूप से एवं गोलपाड़ा जिले के बेघर एवं भूमिहीन परिवारों के पुनर्वास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाना चाहिए।

भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना की है। किन्तु यह कोरी सहानुभूति के सिवा कुछ नहीं है। यह बड़े दुःख की बात है कि हम इस कोरी सहानुभूति के आदी हो चुके हैं। पिछले 20 वर्षों से इस बोर्ड का कोई अध्यक्ष ही नहीं है और पैसे के अभाव में यह कोई कार्य नहीं कर रहा है। भारत सरकार इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ की रोकथाम करना चाहती है।

इसलिये वर्तमान सरकार को मैं यह विनम्र सुझाव देना चाहता हूं कि असम राज्य की इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। मुझे विश्वास हैं कि वे ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ नियन्त्रण के लिये तथा ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड को सक्रिय बनाने के लिए कुछ उपाय करेंगे।

इस वर्ष अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस सरकार ने स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये वहां अभी तक किसी दल को भेजने का कष्ट भी नहीं किया है। वे यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। भारत सरकार कम से कम वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए किसी दल अथवा अधिकारी या किसी मंत्री को भेज सकती थी। वे कुछ नहीं कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि राज्य को बाढ़ नियन्त्रण के लिये पर्याप्त धनराशि दी गई हैं हम बाढ़ राहत कोष पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हम सुरक्षा उपाय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाढ़ नियन्त्रण उपाय किये जाये। हम हर वर्ष इस प्रकार कष्ट नहीं सह सकते। हम चाहते हैं कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र में बाढ़ नियन्त्रण और भू-कटाव की रोकथाम के लिये सरकार व्यापक प्रबन्ध करे।

अन्त में, मैं भारत सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले 50 वर्षों से वे इस बांध के बारे में कुछ कहते आ रहे हैं किन्तु वे उसके निर्माण के लिये कोई सक्रिय एवं प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। मैं भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र ही पता लगाये कि यह परियोजना कितनी सम्मान्य है। कई सम्मान्य प्रतिवेदन और तकनीकी सम्मान्य प्रतिवेदन उपलब्ध है किन्तु यह हमारी कीमत पर व्यर्थ पड़े हैं। इसलिए असम राज्य जल रहा है, हम दोष दे रहे हैं कि असम जल रहा है। यदि वहां काफी हद तक विद्रोह है, आतंकवादी हैं तो हर चरण पर उपेक्षा इसका कारण है। बाढ़ और भू-कटाव तथा संचार माध्यमों के बारे में काफी लापरवाही है। वे राज्य में आधारभूत स्तर पर सुविधाओं की बात करते हैं किन्तु वे इस सम्बन्ध में कुछ कर नहीं रहे हैं और वे कुछ करेंगे भी नहीं पिछले पन्द्रह वर्षों का हमारा यही अनुभव है। वे बातें तो बढ़-चढ़ कर करते हैं किन्तु काम कुछ नहीं करते। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि अब सरकार को राज्य की अर्थ-व्यवस्था, राज्य की जनता और राज्य की भूमि को बाढ़ों और भू-कटाव से बचाने के लिये अविलम्ब एक व्यापक योजना बनानी चाहिये।

इन कुछ शब्दों के साथ मुझे समय देने के लिये मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : मैं इस सभा में यह बताना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा सम्बन्धी समिति ने आज यह फैसला किया है कि यह चर्चा आज ही पूरी कर ली जायेगी। कृषि मंत्री आज शाम 7 बजे इस चर्चा का उत्तर देंगे। मैं इस सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, कुछ सदस्य इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिये इस चर्चा के लिए कुछ और समय बढ़ाया जाये...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, और भी कुछ माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं अतः कुछ समय बढ़ाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : यह फैसला किया जा चुका है कि इस पर बहस आज ही पूरी कर ली जायेगी। मन्त्री महोदय शाम सात बजे उत्तर देंगे।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : आदरणीय सभापति महोदय, केरल में इस मौसम में आई बाढ़ के कारण हुई तबाही से जो वहां की जनता की हालत हुई है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। यदि आप इस सम्बन्ध में सरकारी आंकड़े देखे तो आपको स्थिति का अंदाजा लग जायेगा। बाढ़ में 31 लोगों की जानें गई हैं। बाढ़ से 14 जिले और 1015 गांव और 3.51 लाख लोग प्रभावित हुए हैं यहां तक कि 114 व्यक्ति घायल भी हुए हैं। 1113 मकान बुरी तरह तथा 9945 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। जिन खड़ी फसलों को हानि हुई है उनका मूल्य 2664 लाख रुपये आंका गया है। 150 लाख रुपये मूल्य की सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। हमारे कृषि मन्त्री महोदय ने बताया है कि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा। केरल राज्य के लिये पूरे वर्ष के लिए केवल 55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस धनराशि में से 26 करोड़ रुपये क दो त्रैमासिक किस्तों की राशि भूतपूर्व केन्द्र सरकार द्वारा भूतपूर्व राज्य सरकार को 1995 में ही दी जा चुकी है। वर्ष 1996 के लिये आवंटित राशि में से अग्रिम राशि दी गई थी। मैं नहीं जानता कि इससे कैसे काम चलेगा। वित्त आयोग ने पूरे वर्ष के लिए 55 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया है। इतनी अधिक क्षति के लिये इन दो किश्तों में मुआवजा दिया गया था। इससे कैसे काम चलेगा? इसलिये यह जोअग्रिम धनराशि दी गई हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। केन्द्र सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें वित्त आयोग के आवंटन के अनुसार 55 करोड़ रुपये की पूरी राशि मिलनी चाहिये। यह हमारा कानूनी अधिकार है। हमें इतनी धनराशि का वितरण करना है।

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : यह आपके लिये हैं। इसे आप ले लीजिए। केरल के लिए अभी हमारे पास 20.775 करोड़ रुपये हैं। यदि उन्हें इसकी जरूरत है तो वे यह धनराशि ले लें। हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। यह उनकी और केन्द्र सरकार की धनराशि है। हमें इसके लिए आपका अनुरोध प्राप्त होना चाहिये। मैं इसे विशेष संदेशवाहक द्वारा नहीं भेज सकता। आप आयें और इसे ले जायें।

श्री वी.वी. राघवन : मैं यह बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस वर्ष के लिए 55 करोड़ रुपये की देय राशि में से लगभग 26 करोड़ रुपये की दो त्रैमासिक किस्तें 1995 में भूतपूर्व केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व राज्य सरकार को अग्रिम के रूप में दे दी थी। उन्हें इस वर्ष की आवंटित धनराशि में से काटा नहीं जाना चाहिये। मैं यह बात कहना चाहता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : किन्तु धनराशि तो अभी है आप इसका इस्तेमाल करें। मैं मुआवजा दूंगा।...**(व्यवधान)**

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : मैं इन्हीं की पार्टी से हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : बाढ़ किसी पार्टी विशेष का प्रश्न नहीं है।

श्री ए.सी.जोस : मैं तो मन्त्री महोदय से और अधिक उदार होने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री वी.वी. राघवन : हम केरल के सभी 28 सदस्य यही बात कहना चाहते हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री राघवन जी, कृपया पीठासीन अधिकारी को ही सम्बोधित कीजिये।

श्री वी. वी. राघवन : केरल राज्य समुद्री तट कटाव की एक अन्य समस्या का भी सामना कर रहा है। इसके कारण मछुआरों की हजारों झुग्गियां पानी में बह गई हैं अरब सागर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति निगल गया है। बहुमूल्य भूमि का कटाव भी हो रहा है। हमें 600 किलोमीटर समुद्री तट की रक्षा करनी हैं किन्तु इसके लिये वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार राज्य सरकार सागर तट का सुरक्षा के लिये वित्तीय सहायता देती है किन्तु वर्ष 1992 के बाद हमें केन्द्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है। हमने कई योजनाएं भेजी हैं और हम पुनः योजनाएं भेज रहे हैं। कृषि मंत्री महोदय, से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया हमें अरब सागर से बचाईये। जब बाढ़ आती है तो मछुआरे वहां मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सकते और उन्हें भूखों मरना पड़ता है। हमें उन्हें राशन देना पड़ता है हमें उनकी सहायता करनी पड़ती है। इसलिये सागर तट से सुरक्षा के लिये जल्दी ही एक दीवार बनाये जाने की आवश्यकता है। हमने कुछ हिस्सों में तो दीवार बना ली है किन्तु उसके रख-रखाव की भी जरूरत है और अभी काफी हिस्से में यह दीवार बनाई जानी है। इसलिये हजारों मछुआरों और उनके घरों की सुरक्षा के लिये सागर तट की सुरक्षा करने की जरूरत है। त्रिवेन्द्रम से लेकर कासरगोड तक हर मानसून में अरब सागर में इतनी अधिक बाढ़ आती है कि उसमें भूमि, मछुआरों के घर और नारियल के पेड़ बह जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इसलिये सुरक्षा के लिए दीवार का रख रखाव और शेष दीवार को बनाने के लिये राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिये उदार हृदय से सहायता दी जानी चाहिए।

इसलिए आप नौवें वित्त आयोग द्वारा आवंटित पूरी धनराशि हमें दें ताकि अरब सागर के पूरे तट के साथ-साथ दीवार बनाई जा सके।

श्री उधव बर्मन (बारपेटा) : सभापति महोदय, यह कहा जा चुका है कि हम हर वर्ष बाढ़ और सूखे की स्थिति पर बहस करते हैं किन्तु इस समस्या के समाधान के लिये कोई ठोस उपाय नहीं किये गये हैं। असम में एक बार बाढ़ से तबाही हो चुकी है और अभी और भी बाढ़ आयेगी क्योंकि सिम्बर के महीने तक वहां कई बार बाढ़ आती है जिसके कारण सम्पत्ति सड़कें और संचार सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

इस वर्ष पहली बाढ़ में वहां 2650 गांव प्रभावित हो चुके हैं। 1,82,276 हेक्टेयर भूमि में फसलों को नुकसान हुआ है तथा

18,59,103 लोग प्रभावित हो चुके हैं तथा 92 व्यक्तियों की जानें गई हैं। इसके अलावा, सड़कों और पुलों का भी नुकसान हुआ है।

अपराह्न 4.58 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं। असम में 23 जिलों में से 13 जिलों में से 13 जिले प्रभावित हुए हैं धेमाजी जिले में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। अभी तक 18,59,103 व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। 1,82,276 हेक्टेयर भूमि में फसलों को क्षति हुई है। हर वर्ष बाढ़ से जनता द्वारा सृजित धनसम्पदा को तो नुकसान होता ही है इससे राज्य की अर्थव्यवस्था तथा परिस्थितिकी संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। इसका मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों तथा बराक और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में भारी वर्षा का होना है। भारी वर्षा के कारण आम तौर पर बाढ़ें आती हैं जिससे राज्य का जनता और अर्थ-व्यवस्था को भारी हानि होती है।

अपराह्न 5.00 बजे

40 प्रतिशत जल बराक और ब्रह्मपुत्र नदियों से आता है किन्तु इस जल संसाधन का इस क्षेत्र के सामाजिक इस्तेमाल के लिये उपयोग नहीं किया जा रहा है। उस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। नदी जल क्षमता से 241,000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। किन्तु इसमें से अभी केवल 84,000 मेगावाट बिजली-ही बनाई जा रही है। केवल 4 से 6 प्रतिशत क्षमता का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस क्षेत्र में जल का सही इस्तेमाल न किये जाने के कारण बाढ़ें आती हैं और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है। इसलिये सभी यह चाहते हैं कि बाढ़ नियन्त्रण के लिए कदम उठाए जायें।

ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदियां तथा इनकी सहायक नदियों के कारण आनी वाली बाढ़ों के नियन्त्रण के लिए कुछ तटबंध निर्मित किये गए थे किन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। वे भूमि की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। बाढ़ों से न केवल खड़ी फसलों और सम्पतित्व की क्षति होती है किन्तु वहां व्यापक पैमाने पर भू-कटाव भी हो रहा है। वस्तुतः हर वर्ष ब्रह्मपुत्र नदी के कारण सैकड़ों बीघा भूमि का कटाव हो जाता है जिसके कारण उस क्षेत्र के किसानों और कृषि मजदूरों को अपनी रोजी-रोटी के लिए शहर जाना पड़ता है। इन नदियों के कारण हो रहे भू-कटाव से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है।

मैंने अभी बताया था कि बाढ़ नियंत्रण के लिये यहां वहां तटबन्धों का निर्माण तो किया गया था किन्तु उससे कुछ क्षेत्रों मे बॉटर लोगिंग भी हो रहा है। इससे भी किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है।

इसलिये मैं समझता हूं कि पूरी व्यवस्था पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है ताकि किसान अपनी भूमि पर फसलें उगा कर अपनी अर्थ-व्यवस्था विकसित कर सकें। राज्य सरकार ने काफी राहत दी है। असम की जनता को राहत दी जा रही है। 136 राहत शिविरों में खाद्य वस्तुएं आदि दी जा रही हैं किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इस क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए।

इस क्षेत्र में बाढ़, भू-कटाव और पानी के जमा हो जाने के कारण कुछ परिस्थितिकी संबंधी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। इसलिये केवल बाढ़ नियन्त्रण का ही प्रश्न नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदियां में अंकुश कैसे रखा जाये? इस क्षेत्र के विकास के लिए इस जल का उपयोग किया जाना चाहिये। इस जल का उपयोग न केवल इस क्षेत्र अपितु देश के अन्य भागों के विकास के लिये भी किया जा सकता है।

अतः इस समय बाढ़ नियन्त्रण ही अपेक्षित नहीं बल्कि ऐसे जल प्रबन्धन की आवश्यकता है जिससे न केवल पूरे असम की आर्थिक विकास हो बल्कि अन्य क्षेत्रों का भी विकास हो।

असम की जनता चाहती है कि ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी 38 सहायक नदियों से सम्बद्ध ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गयीं मल्टी-मेगा परियोजनाएं निर्मित की जायें। डिबोंग, सुवनश्री एवं तिपैमुख परियोजनाएं पूरी की जायें। केन्द्र सरकार को इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार अपेक्षित धनराशि खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए विपुल धनराशि की आवश्यकता है। राज्य सरकार के लिये अकेले इन परियोजनाओं को पूरा करना सम्भव नहीं है।

अन्तर्राज्यीय समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अरुणाचल-असम तथा मणिपुर-मिजोरम-असम जैसी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिये केन्द्र सरकार को सहायता करनी चाहिये और बांध निर्माण का प्रयास करना चाहिये ताकि बाढ़ नियन्त्रण भी हो जाये तथा सिचाई क्षमता का भी उपयोग हो। इसके साथ ही बिजली की स्थिति में भी सुधार हो सकता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बांध के बन जाने से न केवल बाढ़ों से बचा जा सकेगा बल्कि सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी साथ ही बिजली उत्पादन में भी सुधार होगा। इससे पूरे असम की जनता को राहत मिलेगी और वहां का विकास हो सकेगा। वहां की जनता अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास चाहती है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के कारण आने वाली बाढ़ों पर नियन्त्रण के लिये प्राथमिकता के आधार पर उपाय किये जाने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इन विषयों पर बार-बार बहस करने के स्थान पर केन्द्र सरकार इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये आगे आयेगी ताकि वहां की जनता यह महसूस कर सके कि वे केवल अपने क्षेत्र का बल्कि समूचे देश का विकास कर सकते हैं।

इसलिये आशा है कि राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि दी जायेगी और इन उपायों को लागू किया जायेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब असम राज्य बाढ़ की चपेट में होता है तो देश के कुछ अन्य भाग सूखे की चपेट में होते हैं देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है तो मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा होता है। असम के भी बाढ़ से पहले सूखे की स्थिति बनी हुई थी जिसके

कारण वहां 'अहु' फसल को नुकसान हुआ। अब बाढ़ के कारण बुवाई की समस्या का सामना किया जा रहा है क्योंकि अब बुवाई का मौसम है। इसलिये अब बाढ़ के कारण गम्भीर समस्या बनी हुई है। असम की जनता कभी बाढ़ के कारण और कभी सूखे के कारण मुसीबत में रहती है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार ने साथ सलाह-मशविरा कर राज्य की जनता की सहायता करनी चाहिये ताकि वे भी अपने क्षेत्र के विकास में योगदान कर सके। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार उपेक्षा का रवैया त्याग कर सहानुभूतिपूर्वक जनता की सहायता करेगी जिससे न केवल असम राज्य बल्कि समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र सरकार ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदियों पर अंकुश लगाकर वहां के आर्थिक विकास में जनता की सहायता करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, समय देने के लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें वर्ष के पहले छह महीने में बाढ़ तथा बाद के छः महीने में सूखे की स्थिति पर हर वर्ष चर्चा करनी पड़ती है। मैं कृषि मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान बाढ़ तथा सूखा राहत पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है।

जब मैं छात्र था तो सुना करते थे कि भारत की सभी नदियों को जोड़ने की एक योजना है। गंगा को कावेरी नदी के साथ जोड़ने की एक योजना थी।

एक 'माला योजना' थी और केप्टेन दस्तूर योजना थी जिसके अन्तर्गत देश की सभी नदियों को जोड़ा जाना था जिसके परिणामस्वरूप जल उपबन्ध होता जिसकी बहुत भारी कमी है और साथ ही बाढ़ों की रोकथाम होती और बाढ़ के कारण पैदा होने वाली स्थिति से बचा जा सकता था। शायद इससे राष्ट्रीय एकता में भी सहायता मिलती। इससे अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता था और उनके अधीन जो मन्त्रालय है उसमें कई चीजें उपलब्ध हो सकती थी और ग्रामीण भारत में रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन किया जा सकता था। इससे अत्यधिक शहरीकरण से पैदा होने वाली समस्याओं के कारण जो धनराशि खर्च करनी पड़ती है उसकी बचत हो सकती थी। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में एक श्वेतपत्र प्रस्तुत करे और बताये कि अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा यद्यपि अब तक काफी विलम्ब हो चुका है फिर भी अब क्या कार्य किया जा सकता है? देर आये दुरस्त आये वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए अब भी हमें इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ करना चाहिये मैं राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में अधिक चिन्तित हूं तथा मुझे महाराष्ट्र में पैदा हुये मसले पर भी चिन्ता हो रही है जिसके कारण वहां भी बाढ़ और सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

मैं कोंकण क्षेत्र से हूं जो सागर के तट पर स्थित हैं हमें हमेशा बाढ़ों का सामना करना पड़ता है, और गांवों में पानी भर जाता है। इन गांवों में मछुआरे रहते हैं कई बार अपेक्षित बाढ़ राहत उपाय केन्द्र सरकार के कतिपय प्रतिबन्धों के कारण नहीं किये जाते। आप उन विनियमों से परिचित होंगे जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण अस्तित्व में आये जिनके अन्तर्गत सागर तटीय क्षेत्र से 500 मीटर तक सागर तट पर कोई भी ढांचा खड़ा नहीं किया जा सकता। इससे मछुआरों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वे समय के साथ खराब हो गये ढांचे के स्थान पर भी कोई ढांचा नहीं बना सकते। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

मैं सदन का ध्यान आज लिये गये उस फैसले की ओर दिलाना चाहता हूं कि जल परिवहन मन्त्री महोदय इस चर्चा के दौरान यहां उपस्थित रहेंगे ताकि वे इसमें भाग ले सकें। मैं कह नहीं सकता कि कृषि मंत्री के अतिरिक्त क्या वे सदन में उपस्थित हैं। मैं सम्बद्ध मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इसकी जांच करें।

मैं जानता हूं कि पर्यावरण को हर कीमत पर बचाने का प्रयास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मत्स्यपालन पर लाखों लोगों की रोजी-रोटी निर्भर करती है और वहीं उनका मुख्य व्यवसाय है, इसलिये उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए; यह मछुआरे पिछले 500 वर्षों से वहां रह रहे हैं इसलिये उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय कि वहां समुद्र तट से 500 मीटर के भीतर कोई ढांचा खड़ा नहीं किया जा सकता है के सम्बन्ध में कोई वैकल्पिक रास्ता खोजा जाना चाहिए ताकि यह मछुआरे वहां छोटे-छोटे ढांचे निर्मित कर अपनी जीविका जारी रख सके। मछुआरे अपने पेशे को किसी पहाड़ के शिखर पर नहीं चला सकते; इसलिये उन्हें अनिवार्यता वहीं रहना होगा। इसलिए इस समस्या के समाधान का प्रयास करना होगा क्योंकि बाढ़ों से हर वर्ष उनकी रोजी-रोटी का आधार बुरी तरह प्रभावित हो जाता है।

राज्य को दी जानी वाली राहत कि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। मैं जानता हूं कि संसाधनों की बहुत कमी है और इसलिये हम अपेक्षित धनराशि की बहुत कमी है इसलिये हम अपेक्षित धनराशि देने की स्थिति में नहीं हैं। किन्तु प्राकृतिक आपदा, चाहे यह आपदा राजस्थान की हो या फिर यह पश्चिम बंगाल की हो या असम या महाराष्ट्र में हो, हर स्थान पर स्थिति में अन्तर होता है और इस स्थिति का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। वित्त आयोग पांच वर्षों में एक बार रिपोर्ट देता है, अगले पांच वर्षों में होने वाली क्षति का अनुमान नहीं लगा सकता। वित्त आयोग में बैठे लोग मसीहा नहीं हैं। वे केवल धनराशि का आवंटन कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा मानक निर्धारित करना चाहिये ताकि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की किसी बड़ी आपदा की स्थिति में सहायता कर सके।

अन्य राज्यों से मेरे मित्रों ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले लोगों के बारे में जो बातें कहीं हैं मैं उनसे निश्चय ही सहमत हूं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे एक लचीली नीति बनाये ताकि प्रभावित राज्यों को जो सहायता दी जाये वह केवल वित्त आयोग के प्रावधानों के अनुसार ही न दी जाये। चूंकि समय के साथ जल संसाधनों में वृद्धि नहीं होगी बल्कि जनसंख्या वृद्धि एवं

शहरीकरण के कारण उनमें कमी ही आयेगी और जल की मांग बढ़ती जायेगी इसलिये एक एकीकृत नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि बाढ़ राहत कार्य को जल-उपयोग आयोजना का एक हिस्सा बनाये ताकि हम बाढ़ राहत कार्यों के स्थान पर जल संसाधन उपलब्ध कराने की योजनाओं पर अधिक धन खर्च करें।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सूखा पड़ता रहता है और बाढ़ें आती रहती हैं। इस सभा में बरसों से हर वर्ष इस विषय पर बहस होती है तथा कई योजनाओं ओर अन्य व्यवस्थाओं के बावजूद हम प्राकृतिक आपदाओं से अपने लोगों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। इसलिये मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि हम लोगों को बाढ़ और सूखे की स्थिति से बचाने के लिये कोई रास्ता निकालें। जब-जब देश बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आता है देश की गरीब जनता को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और इस समस्या के समाधान के लिये कोई सुनवाई नहीं होती है। इस विषय पर बहस करने अथवा वक्तव्य देने मात्र से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा।

उड़ीसा राज्य में प्रायः बाढ़ आती रहती है और सूखा पड़ता है। गंजम, पुरी, केन्द्रपाड़ा, बोलनगीर, कालाहांडी और सम्भालपुर जिलों में बाढ़ के कारण भारी क्षति हुई है। अपने निर्वाचन क्षेत्र कालाहांडी का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। वहां बार-बार सूखा पड़ने के कारण इसने पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया है। उड़ीसा के कालाहांडी तथा नौपाड़ा जिले में इस बार वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ा है। यहां लगभग 60% फसलें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मैं कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दें तथा सम्बद्ध राज्य सरकार को इन जिलों में बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दें।

कालाहांडी और नौपाड़ा जिले सूखे के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां से काफी लोग रोजी-रोटी की तलाश में देश के दूसरे भागों में चले गए है। इन जिलों में अनेक बार भुखमरी तथा कई रोगों के कारण लोग मरते रहते हैं जिसके कारण समूचा राष्ट्र कांप-कांप जाता है। जब नेता लोग कालाहांडी की गरीबी की चर्चा करते हैं तो वे कालाहांडी की सूखा स्थिति की तुलना ईथोपिया से करते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि राहत उपाय करने को स्थान पर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिये। कालाहांडी में सैकड़ों स्वैच्छिक संगठन राहत कार्य कर रहे हैं सरकार भी काफी धनराशि खर्च करती है किन्तु जब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, इन सबका कोई लाभ नहीं है।

इन्दिरावती नदी परियोजना का अनुमानित व्यय 336 करोड़ रुपये था और इस परियोजना को 1995 तक पूरा किया जाना था। इसे पूरा करने में अभी पांच से दस वर्ष और लग जायेंगे और अनुमानित व्यय भी 1200 करोड़ रुपये हो गया है। इस परियोजना से 2,50,000 एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी और 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हम देश में बिजली परियोजनाओं के लिये विदेशियों को आमन्त्रित कर रहे हैं किन्तु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसी जल-विद्युत परियोजना को उपेक्षा क्यों कर रहे हैं?...**(व्यवधान)**

हम बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित कर रहे हैं। इन्दिरा नदी परियोजना का वर्षों से सर्वेक्षण किया जा रहा है किन्तु इसे अभी बजट में धन का आवंटन नहीं किया गया है। यदि नौपाड़ा जिले में इन्दिरा नदी परियोजना या तेखली नदी सिंचाई परियोजना बनं जाये तो बहुत लाभ होगा। मेरे विचार से इस जिले का उपग्रह से सर्वेक्षण करवाया गया है। 200-300 फीट गहराई तक भी पानी नहीं है किन्तु हम ऐसे क्षेत्र के बारे में कोई विचार नहीं करते। कई भूतपूर्व प्रधान मंत्री इस जिले का दौरा कर चुके है। श्री राजीव गांधी से लेकर श्री नरसिंह राव तथा श्री चंद्रशेखर वहां जा चुके हैं। श्री चन्द्रशेखर ने कालाहांडी और नौपाड़ा जिले के गरीब क्षेत्रों का पैदल दौरा किया था किन्तु इन सब के बावजूद वहां की गरीबी में कोई अन्तर नहीं आया है। वहां के लिये कोई स्थायी उपाय नहीं किये गए हैं। जब मैं नौंवी लोक सभा का सदस्य था तो मैंने वहां के लिये स्थायी समाधान के रूप गहरे बोरवेल लगाने की मांग की थी किन्तु सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

मैं कृषि मंत्री महोदय से विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि वे इन जिलों की स्थिति पर ध्यान दें। वे वहां की स्थिति से परिचित हैं और मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी के कई लोग 1986-87 में कालाहांडी जा चुके हैं।

कालाहांडी कृषि में काफी आगे था। 1936 में जब बंगाल में सूखा पड़ा था तो कालाहांडो से कई किस्म के चावल सप्लाई किए गए थे। कालाहांडी और नौपाड़ा जिले खनिज निक्षेपों के लिए भी प्रसिद्ध हैं किन्तु वहां की जनता को सूखा और बाढ़ की स्थिति से बचाने के लिए स्थायी उपाय करने का प्रयास नहीं किये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की लम्बे अरसे से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान करने के प्रयास किये जाये।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने इस चर्चा में मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

इस समय अखबारों में बाढ़ की खबरें सुर्खियों में हैं। जन की हानि हो रही है, धन की हानि हो रही है और यह सरकार इस देश की जनता का करोड़ों अरबों रुपया इसी तरह बाढ़ में बरबाद करती है। अभी तक सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनायी है कि जिससे इस बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सके। सरकार बाढ़ राहत कोष के लिए अरबों रुपया खर्च करती है लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक जो पैसा खर्च किया है, वह बहुत कम किया है। सन् 1994-95 में राहत कोष में सरकार ने जो खर्च किया, वह करीब आठ अरब रुपया खर्च किया लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने मात्र 320 करोड़ रुपए खर्च किया। सरकार जो पैसा बाढ़ राहत कोष में लोगों को

देती है उस पैसे को बाढ़ को रोकने के लिए पहले से खर्च कर दिया जाए तो देश में जो जन-धन की हानि होती है, पशुधन की हानि होती है, उसको रोका जा सकता है। कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और विशेष रूप से इसलिए कि वह किसानों के, गरीबों के नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं।

जब से यह सरकार बनी है, संयुक्त मोर्चे की इस सरकार में तमाम विचारधाराओं का घालमेल है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का भी सहयोग है। तो इन पार्टियों से देश की जनता को, खास तौर से गरीबों, पिछड़ों और किसानों को बहुत आशाएं है। खास तौर से कम्युनिस्ट पार्टी से देश के गरीबों को बड़ी आशाएं बंधी हुई हैं कि हमारी सरकार बनेगी, गरीबों के लिए इंतजाम होगा। उनके जान माल की सुरक्षा का इंतजाम होगा। क्योंकि बाढ़ से कभी अमीरों का नुकसान नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे बाढ़ आये, चाहे सूखा आये, चाहे जो दैवी अपदाएं आयें, सारा का सारा नुकसान गरीबों को ही भुगतना पड़ता है। हमने कभी नहीं सुना कि किसी समय बाढ़ आई हो और देश का नेता बह गया हो, या पूंजीपति बह गया हो। जब भी कोई बाढ़ से बहता है तो गरीब ही बहता है, गरीब किसान बहता है, गरीब मजदूर बहता है। किसी की झोंपड़ी बहती है। हमने कभी महलों को बहते हुए नहीं सुना। इसलिए इस सरकार से बड़ी आशाएं है कि यह सरकार ऐसी योजनाएं बनायेगी कि जिससे आने वाले दिनों में जो बाढ़ आयेगी, उससे गरीबों के जनधन की हानि को रोका जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बाढ़ आने के कारण है उनमें अधिकांश बाढ़ें बांध के फटने से आती हैं या उनमें दरारें पड़ने से आती है या अधिक वर्षा के कारण जब वह बांध भर जाता है या बाढ़ के समय नदियां उफान पर होती है तो बांध का पानी ही उनमें छोड़ दिया जाता है। तो जितना पैसा सरकार इन बड़े बड़े बांधों को बनाने में खर्च कर रही है, यही बाढ़ का कारण बनते हैं, यही बाढ़ की विभीषिका का कारण बनते हैं, यही देश के गरीबों को निगलने का कारण बनते हैं, यही उनके जनधन, पशुधन की हानि का कारण बनते हैं। सरकार जो पैसा बड़े-बड़े बांधों के बनाने पर लगा रही है, यदि यही पैसा सरकार छोटे-छोटे बांधों के बनाने में लगा दे, चैक-डैम बनाने में लगा दे, खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे तो महोदय बाढ़ की विभीषिका को इस देश में रोका जा सकता है। लेकिन सरकार का ध्यान गरीबों की सुरक्षा के लिए नहीं है। सरकार का ध्यान अमीरों की सुरक्षा के लिए हैं जितनी योजनाएं बनती हैं वह अमीरों की हिफाजत के लिए बनती हैं। बड़े-बड़े महानगरों से जो नदियां निकली हैं यदि वहां बाढ़ आती है तो इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है। दिल्ली में हम देखते हैं यमुना नदी को पक्की चारदीवारी से बांध दिया गया है, पक्की नहर के रूप में बांध दिया गया है यहां कभी ऐसी बाढ़ नहीं आती, जिससे कि जनधन की हानि हो। लेकिन बड़े-बड़े शहरों में क्योंकि वहां बड़े लोग रहे हैं, अमीर लोग रहते हैं। गांव में जहां गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं, वहां सरकार ने कभी चिंता नहीं की कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, प्रतिवर्ष उनकी झोंपड़ी उजड़ जाया करती है। उपाध्यक्ष महोदय, जब गरीब की झोंपड़ी उजड़ती है तो दोबारा वह झोपड़ी कैसे बनती है, उस गरीब के अलावा कोई नहीं जानता। "वर्ष बीत जाते हैं एक घर बनाने में, वह तरस नहीं खाते हैं बस्तियां जलाने में" जब यह बाढ़ की विभीषिका आती है तो बस्तियां, झोंपड़ियां नदियों में तैरती हुई चली जाती हैं। उनके बच्चे पेड़ों पर रातें गुजारते हैं। उस दर्द को गांव के लोग ही जान सकते हैं। इस बार पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा 52 फीसदी किसान लोग जीत कर आये हैं और इसलिए इस संसद से देश के किसानों, मजदूरों को बड़ी आशाएं बंधी हुई हैं। जो सरकार योजनाएं बनायेगी, वह किसानों के हित में बनायेगी, गरीब मजदूरों के हित में बनायेगी।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाढ़ को रोकने के लिए, मुआवजा देने के लिये, राहत राशि बांटने के लिये, सरकार जितना पैसा बर्बाद करती है, मेरा सुझाव है कि सरकार उस पैसे को छोटे-छोटे चैक डैम बनाने पर खर्च करे। गांवों में तालाब खुदवाए ताकि गांवों का पानी गांवों में रहे। हर गांव में बंध खुदवाए जिससे गांव का पानी गांव में रहे। गांवों में छोटे-छोटे नालों पर चैक डैम बनवाए ताकि नालों का पानी नालों में रहे और उससे सिंचाई हो सके क्योंकि इससे दोहरा लाभ होगा। बरसात के बाद खेतों का पानी सिंचाई के लिये उपयोग किया जा सकेगा। धीरे-धीरे उस पानी को खेतों मे छोड़ा जाए जिससे हमारी भूमि भी सिंचित होगी और बाढ़ का पानी भी नदियों में जाने से रुकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि बाढ़ के कारण वर्ष 1994-95 में कुल 54,535 पशुधन की हानि हुई और 2038 लोगों की जानें गईं। मरने वालों में सभी गरीब किसान मजदूर थे, किसी अमीर का बच्चा नहीं मरा। सबसे ज्यादा गुजरात में 345 लोग मारे गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 317 लोग बाढ़ के कारण मरे। पूरे देश में बाढ़ की विभीषिका के कारण 92,900 मकानों को क्षति पहुंची या बह गए। इनमें भी सब गरीब किसान मजदूरों के मकान बहे। इसके अलावा 41.77 लाख हैक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें नष्ट हो गई। बाढ़ के कारण लगभग 2 करोड़ 35 हजार आबादी प्रभावित हुई और 72,941 गांव प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण नुकसान किसी एक वर्ष नहीं होता बल्कि प्रतिवर्ष ऐसा होता है।

जब प्रतिवर्ष हमें बाढ़ के कारण हानि उठानी पड़ती है फिर सरकार ने अभी तक ऐसी योजनाएं क्यों नहीं बनाई जिससे इस विभीषिका को रोका जा सके, गरीब किसान और मजदूरों को बचाया जा सके, उनकी बर्बादी रोकी जा सके। शायद इसलिये कि हम लोग जो यहां बैठे हैं, यहां आकर किसानों और गरीबों का दर्द भूल जाते हैं। उनका दर्द हमें तब तक याद रहता है जब तक हम पार्लियामेंट के बाहर रहते हैं लेकिन जैसे ही हम पार्लियामेंट में आते हैं, गरीब किसानों का दर्द हमें याद नहीं रहता। यहां हमें शहर के लोग घेर लेते हैं, चाटुकार लोग घेर लेते हैं जो हमारी खुशामद करते हैं और हमें उनकी समस्याएं याद रह जाती हैं। पार्लियामेंट में जो चर्चा होती है, यहां हमेशा कुछ ऐसे मुद्दों पर समय बर्बाद होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। कभी भी पार्लियामेंट में ऐसे विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने सब्जैक्ट पर आईए।

श्री गंगा चरण राजपूत : हां, मुझे समय का ध्यान है।

मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा क्योंकि चतुरानन मिश्र जो बहुत बड़े किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनसे किसानों को बड़ी आशाएं हैं, इसलिये मेरा इनसे यह सुझाव है कि इस बार बाढ़ को रोकने के लिये सरकार जो धन आवंटित करे, उससे ऐसी योजनाएं बनाए जिससे आने वाले दिनों में देश में बाढ़ न आ सके, गरीब किसान मजदूरों को बचाया जा सके, खेत का पानी खेतों में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, उससे छोटे बांध बनाये जाएं तथा बाढ़ राहत का जो पैसा है, उसे राहत कार्यों पर खर्च न करके, यदि पहले से सरकार बाढ़ को रोकने के लिये अरबों रुपए खर्च कर दे तो शायद हर साल आने वाली बाढ़ विभीषिका से बचा जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास पार्टी की तरफ से जो लिस्ट दी गई है उसमें आपका नाम है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री वी.एम. सुधीरन (अल्लप्पी) : महोदय, केरल हाल में भारी वर्षा, बाढ़ और समुद्री भू-कटाव के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहां फसलों, मकानों, सड़कों तथा सार्वजनिक सम्पति को भारी हानि हुई है और कई किलोमीटर समुद्री तट का भू-कटाव हो गया है। जैसाकि श्री वी.वी. राघवन ने कहा है कि वहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण 32 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। महोदय, दक्षिणी-पश्चिमी मानसून हवा के कारण केरल को समुद्री तट का गंभीर रूप से कटाव हो रहा है जिसके कारण सम्पति, आवासीय भवनों को भारी क्षति हो रही है तथा जन जीवन विशेष रूप से मछुआरों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। समुद्री तट के कटाव की एक ऐसी समस्या है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

केरल में हर वर्ष इस समस्या के कारण समुद्रीय तट पर रहने वाले लोग कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अल्लपी सहित क्विलोन, त्रिचूर, कंसरगोड़ एर्णाकुलम जैसे इलाकों में समुद्री तट का कटाव हो रहा है। इसलिये इन सब बातों पर विचार करते हुए ...**(व्यवधान)**

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : सदन में कोई मंत्री नहीं है। सदन में कम से कम एक केबीनेट स्तर का एक मंत्री उपस्थित रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया सदन में उपस्थित हैं।

कर्नल राव राम सिंह : मुझे खेद है।...**(व्यवधान)**

श्री वी.एम. सुधीरन : इस गंभीर स्थिति पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं केन्द्र सरकार से अब तक के राहत कार्यों की समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं।

मेरे मित्रों द्वारा जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं मैं उनसे सहमत हूं। हम सूखे और बाढ़ की स्थिति पर बहस कर रहे हैं और यह कुल मिला कर एक सामान्य रूटीन बन गया है। इस रूटीन को अपनाने के स्थान पर हमें इस समस्या का एक स्थायी एवं व्यावहारिक हल निकालना होगा। इस बारे में कई विशेषज्ञ अपनी राय दे चुके हैं और अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलन हो चुके हैं और इनके आधार पर जो सिफारिशें दी गई हैं—मैं उन सिफारिशें और विशेषज्ञों की राय में नहीं जाना चाहता, हमें एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। राहत कार्यों के लिये नये सिरे से मानक निर्धारित किये जाने चाहिये।

महोदय, मेरी सूचना के अनुसार भारत सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए 20,000 रुपये की अनुग्रह राशि निर्धारित की है तथा हाल में माननीय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय राहत कोष से 50,000 रुपये मृतकों के आश्रितों के लिये स्वीकृत किए हैं किन्तु यह तो प्रधान मंत्री जी की करूणा एवं महानता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे प्राकृतिक आपदा के कारण मृतकों के आश्रितों के लिए एक लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दें। यह राशि आदेशात्मक कर दी जाये। अन्यथा हम मृतकों के आश्रितों को कुछ सीमा तक भी संतुष्ट नहीं कर पायेंगे।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानकों की भी समीक्षा की जानी होगी। उदाहरणार्थ, विद्यमान मानकों के अनुसार भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह नष्ट हो गये मकान के लिये 4000 रुपये की सहायता निर्धारित की है क्या 4000 रुपये से घर को पुनः निर्मित किया जा सकता है? केरल सरकार ने कृपा कर इस राशि में वृद्धि कर दी है।

मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि छोटे एवं सीमान्त किसानों को क्रमशः 25 प्रतिशत और 32 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

जिसकी 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर सीमा निर्धारित की गई है। गरीब किसान कृषि व्यय पूरा नहीं कर पाते। इस राशि को भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से पहले तो यह अपील करता हूं कि वे इस मसले पर नये सिरे से विचार करे तथा राहत कार्य के संबंध में यथासंभव व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं।

सरकार को समुद्री तट पर कटाव की समस्या पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। केरल की यह एक प्रमुख समस्या रही है। भारत सरकार समुद्री दीवारों के निर्माण तथा विद्यमान समुद्री दीवारों की मरम्मत के लिये विपुल धनराशि देने की स्थिति में नहीं है। केरल सरकार ने समुद्री दीवारों के निर्माण के लिये भारत सरकार को 403.66 करोड़ रुपये की लागत का एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार

करें तथा समुद्री दीवारों के निर्माण तथा विद्यमान समुद्री दीवारों के आधुनिकीकरण अथवा पुनः निर्माण के लिए केरल सरकार को वित्तीय सहायता दे। 1992 तक केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य के लिये ऋण की स्वीकृति दे रही थी किन्तु बाद में इसे बन्द कर दिया गया। इसलिये इस तथ्य पर ध्यान देना होगा और केरल सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकृति दी जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो केरल सरकार अपेक्षित समुद्री दीवारों का निर्माण नहीं कर सकेगी। मौनसून के दौरान समुद्री भू-कटाव हुआ है। आरापूजा नाम के मेरे पंचायत क्षेत्र में काफी भू-कटाव हुआ है। मेरा कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे केरल में भू-कटाव की समस्या की गंभीरता को समझने के लिए वहां पर अध्ययन करायें। जब श्री बरनाला कृषि मंत्री थे तो वे स्वयं केरल में गए थे और भू-कटाव की समस्या की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने समुद्री दीवारों के निर्माण के लिए काफी बड़ी राशि की स्वीकृति दी थी।

महोदय, केरल, केरल के मुछआरों, वहां की तटीय जनता को बचाने के लिए समुद्री तट-कटाव की गंभीर समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा इन लोगों को कष्टों का सामना करना पड़ेगा। उनका जीवन काफी कष्टप्रद हो रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध करनी चाहिए।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे केरल की समुद्री दीवारों के निर्माण तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रश्न पर विस्तृत चर्चा के लिये केरल के संसद सदस्यों तथा केरल सरकार के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित करें। मेरे विचार से यह केरल की समस्याओं को समझने में सहायक सिद्ध होगा। केरल की जनता के हित में समुद्री तट को बचाने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये अन्यथा हर वर्ष समुद्री तट का कटाव होता रहेगा। यह एक गंभीर समस्या है जिसके स्थायी समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। हमें रोकथाम के लिये कदम उठाने के लिये इन सभी पक्षों पर ध्यान देना होगा।

मैं पुनः सरकार से इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी दस माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं यदि प्रत्येक माननीय सदस्य पांच-सात मिनट में अपनी बात खत्म कर दें तो सबको बोलने का चांस मिल सकता है।

[अनुवाद]

प्रो. चितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, समय देने के लिये मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर वर्ष हमें बाढ़ और सूखे के मसले पर यहां बहस करनी पड़ती है। आप जानते हैं कि हमारे देश को हर वर्ष सूखे और बाढ़ों का प्रकोप सहना पड़ता है।

बाढ़ से अत्यधिक विनाश होता है। देश के किसी न किसी भाग में बाढ़ के प्रकोप से अत्यधिक क्षति होती है उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। सम्पति को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है और करोड़ों लोगों को घोर विपदाओं का सामना करना पड़ता है।

देश के 3280 लाख हैक्टेयर भू क्षेत्र में से 400 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र माना गया है। जिसमें से 320 लाख हेक्टेयर को रक्षणीय माना गया है। और केवल 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बारी बारी से हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। हर वर्ष 35 लाख हेक्टेयर फसली क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। हर वर्ष बाढ़ के कारण लगभग 1439 जानें चली जाती हैं और लगभग 900 करोड़ रुपये की सम्पति नष्ट हो जाती है।

निस्सन्देह ये बहुत गंभीर और चौंकाने वाले समाचार हैं। महोदय, इस वर्ष के आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि 32 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में से 16 राज्य बाढ़ प्रभावित हैं जिसके कारण इनमें 2.4 लाख हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 750 लोगों की मृत्यु हो गई है और तीन लाख से अधिक मकान प्रभावित हुए हैं और 14000 से अधिक पशु मारे गए हैं।

मैं, क्षति के राज्य-वार आंकड़े बताना चाहता हूं जिससे पता चलेगा कि बाढ़ से कितना भारी नुकसान हो रहा है। आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ से 52 जाने गई हैं 6096 हेक्टेयर क्षेत्र और 3421 परिवार प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ के कारण 22 व्यक्ति मारे गए, 25 चाय बागान तथा 3.57 लाख परिवार प्रभावित हुए। गुजरात में 24 व्यक्ति मारे गये, और 3226 व्यक्ति प्रभावित हुए। जम्मू और कश्मीर राज्य में मरने वालों की संख्या के बारे में मुझे जानकारी नहीं है वहां चार लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कर्नाटक में 14 व्यक्तियों की जानें गई हैं और 5.84 करोड़ रुपये की सम्पति का नुकसान हुआ है। केरल में 3100 हेक्टेयर भूमि बाढ़ की चपेट में आई है। महाराष्ट्र मे 34 लोगों की जाने गई हैं। राजस्थान में 86 लोगों की जानें गई हैं और 300 करोड़ रुपये की सम्पति क्षतिग्रस्त हुई है तथा 7600 लोग प्रभावित हुए हैं। तमिलनाडु में 31 व्यक्ति मारे गये, 3526 व्यक्ति प्रभावित हुए। त्रिपुरा में 7 लोग मारे गये और 163 परिवार प्रभावित हुए। पंजाब में 16 जानें गई और 4200 व्यक्ति प्रभावित हुए, पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से उत्तरी बंगाल में 51 लोग मारे गये ओर 4 लाख लोग प्रभावित हुए।

सभी राज्यों में राज्य सरकारें सही ढंग से राहत कार्य चला रही हैं इसके लिए मैं राज्य सरकारों को धन्यवाद देता हूं। केन्द्र सरकार ने समय पर आगे बढ़ कर राज्य को आपदा राहत निधि से दो किस्तों की धनराशि जारी कर दी है किन्तु यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार की भारी आपदा से निपटने के लिये यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसमें वृद्धि की जाये ताकि राज्य सरकार आसानी से संकट का सामना कर सके। बाढ़ पीड़ितों को राहत देना ही इस समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को बाढ़ नियंत्रण के लिये व्यापक कार्यक्रम और योजना बनानी चाहिये।

आंकड़े क्या कहते हैं? जैसाकि मैंने बताया है 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से लगभग 320 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ सुरक्षित क्षेत्र माना गया है। ऐसा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के निरन्तर प्रयास से संभव हो सका है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन प्रयासों को जारी रखें ताकि बाढ़ सुरक्षित क्षेत्र में वृद्धि हो।

चूंकि प्राकृतिक आपदाओं पर पूरा नियंत्रण नहीं किया जा सकता, इसलिये सरकार को इन आपदाओं का सामना करने के लिए हमारी क्षमता को और मजबूत बनाने, उसमें सुधार करने के प्रयास करने चाहिए। ताकि तत्काल राहत सुनिश्चित की जा सके, सड़क, संचार, ऊर्जा तथा सिंचाई सुविधाओं को यथासंभव न्यूनतम समय में पुनः उपलब्ध किया जा सके।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि 1993 की बाढ़ के दौरान पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर अनेक पुलों तथा यहां तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिगस्त हो गया था। इन पुलों और सड़कों की मरम्मत अभी नहीं की जा सकी है। मेरे सहयोगी श्री आर.बी. राय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को हाल में दौरा किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 41 तथा उस पर पुल पुनः क्षतिगस्त हो गये हैं तथा वहां की सम्पूर्ण सिंचाई व्यवस्था भी प्रभावित हो गई हैं इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य को पर्याप्त निधियां प्रदान करके तथा इस तरफ विशेष ध्यान देकर इन सुविधाओं को शीघ्र पुनः उपलब्ध करायें। केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति है मालूम नहीं यह समिति क्या कर रही है? सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे इस तरफ ध्यान दे ताकि यह समिति और अधिक गंभीरता से अपना कार्य करे।

बाढ़ और सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। राज्य को दी जाने वाली निधि में केन्द्र का अंश बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, प्रभावित क्षेत्रों के व्यापक सर्वेक्षण की भी आवश्यकता है। लोगों में जागृति लाने तथा नये उपाय किये जाने की भी आवश्यकता है साथ ही निचले गंगा तथा ब्रहापुत्र बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की विस्तृत योजना बनाने तथा उसके कार्यान्वयन की भी आवश्यकता है तथा एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई जानी चाहिये ताकि इस राष्ट्रीय आपदा के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।

ऐसे कार्यक्रमों का तत्काल कार्यान्वयन किया जाना चाहिये क्योंकि नदियों और सागरों की गाद के कारण गहराई लगातार कम होती जा रही है अरुणाचल प्रदेश से ब्रहापुत्र की ओर बहने वाली नदियों पर पर्याप्त संख्या में जलाशय बनाये जाने चाहिये इससे न केवल बाढ़ नियंत्रण में बल्कि जल विद्युत क्षमता के इस्तेमाल में भी सहायता मिलेगी।

अन्त में, मैं एक और यह सुझाव देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों में ऐसे मंत्रालय या विभाग स्थापित किये जायें जो इस प्रकार की राष्ट्रीय आपदाओं के सभी पक्षों से निपटने के लिये एक एकीकृत प्रबंन्ध योजना को लागू करे ताकि बाढ़ों की निभीषिका को कम किया जा सके।

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला) (असम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार संक्षेप में रखूंगा और जो बातें कुछ माननीय सदस्य कह चुके हैं मैं उनसे सहमत हूं और मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा।

मैंने पिछली कुछ लोक सभा नामतः आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के वाद विवाद पढ़े हैं और मैंने देखा है कि प्रत्येक मौनसून सत्र में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर बहस की रस्म अदायगी की गई है। हम इस मामले पर हर वर्ष चर्चा करते हैं।

जब बाढ़ आती है तो मंत्री हवाई जहाज या हेलीकोप्टर से बाढ़ का जायजा लेने के लिये बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं। संसद सदस्य अपने राज्य और निर्वाचन क्षेत्रों के लिए धनराशि के लिये शोर मचाते हैं और मंत्री महोदय हमेशा की भांति यहीं उत्तर देते हैं कि वे राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्ञापन प्राप्त होने पर वे धनराशि देने की बात अथवा धनराशि की कमी की बात कहते हैं।

यही रस्म पिछले कई दशकों से दोहराई जा रही है। अब तक पांच दशकों का हम समय खो चुके हैं इसलिये हमें निश्चित ही बाढ़ और सूखे निपटान के तंत्र की समीक्षा करनी चाहिये। इस प्रबंध तंत्र की गहन समीक्षा की आवश्यकता है।

अनेक माननीय सदस्यों ने कई बातों का उल्लेख किया है। मैं उनके द्वारा उठाये गये कई मुद्दों से सहमत हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस विशाल देश में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति की समस्या का सामना करना पड़ता है।

अपराह्न 6.00 बजे

समय की मांग यह है कि हमें अपने जल संसाधनों का अत्यंत वैज्ञानिक एवं व्यापक प्रबन्धकीय उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस तंत्र की समीक्षा करें ताकि समस्या की तह तक पहुंचा जा सके।

मेरी सलाह है तथा अन्य संसद सदस्यों ने भी यही सलाह दी है कि अनेक विचाराधीन कार्यक्रमों पर वे शीघ्र निर्णय करें अथवा उत्तरी भारत तथा दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने की योजना जैसे मामलों पर वे शीघ्र निर्णय करें। बाढ़ों का एक कारण नदी स्रोत के उपरी हिस्सों, व्यापक आधार पर जंगलों का काटा जाना है। इसलिये इन क्षेत्रों में वन उगाए जाने के लिये योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इसी प्रकार, प्रमुख नदियों से गाद निकालना तथा जलाशयों के निर्माण को भी महत्व दिया जाना चाहिये।

पंजाब से अथवा दूसरी ओर से एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि गांवों में बांधों का निर्माण किया जाये। मैं भी यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां पर यह पर्यावरण के अनुकूल हो और पर्यावरण को कोई हानि न होती हो, वहां बड़े-बड़े जलाशय बनाये

जाने चाहिये ताकि वर्षा का पानी एकत्रित किया जा सके और उससे बाढ़े न आये। सूखे की स्थिति में इस जलाशय का जल सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके लिये अन्तर मंत्रालय समन्वय की आवश्यकता होगी। केवल एक मंत्रालय कृषि मंत्रालय या खाद्य मंत्रालय इस समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा। मेरा सुझाव है कि अन्तः मंत्रालय समन्वय समिति अथवा शीर्ष निकाय बनाया जाये जो विभिन्न विभागों में समन्वय कर सके। इसलिये इस समस्या के समाधान के लिए जल संसाधन प्रबन्धन तथा अन्तः मंत्रालय समन्वय की नितान्त आवश्यकता है। जहां तक बाढ़ और सूखे का सम्बंध है, विज्ञान ने इस क्षेत्र में प्रगति कर ली हैं आज सवेरे ही माननीय मंत्री महोदय अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपगृह पद्धति के विकास की बात कह रहे थे। इसलिये बाढ़ नियंत्रण में बाढ़ की स्थिति के अनुमान में उसका सही उपयोग किया जाना चाहिये। कई देशों में काफी सटीक पद्धति विकसित की जा चुकी है। हमारा देश भी पीछे नहीं है इसलिये उपग्रह चित्रों का सही उपयोग किये जाने की आवश्यकता है।

अब मानसून का काफी सही पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिये। साथ ही कई देशों में कम्प्यूटरीकृत बाढ़ सेमुलेटर पद्धति विकसित की गई है। इस पद्धति को अपना कर मानसून डाटा तैयार कर हम बाढ़ का महीनों पूर्व या तीन सप्ताह पूर्व पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसलिए मंत्री महोदय को इन उपलब्ध वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिये ताकि सम्बद्ध राज्यों अथवा सरकार को पूर्व संकेत दिया जा सके जिससे कि वे संभावित बाढ़ का सामना करने के लिए समय पर उपाय कर सके। इसके अतिरिक्त, एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाये जाने की भी जरूरत है।

महोदय, मैं असम में बाढ़ प्रवण क्षेत्र से हूं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से कुछ पैसा असम को अवश्य मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है तथा मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से धनराशि जारी करने के कुछ मानक निर्धारित किये हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खासतौर पर इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वर्ष असम में बाढ़ की घोर स्थिति है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस वर्ष 1950 से अब तक की सबसे भंयकर बाढ़ आई है।

महोदय, योजना आयोग अथवा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से मैं अवगत नहीं हूं। असम के लोगों को समुचित सहायता देने में मानक बाधक नहीं होने चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यदि आवश्यक है तो इन मानकों को बदला जाये अथवा उनमें संशोधन किया जाये, अन्यथा असम जैसा पिछड़ा राज्य बाढ़ की इस अभूतपूर्व विभीषिका का सामना नहीं कर सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान असम की स्थिति की ओर दिलाता हं और आशा करता हूं कि नई सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिये ईमानदारी से आवश्यक कदम उठायेगी।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में 10 जुलाई के प्रश्न पर आज बाढ़ और प्राकृतिक विपदा पर बहस चल रही है। मैं माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था। आज बाढ़ का प्रकोप सब जगह है। कहीं-कहीं अकाल का भी प्रकोप हो जाया करता है और कुछ-कुछ राज्यों में कभी साइक्लोन एवं टोरनेडो का प्रकोप हो जाता है।

महोदय, जब किसी प्रांत में, देश में एक बार युद्ध होता है तो देश 20-25 वर्ष पीछे चला जाता है लेकिन जब किसी देश पर बार-बार इस तरह से बाढ़ का प्रभाव पड़ता रहे तो देश प्रत्येक वर्ष पीछे चला जाया करता है। मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इन सब बातों की तरफ इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं कि किस प्रकार से बाढ़ का प्रकोप पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा है। जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे तो सुना करते थे कि राजस्थान पूरा रेगिस्तानी इलाका है। उत्तर प्रदेश और बिहार पूर्वांचल क्षेत्र हैं, जहां नदियों का जाल बिछा है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके में हम समझा करते थे कि वहां बाढ़ का प्रकोप आया करता है। बचपन में हम सुना करते थे कि पूरा रेगिस्तान बालू का इलाका है लेकिन कुछ प्रकृति में ऐसा बदलाव आया कि आज राजस्थान में भी बाढ़ सुनते हैं। हरियाणा और पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ सुनते हैं। बिहार में बाढ़ आना कोई नयी बात नहीं है लेकिन ऐसे इलाकों में बाढ़ का प्रकोप होना, जहां बाढ़ का कोई इतिहास नहीं है, अगर इतिहास के पन्नों को हम पलट कर देखेंगे तो वैसे स्थान, जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी, सुखाड़ राजस्थान में था लेकिन राजस्थान में बाढ़ की बात किसी की समझ में नहीं आती है लेकिन यह स्थिति आज पूरे देश में बढ़ती चली आई है। महोदय, इस मूल विषय के पीछे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सभी माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रख रहे हैं लेकिन सिर्फ मात्र मैंने रोंगपी साहब को सुना, उन्होंने पर्यावरण के दोहन की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। हम बाढ़ और अकाल के संदर्भ में केन्द्र की सहायता की बात करेंगे और केन्द्र हमेशा तय करके बैठता है कि सात सौ करोड़ की धनराशि को हम नेचुरल केलेमिटी फंड में भेजेंगे ओर इससे राज्यों को राहत मिलेगी। सदन चलेगा और प्रत्येक वर्ष मानसून के सत्र में ही इस सवाल को उठाया जाएगा। इसमें कुछ राज्य ज्यादा ले जाएंगे और कुछ कम ले जाएंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। महोदय, यह विषय यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। माननीय मंत्री जी ने बताया कि 13 जिले प्रभावित हैं। और 11 हजार गांव प्रभावित हैं तथा डेढ़ करोड़ लोग प्रभावित हैं। 64। जानें गई हैं और 13 हजार से ज्यादा मवेशी मारे गए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा और मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो प्रश्न माननीय सदस्य रोंगपी साहब ने उठाया। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पूरे पहाड़ हिमालय से जुड़े हुए हैं, मैंने एक प्रश्न पर्यावरण मंत्रालय में किया था, उसका जवाब मुझे प्राप्त हुआ। मैंने उसमें सवाल उठाया था,

17 जुलाई का वह प्रश्न था। जिसमें मैंने पूछा कि क्या नेपाल के भाग में अवैध वृक्षपातन के कारण जो रोष वहां से बढ़ कर आ रहा है, जो कैचमेंट एरिया में कमी हो रही है, जब पहाड़ी क्षेत्र में बरसात होती है तो रेत का प्रवाह बढ़ करके बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को पूरी नदियों में प्रवाह करता है।

और उसका जल-स्तर ऊपर आ गया है। मैंने कल यह प्रश्न किया था और उसका जवाब मुझे प्राप्त हुआ है लेकिन मेरे पास एक साल पुरानी अखबार की एक कटिंग है। जो हमारे पूर्व के माननीय मंत्री कल्पनाथ राय जी ने श्रीमती कमला सिन्हा के प्रश्न के जवाब में कहा था और वह प्रश्न बिहार से संबंधित था। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि बिहार में नेपाल से लगते भाग में पहाड़ी क्षेत्रों में जिस रूप में वृक्षों की कटाई हो रही है उसके कारण बिहार में सिल्टेशन का प्रभाव अधिक है, उसके कारण बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में बाढ़ का प्रकोप अधिक है। लेकिन केन्द्र सरकार से दूसरे प्रश्न का जवाब मिलता है कि ऐसा कोई सिल्टेशन बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह राष्ट्र को चलाने का कैसा समन्वय है। एक वर्ग जवाब देते हैं कि सिल्टेशन हो रहा है और दूसरे वर्ग एक माननीय सदस्य के जवाब में कहते हैं कि सिल्टेशन नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रकृति के साथ पिछले 50 वर्षों से खिलवाड़ हो रहा है। एशिया देशों के बारे में कहा गया है कि यहां यूरोपीय देशों के मुकाबले में सिल्टेशन की प्रक्रिया का प्रतिशत 30 गुना अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां पहाड़ी क्षेत्रों में और अन्य भागों में पिछले 50 वर्षों में वृक्षपातन होता रहा है और सिल्टेशन की गति अधिक हो रही है। इसी कारण बाढ़ का प्रभाव पूरे देश में अधिक हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, विकास के मार्ग पर पूरा देश चल रहा है, बड़ी बड़ी नहरों और डैम्स का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन नहरों के निर्माण से जो भारत की जोगरफी का कंटोर्स डिस्टर्ब हो रहा है, धरती के ऊपर जो कंटोर्स होते हैं जिसके कारण पानी रिसने को जो प्राकृतिक गति है उसमें विघ्न पैदा हो हो रहा है। इसी कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो हमारे पुराने सिंचाई से संबंधित लोग रहे होंगे उन्होंने पर्यावरण को महत्व नहीं दिया है, पानी के निकलने के रास्ते पर ध्यान नहीं दिया है। देश में आज 7 मिलियन हैक्टेयन सिंचित धरती है। उसमें से 20 मिलियन हैक्टेयर सेलेलटी ऑफ वाटर लोगिंग से प्रभावित है। आजादी के बाद जिन लोगों को इसकी संरचना करके देश को चलाने की जिम्मेदारी दी गयी थी उन लोगों ने पूरी व्यवस्था के साथ एक फूहड़ मजाक किया है। विकास के नाम पर जो हम आगे चलने की बात कर रहे थे उसकी विकास में विघ्न का कारण थे बड़ी-बड़ी योजनाएं बनी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भाखड़ा डैम का निर्माण जब हो रहा था तब पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि इससे कितनी सिंचाई होगी, कितनी बिजली पैदा होगी लेकिन 1988 में जब पानी का जल-स्तर दो मीटर ऊपर बढ़ गया तो मजबूरी में पानी छोड़ना पड़ा। जिसके कारण लुधियाना, जालंधर और अम्बाला तक पानी फैल गया। पंजाब में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि बाढ़ आएगी। लेकिन जिन लोगों ने भाखड़ा डैम को बनाया, उन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि जब पानी का जल-स्तर बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? जिसका परिणाम बाढ़ का इतना बड़ा प्रकोप है।

मैं सुंदर लाल बहुगुणा का एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, जो पूरे सिस्टम पर लागू होगा, बहुत स्टीक होगा।

[अनुवाद]

> "बांध एक स्थायी समस्या का अल्पकालीन समाधान है और यदि इसका निर्माण किया गया तो बड़े-बड़े बांध 20वीं शती की मूर्खता के स्मारक के प्रतीक बन जायेंगे।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह विषय अपने आप में बहुत महत्व रखता है। यह बाढ़ पर्यावरण के दोहन और मजाक को इंगित करती है। मैं पर्यावरण पर कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई समेकित कार्यक्रम इस बारे में बनाया जाए और वह कार्यक्रम संतुलित हो। पिछले 50 वर्षों में जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया है उसमें भी संतुलन आए। पहले सिंचाई विभाग नाम हुआ करता था अब उसे हम जल संसाधन विभाग कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस देश में इतनी नदियां हों, उसमें एक तरफ तो बाढ़ आए और दूसरी तरफ सूखा हो, यह इस देश की विडम्बना ही कही जाएगी। आज जल संसाधन विभाग पूरे देश में जल विपदा विभाग के रूप में उभर कर सामने आया है। इसमें भी सरकार का कहीं न कहीं दोष रहा है और इस पर हमें विचार करना होगा। अकाल की बात हम करते हैं। अकाल और बरसात दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए धरती के भू-भाग पर 32 प्रतिशत वन-क्षेत्र होना जरूरी है।

लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में 12 से 14 प्रतिशत है जबकि नेशनल रिमोट सैंसिंग के प्रतिवेदन में 12 से 13 प्रतिशत है। जहां वृक्ष कम होंगे, वहां बरसात के अनुपात में कमी आती है। आज भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि हमारे सांसद श्री नीतीश कुमार का क्षेत्र नालन्दा है जहां पर भूमिगत जल बहुत नीचे चला गया। विकास का काम तो हुआ, ट्यूबवैल्स इतनी मात्रा में अनसाईंटिफिक वे से लगाये गये कि वाटर लैवल और नीचे चला गया। यदि इस प्रकार से वाटर लैवल नीचे चला जाता रहा तो एक दिन वह क्षेत्र अपने आप सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा। कहीं न कहीं तो साईंस और एनवायरमेंट का समीकरण बनाकर हम लोगों को रखना होगा अन्यथा हमें इस प्रकोप में 700 करोड़ रुपये से बढ़कर हजारों-हजार करोड़ रुपये सिर्फ प्रीवेंटिव प्रोग्राम में लगाने के लिये मजबूर हो जाना पड़ेगा। इतने साल की आजादी के बाद भी उसका निदान नहीं निकल पाया है और आगे हम इसमें फंसकर रह जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में चार लाख टन पॉलीथीन बैग प्रवेश कर रहे हैं जबकि विदेशों में इसका इस्तेमाल बंद हो रहा है लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं। इसे धरती पर फैंकते जा रहे

हैं। इससे धरती में पानी सोखने की क्षमता कम होती जा रही है। यह अपने आप में एक साईंटिफिक विषय है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये कि क्यों वाटर लैवल नीचे जा रहा है या ड्राउट कंडीशन्स क्यों बढ़ रही हैं?

[अनुवाद]

विज्ञान को विकास के साथ एकीकृत करना होगा।

[हिन्दी]

हम लोगों को इस पर विशेष रूप से विचार करना होगा। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे प्रमाणित हो जायेगा कि पिछले 50 वर्षों में हमने जो विकास के नाम पर कार्य किये हैं, उससे कितनी कठिनाई हुई है। सन् 1953 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 22 लाख हैक्टेयर था जो 1996 में बढ़कर 90 लाख हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार 1953 में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या दो करोड़ 42 लाख थी जो 1996 में बढ़कर चार करोड़ 83 लाख हो गयी। इसी प्रकार मरने वालों की संख्या जहां प्रतिवर्ष 42 थी, वहां अब यह 2000 व्यक्ति प्रतिवर्ष हो गयी है। इसी तरह सम्पत्ति का नुकसान 60 करोड़ रुपये का था जो 1995 में बढ़कर 2000 करोड़ रुपये का हो गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 700 करोड़ रुपये राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदाओं के लिये किस तरह से तय किये गये हैं? इसका आधार क्या है? आप जानते हैं कि आपके प्रतिवेदन में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया है तो 700 करोड़ रुपये कहां तक भरपाई कर पायेंगे? पिछले 50 वर्षों में आपने इस देश में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के लिये 30 हजार करोड़ रुपया खर्च किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम अंत में यह कहना चाहते हैं कि ड्राउट प्रीवेंशन्स ओर फ्लड रिलीफ अपने आप में निदान नहीं हैं। हम लोगों को बैठकर इस पर विचार करना होगा और माननीय मंत्री जी को ध्यान देना होगा। हमें इरीगेशन मंत्रालय से सम्पर्क करना होगा। पर्यावरण विभाग, साइंस और प्रौद्योगिकी इतने डेवलेप कर चुके हैं, उस परिस्थिति में अकेले रहकर काम नहीं हो सकता है। मेरे पास प्रतिवेदन है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अपनी सिफारिशें की थी।

[अनुवाद]

श्री जेवियर अरनाकल (एराकुलम) : सभापति महोदय, वे बहुत समय ले रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ने प्रत्येक माननीय सदस्य को केवल पांच मिनट का समय दिया है।

सभापति महोदय : ऐसा लगता है कि समय के बारे में और सख्ती करनी होगी। श्री रूड़ी, अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ऑसकर फर्नान्डीस (उदीपी) : सभापति महोदय, वे अच्छी बातें बता रहे हैं उन्हें कुछ समय और बोलने की अनुमति दी जाये।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, 1971 में बाढ़ नियंत्रण पर एक कांफ्रेंस दक्षिण में हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था। उस समय पर्यावरण विषय इतना महत्व नहीं रखता था। ड्राउट कंट्रोल कैसे किया जाये लेकिन पर्यावरण का संदर्भ नहीं लिया गया था। वर्ष 1991 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया और दुर्भाग्य से मैं उसके प्रतिवेदन के बीच में जा रहा था। उसमें भी सिर्फ फ्लड कंट्रोल के मैजर्स दिये गये हैं।

किस तरह से फ्लड प्रोटिक्शन किया जाए, फ्लड वार्निंग की जाए, लेकिन पिछले तीस वर्षों से इस चीज को पर्यावरण से नहीं जोड़ा गया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप 700 करोड़ रुपया दें, 7000 करोड़ रुपया दें और बिहार के मामले में जहां से आप खुद आते हैं, मैं नहीं जानता कि केन्द्र सरकार यहां से जितना भी देगी लेकिन 25 प्रतिशत पैसा बिहार सरकार को भी देना है। न कभी उसके पास पैसा था, न कभी रहता है और न कभी देने की स्थिति में वह रही है। अगर बिहार को बाढ़ के प्रभाव से बचाना है, वहां के लोगों की मदद करनी है, वहां के लोगों के प्रति आपके दिल में दर्द है तो कोई ऐसा तरीका या ऐसी योजना निकालिए कि बिहार सरकार को पैसा न देकर माननीय मंत्री महोदय किसी तरह से रिलीफ का काम बिहार के लोगों के लिए अपने माध्यम से कराने का काम करें।

मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोचे और सही समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्रीय बाढ़ नीति की घोषणा करे जिसमें पर्यावरण से जुड़े हुए विषय भी लाए जाएं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुब्बारामी रेड्डी।

श्री राम कृपाल यादव : जनता दल के एक भी माननीय सदस्य को आपने नहीं बुलाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला नाम जनता दल के सदस्य का ही है।

श्री राम कृपाल यादव : हमारी पार्टी के एक भी सदस्य को आपने समय नहीं दिया है। हमारी पार्टी का बहुत टाइम है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी ने नाम भी बहुत लेट भेजें हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापतनम) : उपाध्यक्ष महोदय, अब तक देश के विभिन्न भागों से तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। अनेक माननीय सदस्य इसी बात को दोहरा रहे थे कि हमारा देश हर वर्ष भयंकर बाढ़ और समुद्री तूफान की चपेट में आता है और उसका समाधान क्या है। मैं उन सब

बातों को दोहराना चाहता हूं। हम जानते हैं कि हर वर्ष बाढ़ के कारण हजारों व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। यह विनाशलीला पिछले अनेक वर्षों से चल रही है। यहां केवल कृषि मन्त्री महोदय उपस्थित हैं किन्तु यह विषय राष्ट्र के लिये इतना महत्वपूर्ण है कि केबीनेट के लगभग सभी मन्त्रियों को यहां उपस्थित रहकर हमारी बात सुननी चाहिये।

[हिन्दी]

हम जो भी बोल रहे हैं बेकार ही नहीं बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

सभी दलों के सदस्य सर्वसम्मति से बाढ़ की रोकथाम और समुद्री तूफानों के नियन्त्रण के बारे में सुझाव दे रहे हैं। यह सभी के लिये चिन्ता का विषय है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

एक ही मंत्री के पास नहीं होता है, अनेक मंत्रियों के पास होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं।

[अनुवाद]

इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस समस्या का समाधान पक्के इरादे, पूरी निष्ठा एवं लगन से करना चाहिये।

[हिन्दी]

भाषण देना और सुनना या लिखना तथा अगले दिन हमें पूरी जानकारी मिलने से कोई फायदा नहीं है।

[अनुवाद]

मेरा यह कहना है कि यदि धन हो तो कुछ भी असम्भव नहीं है। हम धन की सहायता से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अनेक योजनाएं हैं। कोई नहर की बात कह रहा है तो कोई गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने की बात कह रहा है। सच्ची और स्पष्ट बात तो यह है कि हमें धन की जरूरत है। इसलिये जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं

[हिन्दी]

डिफरेण्ट स्कीम देखते हैं मगर फ्लड कंट्रोल को भूल जाते हैं।

[अनुवाद]

इसलिये मैं सरकार और विशेष रूप से प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वे इस विषय को प्राथमिकता दें और बजट बनाते समय कुछ पैसा बाढ़ ओर समुद्री तूफान के नियन्त्रण के लिये स्थायी उपायों के लिये रखें। मुझे आशा है कि प्रत्येक माननीय सदस्य इससे सहमत होगा और इसका सर्वसम्मति से समर्थन किया जाना चाहिये। राज्य-राज्य के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। असम के बाद आंध्र प्रदेश को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। एक ओर से दक्षिण-पूर्वी तथा दूसरी ओर से दक्षिण-पश्चिमी मानसून से यह राज्य प्रभावित होता है। वास्तव में वहां बहुत तबाही हुई है। पिछले वर्ष अक्तूबर में लाखों एकड़ भूमि बह गई। अनेक लोग मारे गए। इस वर्ष जून में पुनः उसी तरह तबाही हुई। यदि आप आंध्र प्रदेश के पिछले 25 वर्ष का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि प्रत्येक वर्ष वहां के प्रमुख जिले बाढ़ और समुद्री तूफान से प्रभावित हुए हैं। यह सोचकर आंसू भर आते हैं कि वहां लोग किस प्रकार बेघर हो गये हैं।

[हिन्दी]

खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है और उनकी स्थिति देखें तो कितना दिल दुःखी होता है उसको बताने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

इसलिये मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि केवल नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने के अलावा हमें यह फैसला करना चाहिये कि सरकार को इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाना चाहिए। धन उपलब्ध है।

[हिन्दी]

जो कोई नहीं बोला वह एक सीक्रेट मैं बोलता हूं।

[अनुवाद]

विश्व बैंक धन देगा। मैं आपको बताता हूं वह यह धन कैसे देगा। जब चेन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अब वे तमिल नाडु के राज्यपाल हैं, इलाज के लिये अमेरिका गये थे तो वे विश्व बैंक के अध्यक्ष से मिले थे और उन्होंने उन्हें आंध्र प्रदेश के समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रो के लिये लाखों रुपये देने के लिये प्रेरित किया था। अब भारत सरकार को यह मामला विश्व बैंक, ए.डी.बी. तथा अन्य सभी संस्थाओं के साथ उठाकर वहां से धनराशि लेकर इस देश को खुशहाल बनाना चाहिये। यहां लोगों को इस प्रकार मरने नहीं दिया जाना चाहिये। विश्व बैंक तथा अन्य अभिकरणों से सहायता लेने का यह अच्छा मौका है।

माननीय कृषि मन्त्री तथा कल्याण मन्त्री के हाथ मजबूत किये जाने चाहिए। समाज कल्याण का अर्थ केवल खेलों का ही विकास नहीं अपितु युवाओं, महिलाओं और बच्चों का कल्याण भी है।

[हिन्दी]

सबका वेलफेयर होना चाहिये केवल यूथ, स्पोर्टस, मैन या लेडोज का ही नहीं। आपको और ज्यादा शक्ति देनी चाहिए। शक्ति कैसे आती है। आपको ज्यादा पावर्स ज्यादा सेक्रेटरीज, ज्यादा पैसा देना चाहिए।

[अनुवाद]

हमें आशा है कि सरकार अधिक सक्रियता से कदम उठाएगी और इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए कोई निश्चित निर्णय लेगी। कुछ ही वर्षों में हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। हम विश्व को बता सकते हैं कि भारत एक महान देश है जिसने बाढ़ और समुद्री तूफान की समस्या का स्थायी समाधान कर लिया है। हमें गरीब जनता की जीवन सुरक्षा करनी चाहिये।

मैं पुनः यह आशा करता हूं कि सरकार इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुलझायेगी।

[हिन्दी]

आन्ध्र प्रदेश को बहुत कम पैसा दिया गया है।

[अनुवाद]

जून में बाढ़ और समुद्री तूफान के कारण आन्ध्र प्रदेश राज्य को 200 करोड़ रुपये की हानि हुई किन्तु केन्द्र सरकार ने उसे केवल 43 करोड़ रुपया ही दिया है। इस राज्य को और पैसा देने का मैं अनुरोध करता हूं। आन्ध्र प्रदेश को ही नहीं बल्कि असम को भी सहायता दी जानी चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में पिछले वर्ष अक्तूबर में आई बाढ़ से 600 करोड़ रुपये की हानि हुई थी केन्द्र सरकार ने केवल 83 करोड़ रुपया ही दिया था। हमें इतने से ही काम चलाना पड़ा था।

[हिन्दी]

बिहार को भी कम दिया है।

[हिन्दी]

श्री अनिल कुमार यादव (खगड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके द्वारा यह पहला मौका भाषण देने का मिला है। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र बाढ़ से ही घिरा रहता है। वैसे तो पूरे देश में सबसे ज्यादा बाढ़ उत्तरी बिहार में आती है। देश में बाढ़ से प्रतिवर्ष जितनी बर्बादी होती है उसकी 40 प्रतिशत बर्बादी केवल बिहार में होती है। क्योंकि नेपाल से आने वाली नदियों जैसे गण्डाक, बागमती, कोसी कमला आदि से उत्तरी बिहार ज्यादा तबाह रहता है। साथ ही गंगा, सोन और पुनपुन से भी भीषण बाढ़ होती है, जिससे किसानों की फसलें, गरीबों के घर, सड़क और जान माल की हानि प्रतिवर्ष होती है। पिछले साल बांका और भागलपुर में बाढ़ से 70 से अधिक लोगों को मृत्यु हो गई थी। मेरे क्षेत्र खगड़िया में गंगा, बागमती और कोसी नदियों की बाढ़ से भीषण कटाव हो रहा है। खगड़िया में कोरागांव भी कट रहा है और पर्वतशाह में 14 गांवों का भीषण कटाव हो रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता करे और इसकी पूरी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार अपने ऊपर ले।

वर्ष 1995-96 में राष्ट्रीय आपदा कोष समिति ने राहत के लिये 29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे लेकिन अभी तक उसकी विमुक्ति नहीं हुई है। मेरी मांग है कि इस राशि को केन्द्र सरकार शीघ्र विमुक्त करे।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाओं मुकाबला करने और राहत के लिये बिहार को 49 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। मेरी मांग है कि उसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया जाए।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा में पहली बार बोल रहा हूं इसलिये कृपया मुझ सुनने का कष्ट करें।

महोदय, हम इस विषय पर लगभग दो घन्टे बहस कर चुके हैं। सभी माननीय सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पचास वर्ष पश्चात् भी हम देश के विभिन्न राज्यों की बाढ़ की समस्या के सम्बन्ध में अब भी कुछ अस्थायी उपायों की बात कर रहे हैं। बीस वर्ष पहले बाढ़ केवल असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की समस्या हुआ करती थी। किन्तु समय बीतने के साथ जब राजस्थान राज्य का मरु प्रदेश भी बाढ़-प्रवण हो गया है तो इसकी ओर समूचे देश का ध्यान गया है। अब लगभग पूरे देश की यह समस्या बन गई है। समस्या आयेगी और उसका समाधान हो सकता है किन्तु हम विद्यमान लोकतन्त्रीय ढांचे के अन्तर्गत इसका समाधान करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। मेरा यह कहना उचित है क्योंकि जब भी किसी राज्य में यह समस्या पैदा होती है तो केन्द्र सरकार का रवैया हमेशा पलायनवादी रहा है। केन्द्र सरकार यह कहती है कि राहत और पुनर्वास राज्य सरकारों का दायित्व है।

मैं एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। असम में पिछले वर्षों से विदेशों के आवागमन की समस्या के सम्बन्ध में यह समझा जाता था कि असम की सम्पत्ति और परिसम्पत्ति तो देश की सम्पत्ति है किन्तु असम समस्या देश की समस्या नहीं है। उसी प्रकार अब हर राज्य सरकार को राहत और पुनर्वास का दायित्व स्वयं संभालना होता है और राज्यों को ऋण के रूप में अनुदान दिया जाता है। केन्द्र सरकार का कहना है कि प्रभावित लोग, बाढ़ से हुई हानि तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि केन्द्र सरकार का दायित्व नहीं है। इसीलिये कुछ माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है। वित्त आयोग ने राज्यों को धन देने सम्बन्धी कुछ मानक अवश्य निर्धारित किये हैं। यह धन अग्रिम राशि के रूप में दिया जाता है। जनसंख्या के अनुपात में 20 या 30 करोड़ की राशि दी जाती है। यह नियत धनराशि है किन्तु इतनी कम धनराशि से किसी भी राज्य की बाढ़ समस्या का स्थायी समाधान सम्भव नहीं है। इसलिये हम नहीं समझते कि विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रणाली के अन्तर्गत स्थायी समाधान सम्भव है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की समुचित समीक्षा की जानी चाहिए। यदि समस्याओं का समाधान राज्य सरकारों को करना है तो उन्हें संसाधन जुटाने के सम्बन्ध

में और स्वायत्ता दी जानी चाहिये ताकि वे स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। यदि आवश्यक होगा तो राज्य सरकारें पैसे के लिये विदेशों से समझौते कर सकेंगी। उदाहरणार्थ असम में संसद के अधिनियम के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी जो कि जनता के लिये केवल एक औपचारिकता मात्र है। तब से 10 नदियों की कम से कम 10 बार जांच की गई जिस पर 300 करोड़ रुपये की लागत आई किन्तु आज तक एक भी परियोजना नहीं बनी है। देश में हर वर्ष बाढ़ की समस्या गम्भीर होती जा रही है। नदियों में जलग्रहण क्षेत्रों से आई गाद के कारण नदियों के पाट संकुचित होते जा रहा है वनों की कटाई के कारण भी नदियां में गाद जमा हो रही है और नदी के पाट संकुचित होते जा रहे हैं। 1985 में असम में कई स्थानों पर ब्रह्मपुत्र नदी के जल स्तर की वर्ष 1952 के जल स्तर से तुलना की गई थी। 1985 में कई स्थान पर इस नदी की गहराई 1952 की तुलना में पांच मीटर कम हो गई थी और कई स्थानों पर ब्रह्मपुत्र नदी का स्तर भू-स्तर के समान है। अतः कहीं नदी नहीं बची है। बड़े भू-क्षेत्र पर विभिन्न दिशाओं में नदी बहती है। असम में पड़ौसी पहाड़ी क्षेत्रों से शुरू होकर सभी नदियों का लगभग यही स्थिति है। वे सभी अपने साथ काफी गाद बहाकर लाती हैं जो नदियों में जमा हो जाती है जिसके कारण 1952 से बाढ़ की स्थिति भंयकर से भंयकर होती चली गई है। 1962 से तो बाढ़ की स्थिति और भी भयंकर हो गई है। ऐसा कोई नदी नहीं जिसमें पहाड़ी इलाकों से पानी न आता हो जिसके कारण पूरा इलाका बह जाता है। 1952 से ब्रह्मपुत्र, सुबनसारी तथा बराक नदियों पर निर्मित सभी तटबंध बह गए हैं और सारा इलाका यहां तक कि शहरी इलाका भी पानी से भर गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 9 विधान सभा क्षेत्र हैं जिनका 90 प्रतिशत इलाका जलमग्न है। विश्व का सबसे बड़ा नदी जलद्वीप माजुली मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। इस द्वीप का 2/3 हिस्सा बह गया है और अब शेष 1/3 हिस्सा ही बचा है। नदी तल के ऊंचा हो जाने से पड़ोसी इलाके भी पानी में बह जाते हैं। इसलिये असम में चाय बागानों के अन्तर्गत 40 प्रतिशत क्षेत्र हैं तथा शेष क्षेत्र में से 80 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़-प्रवण क्षेत्र बन गए हैं। हर वर्ष कृषि योग्य भूमि बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। गर्मी के मौसम में किसान कृषि नहीं कर पाते हैं।

असम में बाढ़ की स्थिति उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब में बाढ़ की स्थिति से इस अर्थ में भिन्न है कि वहां बार-बार बाढ़ आती रहती है। एक वर्ष में कम से कम 5 बार और अधिक से अधिक 15 बार बाढ़ आती है। अप्रैल से अक्तूबर तक बाढ़ आती रहती है। किसान फसलें नहीं उगा पाते जिसके कारण समूची अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। इसी कारण असम को बहुत विकट आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्या के कारण विद्रोह की समस्या भी बनी रहती है। इसलिए गैर-कानूनी संगठनों की यह विचारधारा बन गई है कि भारत में रहने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए समझौते और सन्धियां हो जाती हैं। परन्तु बाद में समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन भी एक औपचारिकता मात्र थी। इसे संसद के अधिनियम के अन्तर्गत गठित किया गया था किन्तु कोई कार्य नहीं हुआ। जब भी कावेरी जल विवाद अथवा नर्मदा नदी विवाद पैदा होता है समितियां गठित कर दी जाती हैं किन्तु समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाता। इसके कारण देश को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। यदि हम शीघ्र कोई ठोस उपाय नहीं करेंगे तो इस देश को अखंडता को खतरा पैदा हो जायेगा। मैं मन्त्री महोदय तथा इस सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें ताकि बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की समस्या का समाधान किया जा सके।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं सदन का तथा माननीय कृषि मन्त्री जी का इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने यह उद्घोषणा की है कि विश्व में, विशेष रूप से विकासशील देशों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों से जीवन और सम्पत्ति की हानि तथा सामाजिक और आर्थिक विघटन को कम करने के लिये 1990 से आरम्भ होने वाले दशक को प्राकृतिक विनाश नियंत्रण दशक के रूप में मनाया जायेगा। माननीय कृषि मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आगे बढ़कर सहायता दे रहे हैं। इसलिए बाढ़ से विनाश को रोकने तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिये हमें धन प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाना चाहिये।

अन्त में मैं माननीय कृषि मन्त्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में धुकुआ खाना, धेमाजी, लखीमपुर, जो नाई, सदिया, नाजुली, चकुआ, डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जलमग्न हैं और पिछले 20 दिन से उनका शेष देश से सम्पर्क टूट गया है। अधिकांश भागों में सड़कें प्रभावित हुई हैं। सारे इलाके में पानी भर जाने के कारण राहत शिविर तक लगाने के लिये जगह नहीं बची है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को सड़कों तथा राहत एवं पुनर्वास के लिये युद्ध स्तर पर उपयुक्त कदम उठाने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम.के. प्रेमचंद्रन (क्विलोन) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन के लगभग सभी माननीय सदस्य बाढ़ की स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं और सुरक्षोपायों के बारे में बोल चुके हैं इसलिए मैं अब अधिक समय नहीं लूंगा। केरल में बाढ़ की स्थिति के बारे में जो माननीय सदस्यों ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और उसी में आगे अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा।

हम सब भली भांति जानते हैं कि पहले बाढ़ और सूखे का प्रकोप कभी-कभी दो, तीन अथवा पांच वर्षों के बाद ही होता था। किन्तु अब तो उसका प्रकोप हर वर्ष सहन करना पड़ता है। इसलिये इस सभा को इस बात पर विचार करना चाहिये कि उसे स्थायी तौर पर कैसे रोका जा सकता है और इसके लिये कौन से उपाय करने चाहिये।

हम प्राकृतिक आपदाओं को दो वर्गों में रख सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जिस पर नियन्त्रण करना मनुष्य के लिये सम्भव है और दूसरी जिन पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता जैसे समुद्री तूफान। ऐसी

स्थिति में हम कल्याणकारी एवं कुछ राहत के उपाय कर सकते हैं। जिन प्राकृतिक आपदाओं को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता वह है केरल राज्य की समस्या। हमारे राज्य में समुद्री तट के भू-कटाव के सम्बन्ध में समस्या को इस सदन में उठाया जा चुका है। केरल की यह एक गम्भीर समस्या है। त्रिवेन्द्रम से कासरगोड़ तक समुद्री तट के कटाव के कारण जान-माल का काफी नुकसान हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि यह राज्य की राष्ट्रीय सीमा है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना केन्द्र सरकार का अनिवार्य दायित्व है। समुद्री तट राष्ट्रीय सीमा होने के कारण इसकी सुरक्षा के शीघ्र उपाय किये जाने चाहिये। इसके लिए समुद्र तटबंध बनाकर और इन तटबंधों का रख-रखाव कर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है।

अपराह्न 6.44 बजे

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

हमें कई प्रकार के अनुभव हैं। 20 वर्ष पहले समुद्री दीवारों का निर्माण किया गया था किन्तु उनके रख-रखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि दीवारों का निर्माण और उनका रख-रखाव सुनिश्चित कर हम तटों के कटाव की और कटाव से होने वाली हानि को रोक सकते हैं।

जो राहत उपाय किये गए हैं उनके बारे में यह बताया गया है कि वे बहुत कम हैं और बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। परिवार की आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में 50,000 रुपये की राशि से आजकल कुछ नहीं होता इसलिये राहत की यह राशि बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत है। वहां 18 किलोमीटर की सड़क है यह 'अलप्पाद' गांव में है। पश्चिमी ओर तो सागर है और पूर्वी ओर स्थिर जल है। इस गांव की 30,000 से अधिक आबादी है। एक किलोमीटर समुद्री तट जलमग्न हो चुका है उसमें एक मन्दिर और एक स्कूल भी डूब चुका है यदि ऐसा ही होता रहा तो इसमें पूरा पंचायत क्षेत्र समुद्र के डूब में आ जायेगा।

राष्ट्रीय राज मार्ग-47 भी इससे प्रभावित होने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग-47 इसलिये प्रभावित होगा क्योंकि समुद्री तट और स्थिर जल में केवल 100 मीटर का अन्तर है। इसलिए समुद्री तट का सुरक्षा जरूरी हो गई है। मैं आशा करता हूं कि जल संसाधन मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय से मन्त्रणा कर कतिपय योजनाएं बनायेगा और केरल के लोग भी कुछ योजनाएं बनायेंगे और उन्हें केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा। मैं मन्त्री महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे योजनाओं को मंजूरी देने के लिये आवश्यक कदम उठाएं और केरल के समुद्री तट की सुरक्षा के लिये वित्तीय सहायता देना सुनिश्चित करें।

मेरा एक और निवेदन यह है कि विद्यमान राहत उपायों तथा सरकार तथा वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत मानकों की पुनः समीक्षा की जाये और पर्याप्त मुआवजा दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति महोदय जी, यह बात सही है कि बाढ़ राहत कार्य में जिस खर्च का प्रावधान है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए वर्तमान सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिये। इस पर चिन्ता करनी चाहिये और एक राष्ट्रीय बाढ़ रोको नीति बनानी चाहिये। इससे प्रति वर्ष जनता का भी नुकसान होता है तथा राज्य सरकार जो पैसा खर्च करती है, वह जनता के पैसे के साथ दुगुना व्यय होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की विशेष चर्चा करना चाहूंगा। राजस्थान में दूसरे वर्ष भी बाढ़ आयी है। इस वर्ष राजस्थान में अकाल भी पड़ा है। बीकानेर में बाढ़ आयी है, जो कि रेगिस्तानी एरिया है। जैसलमेर, जोधपुर, चुरू, नागौर, सीकर, अलवर और भरतपुर में यानी पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में जहां पर घोर रेगिस्तान है वहां पर बाढ़ आयी हुई है। यह एक विचित्र स्थिति है। मेरा आपसे यह निवेदन करना है कि इन दिनों भरतपुर में भी बाढ़ का पानी आया हुआ है और वह पानी आगरा, मथुरा और हरियाणा से आया है। देवयोग से राजस्थान में ही ऐसी कृपा हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में इस समय विचित्र स्थिति है। राजस्थान में 1,901 गांव प्रभावित हुए हैं। 81 हजार मकानों को नुकसान हुआ है, 43 व्यक्ति बह गये हैं और अंदाजन 97 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। जनता का हजारों रुपये का नुकसान हो गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि मृतक व्यक्तियों को केवल 50 हजार रुपये दिये जायेंगे। यानी सड़क का क्राइटेरिया कुछ और है, रेल का क्राइटेरिया कुछ और है, हवाई-जहाज का क्राइटेरिया कुछ और है यानी मरने वालों को मुआवजा देने में भी भेदभाव है।

दंगों में कुछ और है। जो लोग निर्दोष थे, जो लोग मर गए, प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को कम से कम दो लाख रुपये मिलने चाहिए और उनके आश्रितों को नौकरी मिले। यह मेरी भारत सरकार, विपशेषकर प्रधानमंत्री जी से मांग है। वे आज नहीं हैं। उस दिन जब 50 हजार रुपये की घोषणा हुई थी तो मुझे भी अफसोस हुआ कि मनुष्य की कीमत 50 हजार रुपये है। यदि कोई 50 हजार रुपये में मरने को तैयार है तो मैं 50 हजार रुपये नहीं 51 हजार रुपये देने को तैयार हूं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय (श्री नीतीश कुमार) : यह कोई इनसैनटिव के लिए थोड़ी है।...**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यहां पर पब्लिक और प्राईवेट प्रौपर्टीज का नुकसान हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का नुकसान हुआ है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : भार्गव जी, आप तो संक्षेप में ही बोलते हैं। फिर भी थोड़ा बोलिए ताकि सब लोग बोल सकें।

गिरधारी लाल भार्गव : मैं मोटी-मोटी बातों पर आ रहा हूं। जैसलमेर में 219 गांवों को नुकसान हुआ है, 10,815 घर डैमेज हुए और 143 पशुधन का नुकसान हुआ है। इस प्रकार से पांच वार्ड बीकानेर में, 16 वार्ड नौखा में तथा बीकानेर के 110 गांवों को नुकसान हुआ है। वहां पर खेती, पशुधन और 5,253 मकानों का नुकसान हुआ और तीन व्यक्ति उसमें मर गए। इस प्रकार से नागोर में 160 गांवों को नुकसान हुआ, 25 व्यक्ति मर गए और 10 हजार मकानों का नुकसान हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में 2000 पशुधन मर गए, 2 व्यक्ति मर गए और 12 हजार मकानों का नुकसान हो गया। अलवर में पूर्वी राजस्थान में जहां पर कभी बाढ़ नहीं आती, वहां पर 160 गांव अफैक्टेड हुए, 3000 मकानों का नुकसान हुआ और 15 लोगों की मृत्यु हो गई। आज भी अलवर में स्थिति बहुत भयंकर है। भरतपुर में जो पानी आ गया, उससे 776 गावों का नुकसान हुआ। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप सुझाव पर आ जाइए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आ रहा हूं। 35 हजार मकान अफैक्टेड हुए। भरतपुर में 34 आदमी मर गए।...**(व्यवधान)** भरतपुर में आगरा, हरियाणा और मथुरा से पानी आ गया है। इस प्रकार से नागपुर में भी नुकसान हुआ। अफसोस की बात है कि सांभर जहां से नमक आता है, वहां की झील में वर्षा का पानी भर गया और 15 हजार मजदूर बेकार हो गए। अब लोगों को नमक नहीं मिलेगा। जैसे ब्लड प्रैसर के मरीज बिना नमक के काम चलाते हैं उनके जैसे ही और लोगों को भी चलाना पड़ेगा।

सभापति महोदय : हमने अब तक आपका वह नमक नहीं खाया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : खाया है। आपके घर में सांभर का नमक ही आता है। हमारे मंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य, सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि अभी पिछले साल 25 हजार गांवों में अकाल पड़ गया। राज्य सरकार के पास जो 300 करोड़ रुपया मौजूद था, वह सारा खर्च कर दिया गया और कैलेमिटी रिलीफ फंड में एक पैसा नहीं बचा है। मेरा मतलब यह है कि हमको जो पैसा चाहिए था, वह भी नहीं मिला।

अंतिम निवेदन यह है कि गत वर्ष हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर में बाढ़ आई थी। अकाल भी पड़ गया और बाढ़ भी आ गई। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से 365 करोड़ रुपये मांगे थे और हमको कुल 21 करोड़ रुपये दिए। वे 21 करोड़ रुपये भी हमको नहीं मिले। समय का अभाव है, मैं भी आपकी कठिनाई को समझ रहा हूं। अलवर, भरतपुर, जोधपुर, नागोर, जैसलमेर सब अफैक्टेड हैं। मोती झील अफैक्टेड है। राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये की मांग की है। 100 करोड़ रुपये उनको तत्काल चाहिएं और बाकी के 200 करोड़ रुपये बाद में दे दिए जाएं। हमने जो 365 करोड़ रुपये मांगे थे, उसमें से 21 करोड़ रुपये देने की जो बात थी, वह भी हमको नहीं मिले।

इसलिए हमको 300 करोड़ रुपया तो एक मिले, 100 करोड़ रुपये अभी मिले, 200 करोड़ रुपया 4-5 दिन बाद मिल जाये और 21 करोड़ नहीं, बल्कि हमको 365 करोड़ रुपये का जो नुकसान पिछले साल हनुमानगढ़, भरतपुर और अलवर में हुआ था, वहां जो बाढ़ आई थी, उसका मिले। राजस्थान बाढ़ से दोबारा इफैक्टैड हुआ है। वहां गत वर्ष भी बाढ़ आई थी और 365 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था और इस वर्ष फिर बाढ़ आ गई और दूसरी स्टेट का पानी हमारे राज्य में घुस आया।

हमारे यहां पर अकाल पड़ा। अकाल और बाढ़ दोनों से हमारे यहां पर नुकसान हुआ। राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश है, रेगिस्तान के लोगों को तो यों ही ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, इसलिए मेरा निवेदन है, आप सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी, मिश्रा जी, जिनकी बड़ी तारीफ है, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े दयालु आदमी हैं और कृषि मंत्री बने हैं, जाने क्या-क्या कर देंगे, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि गत वर्ष का पैसा 365 करोड़ रुपये मिले, 21 करोड़ रुपया नहीं, इस साल का हमको 300 करोड़ रुपया मिले, 100 करोड़ रुपया हमारा तत्काल मिले...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपको मिले कि राजस्थान को मिले?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरे राजस्थान को मिले। मुझे जो मिलने था, वह तो गया, जिनको ले जाना था, वह तो खा पी गये और यहां से नाटक करने के लिए वहां जाकर बैठ गये। आप तो जानते हैं, आप तो कभी इनके साथ बैठा करते थे, आपकी तो इनके साथ बड़ी मित्रता रही है, लेकिन अब मित्रता थोड़े दिनों से टूट गई तो वे वहां जाकर बैठ गए और आप यहां पर बैठ गए।

मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से कृषि मंत्री जी मेरी सारी बातों का गम्भीरता से उत्तर देंगे। राजस्थान जो वीरों को राजस्थान है, जो मानवता का राजस्थान है, जो टोडरमल का राजस्थान है, जो भक्त शिरोमणि मीरा का स्थान है, राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश होने के कारण, पहाड़ी प्रदेश होने के कारण, दो बार बाढ़ आ जाने के कारण, अकाल आ जाने के कारण और गांवों में अभाव होने के कारण निश्चित रूप से हमको पैसा मिलेगा।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आदरणीय सभापति महोदय, बाढ़ एक राष्ट्रीय संकट है। अभी-अभी मैं अपने क्षेत्र में गया था तो वहां पर दोहरीघाट में घाघरा नदी के कारण भारी कटाव हो रहा था और सरोज गांव बुरी तरह कट रहा था। बाढ़ पूरे देश के पैमाने पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। जब मानसून सैशन होगा तो बाढ़ आएगी, हजारों गांव बहने लगेंगे, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, त्राहि-त्राहि मच जाएगी, फिर यहां कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएगा या कोई बहस होगी तो कृषि मंत्री, बाढ़ मंत्री या इरीगेशन मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे और सारे मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट इसमें भाग लेंगे और फिर बहस खत्म हो जाएगी। फिर साल भर तक मानसून सैशन, विंटर सैशन और बजट सैशन आयेगा, फिर कोई काम नहीं होगा और फिर बाढ़ सैशन आ जाएगा।

एक माननीय सदस्य : आपको कहना क्या है?

श्री कल्पनाथ राय : मुझे कहना कुछ कहना है। मैं तो देश की समस्या को बता रहा हूं। यहां पर कृषि मंत्री जी मौजूद हैं, यहां सिंचाई मंत्री और वाटर रिसोर्सेज मंत्री मौजूद नहीं हैं, कौन राज्य मंत्री हैं, वह भी मौजूद नहीं हैं। मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट लोग यहां मौजूद हैं, आप मुझे बताइए कि केन्द्र सरकार का बाढ़ पर क्या कंट्रोल है?

बाढ़ आज उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम के इलाके में आई हुई है। अरबों-खरबों रुपया बाढ़ के माध्यम से हर साल नष्ट होता है। मैंने सरकार से कई बार निवेदन किया कि नेपाल से निकलने वाली जो नदियां हैं उन नदियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाये। आज देश में विद्युत का संकट है। जिस मुल्क में एक लाख मैगावाट बिजली केवल पानी से पैदा की जा सकती है, वहां आज हिन्दुस्तान में केवल करीब 14-15 प्रतिशत बिजली पानी से पैदा हो रही है।

अपराह्न 7.00 बजे

जो पेरिनियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शारदा नदी पर, गंडक नदी पर, घग्घर नदी पर और जो नेपाल से नदियां आती हैं, उन सब पर हाइडल विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाएं। एक ही क्षेत्र में नदी के इस पार सुखाड़ है तो दूसरी तरफ बाढ़ है। एक तरफ सुखाड़ से सारी फसल नष्ट हो रही है, लोगों के यहां कुरकी हो रही है, तो दूसरी तरफ बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण लाखों पशु मर रहे हैं,

लोग मर रहे हैं और घर गिर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जब लोग अपना रिश्ता चांद-सितारों से जोड़ रहे हैं, वैज्ञानिक प्रगति इतनी हो चुकी है, लेकिन आजादी के 50 वर्ष के बाद भी हिन्दुस्तान में बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध मे कोई ठोस और समयबद्ध कदम नहीं उठाया गया है।

सभापति महोदय : सात बजे मंत्री जी को जवाब देना है, अगर सदन की अनुमति हो तो चार-पांच और सदस्य बोल लेंगे, क्योंकि सभी को इसमें दिलचस्पी है, उसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : बाढ़ का मुद्दा बड़े महत्व का है। मैं चाहता हूं इसको चर्चा कल तक के लिए बढ़ा दें।

सभापति महोदय : अभी जो लोग बैठे हुए हैं, उनको बोलने दिया जाए, एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री कल्पनाथ राय : आप किसान के बेटे हैं और खेती वाले क्षेत्र से आते हैं, आप भी ऐसी बात करेंगे कि समय बीत गया, बैठ जाएं।

सभापति महोदय : आप सुनते तो हैं नहीं, मैंने आपका नाम दो बार बुलाया था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए। सात बजे मंत्री जी को बोलने का समय तय था। मैंने एक घंटा आप लोगों के बोलने के लिए बढ़ाने के लिए सदन से अनुरोध किया है।

श्री कल्पनाथ राय : मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं आपकी हर बात का ध्यान रखता हूं और आपकी हर बात का मानने वाला व्यक्ति हूं।

सभापति महोदय : हर बात को नहीं मानें, जो जायज बात हो उसे मानें।

श्री कल्पनाथ राय : इस सदन में लगातार संकट की बात हो रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 22000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उस समय राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे। पहली बार 22000 मेगावाट का लक्ष्य पूरा हुआ। जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि अब हिन्दुस्तान में 48000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर कहा गया कि 48000 मेगावाट के लिए साधन नहीं हैं इसलिए इसका लक्ष्य 38000 मेगावाट रखा गया।

सभापति महोदय : आज ही सदन में ऊर्जा पर बात हुई थी। प्रधान मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है कि इस पर बहस कराई जाए। इसलिए आप थोड़-सा कन्फाइन करें, वैसे आप अच्छा बोल रहे हैं।

श्री कल्पनाथ राय : पानी से ही इसका सम्बन्ध है। बिहार का जो सर्वनाश हो रहा है उसमें पानी का इस्तेमाल न होना भी शामिल है। पूरा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है। वहां पर बिजली नहीं मिलती है।

1989 में जब श्री राजीव गांधी ने यह कहा कि 48000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं इसलिए 38000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1989 में दूसरी सरकार आई, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। 1991 में एक और सरकार आई। उसने कहा कि 38000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब जरूरत 56000 मेगावाट की है, लेकिन इतना पैसा नहीं है इसलिए जो 38000 मेगावाट का लक्ष्य है उसमें से 32000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना बीत रही है।

हमने 32 हजार का लक्ष्य निर्धारित किया और संतोष मोहन देव जी, आज 15 हजार मेगावाट भी बिजली नहीं बन सकी है। 14 हजार 700 मेगावाट बिजली बनी है।...**(व्यवधान)** आप मेरी बात सुनें। मैंने जितना किया है उतना हिन्दुस्तान के किसी उर्जा मंत्री ने नहीं किया है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता और न ही मैं किसी दल की बात करना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ और एनर्जी, दोनों को जोड़ कर एक लाख मेगावाट बिजली हमारे मुल्क में हाईड्रो से पैदा की जा सकती है। हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं, चाहे राप्ती हो, बूढ़ी गंडक हो, घघरा हो, जितनी बड़ी नदियां हैं वे सारी पूरे बिहार का सर्वनाश करती हैं। इन नदियों को हाईड्रो इलैक्ट्रिक, जो चिपेस्ट पावर है, आज भी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली पानी से पैदा हो सकती है, यह पोल्यूशन फ्री है। उस बिजली को अगर एक्सप्लायट किया जाए, जैसे भाखड़ा नंगल डेम है उसी तरह से शारदा पर पंचेश्वरी बांध बनाया जाए, भालू बांध बनाया जाए या जो नेपाल से निकलने वाली करनाली नदी है, नेपाल में सरयू और घाघरा है तो 10 हजार मेगावाट बिजली केवल करनाली

से, 3 हजार मेगावाट पंचेश्वरी से और 3 हजार मेगावाट गंडक से तथा करीब-करीब 50 हजार मेगावाट बिजली बिहार में घिरने वाली सारी नदियों से लेकर शारदा तक जो हैं उनसे पैदा की जा सकती है। दुनिया में सबसे सस्ती बिजली हाईड्रो इलैक्ट्रिक है।

महोदय, हम जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि थर्मल के लिए पैसा ले लीजिए लेकिन हाईड्रो सैक्टर में पैसा नहीं देते, हमारी प्राथमिकता नहीं होती। अगर हम हाईड्रो पावर का इस्तेमाल करें और अपने मुल्क के पानी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करें तो एक तरफ हम मुल्क में सिंचाई की समस्या को हल कर लेंगे और बिजली भी हमारे मुल्क में पर्याप्त होगी। बाढ़ से भी हमारा देश मुक्त हो जाएगा और सुखाड़ की स्थिति में भी हम पानी की व्यवस्था कर सकेंगे। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मेरा आदरणीय कृषि मंत्री महोदय से इतना ही कहना है कि आप चूंकि बिहार के रहने वाले हैं और मधुबनी से चुनकर आते हैं तो आप मधुबनी से बंगाल की सीमा तक गए किशनगंज तक और नेपाल की सीमा पंचेश्वर तक चले जाइए, जहां प्रकृति ने, भगवान ने इतना पानी दिया है कि उस पानी का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे बहुत लाभ उठाया जा सकता है।

महोदय, नेपाल सरकार से राजीव जी ने 2-3 बार वार्ता की थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी की और चन्द्रशेखर जी ने भी वार्ता की तथा हमारी पिछली सरकार ने भी वार्ता की। अगर नेपाल से हमारे देश की सरकार के बीच कोई एग्रीमेंट हो जाए और उनके पानी का हम इस्तेमाल कर सकें तो 15 पैसे यूनिट बिजली, जो चिपेस्ट बिजली है वह पूरी दुनिया में पैदा कर सकते हैं और बाढ़ से पूरी रक्षा आधे हिन्दुस्तान को हो सकती है तथा पूरे कैनाल के माध्यम से सारे नार्थ इंडिया को, काओ बैल्ट को या जो सबसे उर्वरक स्थान है, जो सोने की धरती बिहार, उत्तर प्रदेश और नार्थ इंडिया में है उसमें इतना धन-धान्य पैदा कर सकते हैं कि सारे हिन्दुस्तान को खाना खिला सकते हैं और जो बिजली होगी उससे अपने मुल्क को भारी मात्रा में, चिपेस्ट रेट पर बिजली सप्लाई कर सकते हैं और हमारा जो नेशनल ग्रोथ 5, 6 ओर 8 परसैंट है उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री महोदय इस दृष्टिकोण से देखें, जब आप जवाब दें। गांधी जी के शब्दों में यह देश गांवों का देश है, किसानों का देश है और हिन्दुस्तान के गांवों को गांधी जी कहते थे कि मनुष्य को देख कर साइंस और टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मनुष्य के लिये हैं और मनुष्य गांवों में रह रहा है।

[हिन्दी]

अगर उन गांवों में हमको, पूरे देश को गांधी जी के सपनों का स्वराज कायम करना है तो इस बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए मंत्री जी, आप कुछ ठोस और समयबद्ध कदम उठाएं आप सौभाग्य से कृषि मंत्री बने हैं, आपने सारी जिन्दगी हम लोगों की आलोचना-प्रत्यालोचना की है। अब आप कम से कम सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर, सारे माननीय सदस्यों को बुलाकर इस संबंध में सबसे राय लें।

चूंकि तरह-तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है। अभी ये लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाएंगे तो लोग नोंच लेंगे।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब कंकलूड कीजिए, आपको सारी बातें आ गयी हैं।

श्री कल्पनाथ राय : बड़े-बड़े जो विशेषज्ञ हैं, टैक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, कृषि के विशेषज्ञ हैं, या बाढ़ विशेषज्ञ हैं या सभी दलों में इसकी जानकारी रखने वाले लोग हैं उनकी मीटिंग आप बुलाएं और बाढ़ के बारे में ठोस कदम उठाएं, ताकि हम अपने मुल्क को बाढ़ से बचा सकें। और राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, कल्पनाथजी ने सही कहा है कि हम हर वर्ष बाढ़ और सूखे की स्थिति पर बहस करते हैं। संसद में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा करना एक रस्म बन गई है। हर बार बहस के बाद मंत्री महोदय बहस का उत्तर देते हैं किन्तु समस्या वहीं की वहीं है। उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं होती है।

हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र 3290 लाख हेक्टेयर है जिसमें से आठवां हिस्सा बाढ़-प्रवण है। 1954 में विनाशक बाढ़ के बाद केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम आरम्भ किया था किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के आरम्भ किये जाने के बावजूद कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से विद्यमान बाढ़ नियन्त्रण उपायों की समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं। 1954 के बाद हमने कई कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। सरकार ने कुछ अल्पकालीन उपाय भी किए हैं। राज्य सरकारें अपने जलवायु एवं भौगोलिक स्थितियों के अनुकूल इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं फिर भी हम देश में बाढ़ नियन्त्रण में सफल नहीं हो सके हैं। हर वर्ष देश में जान-माल की हानि होती है। इस सम्बन्ध में एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

मेरा यह कहना है कि बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी अनुसंधान और विकास गतिविधियों की शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिये। 1955 से क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों को देखने से पता चलेगा कि अनुसंधान और विकास गतिविधियों का अभाव रहा है। बाढ़ नियंत्रण के लिये एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। राज्य सरकार इन बाढ़ों से होने वाली हानि का मूल्यांकन कर रही है। राज्य सरकारों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार की जाये। इसके लिये हम विदेशी सहायता प्राप्त कर सकते हैं हम विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य विदेशी अभिकरणों से सहायता ले सकते हैं। बाढ़ से प्रभावित होने वाले अन्य कई देशों को विदेश से सहायता मिल रही है। विगत में भारत को भी विदेशी

अभिकरणों से काफी सहायता मिलती थी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बात की जानकारी के लिये भी कोई तन्त्र नहीं है जिससे यह पता चल सके कि उपलब्ध की जा रही धनराशि का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। कि कुछ राज्य सरकारें बाढ़ नियन्त्रण के लिये आवंटित राशि का इस्तेमाल अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिये कर रही हैं। समय आ गया है कि देश में 1954 से विद्यमान बाढ़ नियन्त्रण उपायों की नये सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए।

केवल संगोष्ठियों और बहस से समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। मैंने अभिलेखों का अध्ययन किया है। 1954 से केन्द्र सरकार ने विभिन्न महानगरीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है जिसमें अनेक मन्त्रियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया है किन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं।

देश में लगभग सभी राज्य बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मैं इस सम्बन्ध में ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। आज भी पूर्वोत्तर में कुछ क्षेत्रों में तथा अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है।

केरल की विशिष्ट समस्या की ओर लगभग सभी माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। केरल में नकदी फसलें उगाई जाती है। जब अचानक भारी वृष्टि हो जाती है और बाढ़ आ जाती है तो नकदी फसलें बड़ी बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। मैंने नकदी फसलों तथा अन्य फसलों के सम्बन्ध में सहायता मानक पढ़े हैं। चूंकि श्री चतुरानन मिश्र के पास कृषि का महत्वपूर्ण मन्त्रालय है उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि हाल के बाढ़ प्रभावित किसानों और कृषकों को सही सहायता प्रदान की जाये।

मैं एक ऐसे क्षेत्र से हूं जहां काफी बड़े क्षेत्र में रबड़ की खेती की जाती है। पिछली बाढ़ और समुद्री तूफान के कारण रबड़ की चौथाई फसलें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालांकि केन्द्र सरकार ने आवंटन के लिये धनराशि निर्धारित कर दी है, किन्तु पिछले कई सालों से नकदी फसलें और रबड़ की खेती के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। जहां यह राशि दी भी गई है वहां वह इतनी कम है कि किसानों ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया है। किसान वह पैसे लेने को तैयार नहीं हैं।

मैं समुद्री कटाव के पहलू में नहीं जाना चाहता हूं। मेरे अनेक सथी इस बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। केरल की सबसे लम्बी समुद्री सीमा है जिसकी लम्बाई 600 किलोमीटर है। मैं जानता हूं कि यह विषय श्री चतुरानन मिश्र के क्षेत्राधिकार में नहीं, यह जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार ने हमारे समुद्री तट की बिल्कुल उपेक्षा की है हम देश की सुरक्षा पर धन व्यय करते हैं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह समुद्री सीमा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 600 किलोमीटर इस समुद्री सीमा की बिल्कुल उपेक्षा की गई है। इसकी बिल्कुल सुरक्षा नहीं की गई है। कई वर्षों से समुद्र के कारण तटीय क्षेत्र जलमग्न हो रहा है। गरीब मछुआरे इस कारण मुसीबत का सामना कर रहे हैं। सड़कें बिल्कुल तबाह हो गई हैं। यहां लोगों का जीवन जीना कठिन हो रहा है। सरकार को समुद्री दीवारों का निर्माण करने तथा विद्यमान समुद्री दीवारों के रख-रखाव के लिये शीघ्र ही कदम उठाने चाहिए।

अन्त में जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि श्री चतुरानन मिश्र दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह उत्तर देंगे कि विभिन्न राज्यों के लिए अमुक-अमुक धनराशि निर्धारित कर दी गई है। किन्तु दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करना जरूरी हो गया है। बाढ़ आये या न आये, आपदायें हो या न हों, राज्य सरकारों को अपने हिस्से की धनराशि मिलनी चाहिये। जब विनाशकारी बाढ़ आ जाये तो दक्षिण में तटीय क्षेत्र जब समुद्री तूफान से प्रभावित हो जाये तो केन्द्र सरकारें को विशेष दल भेज कर क्षति का मूल्यांकन करवाना चाहिये। राज्य सरकारों को क्षति के अनुसार धनराशि आवंटित की जानी चाहिये ताकि पीड़ितों को धनराशि दी जा सके। अब ऐसा नहीं हो रहा है। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर नये सिरे से विचार किया जाना चाहिये।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मुझे आशा है कि श्री चतुरानन मिश्र जैसे विद्वान मंत्री इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करेंगे। हम हर वर्षाकालीन सत्र में बाढ़ की स्थिति पर बहस करते हैं किन्तु परिणाम कुछ नहीं निकलता है।

राज्य सरकारें धन का सही उपयोग नहीं कर रही हैं। इस पहलू पर भी पुनः विचार किये जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से राज्य सरकारें बाढ़ नियन्त्रण उपायों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करेंगी।

अपराह्न 7.11 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : इस बहस के समय के सम्बन्ध में मुझे आपकी राय चाहिये। मेरे सामने जो सूची है उसमें अभी 13 सदस्य शेष हैं। उन्होंने अपने विचार अभी अभिव्यक्त करने हैं। यह फैसला किया गया था कि सदन आठ बजे तक बैठेगा। मुझे आप यह बतायें कि हम सभा की बैठक कब तक जारी रखें।

श्री अनिल बसु : प्रत्येक माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने का समय दिया जाये।

श्री मधुकर सर्पोतदार : यदि आप चाहते हैं कि सभी सदस्य बोलें तो हर सदस्य को केवल दो मिनट ही बोलना चाहिए। धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव...(व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : मन्त्री महोदय को भी क्या केवल दो मिनट बोलना है।

सभापति महोदय : नहीं, माननीय मन्त्री जी इसमें शामिल नहीं है। वे मनचाहा समय ले सकते हैं। आप जितनी देर चाहें अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : तब तो 9 बज जायेंगे ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : तब यह तो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सभापति जी, मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। आठ बजे तक समय निर्धारित हुआ है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति यह फैसला कर चुकी है कि बहस आज पूरी हो जानी चाहिए।

श्री मधुकर सर्पोतदार : कार्य मन्त्रणा समिति में फैसला हुआ था कि माननीय कृषि मंत्री 7 बजे बहस का उत्तर देंगे। यह फैसला हुआ था।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री अनिल बसु : यह पीठासीन अधिकारी पर छोड़ दिया गया था।...**(व्यवधान)** क्या यह पीठासीन अधिकारी का दोष है?...**(व्यवधान)** उसका क्या दोष है?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सभापति जी, सात बजे का टाइम था। अभी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है और यह बाढ़ का विषय बहुत गम्भीर है। अनेक लोग बोलना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आठ बजे तक पूरी चर्चा कराएं। माननीय मंत्री जी का रिप्लाई कल रखें। इसमें बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे स्थिति स्पष्ट करने दें। कार्य मन्त्रणा समिति ने यह फैसला किया था कि यह चर्चा आज पूरी कर ली जाये। पहले यह सुझाव था कि मन्त्री महोदय सात बजे बहस का उत्तर देंगे। चूंकि इस बहस में भाग लेने वाले अनेक सदस्य हैं, यह निर्णय लिया गया कि इसका समय एक घन्टा बढ़ा दिया जाये। मैंने अभी आपको बताया है कि अभी 13 सदस्य और बोलने वाले हैं। यदि सभी को बोलने का अवसर दिया जायेगा तो आप लोगों का सुझाव है कि प्रत्येक माननीय सदस्य को 2 मिनट का समय दिया जाये। इसे स्वीकृति दी जाये।...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार : यह समय-सीमा आरम्भ से ही लागू की जानी चाहिये थी। बाद वाले सदस्यों पर ही क्यों यह समय-सीमा लागू की जाये?...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : तब मुझे सदन की राय लेना होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : हम सुबह से बोलने के लिए बैठे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समस्या से परिचित हूं। कृपया बैठ जायें। हम इन कठिनाइयों के पीड़ित व्यक्ति हैं। मैं इस समस्या से परिचित हूं। कृपया आप यह बतायें की क्या किया जाये। क्या सदन इस चर्चा को 9 बजे तक जारी रखना चाहता है अथवा इसे कल के लिए स्थगित कर दिया जाये?

एक माननीय सदस्य : कल शाम छः बजे के बाद इसे लिया जाये।

सभापति महोदय : आज हम आठ बजे तक बैठें।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : 13 माननीय सदस्य अभी चर्चा में भाग लेने वाले हैं आप किसी को दो मिनट बोलने के बाद रोक नहीं सकते। आप प्रत्येक माननीय सदस्य को चार या पांच मिनट का समय दे सकते हैं। आज आठ बजे तक जितने सदस्य बोल सकते हैं उन्हें अनुमति दी जाये। यदि कोई बोलने से शेष रहे तो वह कल बोल सकता है और उसके बाद मंत्री महोदय बहस का उत्तर दे सकते हैं। यह सही रहेगा।...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : मेरा यह कहना है कि कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। चीनी पर एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इसलिए आप तदनुसार फैसला करें।

श्री सुरेश प्रभु : हम इसे किसी और दिन के लिये स्थगित कर सकते हैं। इस पर सही ढंग से चर्चा हो। मेरा यही विचार है।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं यह नहीं कह रहा कि सही नहीं सोच रहे। मैं केवल पीठासीन अधिकारी को स्मरण दिला रहा हूं कि कल चीनी की कीमत के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है...**(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव : यह सदन की प्रक्रिया है। प्रश्नकाल के बाद नियम 377 के अन्तर्गत मामले, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और उसके बाद अन्य विषय लिए जाते हैं।

सभापति महोदय : हमें इस सम्बन्ध में निर्णय लेना है। आज हम 8 बजे तक बैठते हैं और शेष कल होगा।

श्री यादव, आप कृपया पांच मिनट से अधिक नहीं बोलें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय देकर बड़ी कृपा की है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज काफी देर से सदन प्राकृतिक आपदा के विषय पर चर्चा कर रहा है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सदन चर्चा कर रहा है, चिंता कर रहा है और खास तौर पर कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों के बारे में, अपने-अपने इलाकों के बारे में यह कहा है और मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि बाढ़ पर हर सेशन में हम चर्चा करते हैं। मगर चर्चा करने के बाद कोई ठोस उपाय नहीं निकाला जाता है, जिसके कारण खास तौर पर हमारे देश के गरीब लोगों को हमेशा बाढ़ से जूझना पड़ता है, बाढ़

के प्रकोप से मरना पड़ता है। लेकिन इस पर सदन में सार्थक चर्चा तब हो, जब इस पर कोई ठोस उपाय सरकार के माध्यम से निकाला जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर कई ऐसे भाग हैं जहां प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ का प्रकोप होता है ओर करोड़ों-करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है। वैसा ही प्रदेश हमारा प्रदेश है जहां से हम आते हैं और माननीय मंत्री जी भी बिहार से आते हैं। बिहार का लगभग आधा भाग प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में चला जाता है और खास तौर से उत्तरी बिहार जहां करीब 22 जिले हैं जो सभी बाढ़ के प्रकोप से हर साल क्षतिग्रस्त होते हैं। कई लोगों की जान चली जाती है, सारी सड़कें टूट जाती हैं, खेतों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, गरीबों के मकान ढह जाते हैं यानी उस इलाके में बाढ़ के बाद आदमी को खाने के लिए भी तरसना पड़ता है। पिछले वर्ष के आंकड़े मैं देना चाहूंगा। पिछले वर्ष बाढ़ के प्रकोप से जो क्षति बिहार में हुई है वह लगभग 12 सौ करोड़ रुपये की क्षति हुई है और लगभग दो सौ जानें गई हैं। बिहार में खास तौर से भागलपुर और बांका जिले में पिछली बार एकाएक बाढ़ का प्रकोप हुआ था, जहां तमाम सड़कें, तमाम पुल-पुलिया, तमाम फसल, तमाम गरीब लोगों के मकान बिलकुल तहस-नहस हो गये थे और मैं समझता हूं कि इस बार भी उत्तरी बिहार के लगभग 12 जिलों में बाढ़ का भयानक प्रकोप है और वहां राहत कार्यों की आज भी आवश्यकता है। मगर मैं समझता हूं कि अभी तक केन्द्र की सरकार के माध्यम से बाढ़ के लिए राहत कोष से कोई पैसा उपलब्ध नहीं किया जा सका है।

यही नहीं, पिछली बार जब बिहार में भारी बाढ़ आई थी तो राज्य सरकार की मांग पर भारत सरकार ने लगभग 21 करोड़ रुपये की राशि बिहार को आबंटित की थी लेकिन वह राशि अभी तक भारत सरकार ने राज्य सरकार को नहीं भेजी है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह 21 करोड़ रुपये की राशि तत्काल राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाए, जहां कहीं भी वह राशि रुकी हुई है, यह मेरी भारत सरकार से मांग है।

[अनुवाद]

श्री चतुरानन मिश्र : कृषि मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अब यह वित्त मन्त्रालय के विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता था।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : जब आपने पैसा सैंक्शन करके भेज दिया, भारत सरकार की तरफ से, तो वह पैसा वहां जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चतुरानन मिश्र : हम सभी अपनी कार्यशैली से परिचित हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : मैं आपे माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा कोष से बिहार को जो 21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति हुई थी, उसे तुरन्त बिहार सरकार को उपलब्ध कराया जाए।

सभापति महोदय, भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश में लगभग 3200 लाख हैक्टेयर जमीन है जिसमें से 320 लाख हैक्टेयर भूमि ऐसी है जहां प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में बाढ़ आती है जिसे कंट्रोल करने के लिए 1994 से भारत सरकार के माध्यम से प्रबंधन हो रहा है। इतने साल बीत जाने के बावजूद, जब सारी स्थिति भारत सरकार की जानकारी में है, फिर भी कोई ठोस उपाय नहीं किये जा रहे हैं। मेरी मांग है कि इस मामले पर भारत सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए ताकि हर साल इतने बड़े पैमाने पर जान और माल की जो क्षति होती है, उसे रोका जा सके और गरीब लोगों को राहत देने का काम किया जा सके।

बाढ़ के कारण केवल राज्यों का नुकसान ही नहीं होता, भारत सरकार की सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। हर राज्य में रेलवे लाईनें हैं और भारत सरकार की भारी सम्पत्ति अवस्थित है जिसे हर साल क्षति पहुंचती है। अनेकों मवेशी मर जाते हैं, लोगों जानें चली जाती हैं। इसे रोकने के लिये जब तक कोई ठोस और कारगर उपाय नहीं किए जाएंगे, मैं समझता हूं कि हर साल होने वाली क्षति से बचा नहीं जा सकता। इसके कारण किसी राज्य का नहीं, पूरे देश का नुकसान होता है।

इसलिए मुख्य रूप से, मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे क्षेत्र पटना डिस्ट्रिक्ट के दानापुर सैगमेंट में डेरा नामक बहुत बड़ा इलाका बाढ़ के कारण हर साल प्रभावित होता है जहां लगभग एक लाख लोग रहते हैं। हर साल गंगा और सोन नदियों में बाढ़ के कारण वहां भारी कटाव होता है जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले गरीब तबके के लोगों का भारी नुकसान होता है। चूंकि राज्य सरकार के पास रिसोर्सज का अभाव है, इसलिये लाख चाहने के बावजूद वह इस कटाव को नहीं रोक पाती। इसलिये मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह कुछ ऐसे ठोस उपाय करे जिससे दानापुर के डेरा इलाके में रहने वाले लाखों गरीब लोगों का बचाव हो सके और उस इलाके को प्रतिवर्ष होने वाले कटाव से बचाया जा सके।

जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, हमारे देश में बाढ़ की जो समस्या हर साल आती है, राजीव जी ने बताया कि हमें जो इतनी बड़ी परेशानी होती है, वह नेपाल से आने वाली नदियों के कारण पैदा होती है। नेपाल से जो नदियां भारत में आती हैं, उनके साथ बहकर भारी मात्रा में जल आ जाता है जो यहां आकर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिये गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागान, कोसी, बागमती आदि ऐसी नदियां हैं जिनके कारण हर साल बिहार का बहुत बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है। मेरी मांग है कि भारत सरकार को नेपाल सरकार से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसी चर्चा पहले कई बार हो चुकी है मगर अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं निकला है। मेरी मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता होना चाहिए।

इन नदियों में भारी मात्रा में बाढ़ हर साल आ जाती है तथा बिहार बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इसलिए इसके ऊपर जब तक कोई ठोस समझौता या सख्त उपाय नहीं किए जाते तब तक बिहार के उन लोगों को बाढ़ से बचाने के उपाय नहीं निकल सकते। वहां बड़ी मात्रा में सिल्ट हो रहा है, इसलिए इनको डिसिल्टिंग का भी उपाय करना चाहिए। धीरे-धीरे नदियों का पाट बढ़ रहा है, जिससे ओवरफ्लो हो जाता है। इसलिए नदियों की भी सफाई करनी चाहिए। इसके ऊपर भी भारत सरकार को निगाह जानी चाहिए ताकि बाढ़ रुक सके और बिहार व दूसरे भागों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय : कंक्लूड करिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। गंगा बाढ़ नियंत्रण योजना के कार्यक्रम पूरे नहीं किए जा रहे हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण योजना जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बिहार में बाढ़ से राहत नहीं मिलेगी। इससे बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आ रही है तथा लोग प्रभावित हो रहे हैं...**(व्यवधान)** सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों को आपत्ति हो रही है। मैंने किसी माननीय सदस्य को बोलते समय टोकाटोकी नहीं की। आपने समय भी निर्धारित किया गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि देश व बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए केन्द्र सरकार के माध्यम से कोई ठोस उपाय करने चाहिए, ताकि हमारा बिहार बच सके, फसल बच सके, वहां का जो जन-जीवन अस्तव्यस्त हो रहा है बच सके।

मैं आपके माध्यम से एक मांग और करना चाहूंगा। बाढ़ में गरीबों के जो मकान ढह जाते हैं उन लोगों को पक्का मकान बनाने की योजना है। उनको सरकार की तरफ से अधिक राशि आवंटित की जाए ताकि गरीबों के मकान पुनः न ढहें। वे मकान मिट्टी व फूस के रहते हैं। इसलिए उनके लिए कोई ठोस कार्रवाई की जाऐ ताकि उन गरीबों को राहत मिल सके।

मेरा यह भी निवेदन है कि व्यापक पैमाने पर किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की जानी चाहिए। बड़े पैमाने पर किसान हताहत होते हैं। हमारा देश किसानों का देश है, इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किसानों के लिए फसल बीमा योजना सख्ती से लागू हो तथा इसका कोई व्यापक रूप हो। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी देश के अन्य भागों और खासकर बिहार में जो बाढ़ पीड़ित हैं उन पर ध्यान दें और उनके लिए कोई ठोस उपाय निकालकर कार्रवाही करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (केसरगोडा) : सभापति महोदय, मैं एक छोटा-सा मुद्दा उठाना चाहता हूं। केरल के मेरे मित्रों ने केरल में बाढ़ से हुई हानि के बारे में बता दिया है इसलिये उस बात को पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

मैं केवल एक या दो बातें ही कहना चाहूंगा। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें काफी नहीं हैं। केन्द्र सरकार को अत्यधिक मुद्रास्फीति एवं रुपये के अवमूल्यन के कारण दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर फिर से विचार करना होगा। मेरा केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करें।

दूसरी बात यह है कि केरल समुद्री भू-कटाव की गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है। केन्द्र सरकार को समुद्र तट को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मानना चाहिए और भू-कटाव रोकने के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहिए। हर वर्ष केरल में लहरों के कारण हजारों एकड़ भूमि का नुकसान हो रहा है तथा हजारों मकान और नारियल के पेड़ गिर जाते हैं। केरल सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की अभाव है यह समुद्री दीवारों का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए केन्द्र सरकार को यह दायित्व अपने उपर ले लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति जी...

सभापति महोदय : कृपया जरा संक्षेप में बोलिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : माननीय सभापति जी, हम तो हमेशा संक्षेप में ही बोलते हैं, इसलिए कहने की आवश्यकता ही नहीं है।

मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि यहां पर कई माननीय सदस्य चर्चा कर चुके हैं और अपने-अपने राज्य तथा क्षेत्र के बारे में बोल चुके हैं, लेकिन यह चर्चा तो मैं आठवीं लोक सभा से करता आ रहा हूं और इस प्रकार की चर्चा में भाग लेता आ रहा हूं और आठवीं लोक सभा से आज ग्यारहवीं लोकसभा में बोल रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि चर्चा हो जाती है, उसके बाद सारे लोग भूल जाते हैं। सरकार सो जाती है और इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

सभापति महोदय, आज बाढ़ हमारी राष्ट्रीय अभिशाप बन गई है। उससे कोई भी सरकार देश को नहीं निकाल पा रही है। जहां पर बाढ़ आई, जहां पर नुकसान-हुआ, उसकी आज तक पूर्ति नहीं हो सकी है। हमारे यहां गांवों में एक नम्बर की, प्रथम श्रेणी की जमीन में आज बाढ़ के कारण पत्थर ओर रेत भर गई है जिसके कारण वह जमीन बेकार हो गई है। वह खेती लायक नहीं रही है। और उस जमीन के मालिक आत तबाह हो गए हैं। बेघर हो गए हैं। भूखों मर रहे हैं। कोई दूसरा धंधा करने पर विवश हो गए हैं और जैसे तैसे अपनी जीविका चला रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी सदन में हमारे स्वर्गीय के.एल.राव ने एक मास्टरप्लान बनाकर पेश किया था और वह पूरे देश को बाढ़ से बचाने के लिए था, लेकिन वह मास्टरप्लान आज ठंडे बस्ते में चला गया। यदि वह मास्टरप्लान लागू हो जाता, तो आज बाढ़ के ऊपर इतनी

बहस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और बाढ़ से राहत मिल जाती, लेकिन अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण आज भी देश में बाढ़ से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है।

सभापति महोदय, हम लोग अलग-अलग तरह से अपने-अपने ढंग से चर्चा कर लेते हैं और इसी में हम समझते हैं कि हमने अपने क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि इस बाढ़ से जो देश में विनाश हो रहा है और जिससे बचाव के लिए अरबों-खरबों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देश को बाढ़ से बचा नहीं पा रहे हैं और जिनका नुकसान होता है, उनको बचा नहीं पा रहे हैं। यदि उस मास्टरप्लान पर काम किया जाता और उसको इस देश में लागू किया जाता, तो आज इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज हम लोगों के जान-माल को बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि उस मास्टरप्लान को आप लागू कीजिए। उसके जरिए पूरा देश बाढ़ से बच जाएगा।

सभापति महोदय, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अन्त में यह कहना चाहता हूं कि बिहार में बाढ़ से बहुत बरबादी हो गई है इसलिए बिहार सरकार को इतना धन दिया जाए जिससे वह बाढ़ से लोगों को बचा सके। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति जी, सदन में माननीय सदस्यों ने बाढ़ से प्रभावित राज्यों के बारे में अपनी पीड़ा जाहिर की है और इस सदन को अवगत कराया है कि देश के अंदर ऐसे राज्य भी हैं, जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं जब 10वीं लोक सभा में आया था तब भी इस पर चर्चा हो रही थी। 1991-92-93 में इस पर चर्चा हुई है। यह चर्चा कई बार हुई है लेकिन उस चर्चा का महत्व क्या है? वह पीड़ा चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पंजाब की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो या हरियाणा की हो या किसी भी राज्य की पीड़ा है, उस पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है।

सभापति जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा-फिरोजाबाद में जो बाढ़ आयी है, उसमें 742 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। वहां कई लाखों हैक्टेयर जमीन प्रभावित हुई है। खड़ी फसल नष्ट हो गयी है तथा कई लोगों के घर ध्वस्त हो गये हैं। मैं समझता हूं कि इस चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिये। कई बार नीति बनायी गयी है लेकिन इस चेयर पर बैठने वाली जो सरकार है, वह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के घर और जमीन प्रभावित हुई हैं, उनके परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने 50 हजार रुपये देने के लिए कहा है लेकिन वह राशि पर्याप्त नहीं है।

मैं चाहता हूं कि वह राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी जाये। दूसरा, बाढ़ के संबंध में जो भी नीति बनायी जाये, वे सभी दलों के लीडरों को बुलाकर सर्वसम्मति से बनायी जाये।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, 8वीं संसद से जो सदस्य यहां पर आये हैं। जिनके विचार हमने यहां पर सुने। बाढ़ के विषय में, सूखे के विषय में या प्राकृतिक आपदा के विषय में हम चर्चा करते हैं और सदन के बाहर जाने पर फिर भूल जाते हैं। जो प्राकृतिक आपदायें आती हैं, उनका सामना करना कठिन है, आज इस बात को हमें मानना चाहिए कि यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन प्राकृतिक आपदा से जो आपदाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, उनको राहत दिलाना तो हमारे बस की बात है।

सभापति जी, इस वर्ष महाराष्ट्र में जो चक्रवात आया, उस चक्रवात में कोंकण की जनता का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मैं कोंकण विभाग से आया हूं। उस कोंकण की रचना इस प्रकार है। थाना रायगढ़ रत्नगिरि और सिंधु दुर्ग चार जिलों से बना हुआ यह कोंकण प्रदेश है। पूर्व में सहयाद्री की पर्वत श्रृंखलायें और पश्चिम में अरब सागर है।

पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा कोंकण सागर से घिरा हुआ है। हर साल किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष चक्रवात ने कोंकण का बहुत भारी नुकसान किया।

इस सदन में जो मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, ऐसे ही एक प्रश्न पर कृषि मंत्री जी ने लिखित उत्तर में यह बताया है कि मुम्बई में एक दीवार गिरने से नौ आदमी करे, बिजली गिरने के कारण चालीस मरे भारी वर्षा के कारण कोंकण के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग घरों को नुकसान हुआ। जो मछलीमार पूरे कोंकण के अरब सागर के किनारे में रहते हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक तकरीबन बाईस मछलीमार चक्रवात में लापता हो गए, शायद वे डूबकर मर गए। कृषि मंत्री जी के उत्तर में इसका उल्लेख नहीं मिला। मेरी प्रार्थना है कि जिन मछलीमारों का नुकसान हुआ है, आप उनकी जानकारी लें।

मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह नैसर्गिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, हर साल आती रहती है। इससे आपदाग्रस्त लोग परेशान होते हैं और राहत चाहते हैं। हमारे देश में जहां भी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे बाढ़ की वजह से हो, सूखे की वजह से हो या चक्रवात की वजह से हो, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि उसमें सबसे पहले इस देश की जनता की ओर से राहत दी जाती है। आज भी हमारे देश की जनता में मानवता जीवित है। पहले जनता मदद के लिए जाती है, बाद में सरकार जाती है।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार ने 7 जून के बाद मछली मारने पर पाबंदी लगाई है। यह पाबंदी जरूरी भी है क्योंकि जून और जुलाई में बहुत भारी वर्षा होती है, चक्रवात होते हैं, मछलीमारों का बहुत नुकसान भी होता है। इस पाबंदी के बावजूद भी मछलीमार मजबूरन मछली मारने के लिए जाते हैं क्योंकि मछली मारना उनका व्यवसाय है। वे मजबूरन मौत को ललकारते हैं। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि 7 जून के पहले यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है और उसमें जो मछलीमार सागर में डूब जाते हैं, उनके जहाजों का नुकसान होता है तो उनको उसका मुआवजा दिया जाता है। इसी प्रकार पाबंदी के बाद

भी उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरफ सरकार को गौर करना चाहिए कि हमारा प्रदेश, जो सागर से घिरा हुआ है, वहां यदि मछलीमारों का नुकसान होता है तो उनको भी पूरा मुआवजा मिलना चहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अराकल।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्री (श्री श्रीकान्त जेना) : कल काफी कार्य होगा इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा को आज पूरा कर लिया जाये...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह बात उठ चुकी है और सभापति जी का उस पर निर्णय हो चुका है। चूंकि इस विषय पर प्रत्येक सांसद बोलना चाहता है इसलिए आठ बजे तक का समय पर्याप्त नहीं है. ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : क्या यह सम्भव है कि हम एक घन्टा और बैठ कर बहस पूरी कर लें और मंत्री महोदय भी बहस का उत्तर आज ही दें? कल अत्यधिक कार्य होगा। इसे पूरा करना सम्भव नहीं होगा। इसलिये आज कार्य मन्त्रणा समिति में जहां अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित थे, यह फैसला हुआ था कि आज हम देर तक बैठकर इसे पूरा कर लें...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय सांसद सुबह से आए हुए हैं उनके लिए आपने कोई व्यवस्था की है क्या...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : कल के लिए चर्चा रहेगी तो उसमें कोई प्राब्लम नहीं होगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नौ सदस्यों को अभी और बोलना है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : केवल दस सदस्य ही यहां बैठे हैं।

सभापति महोदय : जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि कार्य मन्त्रणा समिति ने इस चर्चा को आज ही समाप्त करने के लिए कहा है। यदि हमने सभी को बोलने को अवसर देना है तो या तो हमें अभी और समय तक बैठना होगा या फिर कल इसे लेना होगा।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : इस बात से सदन के सभी लोग सहमत हैं जो सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं उन्हें आज ही बोलने का अवसर दिया जाये और मन्त्री महोदय चर्चा का कल उत्तर दें।

सभापति महोदय : क्या सदन की यही राय है?

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति जी, मेरा अनुरोध सुनिए। मेरा कहना यह है कि आप एक बार निर्णय दे चुके हैं और बोलने वालों की संख्या भी आप बता चुके हैं। जो माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, वह कल के लिए चर्चा को समझकर आपके निर्णय के बाद घर चले गये हैं। एक बार अगर आपका निर्णय हो चुका है तो जो माननीय सदस्य चले गए हैं, उनके साथ यह अच्छा बर्ताव नहीं होगा। आपसे अनुरोध है कि आज आठ बजे तक हाउस रखें।...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला : जो लोग चले गए हैं, उनकी चर्चा मे रुचि नहीं है। हम लोग भाषण देने के बाद भी यहां बैठे हैं। यह गलत बात है। जिन लोगों की रुचि नहीं है, वह लोग चले गए हैं, उनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दीजिये। श्री अराकल, कृपया आप अपना भाषण दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सभापति जी, पहले निर्णय हो चुका है। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : इस पर सहमति होनी चाहिए। केवल सत्ता समर्थक लोग ही हां कर रहे हैं, हमारी राय तो आप ले ही नहीं रहे हैं। इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जेवियर अराकल (एरणाकुलम) : क्या मैं अपना भाषण जारी रखूं।

सभापति महोदय : हां, कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री जेवियर अराकल : सभापति महोदय, धन्यवाद। यह सदन ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : जो सदस्य आज यहां बैठे हैं और चर्चा में भाग लेना चाहते हैं वे आज बोल लें। यह एक गम्भीर चर्चा है। इस चर्चा को गम्भीरता से लें।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, यह गम्भीर विषय है। ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : आपकी बात मैंने सुन ली है, आप मेरी बात को भी सुन लीजिये न...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, जो सदस्य आज यहां बैठे हैं और इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें आज भाग लेने दें और माननीय मंत्री महोदय कल चर्चा का उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आपका निर्णय हो चुका है कि आज हम आठ बजे तक बैठेंगें और बाकी चर्चा कल होगी। मन्त्रीजी कल जवाब दे दें।

अपराह्न 8.00 बजे

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : मैं सभापति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दें। हम आज कई माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अगर यही इच्छा है, तो हम लोग चले जाते हैं, फिर आप जो चाहें, करें।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार : सभापति महोदय, पहले यह फैसला किया गया था कि चर्चा सात बजे जारी रहेगी और सात बजे कृषि मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे। तब सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया गया और हमने उसको सहमति दे दी है। अब हम समय और बढ़ाना चाहते हैं। यह उचित नहीं है। मेरे विचार से चर्चा कल जारी रखी जानी चाहिए।

सभापति महोदय। आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : कल आप कहेंगे तो हम सात बजे के बाद भी बैठेंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : कल यदि आप आधी रात तक भी बैठेंगे तो हम तैयार हैं। कल जब सरकार का कार्य पूरा हो जायेगा तो हम इस मुद्दे को लेंगे।

श्री मधुकर सर्पोतदार : ठीक है।

सभापति महोदय : अब सभा 18 जुलाई, 1996 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिय स्थगित होती है।

अपराह्न 8.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 18 जुलाई, 1996/27 आषाढ़, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।